MAPS -112
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon
Open University

खण्ड

1

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

इकाई- 1

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन : अर्थ प्रकृति एवं विकास 5

इकाई- 2

राष्ट्रसंघ की स्थापना और संगठन 15

इकाई- 3

राष्ट्र संघ के कार्य 22

इकाई- 4

राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंग 31

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो. सत्यकाम — कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रो. सन्तोषा कुमार	प्रभारी, समाज विज्ञान, विद्याशाखा,उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो. अनुराधा अग्रवाल	आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो. राजपाल बुदानिया	आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ0 आनन्दा नन्द त्रिपाठी	सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ0 त्रिविक्रम तिवारी	सहायक निदेशक/ सहायक आचार्य, समाज विज्ञान, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ0 दीपशिखा श्रीवास्तव	सहायक आचार्य , राजनीति विज्ञान, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. के0 डी0 सिंह	सेवानिवृत, इंडिया पी0जी0 कॉलेज, प्रयागराज (खण्ड - 1 , 4)
डॉ. हिमाशु यादव	असि0 प्रो0, राजनीति विज्ञान श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय पी0 जी0 महाविद्यालय, प्रयागराज(खण्ड - 3)
डॉ. एस0 पी0 राय	असि0 प्रो0 राजनीति विज्ञान एस0जी0एम0 राजकीय पी0 जी0 महाविद्यालय मौम्मदाबाद, गोहना, मऊ (इकाई 15,16,17,18)
श्री राकेश सिंह	असि0 प्रो0 प्रताप बहादुर पी0 जी0 कॉलेज, प्रतापगढ़ ((खण्ड -6)
कामना यादव	राजनीति विज्ञान,, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (खण्ड -2, इकाई-19)

सम्पादक

डॉ0 आनन्दा नन्द त्रिपाठी	सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (खण्ड 1, 2, 3)
डॉ0 त्रिविक्रम तिवारी	सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (खण्ड 4, 5, 6)

समन्वयक

डॉ0 दीपशिखा श्रीवास्तव — असि0 प्रो0, राजनीति विज्ञान, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक

मुद्रित वर्ष - अक्टूबर- 2024

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज -2024

ISBN No - 978-93-48270-61-0

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन : उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक : कुलसचिव, कर्नल विनय कुमार सिंह, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

मुद्रक - के0 सी0 प्रिंटिंग एण्ड एलाइड वर्क्स, पंचवटी, मथुरा

खण्ड–1 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनः परिचय

बीसवीं शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विकास है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्रीय तत्व बन चुका है। इसे ही मानव सभ्यता के भावी विकास का आधार माना गया है। इसके माध्यम से मानव राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर पहुँचता है और बन्धुत्व के भाव का विकास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से मानव आणविक युद्धों की विभीषिकाओं से अपनों को बचा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्यों की विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है, फिर चाहे वह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा हो, या आर्थिक वाणिज्यिक शैक्षिक सांस्कृतिक या अन्य क्षेत्रों में उन्नयन का विषय हो। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता आत्म विश्वास की वृद्धि में सहायक है। विश्व के राष्ट्र ऐसे संगठनों की स्थापना करते हैं और उनकी सदस्यता की प्राप्ति का प्रयास करते रहते है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को य़द्यपि हमेशा पूर्ण सफलता प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। इनकी कमियों और विफलताओं के बावजूद ये संगठन अत्यन्त उपयोगी कार्य कर रहै है। वस्तुतः इनके माध्यम से एक विश्व संघ राज्य की सम्भावनायें बनी है और विश्वशांति की प्राप्ति की सम्भावनायें दृढ़ीभूत होती जा रही है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रिया कलापें के अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इसके साथ ही इन संगठनों के सैद्धान्तिक और विचारात्मक धरातल पर अध्ययन की ओर भी झुकाव बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभाव से बच नही सकता। विश्व के विभिन्न देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार करने में इनकी स्वीकार्यता स्पष्ट है।

इकाई–1 अन्तराष्ट्रीय संगठन : अर्थ प्रकृति एवं विकास

इकाई का रूपरेखा :

1.0 उद्‌देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ

1.3 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषतायें

1.4 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति

1.5 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विकास

1.6 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सैद्धान्तिक विकास

1.7 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थागत विकास

1.8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से विकास में यूरोपीय सहयोग का महत्व

1.9 हेग सम्मेलन

1.10 सारांश

1.11 बोध प्रश्न

1.0 उद्‌देश्य :

इस इकाई के अध्यन के पश्चात् आप–

1. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर सकेगें।
2. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति को समझ सकेगें।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास को समझ सकेंगें।
4. कन्सर्ट आफ यूरोप और हेंग सम्मेलन का महत्व समझ सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना :

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बीसवी शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुदाय है। विश्व ने दो महायुद्धों की भयावहता को देख और उसके निराकरण के विकल्प के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को स्वीकार किया। यद्यपि बीसवीं शताब्दी के पूर्व भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। ऐसी संस्थायें रही है, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राष्ट्रों तक विस्तृत था। इसके बावजूद इस तरह की कोई संस्था ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना राष्ट्रसंघ या संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी संस्थाओं से की जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का वास्तविक महत्व बीसवीं शताब्दी में पूरी तरह से उभरा।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन शांति और व्यवस्था की स्थापना का एकमात्र समाधान भले ही न हो किन्तु सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प है। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अनेक तरह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य देशों के लिये सहयोग और समन्वय का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

1.2 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ :

विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं और विवादों पर साझा विचार विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना की आवश्यकता ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्यक्षेत्र और उपस्थिति विश्वस्तर पर हो। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का प्रयोग जेम्स लोरिमर (स्काटलैंड) के द्वारा 1857 में किया गया था। इस तरह के संगठन विश्व के विभिन्न देशें की भागेदारी का मार्ग सुनिश्चित करते है। ऐसे संगठन एक संधि द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

बर्नरलेवी के अनुसार ''अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उन राष्ट्रों जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संयुक्त किये गये हो तथा उन संस्थाओं और पद्धतियों, जिन्हें इन राष्ट्रों ने आवश्यक सहयोग की व्यवस्था करने के लिये, रचा है, को बतलाता है।'' इस परिभाषा में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्यों के मध्य किसी सम्बन्ध को तभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नाम दिया जा सकता है जब अनेक राष्ट्र उससे सम्बन्धित एक व्यवस्थित संगठन की रचना कर चुके हों।

पिटमैन बी. पॉटर के अनुसार ''अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नाम सर्वोत्तम रूप से उसके अधिकांशतः उपचेतन स्वभाव के बावजूद राष्ट्रों के इस उन्नत एकीकरण को दिया जा सकता है, चाहे उसका प्रकार (तकनीकी आर्थिक या राजनीतिक) कैसा भी हो और उसका क्षेत्र कुछ भी हो। यह नाम उन प्रक्रियाओं और संस्थाओं के समूह को दिया जा सकता है जो विधि में इसकी रचना के सहित इस एकीकरण की अभिव्यकित करते है।''

चीवर और हावीलैंड के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य संस्थापित कोई भी सहयोगात्मक व्यवस्था है जिसे सामान्यतः कुछ सभी के लिये लाभदायक ऐसे कार्यों को करने के लिये एक मूल समझौते के द्वारा स्थापित किया जाता है जिन्हे सर्वाधिक बैठकों और स्टाफ गतिविधियों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।''

लेरी नियोनार्ड : के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी न्यूनाधिक स्थायी संस्थाओं के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धेां के संचालन की पद्धति है जिन्हें सदस्य राज्यों ने कुछ उत्तरदायित्व और सत्ता सौंप दी है तथा जिनके द्वारा प्रत्येक सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिये नीतियों और उद्देश्यों को आगे रख सकती है।''

चार्ल्स लर्च के अनुसार – कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिये संगठित किये गये राष्ट्रों के औपचारिक समूह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कहे जा सकते है। स्वरूप की भिन्नता के बावजूद उनका उद्देश्य समान प्रेरक तत्वों से होता है और उनके दर्शन तथा संगठन में महत्वपूर्ण समानता होती है।''

आर्गेन्सकी के मतानुसार– ''अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना तब होती है जब कुछ राष्ट्र एकत्र होते है उनमें से प्रत्येक यह अनुभव करता है कि एक औपचारिक संगठन के क्रियाशील होने से उनको लाभ होगा।''

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सम्प्रभुता प्राप्त राज्यों का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों की स्वेच्छा से निर्मित होता है। इस संगठन का उद्देश्य विश्वशांति स्थापित करना होता है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के सामान्य हितों के आधार पर सामान्य हितों की पूर्ति के लिये स्थापित किये जाते हैं। विश्व में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय शिक्षा और आतंकवाद जैसी समस्याओं के समाधान में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्ता निर्विवाद है।

1.3 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषतायें :

1. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सम्प्रभु राज्यों द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं द्वारा गठित होते है ओर उनका उद्देश्य सम्बद्ध राज्यों को उनसे बांधना है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की संकल्पना विश्व संगठनों के रूप में की जा सकती है जो अपने सामाजिक परिवेश से प्रभावित खुली प्रणालियां है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता व कार्यक्षेत्र वैश्विक स्तर पर होता है।
4. अन्तराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति की आवश्यकता को पूरा करना रहा है। इसके साथ ही ये अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी स्थापित किये जा सकते है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं– अन्तर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन (International nongovernmental organization (INGOS) और अन्तर्राष्ट्रीय शासकीय संगठन (International governmental organization)
6. ये संगठन प्रकृति में वैश्विक या क्षेत्रीय हो सकते है। इन संगठनों के सदस्य प्रायः सम्प्रभु राज्य होते है य़द्यपि अन्य संस्थायें जैसे गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हो सकते हैं।

इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्यों के बीच औचारिक राजनीतिक समझौतों द्वारा गठित कानूनी संस्थायें है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का दर्जा प्राप्त है, उनके अस्तित्व को उनके सदस्य देशेां में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनका गठन अन्तर्राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने, राजनीतिक सम्बन्धों को मजबूत करने और विकासात्मक कार्यों आदि के लिये किया जाता है।

1.4 अन्तर्राष्ट्रीय व संगठन की प्रकृति :

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति सामान्यतया उसके उद्देश्य पर निर्भर होती है। चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यतः शांति व सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य लेकर गठित होते है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करने का उद्देश्य किसी न किसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय शासन को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की तार्किक परिणति बना देता है। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय शासन के अधीन नहीं है। वस्तुतः इसकी प्रकृति दो विरोधी प्रवृत्तियों पर निर्भर है एक तरफ राष्ट्रों में यह भावना होती है कि उनकी

प्रभुसत्ता सर्वोपरि व असीम है दूसरी तरफ राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है और वे आज एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते जा रहे है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति का निर्धारण करने वाली प्रथम प्रवृत्ति की मान्यता के अनुसार राज्य प्रभुता सम्पन्न होते हैं। आन्तरिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और उसके अन्तर्गत आने वाले सभी व्यक्ति व समुदाय उसके अधीन होते है। इसी तरह बाह्य क्षेत्र में राज्य दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में स्वतंत्र होते हैं, जिसके चलते राज्य अपनी इच्छानुसार मैत्री विग्रह, युद्ध और शान्ति की नीति अपना सकते है।

सम्प्रभुता विषयक यह धारणा प्राचीन नहीं है मध्ययुगीन यूरोप में भी यह धारणा मान्य नहीं थी, क्योंकि राजसत्ता धार्मिक क्षेत्र में रोमन चर्च और लौकिक क्षेत्र में सामन्तों के परम्परागत अधिकारों से सीमित थी 16वीं शताब्दी में जब धर्म सुधार आन्दोलन हुआ तब उससे उत्पन्न परिस्थितियों और व्यापार व वाणिज्य के विस्तार से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिये समर्थ सत्ता की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये बोंदा, हाब्स, बेंथम आस्टिन जैसे विचारकों ने प्रभुसत्ता विषयक आधुनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य में ही निहित होती है और वह निरंकुश असीम और अविभाज्य होती है। यह सिद्धान्त आस्टिन के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण बना, जिसका कालांतर में सर हेनरी मेन द्वारा खंडन किया गया। सर हेनरी मेन ने पंजाब के राजा रणजीत सिंह का उदाहरण देते हुये कहा था कि इतना निरंकुश शासक भी परम्पराओं से बंधा था। इसी तरह ब्लंटशली ने भी कहा कि राज्य अपने समूचे रूप में सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि बाहर वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और भीतर स्वयं अपनी प्रकृति और व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों से और भीतर स्वयं अपनी प्रकृति और व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों से सीमित है। बहुलवादी विचारकों ने भी असीमित प्रभुसत्ता को आधुनिक परिस्थितियों में असम्भव माना है। लास्की ने प्रभुसत्ता को सीमित माना है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति के निर्धारण में दूसरी महत्व प्रवृत्ति राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता है। बर्नर लेवी ने इसीलिये कहा है कि ''राष्ट्रों की उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अन्योन्याश्रितता ही वह शक्ति है जो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने को प्रेरित करती है।'' राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता का तात्पर्य यह है कि एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अलगाव का जीवन व्त्रतीत नही कर सकता। यह सही है कि अरस्तू जैसे विचारकों ने आत्मनिर्भर राज्य का विचार दिया था परन्तु अरस्तू के के समय आवागमन और संचार के साधन सीमित थे। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी है अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिये जब तेल उत्पादक देश तेल की कीमतों में वृद्धि का निर्णय लेते तहैं तब उसका प्रभाव सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी तरह युद्ध की आधुनिक तकनीक ने राष्ट्रों को परस्पर निर्भर बना दिया है। महाशक्तियां अपने मित्र देशों में सैन्य अड्डे और सूचना केंन्द्र स्थापित कर रहे हें। अन्तर महाद्वीपीय प्रेक्षेपास्त्रों के कारण अब प्राकृतिक सीमायें राष्ट्रों की सुरक्षा की गारन्टी नही रह गयी है।

इस तरह राष्ट्रों की बढ़ती अन्योन्याश्रितता ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के उदय को सम्भव और आवश्यक बता दिया है। वस्तुतः औद्योगिक क्रान्ति, आवागमन और ासंचार के साधनों का विकास व्यापार और वाणिज्य की

क्रियाओं से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह संहारक अस्त्रों के कारण भी यह मांग उठने लगी कि राज्यों के युद्ध करने के अधिकार को नियंत्रित किया जाय।

वस्तुतः राष्ट्रों की इस बढ़ती अन्योन्यश्रिता ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को आवश्यक व सम्भव बना दिया है। इसी कारण जैसे राज्य अपने क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों व संस्थाओं पर नियंत्रण रखते है। उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिये भी यह सम्भव माने जाना लगा है कि वे राष्ट्रों की गतिवधियों पर नियंत्रण रख सके। इसतरह राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता और आधुनिक परिस्थितियां अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को एक तरह का अन्तर्राष्ट्रीय शासन बनाने की भूमिका प्रस्तुत कर रही है, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विकसित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को भी वे ही शंक्तियां प्राप्त है, जिन्हें उन्हें सदस्य राज्य स्वेच्छा से शक्तियां प्रदान करने को तैयार है।

1.5 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विकास :

जैसें–जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया राज व्यवस्था की आवश्यकता भी मनुष्यों को अनुभूति होती रही। राजव्यवस्था का उदय होने से युद्धों का जन्म हुआ। युद्ध होने से उनके रोकने की मांग उठने लगी और युद्धों को रोकने के उपायों पर विचार किया जाने लगा। इन उपायों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण उपाय के रूप में सामने आये। इस क्रम में अनेक विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के लिये अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार की। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विकास सैद्धान्तिक और संस्थागत दो रूपों में हुआ।

1.6 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सैद्धान्तिक विकास :

चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में **पीयरेड्यूबॉय** (PierreDubois) द्वारा लिखित दी रिक्यूवरेशन टेरेसेक्टे या 'पवित्र भूमि की पुनर्प्राप्ति' नामक पुस्तक से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की जो योजना प्रस्तुत की है उसमें–

(i) यूरोपीय राजाओं के एक संघ की रचना करने और

(ii) इस संघ की एक पवित्र परिषद बनाने तथा

(iii) एक न्यायालय के गठन का सुझाव सम्मिलित था जो विवादों पर निर्णय देने का कार्य करता।

दांते एलघीयरी ने 1309 में प्रकाशित दी मोनार्किया (De Monarchia) में विश्व राज्य की योजना प्रस्तावित की जिसमें सभी राज्य एक सम्राट द्वारा शासित सार्वदेशिक साम्राज्य के अधीन करने का प्रस्ताव था तथा वह विभिन्न राज्यों के नरेशों व शासकों की देखभाल करने और उनके बीच शांति बनाये रखने का यत्न करेगा एक तरह से उसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की तरह होगा।

मध्य युगीन विचारकों के पश्चात् जब राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तब अनेक विचारकों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये। ऐसे विचारकों में **इरासमस** (Erasmus) **हेनरी अष्टम**

डक दी सली (Due De Sully) एमरिक **क्रुसे** (Emeric Cruce) हयुगो ग्रोशियस (Hugo Grotius), विलिएमपेन, अबेदीसेंट, पीयरे, रूसो कांट और बेंथम के विचार महत्वपूर्ण है।

इससमस ने 'दि कम्प्लेंट आफ पीस' नामक ग्रन्थ में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को न्यायप्रिय महापुरूषों की एक परिषद के पंचनिर्णय द्वारा सुलझाने का सुझाव दिया था। **डक दी सली** ने 16वीं शताब्दी में जो 'महान योजना' प्रस्तुत की उसमें रूस व तुर्की को छोड़कर शेष यूरोप को 15 समान राज्यों में विभक्त कर एक यूरोपीय परिषद की स्थापना द्वारा प्रादेशिक विवादों का समाधान करने का विचार था।

फ्रेंच विचारक **एमरिक क्रुसे** ने 1623 में एक ऐसे विश्व संघ (World league) की योजना प्रस्तुत की, जिसके विवादों का समाधान एक स्थायी परिषद द्वारा होना था। इस परिषद को बहुमत से निर्णय का अधिकार था। **एमरिक क्रुसे** ने ही विश्व पुलिस (Universal Police) के संगठन का सुझाव भी दिया था। इसी तरह डच विचारक **ह्यूमो ग्रोशियस** ने 1625 में 'दि लाज आफ वार एण्ड पीस' में बताया है कि कुछ ऐसे नियम है जिनका राष्ट्रो को अपने पारस्परिक सम्बन्धों में पालन करना चाहिये, चाहे उनके सम्बन्ध शांति के हो अथवा युद्ध के। **ग्रोशियस** को 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पिता' माना जाता है। **विलियमपेन** ने यूरोप की शांति के लिये यूरोप की संसद (Parliament of Europe) की स्थापना का सुझाव दिया। इसी तरह आगे चलकर रूसो ने 24 इसाई राज्यों के सम्राटों के एक संघ की रचना का प्रस्ताव रखा तथा इसका मुख्य कार्य संधियों का पालन कराना और विवादों का समाधान करना बताया। इसी क्रम में 1793 में बेंथम ने अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपल्स आफ इंटरनेशनल ला' में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिये राष्ट्रों की एक कांग्रेस या संसद की योजना प्रस्तुत की। इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का सुझाव भी दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में कांट का भी योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र राज्यों के एक संघ की योजना प्रस्तुत की। इसके अन्तर्गत उन्होंने सभी राज्यों में प्रतिनिधि शासन की स्थापना, अहस्तक्षेप निःशस्त्रीकरण और विश्व नागरिकता जैसे विषयों का सुझाव दिया। जर्मन दार्शनिक **कांट** ने 'टूवर्डस परपेचुअलपीस' नामक पुस्तक में स्वतंत्र राज्यों के एक संघ की योजना प्रस्तुत की थी।

इस तरह प्राचीन विचारकों से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक विचारकों ने ऐसे संगठन की परिकल्पना प्रस्तुत की जिससे युद्धों का समापन हो और मानव बुद्धि व शक्ति को शांति के कार्यों में लगाया जा सके।

1.7 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थागत विकास : कारण

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के बीज प्राचीन काल से विद्यमान है तथापि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में एक नवीन युग का सूत्रपात 19वीं शताब्दी से आरम्भ होता है। उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी और राजनीतिक विकास हुये जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास की अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुयी। इन परिस्थितियों में प्रमुख थी–

(i) राष्ट्र राज्यों का उदय जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की मूलभूत इकाई है।

(ii) औद्योगिक क्रान्ति और वैज्ञानिक अनुसंधान जिनके कारण आधुनिक साम्राज्यवाद जैसी समस्याओं व तनाव का विस्तार हुआ और उसी अनुपात में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की तीव्रता अनुभव की जाने लगी।

(iii) यातायात और संदेशवाहन के क्षेत्र में हुयी क्रान्ति के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों के पारस्परिक सम्पर्क में निरन्तर वृद्धि हुयी। फलस्वरूप इनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय और समझौते स्वीकार करने पड़े।

(iv) विश्व बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था का बीजारोपण हुआ, जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के लिये उपयुक्त परिस्थिति मानी जा सकती है।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण युद्धों को रोकना था। उदाहरणार्थ यूरोपीय राज्यों के तीस वर्षीय युद्ध (1618—1648) को रोकने के लिये **वेस्टफालिया** सम्मेलन (1648) हुआ था। इसी तरह प्रथम महायुद्ध के पश्चात् लीग आफ नेंशंस और द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुयी।

1.8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में यूरोपीय सहयोग का महत्व :

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में **'यूरोपीय सहयोग'** (**Concert of Europe**) का महत्वपूर्ण स्थान था। यूरोपीय सहयोग की यह व्यवस्था तीन संधियों से मिलकर बनी थी जो ब्रिटेन, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस के द्वारा की गयी थी। इनमें **पवित्र मैत्री की संधि** (Treaty of Holy Alliance) **रूस के जार अलेक्जेण्उर प्रथम** के आग्रह पर 26 सितम्बर 1815 को की गयी थी। इसमें कहा गया था कि यूरोप के राज्य पारस्परिक सेवा, स्नेह, ईसाई उदारता और बन्धुत्व भाव के आधार पर कार्य करेगें। दूसरी सन्धि **चामों की संधि** (Treaty of Chaumant) थी जो 9 मार्च 1914 में की गयी थी। इस संधि का मंतव्य यह था कि यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद शस्त्रों के स्थान पर चार बड़ी शक्तियों—ब्रिटेन, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस के सम्मेलन द्वारा सुलझाये जायेगें। तीसरी सन्धि थी **चतुः शक्ति मैत्री संधि** (Treaty of quadruple alliance) जो 20 नवम्बर 1815 को ब्रिटेन, आस्ट्रिया प्रशा और रूस के द्वारा की गयी। यह संधि फ्रांस की आक्रामक कार्यवाही को ध्यान में रखकर की गयी थी, क्योंकि इसमें फ्रांस से की गयी संधि का पालन कराने और फ्रांस के आक्रमण से उस राज्य को सहायता देने की व्यवस्था थी। कालान्तर में 1818 में चतुः शक्ति मैत्री संधि के देशों और फ्रांस के बीच ए—ला—शपेल की संधि हुयी जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को यूरोपीय परिवार का सदस्य मानकर चतुः शक्ति मैत्री संधि को **पंचशक्ति मैत्री संधि** (quintuple alliance) में परिवर्तन कर दिया गया और इस तरह 1792—1815 के युद्धों का अंतिम संस्कार हो गया।

यूरोपीय सहयोग की इन संधियों से य़द्यपि किसी औपचारिक संगठन का उदय नहीं हुआ किन्तु संधि द्वारा की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत भावी सम्मेलनों के आयोजन का प्रावधान था। फलस्वरूप 1818 से 1822 तक चार सम्मेलन अवश्य हो सके।

प्रथम सम्मेलन 1818 में ए–ला–शपेल (Congress of Aix-la chapelle) दूसरा सम्मेलन आस्ट्रिया में ट्रोप्पों (Congress of Troppen) तीसरा सम्मेलन लाइबाख में 1821 और चौथा सम्मेलन वेरोना (Congress of verona) में हुआ था।

इन सम्मेलनों के बाद एक बार पुनः 1823 से 1825 तक यूरोपीय सहयोग को जीवित करने का प्रयास अवश्य किया गया किन्तु ब्रिटेन के भाग न ले सकने के कारण इस प्रयास में सफलता न प्राप्त हो सकी। इसके बावजूद यूरोपीय शंक्तियों के सम्मेलन होते रहे इनमें 1878 का बर्लिन सम्मेलन (Congress of Berlin) 1856 का पेरिस सम्मेलन (Congress of Peris), लंदन सम्मेलन (1871 और 1813) तथा 1906 का अल्जीयर्स सम्मेलन (congress of Algirs) महत्वपूर्ण रहे हैं।

इस तरह यूरोपीय सहयोग का प्रयास अंतिम रूप में सफल न हो सका क्योंकि इन प्रयासों में झगड़ों की समाप्ति के लिये नियमित परामर्श और संगठन की व्यवस्था नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कन्सर्ट आफ यूरोप एक कार्यकारी व्यवस्था कम और एक सेफ्टी वाल्व (Sefety Valve) अधिक था। इसने निरन्तर कार्य न करके रूक–रूक कर ही कार्य किया। यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था अल्पजीवी सिद्ध हुयी क्योंकि इसके पीछे न तो दीर्घकालीन तैयारी थी न और न सार्वदेशिक लोकमत का समर्थन था।

इस तरह यूरोपीय सहयेाग को तात्कालिक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में यह मील का पत्थर था। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में दण्ड की व्यवस्था स्थापित करने का यह प्रथम प्रयास था। इस प्रयास के चलते ही राष्ट्रसंघ परिषद और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। संक्षेप में यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी था।

1.9 हेग सम्मेलन :

हेग सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास का महत्वपूर्ण सोपान था। हेग सम्मेलन रूस के जार निकोलस II की पहल पर बुलाये गये थे। हेग सम्मेलन का प्रथम उद्देश्य निःशस्त्रीकरण था। इसके अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य थे– युद्ध के नियमों का मानवीयकरण करना और पंच निर्णय व मध्यस्थता जैसे शांतिपूर्ण साधनों को राज्यों द्वारा स्वीकृत कराना।

1899 में पहला हेग सम्मेलन हुआ जबकि 1907 में दूसरा हेग सम्मेलन हुआ–

1899 में हुये प्रथम हेग सम्मेलन में 26 राज्यों ने भाग लिया। इसमें यूरोपीय राज्यों के अलावा जापान, चीन, ईरान और थाईलैण्ड ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में तीन उपसंन्धियां स्वीकार की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित अभिसमय, स्थल युद्ध की विधियां व प्रथाओं से सम्बन्धित अभिसमय और जिनेवा अभिसमय को समद्री युद्ध पर लागू करने से सम्बन्धित अभिसमय। इस सम्मेलन में ही पंच निर्णय के स्थायी न्यायालय की रचना का निर्णय लिया गया।

दूसरा हेग सम्मेलन 1907 में हुंआ। इसमें भाग लेने वाले राज्यों की संख्या 44 थी। इसमें मध्यस्थता, जांच आदि से सम्बन्धित बहुत सी व्यवस्थायें थी।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की दृष्टि से हेग सम्मेलन का महत्वपूर्ण स्थान है। हेग सममेलन में यूरोपीय राज्य ही नहीं वरन लैटिन अमेरिका के राज्य भी सम्मिलित हुये थे। इस तरह यह सार्वदेशिक प्रकृति के थे। यह सम्मेलन समानता के आधार पर हुये थे। इसमें छोटे और बड़े सभी तरह के राज्य सम्मिलित हुये थे। ये सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अन्ततः ये सम्मेलन भावी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास की दृष्टि से उपयेागी थे। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों के अतिरिक्त व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी स्थापित हुये जो मानवहित से सम्बद्ध थे। इन संगठनों की स्थापना द्वारा राज्य अपनी प्रभुसत्ता को सीमित करने और अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण व नियमन के लिये सहमत हुये।

1.10 सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय वस्तुतः मानव सभ्यता के उन्नयन के साथ सम्बद्ध है। युद्धों की विभीषिका से त्राण पाने के लिये तथा मानव कल्याण की प्राप्ति के लिये विभिन्न विचारकों और मानवतावादी चिंतकों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना के लिये सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके पश्चात् राजनीतिज्ञों ने उनकी स्थापना की दिशा में प्रयास किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विकास की अनेक सीढ़ियां पार कर चुका था य़द्यपि उन्नीसवी शताब्दी के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय सहयोग और हेंग व्यवस्था स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शांति की प्राप्ति के अपने उद्‌देश्य में सफल नहीं हो सके। प्रथम महायुद्ध का घटित होना इसका प्रमाण है।

1.11 **बोध प्रश्न**

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो के अर्थ और विशेषताओं का विवेचन करें।
2. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का तात्पर्य क्या है? उसकी प्रकृति को स्पष्ट करें।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास का विवेचन करें।
4. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में **कंसर्ट ऑफ यूरोप** की भूमिका का विवेचन करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न :

1. 'कन्सर्ट आफ यूरोप' से आप क्या समझते हैं?
2. चामो की संधि किन देशों से समबन्धित थी?
3. चतुः शक्ति मैत्री संधि का महत्व स्पष्ट करें।
4. यूरोपीय सहयोग का महत्व स्पष्ट करें।
5. हेंग सम्मेलन का महत्व बतायें।
6. सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में क्या महत्व है?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. प्रथम हेग सम्मेलन कब हुआ?

(A) 1899

(B) 1907

(C) 1908

(D) 1909

2– द्वितीय हेंग सम्मेलन में कितने राज्यों ने भाग लिया?

(A) 44

(B) 14

(C) 45

(D) 15

3– चामो की संधि में कितनी बडी शक्तियां सम्मिलित थी?

(A) 4

(B) 44

(C) 45

(D) 46

4– किस विचारक ने ''युद्ध के स्थान पर विधि का ''आश्रय लो'' का नारा दिया।

(A) विलियमपेन

(B) ह्यगो ग्रोशियस

(C) रूसो

(D) इरासमस

5– किस विचारक ने महान योजना (Grand Design) प्रस्तुत की?

(A) इरारसमस

(B) हेनरी अष्टम

(C) डक दी सली

(D) विलियमपेन

प्रश्नोत्तर –

1 A	2A	3A	4B	5C

इकाई–2 :राष्ट्रसंघ की स्थापना और संगठन :

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण

2.3 राष्ट्र संघ के विचार का विकास

2.4 राष्ट्र संघ की प्रसंविदा

2.5 राष्ट्र संघ का उद्देश्य

2.6 राष्ट्र संघ की सदस्यता

2.7 राष्ट्र संघ के पतन के कारण

2.8 बोध प्रश्न

2.0 उद्देश्य :

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात–

1. राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण को समझ सकेंगे।
2. राष्ट्रसंघ के विचार के विकास के बारे में जान सकेंगे।
3. राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य की जानकारी कर सकेगें।
4. राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझ सकेगें।
5. राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के महत्व के बारे में जानकारी कर सकेंगें।

2.1 प्रस्तावना :

सभ्यता के आदि काल से ही मानव जाति शान्ति की खोज करती रही है। प्रथम महायुद्ध ने इस खोज को तीव्रता प्रदान की। महायुद्ध अत्यधिक भीषण और विनाशकारी था। इस भयावह परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिये विश्व के शांतिप्रिय राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियें ने समग्र शक्ति से शांति की खोज का प्रयास करने लगे। राष्ट्र संघ इसी खोज का परिणाम था। यद्यपि वियना और बर्लिन–कांग्रेसों तथा ब्रुसेल्स और हेंग सम्मेलनों में अनेक घोषणायें की गयी थी किन्तु वे अस्पष्ट भाषा में थी। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन ने 25 जनवरी 1919 को राष्ट्र संघ बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। अतः 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ के विधान को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

2.2 राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण :

राष्ट्रसंघ की स्थापना अचानक नहीं हुयी। इसकी स्थापना में अनेक कारकों का योगदान रहा है।

1. शांति स्थापना की तीव्र अभिलाषा राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रमुख कारक थी। वस्तुतः महत्वाकांक्षी शासकों की युद्धों की आकांक्षा ने राष्ट्रसंघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
2. यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था– राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण कारण था। इसके अन्तर्गत यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों–ब्रिटेन, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस के द्वारा अनेक संधिया हुयी थी बाद में फ्रांस के सम्मिलित होने के कारण यूरोपीय शक्तियां शांति की स्थापना हेतु निश्चित अवधि में सम्मेलन करने लगे। वस्तुतः यूरोपीय कंसर्ट व्यवस्था इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विवाद युद्धों के द्वारा न सुलझाकर सम्मेलन के द्वारा सुलझाये जाने चाहिये। राष्ट्रसंघ के संविधान में इस भावना का समावेश दृष्टिगत होता है।
3. मुनरो सिद्धान्त, जिसका प्रतिपादन 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो द्वारा यूरोपीय राज्यों के सन्दर्भ में किया गया था, में कहा गया था कि यूरोपीय राज्य अमेरिकी महाद्वीप के राज्यों की अखंडता और सुरक्षा के विरूद्ध हस्तक्षेप न करें। यह भावना राष्ट्रसंघ की स्थापना में स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होती है। राष्ट्रसंघ की धारा 10 में स्पष्टतया कहा गया था कि सभी सदस्य संघ राज्यों की अखंडता और वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और बाह्य आक्रमण से रक्षा करने को कृतसंकल्प होते हैं।
4. हेग सम्मेलन जो 1899 और 1907 में हालैण्ड की राजधानी में हुयेने राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। वस्तुतः राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा की धारा 11 से 16 की व्यवस्थायें इस अभिसमय का परिवर्धित रूप थी। हेंग सम्मेलन में राज्येां की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रचना में समान भागीदारी को महत्व दिया गया था। राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत इस भावना को स्वीकार किया गया है।
5. राष्ट्रसंघ की स्थापना में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थाओं और विश्व सेवा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1856 में डेन्यूब नदी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग, 1864 में मानचित्र संघ, 1875 में विश्व डाक संघ आदि का गठन हो चुका था। इस तरह की संस्थाओं का राष्ट्रसंघ के गठन में महत्वपूर्ण योगदान था। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 23, 24 और 25 द्वारा मानव कल्याण हेतु इसी तरह के संगठन की स्थापना की बात कही गयी थी।
6. राष्ट्रसंघ की स्थापना में उन्नसवीं शताब्दी में शांति प्रयत्नों की विफलता भी एक कारण था। वस्तुतः 1814 के वियना सम्मेलन के पश्चात् अनेक प्रयत्न किये गये थे, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके। परन्तु इन प्रयासों के बावजूद प्रथम महायुद्ध को रोका नही जा सका। अतः अपेक्षाकृत प्रभावशाली साधन खोजने के प्रयास में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुयी।
7. 1919 की राजनीतिक परिस्थितियों ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। प्रथम महायुद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ऐसी संस्था की रचना करना चाहते थे जो जर्मनी आदि पराजित केन्द्रीय शक्तियों से समझौतों का पालन करा सकें। इसी भावना से राष्ट्रसंघ की परिषद में पांच महाशक्तियों को

स्थायी सदस्यता प्रदान की गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके हितों के विरूद्ध कोई निर्णय नहीं हो सकेगा।

8. वुडरों विल्सन का प्रयास राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण था 22 जनवरी 1917 को सीनेट के सामने भाषण देते हुये उन्होंने शांति की स्थापना के लिये विश्व संघ की मांग की। 8 जनवरी 1918 को उन्होंने अपने 14 सूत्रों के अंतिम सूत्र में कहा कि राष्ट्रों के एक सामान्य संगठन का निर्माण किया जाना चाहिये। इसी तरह जनवरी 1919 में पेरिस शान्ति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन ने इस बात का आग्रह किया कि सम्मेलन राष्ट्रसंघ की स्थापना पर विचार करें। 14 फरवरी 1919 को विल्सन आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप को पेरिस सम्मेलन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

9. लोकतंत्र ओर आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के उदय ने राष्ट्रसंघ के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तद्‌युगीन परिस्तियों में उदारवाद की सभी आधारभूत धारणाओं–लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, विधि के शासन, सीमित शासन आदि ने राष्ट्रसंघ की संविदा पर अमिट छाप छोड़ा है। विल्सन ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कहा है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिये राष्ट्रसंघ आवश्यक है। विल्सन ने राष्ट्रसंघ को जनमत के दरबार (Court of Public opinion) कह कर सम्बन्धित किया है।

2.3 राष्ट्रसंघ के विचार का विकास :

प्रथम महायुद्ध के दौरान बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस करना प्रारम्भ कर दिया था। इस सन्दर्भ में 'ब्राइस योजना' और 'फेवियन सोसाइटी' की योजनायें महत्वपूर्ण थी। 1915 में ब्रिटेन में लीग आफ नेशन्स सोसाइटी तथा जून 1915 में अमेरिका में 'लीग टू एन्फोर्सपीस' नामक संस्थाओं की स्थापना हुयी। यह योजना राष्ट्रपति टाफ्ट के नेत्‌त्व में बनायी गयी थी। इसीलिये इसे 'टाफ्ट योजना' भी कहा जाता है। इसी क्रम में 'फिलिमोर समिति की योजना आयी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के लिये युद्ध का निषेध किया गया था। यह सिफारिश राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के 12वे अनुच्छेद का आधार बनी। इन सबके पश्चात् दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स की योजना आयी। उन्होंने ही मैडेट सिस्टम की योजना प्रस्तुत की थी।

इस दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। विल्सन ने फिलिमोरयोजना स्म्ट्स योजना और कर्नल हाउस की योजना पर विचार किया, इनका सम्पादन किया। 14 फरवरी 1919 को विल्सन आयोग द्वारा तैयार किये प्रारूप को पेरिस सम्मेलन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् 24 जून 1919 को खुले अधिवेशन में राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा को सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

2.4 राष्ट्र संघ की प्रसंविदा :

राष्ट्र संघ में एक प्रस्तावना 26 अनुच्छेद और लगभग चार हजार शब्द थे। पहले अनुच्छेद में सदस्यता की शर्तें, सदस्य बनाये जाने की प्रक्रिया और उसके त्याग का उल्लेख है दूसरे अनुच्छेद में उसके अंगों का उल्लेख है। चौथे अनुच्छेद में परिषद के संगठन और कार्यक्षेत्र का विवरण है। इसी में कहा गया है कि परिषद की वर्ष में

कम से कम एक बैठक होनी आवश्यक है। पांचवा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। छठे अनुच्छेद में राष्ट्रसंघ के सचिवालय का उल्लेख है। सातवें अनुच्छेद में जिनेवा में स्थित सचिवालय के अधिकारियों की कूटनीतिक सुविधाओं और उन्मुक्तियों के प्रावधान है। आठवें अनुच्छेद में निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नवे अनुच्छेद में सैन्य समस्याओं पर परामर्श हेतु एक स्थायी आयेाग के गठन का विवेचन है। दसवे **अनुच्छेद से लेकर सत्रहवें अनुच्छेद** तक सामूहिक सुरक्षा न्याय अन्तर्राष्ट्रीय के स्थायी न्यायालय और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान जैसे विषयों का प्रावधान है। **उन्नीसवें** अनुच्छेद में पुरानी संधियों पर विचार की व्यवस्था की गयी है। बीसवे अनुच्छेद में प्रसंविदा के उपबन्धों से असंगत उत्तरदायित्वों को रद्द किये जाने और इक्कीसवे अनुच्छेद मुनरों सिद्धान्त को मान्यता देने से सम्बन्धित है। बाइसवां अनुच्छेद पराजित राष्ट्रों से छीने गये प्रदेशेां के प्रशासन के लिये मैन्डेट व्यवस्था से सम्बन्धित था। तेइसवां अनुच्छेद राष्ट्रसंघ के मानव कल्याण सम्बन्धी कार्यों से सम्बद्ध था। चौबीसवां अनुच्छेद अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना और उनको एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो के निर्देशन में रखने से सम्बन्धित था। पचीसवें अनुच्छेद में रेडक्रास की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही गयी तथा छब्बीसवे अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी थी कि परिषद और सभा के सदस्यों के बहुमत से प्रसंविदा में संशोधन किया जा सकता है।

इस तरह राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के द्वारा एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बनाये रखना था।

2.5 राष्ट्र संघ का उद्देश्य :

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्रसंघ के तीन उद्देश्य थे–

1– पेरिस शांति संधि के नियमों और उपबन्धें को कार्यान्वित करना।

2– सार्वजनिक हित की पूर्ति करना।

3– शांति की स्थापना करना।

राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सका उसकी सामूहिक सुरक्षा की विचारधारा क्रियान्वित नहीं हो सकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरों विल्सन के विशिष्ट प्रयत्न से भले ही लीग आफ नेशन्स का गठन हुआ हो, किन्तु वही उसका सदस्य न बन सका। इसी तरह सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से निष्कासित होना पड़ा इसकी विफलता के चलते 'रोम बर्लिन टोकियों' धुरी का गठन हुआ। यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वितीय महायुद्ध को रोकने में भी विफल रहा अन्ततः 19 अप्रैल 1946 को उसके समस्त अधिकार, कार्य व सम्पत्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तांतरित करने का निश्चय किया गया। उसके पूर्व 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू कर दिया गया था।

2.6 राष्ट्रसंघ की सदस्यता :

राष्ट्र संघ के सदस्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रथम मौलिक सदस्य और द्वितीय प्रविष्ट सदस्य।

मौलिक सदस्यों के अन्तर्गत दो प्रकार के राष्ट्र थे– प्रथम प्रकार के अन्तर्गत स्वशासित राष्ट, डोमीनियन या उपनिवेश, जिन्होंने वर्साय की संधि और अन्य शांति संधियों पर हस्ताक्षर कियेथे और दूसरे कुछ सदस्य राष्ट्रों को मौलिक सदस्य के रूप में राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया गया। इनके नाम प्रसंविदा के परिशिष्ट में दिये गये थे। राष्ट्र संघ के 42 संस्थापक सदस्य थे।

दूसरे प्रकार के सदस्य प्रविष्ट सदस्य थे। राष्ट्रसंघ के अनुच्छेद एक के पैरा दो में इसके लिये प्रावधान किया गया है। इस प्रावधानके अनुसार यदि (1) यदि महासभा दो तिहायी बहुमत से उसको प्रविष्ट करने की स्वीकृति प्रदान करें (2) यदि वह राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वेां को अनुपालन करने की सच्ची आकांक्षा की गारंटी प्रदान करें तथा (3) राष्ट्रसंघ उसके स्थल जल और वायु सेना और शस्त्रास्त्रों पर जो भी रोकथाम लगाना उचित समझे उसे वह स्वीकार कर ले तो वह राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता है। वर्ष 1926 में जर्मनी और 1934 में सोवियत संघ इसी प्रक्रिया से राष्ट्रसंघ के सदस्य बने।

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में सदस्यता के परित्याग के बारे में भी प्रावधान है। राष्ट्रसंघ प्रसंविदा की पहली ण्धारा के तीसरे भाग के अनुसार राष्ट्रसंघ की सदस्यता का त्याग करने के लिये (1) दो वर्ष की सूचना देनी होगी तथा (2) सदस्यता का त्याग करते समय वह इस संविधान के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर चुका हो।

इसके साथ ही अनुच्छेद 16(4) के अनुसार परिषद अपने सदस्यों के सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा किसी सदस्य को प्रसंविदा का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित कर सकती थी। 1939 में सोवियत संघ को फिनलैण्ड पर आक्रमण करने का दोषी कहकर राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया था। सोवियत संघ 1934 में राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था।

राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या 42 थी जो 1935 में 62 तक हो गयी थी, परन्तु राष्ट्रसंघ कभी भी सार्वदेशिक संस्था न बन सका। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो राष्ट्रसंघ के प्रधान रचनाकार थे किन्तु इसके बावजूद अमेरिका कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं रहा। पेरिस शांन्ति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गठित यह 28 सितम्बर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय 58 सदस्यों से युक्त रहा।

2.7 राष्ट्रसंघ के पतन के कारण :

राष्ट्रसंघ की विफलता के अनेक कारण रहे है–

1.. राष्ट्रसंघ की विफलता का प्रमुख कारण उसकी संवैधानिक दुर्बलता थी। उसके पास अपने निर्णयों का पालन कराने वाली पुलिस व सेना नहीं थी। संघ की कार्यपद्धति के चलते कोई भी बहस अनावश्यक रूप से लम्बे समय तक चलती रहती थी। इसी तरह युद्ध का पूर्ण निषेध नहीं था। रक्षात्मक युद्ध को वैध माना गया था।

2. राष्ट्र संघ की स्थापना में भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो किन्तु वह राष्ट्र संघ का सदस्य न बन सका– सीनेट में संघ की सदस्यता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गैथोन

हार्डी के अनुसार एक बालक (राष्ट्रसंघ) यूरोप के दरवाजे पर अनाथों की भाँति छोड़ दिया गया जिसके चेहरे मोहरे पर अमरीकी पैतृकता की स्पष्ट छाप दिखायी देती थी।

3. भले ही यूरोपीय देशों का राष्ट्र संघ के ऊपर प्रभाव अत्यधिक था, किन्तु अन्य शक्तिशाली देशेां का उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। अमेरिका तो इसका कभी सदस्य ही नहीं बना सका था किन्तु रूस व जर्मनी भी पृथक हो गये। इसके अतिरिक्त कुछ और भी राज्य इससे पृथक होते गये।
4. राष्ट्र संघ के बारे में सदस्य राष्ट्रों का भी भिन्न दृष्टिकोण था जैसे जर्मनी की दृष्टि में राष्ट्रसंघ विजयी राष्ट्रों का एक गुट था, इग्लैण्ड राष्ट्रसंघ को साम्यवाद के विरोध का अस्त्र बनाना चाहता था। नार्मनवेंटविच के अनुसार राष्ट्रसंघ को एक बदनाम माँ की असम्मानित पुत्री समझा जाने लगा।
5. विश्व में उभर रही अधिनायकवादी शक्तियों ने राष्ट्र के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 1922 में इटली में और 1930 के बाद जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में अधिनायकवादी सरकारें सत्तासीन हुयी थी।
6. राष्ट्रसंघ का शक्तिशाली राष्ट्रों पर नियंत्रण भी कमजोर था। जब कभी आक्रमणकारी राज्य के विरूद्ध राष्ट्रसंघ में शिकायत पेश होती तब शक्तिशाली राष्ट्रउनका पक्ष लेकर बचा लेते थे। इससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा।
7. निःशस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्रसंघ की कोई सफलता नहीं प्रापत हो सकी। 1930 के बाद शस्त्रास्त्रों की जिस तरह भीषण प्रतियोगिता शुरू हुयी उससे राष्ट्रसंघ विश्वशान्ति बनाये रखने में असफल रहा।
8. 1930 की आर्थिक मंदी के बाद विश्व में आर्थिक राष्ट्रवाद की शक्तियां प्रबल हो गयी। इसके चलते जर्मनी से नाजीवाद और जापान में सैन्यवाद को प्रोत्साहन मिला। इसके साथ ही बढ़ती उग्र राष्ट्रीयता ने राष्ट्रसंघ के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

उपर्युक्त कारणों के चलते राष्ट्रसंघ युद्धों के निवारण और शान्ति की स्थापना में सफल नहीं हो सका। राष्ट्रसंघ अनेक महत्वपूर्ण मामलों में असफल रहा उदाहरणार्थ विलना विवाद (1920–21) में कौंसिल लिथुआनिया के साथ न्याय नहीं कर सकी और उसे पोलैण्ड को दे दिया गया, कार्फूविवाद (1923) में भले ही इटली ने कार्फू पर बम वर्षा करके यूनान को हानि पहुॅचायी फिर भी मुआवजे के रूप में उसे ही पुरस्कार मिला, मंचूरिया विवाद (1931–1932) में संघ परिषद के प्रस्ताव के बाद भी जापान ने चीन के विरोध के बावजूद मंचूरिया जीतना जारी रखा। इसी तरह इटली–एबीसीनिया युद्ध (1934–1937) में भले ही एबीसीनिया के सम्राट हेलसिलासी ने स्वयं सभा में उपस्थित होकर सहायता की अपील की थी किन्तु कोई फल नहीं निकला ओर ब्रिटेन व फ्रांस के चलते उसे ही राष्ट्र संघ से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया और संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना में उसका लाभ उठाया गया।

2.8 बोध प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय –

1. राष्ट्रसंघ की स्थापना के कारण स्पष्ट करें।
2. राष्ट्रसंघ के उद्देश्य स्पष्ट करें और उसकी सदस्यता की प्राप्ति के तरीके स्पष्ट करें।

3. राष्ट्र संघ की प्रसंविदा का महत्व बताइये और उसके प्रमुख प्रावधान स्पष्ट करें।
4. राष्ट्र संघ के पतन के कारण स्पष्ट कीजिये।

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. मुनरो सिद्धान्त कब और क्यों प्रस्तुत किया गया?
2. राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरों विल्सन के योगदान को स्पष्ट करें।
3. राष्ट्र संघ के विकास में हेंग सम्मेलन की भूमिका स्पष्ट करें।
4. रोम बर्लिन टोकियों धुरी का गठन क्यों किया गया?
5. राष्ट्र संघ की सदस्यता का परित्याग कैसे किया जा सकता था?
6. सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ की सदस्यता क्यों छोड़नी पड़ी?
7. राष्ट्रसंघ के उद्देश्य बताइये।
8. राष्ट्र संघ की असफलतायें बताइये।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न–

1. राष्ट्र संघ का जनक किसे कहा जाता है?
2. राष्ट्र संघ की असफलता के दो कारण बताइये?
3. राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने है।
4. वर्साय सन्धि की कितनी धाराओं में राष्ट्रसंघ की व्यवस्था की गयी थी?
5. किस देश को राष्ट्र संघ से निष्कासित किया गया था।
6. राष्ट्र संघ की असफलता की दो घटनायें बताइये।
7. राष्ट्र संघ की स्थापना में योगदान देने के कारण किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था?

उत्तर–

1. राष्ट्रपति वुडरों विल्सन
2. संवैधानिक दुर्बलता, अमेरिका का असहयोग
3. तीन
4. 26
5. सोवियत संघ
6. कार्फ़ू, विलना विवाद
7. वुडरो विल्सन

इकाई–3 राष्ट्र संघ के कार्य

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 राष्ट्र संघ के प्रशासनात्मक कार्य

3.3 राष्ट्र संघ के मैंडेट सम्बन्धी कार्य

3.4 राष्ट्र संघ के आर्थिक कार्य

3.5 राष्ट्र संघ के वित्तीय कार्य

3.6 राष्ट्र संघ द्वारा किये गये शरणार्थी सहायता के कार्य

3.7 स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के कार्य

3.8 महिला कल्याण और बाल कल्याण कार्य

3.9 दासता ओर बेगार को रोकने विषयक राष्ट्रसंघ के कार्य

3.10 मार्ग और आवागमन विषयक कार्य

3.11 मादक द्रव्यों को नियंत्रित करने का कार्य

3.12 युद्ध बन्दियों के कल्याण विषयक कार्य

3.13 बौद्धिक सहयोग का कार्य

3.14 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और शान्ति व सामूहिक सुरक्षा विषयक कार्य

3.0 उद्देश्य :

- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् राष्ट्रसंघ के कार्य की जानकारी कर सकेगे।
- राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था को समझ सकेगें।
- राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जान सकेंगे।
- राष्ट्र संघ द्वारा शरणार्थियों और युद्धबन्दियों के सन्दर्भ में दिये योगदान को समझ सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना :

अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग और शांति स्थापना के उद्देश्य से गठित राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में अनेक ऐसे प्रावधान रखें गये है, जिनसे राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त, मादक द्रव्य, संचार, परिवहन और वाणिज्य जैसे कार्य आ जाते हैं। राष्ट्रसंघ के कार्यों में संधियों को कार्यान्वित करने से लेकर प्रशासकीय और निरीक्षणात्मक कार्य भी समाहित हो जाते है। राष्ट्रसंघ के कार्यों को निम्नवत वर्गो में विभक्त किया जा सकता है–

3.2 राष्ट्रसंघ के प्रशासनात्मक कार्य :

राष्ट्रसंघ का जन्म वर्साय की संधि से हुआ था और उससे यह अपेच्छा की गयी थी कि वह उस सन्धि को क्रियान्वित करेगा। सन्धियों में कुछ विशिष्ट धाराओं के प्रशासक का काम भी राष्ट्रसंघ को सौपा गया था। इस तरह के कार्यों में सार की घाटी और डेजिंग के स्वतंत्र नगर के प्रशासन की व्यवस्था करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था–

(अ) सार घाटी के प्रशासन का दायित्व राष्ट्रसंघ को सौपा गया था, जिसे राष्ट्रसंघ ने पूर्ण किया। सार घाटी 3200 वर्ग किलोमीटर की कोयले की खानों से युक्त और 8 लाख की जनसंख्या (जिसमें अधिकांश भाग जर्मन था) का क्षेत्र था किन्तु वर्साय की सन्धि में दी गयी व्यवस्थानुसार 13 जून 1935 को सारघाटी में जनमत संग्रह लिया गया जिसमें 90% ने सार प्रदेश को जर्मनी को सौप देने के पक्ष में मत दिया फलस्वरूप 1 मार्च 1935 को सार प्रदेश जर्मनी को सौप दिया गया।

(ब) सार घाटी की तरह डैन्जिग के प्रशासन में भी राष्ट्रसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डैन्जिंग के मामले में पोलैण्ड को सन्तुष्ट करने का उसी तरह प्रयास किया गया था जिस तरह सार घाटी के मामले में फ्रांस को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया गया था। डेंजिग को पोलैण्ड की संतुष्टि के लिये जर्मनी से अलग कर राष्ट्रसंघं द्वारा नियुक्त एक उच्च आयुक्त की व्यवस्था की गयी थी परन्तु इस मामले में जर्मनी और पोलैण्ड में इतनी अधिक कटुता बढ़ गयी कि 1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर पोलैण्ड के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। इस तरह डेजिंग के प्रशासन में राष्ट्रसंघ को सफलता प्राप्त न हो सकी।

3.3 राष्ट्रसंघ के मैडेट सम्बन्धी कार्य –

मैंडेट व्यवस्था जनरल स्मट्स की एक ऐसी खोज थी जिसका उद्देश्य विल्सन के आदर्शवाद और मित्र राष्ट्रों की आंकाक्षाओं में समन्वय स्थापित करना था। इसे कार्यान्वित करने में राष्ट्रसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंडेट व्यवस्था के अन्तर्गत मित्र राष्ट्रों द्वारा शत्रु राष्ट्रों से छीने गये प्रदेशों का शासन राष्ट्रसंघ के संरक्षण में विभिन्न मित्र राष्ट्रों को सौप दिया गया तथा उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया कि वे इन प्रदेशों का इस तरह शासन करें जिससे ये प्रदेश शीघ्र स्वशासन के योग्य हो जाय। इन प्रदेशों को मैंडेट (MANDATES) और इन प्रदेशें के उत्तरदायी राज्य को मैंडेटरी राज्य (Mandatory State) कहा जाता था।

मैंडेट प्रदेशों को तीन भागों में बांटा गया था–

प्रथम (A) श्रेणी में ऐसे भाग थे जो अस्थायी रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में थे और कोई एक मैडेटरी राज्य इन्हें तब तक सलाह और सहायता देता जब तक कि वे अपने पैरों पर न खड़े हो जाय। इसके अन्तर्गत इराक फिलीस्तीन और ट्रांस जोर्डन को ब्रिटेन के और सीरिया व लेबनान को फ्रांस के संरक्षण में रखा गया।

द्वितीय श्रेणी (B) में ऐसे प्रदेशों को रखा गया जिसमें मैडेटरी शक्ति को इस तरह से शासन करना था जिससे वहां के निवासियों को धर्म व सदाचार सम्बन्धी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाय। फलस्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार

दास व्यवसाय शस्त्र व शराब के व्यापार किलेबंदी, सैन्य अड्डे जैसे विषय मैडैटरी शक्ति के अन्तर्गत रखे गये। इस श्रेणी में अफ्रीका स्थित जर्मनी के 6 भूतपूर्व उपनिवेश रखे गये। इनमें कैमेरून्ज का 1/6 भाग, टोगोलैण्ड का 1/3 भाग और टोगानिका को ग्रेटब्रिटेन को, कैमेरून्ज का 5/6 भाग और टोगोलैण्ड का 2/3 भाग फ्रांस का तथा रूआंडा, उंरूंडी बेल्जियम को सौपे गये।

तृतीय श्रेणी (3) में ऐसे भाग थे जिनको पृथक राज्य का रूप लेने के लिये अनुपयुक्त समझा गया। मैंडेटरी राज्यों को इनके सम्बन्ध में लगभग पूर्व अधिकार प्रदान कर दिये गये, जिससे ये एक प्रकार से मैंडेटरी राज्यों का एक अंग बन गये। इसके अन्तर्गत केवल स्थानीय जनता के हितों की सुरक्षा के लिये कुछ विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गयी थीं। इसके अनतर्गत दक्षिण पश्चिम अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को, जर्मन टापू समोआ न्यूजीलैण्ड को और नौरू द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हुये। प्रशान्त महासागर के अन्य भूतपूर्व जर्मनद्वीप जर्मनी और आस्ट्रेलिया में विभाजित किये गये। भूमध्य रेखा से उत्तर के द्वीप जापान को प्राप्त हुये और दक्षिण के आस्ट्रेलिया को प्राप्त हुए।

इन मैडेटों के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ को तीन तरह के अधिकार प्राप्त थे।

1– मैडेटरी राज्यों को हर वर्ष राष्ट्रसंघ को इनकी प्राप्ति के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता था।

2– राष्ट्रसंघ की परिषद प्रत्येक मैडेट के सम्बन्ध में निर्देश दे सकती थी।

3– मैंडेटरी राज्यों के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त एक स्थायी मैंडेट्स आयोग करता था तथा उस सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ की परिषद को परामर्श देता था।

मैंटेड्स आयोग राष्ट्रसंघ परिषद के एजेन्ट के रूप में कार्य करता था। इसके प्रमुख कार्य थे– मैंडेटरी राज्य के प्रतिवेदन की जांच करना मैंडेटरी के निवासियों के आवेदन पत्रों पर विचार करना तथा मैंडेट व्यवस्था सम्बन्धी विषयों पर राष्ट्रसंघ को परामर्श देना।

मैंडेट व्यवस्था की अनेक दृष्टियों से आलोचना की गयी है–

मैंडेटो का शासन उनके कल्याण के उद्देश्य से नही वरन मैडेटरी राज्यों ने अपने हित को ध्यान में रखते हुये किया। इसका प्रयाण फ्रांस और ब्रिटेन के आचरण से देखने को मिला। फ्रांस ने सीरिया और लेबनान में स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा का बड़े पैमाने पर दमन किया तथा फिलिस्तीन में फूट डालों और राजकरो की नीति अपनायी। इसी तरह ब्रिटेन ने भी ईराक में स्वतंत्रता प्राप्ति की महत्वकांक्षाओं के प्रति एक दमनपूर्ण नीति अपनायी थी। इसी प्रकार मैंडेटरी राज्यों ने तृतीय श्रेणी के राज्यों के प्रति मुक्त द्वार (open door) की नीति न अपना कर साधारण उपनिवेशों जैसे व्यवहार किया। इस प्रकार मैंडेटरी शक्तियों ने राष्ट्रसंघ को निदेशक संस्था न मानकर मात्र परमार्शदात्री संस्था माना। मैंडेट व्यवस्था इस तरह साम्राज्यवादी अत्याचारेां के समापन में सफल न हो सकी।

अनेक कमियों के बावजूद मैंडेट व्यवस्था पूरी तरह से महत्वहीन नही थी। इस व्यवस्था के अस्तित्व में आने के साथ सम्राज्यवादी शक्तियों को सिद्धान्तः यह स्वीकार करना पड़ा कि पिछड़े हुये प्रदेशों का शासन सत्ता के हित में नही वरन प्रदेश के निवासियों के हित में किया जाना चाहिये। यद्यपि यह सच है कि मैंडेटरी राज्यों पर राष्ट्रसंघ का प्रभावी नियंत्रण नहीं था फिर भी उन्हें अपने कार्यों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सम्मुख उत्तरदायी

बनाना महत्वपूर्ण तथ्य था। लियोनाई ने इस सम्बन्ध में कहा है कि राष्ट्रसंघीय मैंडेंट व्यवस्था की मान्य दुर्बलताओं के बावजूद यह औपनिवेशिक नीति और प्रशासन में एक स्पष्ट सुधार का प्रतिनिधित्व करती थी।

3.4 राष्ट्रसंघ के आर्थिक कार्य :

राष्ट्रसंघ ने आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस क्षेत्र में उसकी भूमिका बहुआयामी रही है। उसने आर्थिक समस्याओं पर महत्वपूर्ण शोध का कार्य भी किया, आर्थिक सहयोग की वृद्धि के लिये अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया। इस सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग की वृद्धि के लिये 1920 में ब्रुसेल्स अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1923 का अन्तर्राष्ट्रीय बहि.शुल्क सम्मेलन, 1927 का जिनेवा विश्व आर्थिक सम्मेलन और 1923–33 का विश्व अर्थ सम्मेलन महत्वपूर्ण था। ये सम्मेलन इसलिये महत्वपूर्ण था क्योंकि इन सम्मेलनों में चुंगी, कच्चे मालों की पहुच, यातायात, कर नियमावली आर्थिक पुनर्निर्माण और आर्थिक संकट जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

राष्ट्र संघ के इन प्रयासों के बावजूद 1930 में विश्व को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस तरह के संकट काल में लगभग सभी देशों ने राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिये अनेक संकुचित नीतियां अपनायी। इसके चलते राष्ट्रसंघ की गतिविधियां प्रभावहीन हो गयी।

3.5 राष्ट्रसंघ के वित्तीय कार्यः

राष्ट्र संघ ने उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया जो आर्थिक समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक सामना कर रहे थे। राष्ट्रसंघ के सहयोग से इन देशों को आर्थिक पुर्ननिर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ 1923 में राष्ट्रसंघ ने आस्ट्रिया को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की वसूली में सहातया दी और उसकी देखरेख के लिये एक वित्तीय आयुक्त की नियुकित की। जून 1926 तक आर्थिक पुनर्निर्माण का यह कार्य पूर्ण हो गया। इसी क्रम में आगे चलकर 1931, 1932 और 1933 में राष्ट्रसंघ ने एक बार फिर से आस्ट्रिया की सहायता की।

राष्ट्रसंघ ने आस्ट्रिया के अलावा हंगरी की भी सहायता की हंगरी की सहायता के लिये राष्ट्रसंघ ने जरमिया स्मिथ को वहां आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जिन्होंने जून 1926 तक हंगरी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की। राष्ट्रसंघ ने इसीतरह 1924, 1928, 1932 और 1933 में यूनान की सहायता की और 1926 व 1928 में बल्गारिया को वित्तीय सहायता प्रदान की।

राष्ट्रसंघ ने इतना ही नहीं सारघाटी और डेन्जिंग के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी सहयोग दिया है। सारघाटी के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ की वित्तीय समिति ने मार्च 1929 और सितम्बर 1931 में विस्तृत परामर्श भी प्रदान किये थे। जहां तक डेन्जिंग के आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रश्न है राष्ट्रसंघ का योगदान महत्वपूर्ण था। राष्ट्रसंघ की वित्तीय समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के आधार पर डेन्जिंग के लिये विशेष मुद्रा की व्यवस्था भी गयी थी तथा एक केन्द्रीय बैंक की व्यवस्था तक की गयी थी। इस तरह राष्ट्रसंघ ने विभिन्न प्रदेशों के सन्दर्भ में आर्थिक पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया।

3.6 राष्ट्रसंघ द्वारा किया गया शरणार्थी सहायता का कार्य :

प्रथम महायुद्ध के समय लाखों रूसी, यूनानी, तुर्क और आर्मेनियन बेघर बार हो गये थे। यह एक विकट समस्या थी और इस समस्या के समाधान के लिये राष्ट्रसंघ के डा0 नानसेन को उच्चायुक्त नियुक्त किया था। राष्ट्रसंघ के उच्च आयुक्त के प्रयासों से लाखों रूसी यूनानी और आर्मेनियन पुनः बसाये गये। 1922 में 10 लाख से भी अधिक यूनानी शरणार्थियों के रूप में स्वेदश लौट आये। इस समस्या के समाधान के लिये राष्ट्रसंघ के संरक्षण में यूनानी सरकार को 1924 वे 1928 में दो ऋण भी प्रदान किये गये।

राष्ट्रसंघ का यह कार्य यद्यपि महत्वपूर्ण था तथापि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के पश्चात् लाखों यहूदियों को जर्मनी छोड़ना पड़ा था जब यह समस्या गम्भीर हो गयी तब उच्चायुक्त के एक नये पद की व्यवस्था भी करनी पड़ी थी इसके बावजूद इस समस्या का प्रभावशाली समाधान न निकल सका था। इस तरह इस क्षेत्र में राष्ट्रसंघ पूरी तरह सफल न हो सका।

3.7 स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के कार्य :

राष्ट्रसंघ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1923 में इसी दृष्टि से एक स्वास्थ्य संगठन (Health organization) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। संक्रामक रोगों को रोकने के लिये सिंगापुर में एक ईस्टर्नब्यूरो की स्थापना की गयी। मलेरिया की रोकथाम के लिये राष्ट्रसंघ द्वारा मेलेरिया आयोग की स्थापना की गयी थी। राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत 1931 में स्वास्थ्य संगठन ने ग्रामीण स्वास्थ्य पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

3.8 महिला कल्याण और बाल कल्याण का कार्य :

राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने 1921 में एक अभिसमय स्वीकार किया, जिसके द्वारा विवाह के लिये सम्मति की आयु (Age of Consent) बढ़ा दी गयी और अनैतिक उद्देश्यों के लये स्त्रियों के व्यापार पर रोक लगा दी गयीं। 1924 में बच्चों व युवकों के संरक्षण और कल्याण के लिये एक परामर्शदाता आयोग की नियुक्ति की गयी। सन् 1927 में राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में सुदूरपूर्व में बच्चों व महिलाओं की स्थिति को जांचने का प्रयास किया गया। वर्ष 1929 में राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में सुदूरपूर्व में बच्चों व महिलाओं की स्थिति की जांच की गयी। राष्ट्रसंघ ने वेश्यावृत्ति को रोकने का भी काफी प्रयास किया।

3.9 दासता और बेगार को रोकने विषयक राष्ट्रसंघ के कार्य :

दासता और बेगार को रोकने के लिये राष्ट्रसंघ ने 1924 में एक विशेष तदर्थ समिति की नियुक्ति की जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1926 में साधारणसभा ने दासता ओर उसके प्रत्येक रूप के क्रमशः तथा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से दासता के दमन के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकार किया। राष्ट्रसंघ ने परिषद को निर्देशित किया कि वह प्रतिवर्ष दासता विषयक समस्या पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करें और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की समस्या पर भी विचार करें। इसी तरह 1930 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने बेगार श्रम के उन्मूलन के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकृति प्रदान की।

3.10 मार्ग और आवागमन विषयक कार्य :

राष्ट्रसंघ ने आवागमन विषयक समस्याओं के समाधान का भी कार्य किया। इस क्षेत्र में राष्ट्रसंघ द्वारा मार्ग समिति (Transit Committee) का भी गठन किया गया था। मार्ग समिति राष्ट्रसंघ की एक स्वायत्त संस्था थी, जिसकी सदस्यता उन्हें भी प्राप्त हो सकती थी, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे। मार्ग समिति ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस समिति के तत्वावधान में रेलवे की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, वाणिज्य, पर्यटन जलशक्ति के विकास और मोटरकार विषयक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों को स्वीकृति प्राप्त हुयी।

3.11 मादक द्रव्यों को नियंत्रित करने का कार्य :

राष्ट्रसंघ ने मादक पदार्थों को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्ष 1920 में राष्ट्र द्वारा अफीम जैसे मादक पदार्थों को नियंत्रित करने की दिशा में एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गयी थी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुये राष्ट्रसंघ ने 1925 और 1931 में जिनेवा अभिसमय स्वीकार किये। इन अभिसमयों द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि मादक औषधियों का उत्पादन वैज्ञानिक और चिकित्सा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये भी सीमित रहना चाहिये। इसी उद्देश्य से 2 नयी संस्थाओं स्थायी केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Permanent Central Board) और निरीक्षक मंडल (Supervisory Body) की स्थापना की गयी र्थी

3.12 युद्धबन्दियां के कल्याण विषयक कार्य :

राष्ट्रसंघ द्वारा युद्ध बंदियों को छुड़ाने तथा उनकी स्वदेश वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी थी। प्रथम महायुद्ध के समापन के पश्चात् लाखों युद्धबन्दी अस्वास्थ्यकर कैम्पों में अत्यन्त दुख भय और नैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। राष्ट्रसंघ ने इस महत्वपूर्ण समस्या के समापन के लिये प्रभावशाली कदम उठाया जिसके परिणामस्वझरूप 1922 के समापन होते होते युद्धबन्दियों की स्वदेश वापसी हो गयी।

3.13 बौद्धिक सहयोग का कार्य :

राष्ट्रसंघ ने ज्ञान–विज्ञान के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ की परिषद द्वारा बौद्धिक सहयोग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य अधिकतम एकता और सहयोग को बढ़ाना था। वर्ष 1924 में राष्ट्रसंघ ने पेरिस में बौद्धिक सहयोग के संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1926 में इस संस्थान की स्थापना की गयी।

3.14 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और शान्ति व सामूहिक सुरक्षा विषयक कार्य–

राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा को बनाये रखना और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण उपायों से समाधान करना था। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में 6 प्रकार की व्यवस्थायें थी–

1– राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आठवे अनुच्छेद के अनुसार निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना राष्ट्रसंघ का प्रमुख कार्य था। इसमें कहा गया है कि शांति की व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय स्तर पर शस्त्रों को घटाना उतना आवश्यक है जो अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के लिये आवश्यक है।

2– राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुसार युद्ध निवारण का प्रयत्न करना राष्ट्रसंघ का प्रमुख कार्य है। प्रसंविदा के 11वें अनुच्छेद का उद्देश्य शान्ति को स्थिर रखना और युद्धों का निवारण करना था।

3– राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के 12वें से 17वें अनुच्छेद तक में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित उपबन्ध थे। अनुच्छेद 12 में सदस्यों को यह निर्देश दिया गया था कि वे किसी झगड़े को तय करने के लिये बल प्रयोग का आश्रय न लें वरन उसे पंच फैसले या अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के निर्णय या परिषद के विचारार्थ प्रेषित करें।

4– राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में पंच निर्णय व न्यायिक निर्णय के अलावा साधारण सभा और परिषद के माध्यम से भी विवादों का समाधान करने का प्रावधान था। इसके लिये विवादग्रस्त पक्ष में समझौता कराना भी एक माध्यम था। इन सबके अलावा राष्ट्रसंघ के सदस्यों को यह अधिकार था कि वे युद्ध करने वाले देश से व्यापारिक व आर्थिक सम्बन्ध भंग कर सकते है।

5– विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये साधारण सभा समय समय पर संघ के सदस्यों से उन सन्धियों के पुनर्विचार के लिये कह सकती थी जो समय के साथ अनुपयुक्त हो गयी हो।

6– उपर्युक्त उपायों के अलावा आक्रमण की स्थिति में राष्ट्र संघ को परामर्श देने का भी अधिकार था। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में व्यवस्था थी कि किसी भी आक्रमण होने या उसकी धमकी या भय उत्पन्न करने की अवस्था में राष्ट्र संघ की परिषद उन साधनों के विषय में परामर्श देगी जिनसे इस उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके।

<u>राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था :</u>

सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत सामूहिक रूप से संगठित होकर किसी सम्भावित आक्रमण का विरोध करने के लिये कृतसंकल्प होना। **श्वार्जेनवर्गर** के अनुसार सामूहिक सुरक्षा '' संस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरूद्ध किसी आक्रमण को रोंकने अथवा सामना करने के लिये संयुक्त कार्यवाही की मशीनरी है। सदस्यता की दृष्टि से इस सार्वभौम व्यवस्था में सदस्य राज्य आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा के निमित्त बाध्य होते है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक राज्य पर आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है, तथा प्रत्येक राज्य परस्पर रक्षा हेतु कृत संकल्पित होते है।

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 10 में इसका स्पष्ट प्रावधान था। यही कारण है कि वुडरों विल्सन ने प्रसंविदा के 10वे अनुच्छेद को प्रसंविदा का ह्दय कहा था। इस अनुच्छेद में कहा गया था कि ''राष्ट्रसंघ के सदस्य संघ के सभी सदस्यों की प्रादेशिक अखण्डता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा बाह्य आक्रमण से उनकी रक्षा करने का वचन देते है। ऐसे किसी आक्रमण के समय या ऐसे किसी आक्रमण की धमकी या खतरे के समय परिषद यह परामर्श देगी कि किन उपायों द्वारा यह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है।''इसी तरह का प्रावधान प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 में है था, जिसके अन्तर्गत कहा गया था कि सदस्य राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक सुरक्षा के लिये उपयुक्त कदम उठाने के लिये वचनबद्ध है।

सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ को सफलता नहीं प्राप्त हो सकी उदाणार्थ जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तब राष्ट्र संघ चीन की मदद करने में सफल न हो सका था और जापान ने 1932 में संघाई पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी तरह 1935 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था और राष्ट्र संघ कुछ न कर सका था।

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता के लिये कई कारण उत्तरदायी थे– जैसे राष्ट्रसंघ की सदस्यता सीमित थी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश उसके सदस्य न बन सके थे। इसी तरह अनु–16 में की गयी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

सारांश :

राष्ट्रसंघ की भूमिका बहुआयामी थी उसने प्रशासनिक कार्यों के साथ मैंडेट सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में भूमिका का निर्वाह किया। राष्ट्रसंघ के सामाजिक और आर्थिक कार्य भी अत्यधिक महत्व के थे। हाँ राजनीतिक कार्यों के सम्बन्ध में उसे महत्वपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकी थी उदाहरणार्थ सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में उसकी विफलता स्पष्ट थी तथापि बौद्धिक सहयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में उसके कार्य सराहनीय है।

<u>सम्बन्धित प्रश्न :</u>

<u>दीर्घउत्तरीय प्रश्न–</u>

1– राष्ट्रसंघ द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किये गये कार्यो का विवेचन करें।

2– मैंडेट व्यवस्था का तात्पर्य बताइये? मैंडेड व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ की भूमिका को स्पष्ट करें।

3– राष्ट्रसंघ द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान विषयक कार्यों तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था विषयक कार्यों को स्पष्ट करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न–

1– सामूहिक सुरक्षा की विफलता के कारण बताइये।

2– सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?

3– महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ की भूमिका को स्पष्ट करें।

4– शरणार्थियों की समस्या के समाधान में राष्ट्रसंघ की भूमिका स्पष्ट करें।

5– मादक द्रव्यों को नियंत्रित करने की दिशा में राष्ट्रसंघ का योगदान बताये।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न–

1– राष्ट्र संघ विफल नहीं हुआ वरन उसके सदस्य राष्ट्र विफल हुये यह कथन किसका है?

2– 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ का अन्त्येष्टि संस्कार नहीं हुआ, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया।'' यह कथन है–

3– जापान ने संघायी (चीन) पर कब अधिकार प्राप्त किया।

4– इटली ने इथोपिया पर कब आक्रमण किया।

उत्तर–

1– पिटमैन बी पॉटर 2– वाल्टर 3– 1932 4– 1935

इकाई–4 राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंग

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 राष्ट्रसंघ के अंग

4.3 राष्ट्रसंघ की साधारण सभा

4.4 राष्ट्रसंघ की परिषद

4.5 राष्ट्रसंघ का सचिवालय

4.6 अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय

4.7 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ

4.8 सारांश

4.9 सम्बन्धित प्रश्न

4.0 उद्देश्य :

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात–

1– राष्ट्रसंघ की साधारण सभा के बारे में जानकारी कर सकेगें।

2– राष्ट्रसंघ की परिषद की भूमिका को समझ सकेगें।

3– राष्ट्रसंघ के सचिवालय और महासाचिव के महत्व व भूमिका की जानकारी कर सकेगें।

4– अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के बारे में जानकारी कर सकेगें।

4.1 प्रस्तावना :

प्रथम महायुद्ध के समापन के पश्चात् मानवतावादी चिंतकों और राजनीतिज्ञों के प्रयास स्वरूप रांष्ट्रसंघ का उदय हुआ। राष्ट्रसंघ का गठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं तथा शांति व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये किया गया था। राष्ट्रसंघ के प्रसंविदा में इन अंगों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। अत्यधिक विचार मंथन और सोच समझकर स्थापित हुआ यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यद्यपि द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाओं मं भस्म हो गया परनतु उसकी राख से संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में राष्ट्रसंघ का पुनर्जन्म हुआ।

4.2 राष्ट्रसंघ के अंग :

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के दूसरे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रसंघ के कार्यो का सम्पादन एक असेम्बली एक परिषद और एक सचिवालय करेगा इस तरह राष्ट्रसंघ के तीन अंग थे– परन्तु अनुच्छेद 92 में एक चौथे अंग अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गयी। इसके साथ ही वर्साय की संधि के भाग 13 में राष्ट्रसंघ के एक

स्वायत्त संघ के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की व्यवस्था भी की गयी। ये अंग अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें इसके लिये राष्ट्र संघ द्वारा कुछ अन्य समितियों और कमीशनों का निर्माण हुआ था।

4.3 राष्ट्रसंघ की साधारण सभा :

राष्ट्रसघ की साधारण सभा का विवरण प्रसंविदा के अनुच्छेद तीन में दिया गया है। साधारण सभा में राष्ट्रसंघ के सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते थे किस राज्य से कितने प्रतिनिधि साधारण सभा में लिये जाय यह उस राज्य की महत्ता के अनुसार निर्धारित किया जाता था। प्रत्येक राज्य से एक से तीन तक प्रतिनिधि लिये जाते थे परन्तु मतदान के समय एक राज्य का एक मत माना जाता था।

राष्ट्रसंघ के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार–

1– साधारण सभा में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होगें।

2– इस सभा की बैठक निर्धारित अवधि पर समय–समय पर या आवश्यकतानुसार राष्ट्रसंघ के मुख्यालय या अन्य निर्धारित स्थानों में होगी।

3– सभा अपनी बैठकों में राष्ट्रसंघ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जाने वाले विषयों तथा विश्वशांति से सम्बन्धित किसी भी विषय पर विचार कर सकती थी।

4– साधारण सभा की बैठकों में राष्ट्रसंघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार था। इसके साथ ही प्रतिनिधियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रसंघ की सदस्यता में समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। प्रत्येक सदस्य राज्य को एक मत देने का अधिकार था। यह व्यवस्था छोटे राज्यों को इसलिये संतोष देती थी कि उनका स्तर बड़े राज्यों के बराबर है।

प्रत्येक सदस्य राज्य को य़द्यपि एक ही मत प्राप्त था किन्तु वह तीन प्रतिनिधि भेज सकता था। प्रतिनिधियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सदस्य राज्यों की इच्छा ही महत्वपूर्ण थी। चूँकि राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रही थी। अतः साधारण सभा के सदस्यों की संख्या भी परिवर्तनीय रही है। उदाहरण के लिये 1920 में प्रथम अधिवेशन के समय 41 सदस्यों ने भाग लिया था और अप्रैल 1946 में हुये अधिवेशन में 41 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

साधारण सभा का वार्षिक आधार पर अधिवेशन होता था यद्यपि विशेष अधिवेशन का भी प्रावधान था। राष्ट्रसंघ का प्रथम अधिवेशन 15 नवम्बर 1920 को और अंतिम अधिवेशन अप्रैल 1946 को हुआ था। साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में विचारणीय विषय का एजेंडा महासचिव द्वारा तैयार किया जाता था, जिसे साधारण सभा संशोधित कर सकती थी। सभा प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष और आठ उपाध्यक्ष निर्वाचित करती थी।

राष्ट्रसंघ के नवीन सदस्यों के प्रवेश के लिये साधारण सभा के दो तिहायी बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव आवश्यक माना गया था परन्तु सामान्यतः निर्णय के लिये सर्वसम्मति की व्यवस्था थी।

महासभा में **समिति व्यवस्था** का महत्व था। सामान्य समिति महासभा की केन्द्रीय संचालक संस्था थी। इसके अलावा छः प्रमुख विशिष्ट समितियां गठित की जाती थी। इनमें थी (i) संवैधानिक और कानूनी मामलों की समिति (ii) तकनीकी संगठनों सम्बन्धी समिति (iii) शस्त्रास्त्रों में कटौती सम्बन्धी समिति, (iv) बजट और आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी समिति (v) सामाजिक और मानवीय हित सम्बन्धी समिति और (vi) राजनीतिक समिति। सभा और समितियों की कार्यवाही फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा में होती थी।

महासभा की शक्तियाँ व्यापक थी। सामान्यतः इन्हें पांच भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है– राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के तीसरे अनुच्छेद में महासभा की विचारात्मक शक्तियों के बारे में व्यवस्था की गयी थी। इसमें कहा गया था कि साधारण सभा की बैठकों में राष्ट्रसंघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अथवा विश्वशांति से सम्बन्धित किसी भी विषय पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में महासभा की निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है क राष्ट्रसंघ की महासभा प्रतिवर्ष परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक तिहायी का निर्वाचन करती थी। महासभा महासचिव के लिये परिषद द्वारा प्रस्तावित नाम का अनुमोदन करती थी। इसीतरह महासभा परिषद के साथ प्रत्येक नौ वर्ष बाद अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का निर्वाचन करती थी। इसके साथ ही साधारण सभा राष्ट्रसंघ के नये सदस्यों को अपने दो तिहायी बहुमत से प्रवेश दे सकती थी। महासभा के पास संविधान संशोधन की भी शक्ति थी। प्रसंविदा के 26वें अनुच्छेद के अनुसार परिषद और महासभा दोनों के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव से प्रसंविदा में सशोधन किया जा सकता था।

महासभा के पास वित्तीय सम्बन्धी शक्तियां भी थी प्रसंविदा के छठे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रसंघ के व्यय का भार उसके सदस्यों को वहन करना था। 1921 में एक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि सदस्यों के द्वारा संघ के व्यय के लिये दिये जाने वाले धन का परिणाम साधारण सभा निर्धारित करेगी। 1939 में राष्ट्रसंघ का बजट 6 मिलियन डालर का था जिसमें महासभा द्वारा निश्चित व्यवस्था के अनुसार ब्रिटेन का भाग सर्वाधिक रखा गया था। वित्तीय मामलों में तुलनात्मक रूप से महासभा के पास अधिक शक्तियां थी। राष्ट्रसंघ के बजट पर महासभा का ही नियंत्रण था।

महासभा इसके साथ ही राष्ट्रसंघ के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सदस्य राज्यों को समय–समय पर ऐसी संधियों पर पुनर्विचार का परामर्श दे सकती थी जो व्यवहारिक नहीं रह गये थे।

राष्ट्रसंघ को **निरीक्षणात्मक शक्तियां** भी प्राप्त थी। राष्ट्रसंघ का महासचिव प्रत्येक वर्ष साधारण सभा के सामने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। परन्तु महासभा को राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी परिषद को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

महासभा के सम्मुख सम्बद्ध पक्ष के अनुरोध पर प्रस्तुत विषय पर विचार करने का अधिकार था। उदाहरण के लिये फरवरी 1933 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तब महसभा ने इस कार्यवाही की निंदा की थी। महासभा ने 1935 में इथोपिया पर इटली के आक्रमण पर विचार करने के लिये समिति की नियुक्ति भी की थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त महासभा विश्व समस्याओं पर विचार करती थी। 1922 में अल्बानिया का सीमा विवाद परिषद की निष्क्रियता के कारण महासभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह 1921–1922 में सभा ने आस्ट्रिया की आर्थिक समस्या को सुलझाने में सक्रिय रूप से कार्य किया। इसी तरह सितम्बर 1928 में साधारण सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण समाधान के लिये व्यापक अधिनियम स्वीकार किया था।

इस तरह महासभा जिसमें छोटेराज्यों का बहुमत था को बडी शक्तियां वास्तविक शक्ति प्रदान करना नहीं चाहती थी, के बावजूद यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण मंच था। और धीरे–धीरे विश्व की आवाज के रूप में इसका महत्व बढ़ता गया। राष्ट्रसंघ की मूल नीतियों की रचना में इसका अत्यधिक महत्व था। इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान किया था। निष्कर्षतः अनेक सीमाओं और विफलताओं के बावजूद साधारण सभा का महत्वपूर्ण स्थान था।

4.4 राष्ट्रसंघ की परिषद :

राष्ट्रसंघ की परिषद राष्ट्रसभा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग और राष्ट्रसंघ की कार्यकारणी थी। यह 19वीं शताब्दी की कन्सर्ट आफ यूरोप की विचारधारा का विकसित रूप है। 'कन्सर्ट आफ यूरोप' में पॉच महाशक्तियों–ब्रिटेन, आस्ट्रिया फ्रांस रूस और प्रशा को अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सम्बन्ध में विशेष अधिकार प्राप्त था। राष्ट्रसंघ की महासभा समानता के सिद्धान्त पर आधारित थी जबकि परिषद महाशक्तियों के विशेष उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित थी।

राष्ट्रसंघ की परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इटली और जापान को स्थायी प्रतिनिधि और चार अस्थायी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करके बड़ी शक्तियों के बहुमत की व्यवस्था प्रदान की गयी थी। परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा होता था। अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों, जातीय समूहों, धार्मिक परम्पराओं और राजनीतिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये। व्यवहार में यह परम्परा रही कि एक स्थान 'लघु मैत्री संघ' (Little Entente) के देशों– यूगोस्लाबिया, चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया को एक स्थान, ब्रिटिश साम्राज्य के देशों को, एक स्थान एशियाई देशों को एक स्थान और तीन स्थान दक्षिणी अमरीकी देशों को दिये जाय। इस तरह परिषद की सदस्यता में यूरोप और दक्षिण अमेरिकी देशों की तुलना में एशिया व अफ्रीका की उपेच्छा की गयी थी।

राष्ट्रसंघ की परिषद की बैठकों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 4(3) में प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार वर्ष में एक बार परिषद की बैठक अवश्य होगी, किन्तु आवश्यकतानुसार समय समय पर होगी। परिषद की बैठकें मुख्यालय या निर्धारित स्थान पर होने की व्यवस्था की गयी थी। सामान्यतः औसतन वर्ष में परिषद के चार अधिवेशन हुये थे और कुल 20 वर्ष में 106 नियमित अधिवेशन हुये थे।

परिषद के निर्णय के सम्बन्ध में सामान्यतः सर्वसम्मति का नियम था किन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में निर्णय उस बैठक में सम्मिलित प्रतिनिधियों के सामान्य बहुमत से किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 4(5) में कहा गया कि यदि किसी ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं है जिससे सम्बद्ध विषय पर परिषद की किसी बैठक में विचार किया जाना है तब उस राज्य को उस बैठक में अपना प्रतिनिधि

भेजने को कहा जायेगा। इसी तरह अनुच्छेद 4(6) में कहा गया कि परिषद की बैठकों में प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधि को एक मत प्रदान करने का अधिकार रहेगा तथा उसके प्रतिनिधियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी। ध्यातव्य रहे राज्यों में पारस्परिक विवादों पर निर्णय लिये जाते समय सम्बन्धित पक्षों को मत देने का अधिकार नहीं था।

राष्ट्रसंघ की परिषद को अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) और समवर्ती क्षेत्राधिकार (concurrent Jurisdiction) प्राप्त था। प्रथम के अन्तर्गत परिषद अकेले ही उन विषयों पर निर्णय लेती थी जबकि समवर्ती क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह महासभा के साथ मिलकर निर्णय लेती थी। अनन्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत परिषद राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के उल्लंघन के आधार पर सर्वसम्मति से किसी सदस्य को संघ की सदस्यता से निष्कासित कर सकती थी। इसी प्रकार परिषद राष्ट्रसंघ के सदस्यों की प्रादेशित अखंडता की संरक्षक रही। इसीतरह परिषद अल्पसंख्यकों के हितों की देखरेख का दायित्व निभाती थी।

समवर्ती क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत परिषद को यह अधिकार दिया गया था कि वह महासभा के अनुमोदन से अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान कर सकती थी। महासचिव और अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के न्ययाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वह महासभा के साथ मिलकर कार्य करती थी। इसी तरह विश्वशांति विषयक मामलों और प्रसंविदा में संशोधन का कार्य वह महासभा के साथ मिलकर करती थी।

राष्ट्रसंघ की परिषद के दो तरह के कार्य थे– सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य के अन्तर्गत उसे विश्वशांति को बनाये रखने का दायित्व सौपा गया था। अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत यद्यपि सदस्य राज्य अपने विवादों को पंच निर्णय या न्यायिक निर्णय के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते थे किन्तु यदि ऐसा नहीं किया गया तब अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भी सदस्य महासचिव को विवाद की सूचना देकर परिषद के समक्ष ला सकता था। फिर महासचिव को अधिकार था कि वह उस विषय पर आवश्यक जांच पड़ताल और विचार करे। इस सम्बन्ध में परिषद को यह अधिकार था कि वह तथ्यों के प्रकाशन का कार्य करे ताकि विश्व जनमत को भी विवाद से सम्बन्धित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त हो सके। परिषद की कोशिश रहती थी कि सम्बद्ध पक्ष युद्ध नहीं करें और परिषद की अनुशंसाओं पर अमल करें। अगर विवाद सम्बद्ध पक्ष के आंतरिक मामलो से सम्बन्धित होते थे तब परिषद को अनुशंसा का अधिकार नहीं होता था।

इस सम्बन्ध में परिषद के पास सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उपायों को क्रियान्वित करने का भी अधिकार था। वह आक्रमणकारी राज्य के साथ व्यापारिक और वित्तीय सम्बन्ध तोड़ने को कह सकती थी। परिषद की आक्रमण कारी के अन्तराष्ट्रीय बहिष्कार की व्यवस्था को लागू करने और सैन्य कार्यवाही करने का कार्य भी सौपा गया था।

राष्ट्रसंघ को विशिष्ट कार्य (Special Functions) भी सौपे गये थे। इसके अन्तर्गत थे– साधारण सभा के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना, डेनजिंग और सार आदि प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था करना मैन्डेट व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करना, निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव तैयार करना, अल्पसंख्यकों की समस्याओं से सम्बन्धित संधियों का

संचालन देखना, महासचिव और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के उल्लंघन करने वाले सदस्यों के निष्कासन आदि के कार्य करनां

इसके बावजूद स्वीकार करना पड़ेगा कि परिषद के पास बाध्यकारी शक्ति न होकर अनुशंसनात्मक शक्ति ही थी। वह आक्रान्ता के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य दंड की अनुशंसा ही कर संकती थी। छोंटे राज्य भी उसे महाशक्तियों की संस्था बताकर उसके प्रभाव को सीमित करना चाहती थी। इसके साथ ही परिषद की संरक्षक शक्तियां की परस्पर विरोधी नीतियों ने परिषद की शक्ति को नष्ट कर दिया था। इसके बावजूद परिषद अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में मील का पत्थर थी।

4.5 राष्ट्र संघ का सचिवालय :

जिनेवा स्थित राष्ट्रसंघ का सचिवालय राष्ट्र संघ का तीसरा अंग था। इसे राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक विवादास्पद अंग माना गया है। सचिवालय का प्रधान महासचिव था। महासचिव के अधीन दो उपमहासचिव, दो अवर सचिव और लगभग सात सौ पचास अन्य कर्मचारी थे। साधारण सभा की सहमति से महासचिव की नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती थी।

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के छठे अनुच्छेद में सचिवालय के महासचिव और आवश्यकतानुसार पदाधिकारीगण व कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान था। इसने महासचिव की नियुक्ति में साधारण सभा के बहुमत द्वारा अनुमोदन तथा परिषद व साधारण सभा की बैठकें में महासचिव की भूमिका के बारे में कहा गया था।

सचिवालय को कार्य की दृष्टि से पहले ग्यारह भागों (सेक्शनों) में बाटा गया था जो 1938 में बढ़कर 15 हो गये। ये सेक्शन विषयगत थे जैसे राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय निःशस्त्रीकरण आदि।

राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव ब्रिटेन के सर जेम्स एरिक ड्रमण्ड ब्रिटेन (1920–1933) उसके बाद फ्रांस के एम0जोसेफ एवनोल (1933–1940) और अंत में आयरलैण्ड के सी लेस्टर (1940 से राष्ट्रसंघ के विघटन तक) महासभा की सहमति से परिषद द्वार निर्वाचित हुये।

राष्ट्रसंघ की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष, महासचिव होता था। वह परिषद और सभा के सचिव के रूप में कार्य करता था। वह राष्ट्रसंघ की सभी संस्थाओं को सचिवालयीय सेवायें प्रदान करवाता था तथा सभी अंगों के निर्णयों को कार्यान्वित कराता था। राष्ट्रसंघ के सभी अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण निर्देशन और समन्वय करना उसका उत्तरदायित्व था। उसकी मुख्य कार्यपालक की भूमिका इसलिये महत्वपूर्ण हो सकी क्योंकि सभा और परिषद की बैठकों में अंतराल अधिक होता था और इन अंगों के अध्यक्षों का कार्यकाल भी सीमित था।

राष्ट्रसंघ का महासचिव परिषद की सहमति से पदाधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव ने इस उत्तरदायित्व का सफलता पूर्वक निर्वाह कर सचिवालय के गठन और उसके कार्मिक प्रशासन को सुदृढ़ नीव प्रदान की। उन्होंने ही राष्ट्रसंघ से सम्बन्धित बालफोर स्मरण पत्र (Memorandum of Land Balfour) तैयार किया था। इसके द्वारा राष्ट्रसंघ के अधिकारियां को अपनी राष्ट्रीयता को स्वयं राष्ट्रसंघ के प्रति निष्ठा में विलीन कर देने का प्रस्ताव था। अर्थात उन पर अपने राष्ट्रों का नियंत्रण न होकर महासचिव के माध्यम से राष्ट्रसंघ के प्रति होगा। उन्होंने राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय लोक

प्रशासक की संज्ञा दी। इन भूमिकाओं के साथ महासचिव राष्ट्रसंघ का मुख्य प्रतिनिधि था और उसका मुख्य प्रवक्ता था।

यद्यपि राष्ट्रसंघ दीर्घकालिक संगठन न बन सका था, फिर भी उसके सचिवालय और महासचिव ने अपनी भूमिकाओं से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इसने अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा की आधारशिला रखने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धान्त प्रदान किया किया **एच0 निकल्सन** ने इन्ही आधारों पर कहा है कि सचिवालय निश्चय ही राष्ट्रसंघ व्यवस्था का महान योगदान था– यह सत्य ही एक अद्भुत नवीन विकास था।

वस्तुंतः सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्यो में थे– परिषद और सभा की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों को सचिवालीय सेवायें प्रदान करना, प्रस्तावों, अभिभावकों व कार्यवाहियों का अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित कराना, विभिन्न अंगों के निर्णयों को कार्यान्वित करना व दिन–प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करना, राष्ट्रसंघ के आय–व्यय का विवरण बनाना, संधियों का पंजीकरण करना और सभा व परिषद की बैठकों के मध्य आवश्यकतानुसार नीति निर्धारण का कार्य करना।

4.6 अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय :

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 14 में कहा गया था कि राष्ट्रसंघ की परिषद अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना के लिये योजनायें बनाकर राष्ट्रसंघ के सदस्यों के समझ उनकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रासंघ की प्रसंविदा के इस प्रावधान के परिणाम स्वरूप 1920 में परिषद ने विधिवेत्ताओं के एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के प्रस्ताव में कुछ संशोधन के बाद साधारण सभा ने 13 दिसबर 1920 को स्वीकार कर लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के इस स्थायी न्यायालय के प्रारम्भ में 11 न्यायाधीश होते थे, जो 1930 में बढ़कर 15 हो गयी। साधारण सभा और परिषद की संयुक्त बैठक में इन न्यायाधीशों का निर्वाचन 9 वर्ष के लिये किया जाता था। यह न्यायालय हंग में स्थित था।

इस न्यायालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या के साथ सन्धियों और अन्य पारम्परिक दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय देने का कार्य भी किया गया था। वर्ष 1922 से 1939 तक इसने 65 विवादों पर विचार किया था। इसी तरह इसने 32 विषयों पर निर्णय दिया और 27 मामलों में परामर्श दिया था। न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को स्वयं न्यायाधीशों द्वारा तीन वर्ष के लिये चुना जाना था। कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते थे। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष केवल राज्य ही अपने मुकदमें पेश कर सकते थे।

4.7 अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ :

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में था, य़द्यपि यह संगठन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं था परन्तु व्यवहारतः संघ की व्यवस्था का एक भाग था। यह एक स्वायत्त अंग के रूप में कार्यरत था। इसका संविधान वर्साय की सन्धि के भाग 13 में दिया गया था और इसका व्यय राष्ट्र संघ द्वारा ही दिया जाता था परन्तु इसके

सदस्य ऐसे राष्ट्र भी हो सकते थे, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका भले ही राष्ट्रसंघ का कभी सदस्य नहीं रहा किन्तु 1934 में इसका सदस्य बन गया। इसी तरह ब्राजील राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग करने के बाद भी इसका सदस्य बना रहा। इसी प्रकार जर्मनी उस समय भी इसका सदस्य था जब उसे राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त नहीं थी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तीन अंग थे– सामान्य सम्मेलन (General conference) शासक सभा (Governing Body) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International labour office) सामान्य सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य राज्य के 4 प्रतिनिधि होते थे जिनमें 1 श्रमिकों द्वारा, मालिक द्वारा और 2 सरकार द्वारा चुने जाते थे। सामान्य सममेलन दो तिहायी बहुमत से अपनी सिफारिशें जब पास करता था, तब सदस्य राज्यों से यह अपेच्छा रहती थी कि वे उन सिफारिशों की संपुष्टि तथा क्रियान्वित करेंगे। शासक सभा की भूमिका कार्यकारिणी के रूप में तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय सचिवालय के रूप में भूमिका निभाता था।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का प्रधान उद्देश्य– 1 श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार करना (ii) श्रमिकों के वेतन, पेंशन व आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था में सुधार करना (iii) उत्पादन संस्थाओं के संचालन श्रमिकों को भागीदार बनवाना तथा (iv) श्रमिकों व उनके परिवार के लिये कल्याण सेवा की व्यवस्था करना था।

वर्ष 1940 में इसका प्रधान कार्यालय मांट्रिपाल स्थानान्तरित हो गया। इसने द्वितीय महायुद्ध काल में भी अपना कार्य जारी रखा था। दिसम्बर 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विशेष संगठन (Specialize of Agency) बन गया। निष्कर्षतः यह राष्ट्रसंघ की सर्वाधिक सफल संस्था थी।

4.8 सारांश :

राष्ट्र संघ मानव जाति के लिये एक बहुमूल्य अनुभव था। इसी अनुभव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। शांति संधियों के अन्तर्गत जो कार्य राष्ट्रसंघ को सौपे गये थे उनमें डेजिंग, मैंडेट व्यवस्था और अल्प संख्यकों से सम्बन्धित कार्यों में भले ही, आंशिक सफलता मिली हो किन्तु सार घाटी के प्रशासन में उसे अवश्य सफलता प्राप्त हुयी थी। इसी तरह सामाजिक कल्याण के कार्यों में पर्याप्त सफलता मिली थी। वस्तुतः उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को विकसित करना था।

4.9 सम्बन्धित प्रश्न –

दीर्घ उत्तरीय पशन –

1. राष्ट्र संघ के कितने अंग थे? राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी का विवेचन करें।
2. राष्ट्रसंघ की साधारण सभा के गठन का विवेचन करें और इसके कार्यों को स्पष्ट करें।
3. राष्ट्र संघ की परिषद के गठन के बारे में बतायें और उसके क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करें।
4. राष्ट्रसंघ के सचिवालय की भूमिका स्पष्ट करें।

<u>लघु उत्तरीय प्रश्न :</u>

1. राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग थे।
2. राष्ट्रसंघ की सभा में एक राज्य कितने प्रतिनिधि भेज सकता था?
3. राष्ट्र संघ की परिषद के दो कार्य बताइये।

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon
Open University

MAPS -112
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

खण्ड

2

संयुक्त राष्ट्र

इकाई- 5

संयुक्त राष्ट्र 43

इकाई- 6

संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं सदस्यता 53

इकाई- 7

सयुक्त राष्ट्र के अंग : महासभा 60

खण्ड–2 का परिचय : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में स्थापित संगठन, जिसमें लगभग 193 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति, मानवाधिकार और मानवीय सहायता को बढ़ावा देना है। इसके 5 प्रमुख निकाय थे अब इसकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इसके अतिरिक्त इस संगठन का गठन अपने सदस्यों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयार्क में है। यह संगठन एक चार्टर के तहत निर्देशित होता है जिसका नेतृत्व महासाचिव द्वारा किया जाता है। यह संगठन शांति,सुरक्षा, मानवाधिकार और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से विकसित हुआ संयुक्त राष्ट्र संगठन में लगभग दुनियां का हर देश सदस्य के रूप में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थाई सदस्य हैं जैसे–अमेरिका, रूस, फ्रांस ,ब्रिटेन और चीन। इसके अतिरिक्त 10 अस्थाई सदस्य देश हैं। जब कोई नया राज्य संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए आवेदन करता है, तो आवेदन पर अनुमति प्रदान करने के लिए स्थाई सदस्यों के अनुमोदन की अवश्यकता होती है।
खण्ड 2 में इकाई संख्या 5, 6 एवं 7 है।

इकाई–5 संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने, सुरक्षा ,आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकारों और शान्ति स्थापित करने के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन अग्रसर है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। इसमें विश्व के लगभग सभी देश सदस्य के रूप में शामिल है।

इकाई–6 संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं सदस्यता।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने , अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने अपने नागरिकों के लिए "उच्च जीवन स्तर" प्राप्त करने "आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं" का समाधान करने और "सार्वभौमिक सम्मान" को बढ़ावा देने का आदेश देता है।

इकाई–7 संयुक्त राष्ट्र के अंग : महासभा।

महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधियात्मक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। महासभा का गठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को इसके कार्यों के आधार पर विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के अंगो में प्रमुख है।

इकाई–5 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना

5.0 उद्देश्य
5.1 प्रस्तावना
5.2 संयुक्त राष्ट्र का अर्थ प्रकृति एवं विकास
5.3 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
5.4 संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त
5.5 संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र
5.6 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग
5.7 संयुक्त राष्ट्र का महत्व
5.8 सारांश
5.9 अभ्यासार्थ प्रश्न
5.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.0 उद्देश्य–

1. संयुक्त राष्ट्र का अर्थ समझना।
2. संयुक्त की प्रकृति एवं विकास समझना।
3. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के कारणों को जानना।
4. संयुक्त राष्ट्र के कार्य एवं महत्व को समझना।

5.1 प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई। जिसमें विश्व के अधिकांश देशों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों की स्थिति को सुदृढ़ करना तथा तृतीय विश्व युद्ध न होने देना विश्व के देशों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहना तथा इसके लिये सार्थक कदम उठाना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कई अंग है। जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व के अन्य सदस्य देशों के हितों की सुरक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा एवं विश्व में शांति व्यवस्था बनाना आदि। इन सभी दायित्वों का संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्वहन किया जाता है।

5.2 संयुक्त राष्ट्र का अर्थ प्रकृति एवं विकास

(क) संयुक्त राष्ट्र का अर्थ–

संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेडनेशन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। जो सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव अधिकारों और विश्व शांति स्थापित करने

के लिये यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुये जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में जैतून की दो शाखाएं ऊपर की ओर खुली है उनके बीच हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रीयशासी निकाय है जिसका गठन सदस्य देशों के आपसी सामंजस्य प्रेम सौहार्द्र, भाई चारा को बढ़ावा देने एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सहयोग को विकसित करने के लिये किया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र विकसित हुआ जिसका उद्देश्य था विश्व के देशों को युद्ध की विभीषिका से बचाना तथा विश्व में शांति व्यवस्था बनाये रखना। वर्तमान में अब विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र का विकास

संयुक्त राष्ट्र का विकास निम्नलिखित उदघोषणाओं का परिणाम है जैसे–

(1) लंदन घोषणा (12 जून 1941)

मित्र राष्ट्रों ने 12 जून 1941 को एक घोषणा तैयार किया जिसे लंदन घोषणा के नाम से जाना है। जिस पर लंदन के जेम्स पैलेस में ब्रिटेन कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, चेकोस्लाविया, ग्रीस लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड, नार्वे पोलैण्ड यूगोस्लाविया तथा जनरल डिगास के फ्रांस ने मिलकर इस घाोषणा पर हस्ताक्षर किये। यह घोषणा नाजी आक्रमण से परेशान होकर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि विश्व में स्थायी शांति वैश्विक संघर्ष के समाप्त होने से ही कायम हो सकती है तथा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की संभव हो सकती है।

(2) अटलांटिक चार्टर (14 अगस्त 1941)

14 अगस्त 1941 की घोषणा को एटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा का प्रारूप रूजवेल्ट और चर्चिल द्वारा एटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर आपसी विचार विमर्श के बाद 14 अगस्त 1941 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। वेन्डेनबोश तथा होगन ने अटलांटिक चार्टर की ''संयुक्त राष्ट्र के सृजन का प्रथम पग'' कहा है।

(3) संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1 जनवरी 1942)

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापित करने की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के रूप में उठाया गया। जिसमें 26 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया। धुरी राष्ट्रो के विरूद्ध लड़ने वाले राष्ट्रो को संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा दी गई। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया।

(4) मास्को घोषणा (30 अक्टूबर 1943)

मास्को घोषणा में कहा गया कि चार महान शक्तियाँ ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस तथा चीन अपने तथा दूसरे साथी राज्यों की स्वतंत्रता को आक्रमण के भय से सुरक्षित करने के उत्तरदायित्व को

पहचान कर युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने और शस्त्रों पर कम से कम व्यय करके अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिये संयुक्त रूप से शत्रुओं के विरूद्ध कार्यवाही करके शांति सुरक्षा स्थापित की जायेगी।

(5) डम्बार्टन ओवस सम्मेलन (अक्टूबर 1944)

इस सम्मेलन में ओवस, वाशिंगटन में चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैण्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें भावी संस्था की रचना कार्य मुख्य अंग आदि के विषय में रूपरेखा तैयार की गई।

(6) याल्टा सम्मेलन (4 फरवरी 1945)

ओक्स सम्मेलन के मतभेदों को दूर करने के लिये रूस के प्रदेश कीमिया के याल्टा नगर में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन 4 फरवरी 1945 से 11 फरवरी 1945 तक चला। जिसमें रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ओक्स के अधूरे कार्यो को पूरा को पूरा किया गया।

(7) सेन फ्रैंसिस्को सम्मेलन (25 अप्रैल 1945)

अमेरिका के सेन फ्रैंसिस्को शहर में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से तैयार करना। इस सम्मेलन में 46 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बाद में 4 अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुये।

ई0पी0 चेज ने इस सम्मेलन को सबसे महान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा है। सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन का अधिवेशन लगभग दो महीने तक चलता रहा। 26 जून 1945 को 50 राज्यों ने इस मसविदे पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तथा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

5.3 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना

संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्णरूप से स्थापना का निर्णय सेन फ्रैंसिस्को सम्मेलन में लिया गया। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट में 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कई सम्मेलनों एवं घोषणा पत्रों का परिणाम था। जिसे 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रो ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अन्तिम रूप से स्वीकार किया तथा विश्व में लागू कर दिया गया।

निकोलस ने लिखा है जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रेरणा दी थी उसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध ने नये संगठन की स्थापना की प्रेरणा दी। शीवर तथा हैवी लैण्ड ने लिखा है ''कि राष्ट्र संघ की स्थापना के 26 वर्षो बाद सन् 1946 को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हाल में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा की प्रथम बैठक हुयी यह तिथि राष्ट्र संघ के जन्म की 26वीं वर्षगांठ थी।

शीवर तथा हैवीलैण्ड ने लिखा है ''कि राष्ट्र संघ की स्थापना के 26 वर्षो बाद सन् 1946 में राष्ट्र संघ समाहित कर लेने वाली लपटों से एक नई परन्तु उसी के सादृश्य संगठन वाली संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का उदय हुआ।''संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अध्यक्ष ब्राजील के श्री **पाल हेनरी स्पाक** 16 जनवरी 1946 को चुने गए थे, इसके प्रथम महासचिव नार्वे के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ **त्रिग्वेली** चुने गए थे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष

त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक **डेनिस फ्रांसिस** है, तथा वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाली राजनीतिज्ञ और राजनयिक एंटेनियो गुटेरस हैं।

संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि "संयुक्त राष्ट्र हम लोगों ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि–

1. आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचायेगे। जिसने हमारे जीवनकाल में दो बार मानव जाति पर असीम संकट ढाये हैं।
2. हम मानवता के मूलाधिक्य ने मानव गरिमा और महत्व में और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों ने नर–नारियों के समान अधिकारों में फिर से आस्था कायम करेगें।
3. ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगें जिसमें न्याय और उन दायित्वों का सम्मान बना रहे जो संधियों और अन्तराष्ट्रीय कानून के दूसरे स्रोतों से आते है।
4. स्वतंत्रता के विस्तृत क्षेत्र में सामाजिक उत्थान एवं जीवन स्तर की उन्नति को प्रोत्साहित करेंगे। और समाज को प्रगतिशील बनायेगें। अच्छे पड़ोसियों की तरह राष्ट्रों को भी आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के लिये प्रेरित करेंगे।
5. अन्तर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाये रखने के लिये सामूहिक रूप से शक्ति संगठित करेंगे।
6. नियम कानूनों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रो को विश्वास दिलायेंगे कि सामान्य हितों की रक्षा के अतिरिक्त शस्त्र बलों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
7. सबकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय साधनों का उपभोग करेगें।

इन उद्‌देश्यों को पूरा करने के लिये हमने मिलकर प्रयत्न करने का निश्चय किया है। इसलिये हमारी सरकारें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सेन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुयी और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को मान लिया है। और सभी राष्ट्र अपनी अन्तर्रात्मा से संघ की स्थापना करते है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ होगा।

5.4 संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त–

चार्टर के अनुच्छेद 2 में उन सिद्धान्तों की चर्चा है जिन पर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई है। ये सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन करेगें। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। धारा एक में वर्णित उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिये संघ तथा इसके सदस्य निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करेगें–

1. संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार सभी सदस्य राज्यों की प्रभुता सम्पन्न तथा समानता का सिद्धान्त है।
2. सभी सदस्य अपने सभी दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभायेगें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होने के नाते जो भी अधिकार और लाभ है वो उनको मिलेगें।
3. सभी सदस्य अपने अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में किसी राज्य की अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता के विरूद्ध न तो धमकी देगें और न बल का प्रयोग करेगें और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के उद्‌देश्य प्राप्ति में बाधा पहुंचाये।

4. सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसी हर कार्यवाही में सहयोग करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित हो तथा विश्व शांति के लिये आवश्यक हो।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य नहीं है वे भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जहाँ तक आवश्यक हो इसके सिद्धान्तों का पालन करेंगे।
6. वर्तमान चार्टर में जो कुछ कहा गया है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के उन मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं होगा जो राष्ट्रो के आन्तरिक मामलों के क्षेत्र में आते हैं।

5.5 संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र–

अपने सिद्धान्तों तथा नियमों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है–

1. यदि कोई राष्ट्र अन्य देश पर आक्रमण करता है और विश्व शांति भंग करता है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने के लिये ठोस कदम उठा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सैन्य हस्तक्षेप करके शांति बहाली भी कराता है।
2. यदि दो से अधिक राष्ट्रों में आपसी झगड़े हैं तो किसी समिति को भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ उस झगड़े की जांच करा सकता है। और दोनो राष्ट्रों के मध्य समझौता कराकर शांति बनाये रखने के लिये बाध्य कर सकता है।
3. विश्व के किसी क्षेत्र में यदि वैमनस्य फैला हुआ है शांति भंग होने की आशंका है वहाँ अपनी टीम भेजकर जांच करा सकता है। सूचना एकत्र करने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिये निर्णय ले सकता है।
4. दो राष्ट्रों के झगड़े अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निपटाये जाते है।
5. संयुक्त राष्ट्र के अन्य सहयोगी अंग विश्व की हर प्रकार की समस्यायें सुलझाने में लगे हुये है।
6. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर इसका संविधान है जिसमें संघ के उद्‌देश्यों, सिद्धान्तों नियमों का उल्लेख है। ये उद्‌देश्य मानवता को भविष्य में आने वाले युद्धों के प्रकोप से बचाने, सामान्य जनमानस को उनके मौलिक अधिकार दिलाने, आर्थिक सामाजिक उन्नति करने आदि से सम्बन्धित है।
7. 31 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ऐतिहासिक तिथि 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने का फैसला लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों एवं लक्ष्यों को सम्पूर्ण विश्व की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5.6 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग–

संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 प्रमुख अंग है जैसे–महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि।

(1) महासभा–

महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधियात्मक अंग है। सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं। महासभा का संगठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है। संघ के सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं। महासभा का अधिवेशन सितम्बर माह में शुरू होता है और 2 माह तक चलता है। महासभा अपना कार्य 6 समितियों जैसे राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय सांस्कृतिक समिति, न्यास समिति प्रशासकीय एवं बजट समिति एवं विधि समिति आदि के माध्यम से करती है। महासभा के महासचिव वर्तमान में एंटेनियो गुटेरस है। महासभा कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसे विचारात्मक कार्य, निरीक्षणात्मक कार्य, संगठनात्मक कार्य संशोधन सम्बन्धी कार्य आदि। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचारक एवं नीति निर्धारक के रूप में महासभा कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों से युक्त यह चार्टर द्वारा कवर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय विचार विमर्श के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उन्हें मानने एवं कार्यान्वित करने के लिये सदस्य राज्य बाध्य है।

1953 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत की प्रखर राजनैतिक हस्ती विजय लक्ष्मी पण्डित को, यू0एन0 महासभा के आठवे सत्र की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, जो इस भूमिका के लिये चुनी गयी पहली महिला थी।

(2) सुरक्षा परिषद–

सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाये रखना है। इस महान दायित्व की पूर्ति के साधन के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है। इसलिये संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत विश्व शांति और सुरक्षा बनाये रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद पर ही डाला गया है। इस दृष्टिकोण से यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी अंग है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ अभूतपूर्ण है, क्योंकि यह चार्टर के सातवें भाग के अन्तर्गत शांति के खतरे, शांति भंग एवं आक्रमण के कार्यो के सम्बन्ध में जो निर्णय लेती है।

सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जिनके पास वीटो पावर है। ये देश है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस आदि इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान अलग–अलग बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है और आठ बार वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। कई बार वैश्विक मंचों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई है। भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की मांग अलग–अलग मौको पर की गई है।

(3) आर्थिक और सामाजिक परिषद

चार्टर की धारा 1 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व को आर्थिक और सामाजिक या मानवतावादी समस्याओं के हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना तथा जाति लिंग भाषा या धर्म का भेद किये बिना सबके लिये मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा देना

तथा उसे प्रोत्साहित करना। चार्टर के 9वें अध्याय में इन उद्देश्यों को और व्यापक' रूप प्रदान किया गया है इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य है कि निम्नलिखित बातों को प्रोत्साहन दे।

1. जीवन स्तर को उच्च बनाना पूर्ण रोजगार, आर्थिक और सामाजिक उन्नति व विकास को प्रोत्साहन दें।
2. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करना अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शिक्षण सहयोग बढ़ाना।
3. जाति लिंग भाषा और धर्म का भेद भाव किये बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को सम्मान देना आदि।

(4) संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद–

न्यास परिषद के पांच सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखना, बिना किसी भेदभाव के न्यास प्रदेशों की जनता के हितों का संवर्धन करना। मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों का साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना। मूल रूप से 11 न्यास प्रदेश थे न्यास परिषद का उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को न्यास परिषद द्वारा स्वतंत्र कराया जा चुका था। इसके बाद 1 नवम्बर 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलम्बित कर दिये थे। फिर भी न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया था। हाल ही में न्यास परिषद की भूमण्डलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है।

(5) संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय–

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी शाखा है। सचिवालय महासभा और सुरक्षा परिषद के आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण का मुख्य स्रोत है। यह संयुक्त राष्ट्र के विचार–विमर्श अंगों द्वारा शुरू किये गये अभियानों का प्रबंध करता है। राजनीतिक मिशन संचालित करता है। शांति अभियानों से पहले मूल्यांकन तैयार करता है। शांति अभियानों के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। संयुक्त राष्ट्र विचार विमर्श और निर्णय लेने वाले अंगों–महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद के लिए एजेन्डा निर्धारित करने और इन निकायों के निर्णय के कार्यान्वयन में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। महासचिव जिसे महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवालय का प्रमुख होता है।

सचिवालय का अधिदेश व्यापक है जैसे कि यह नये विचारों को पेश कर सकता है। उचित रूपों में पहल कर सकता है जो सदस्य सरकारों के सामने रखता है, जो उनके कार्यो को प्रभावित करेगा। सचिवालय द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र के आय व्यय का लेखा जोखा, रखा जाता है तथा सदस्य देशों के सदस्यता शुल्क विवरण तथा संयुक्त राष्ट्र का सरकारी लेखा जोखा भी रखता है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई है और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग (नीदरलैण्ड) के पीस पैलेस में स्थित है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों में यह एक मात्र संस्थान है जो न्यूयार्क में स्थित नहीं है। इसमें 193 देश शामिल है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जॉन ई डोलोग्यू हैं। इसने 45 देशों के प्रतिनिधि एवं न्याय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। जिनका निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा होता है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेन्सियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सलाह भी देता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 33 में राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये बातचीत पूछताछ, मध्यस्थता आदि विधियों की सूची है तीसरा पक्ष भी शामिल हो सकता है।

1.7 संयुक्त राष्ट्र का महत्व

अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवीय सहायता प्रदान करता है। सतत विकास को बढ़ावा देता है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को निम्न बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध में हुये विनाशक परिणाम के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की रक्षा को आवश्यक समझा था। विनाशक घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सर्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। यह घोषणा पूरे विश्व के लिये एक समान दर्जा स्थापित करती है।
2. विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वास्तविक रूप में इसकी स्थापना 1 जनवरी 2011 को की गई जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यू एन वूमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बैशलेट हैं। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेद–भावों को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने को गौरव भारत की विजय लक्ष्मी पण्डित को प्राप्त है।
3. संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक वहाँ भेजे जाते हैं। जहां पर हिंसा कुछ समय पहले से बंद है। ताकि वह शांति संघ की शर्तो को लागू रखें तथा हिंसा को रोककर रखें। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते है। विश्व में दो राष्ट्र है जिन्होंने हर शांति रक्षा कार्य में भाग लिया है। कनाडा और पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र सेना नहीं रखती। शांति रक्षा से सम्बन्धित सभी कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होते है।
4. संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र उद्देश्यों और सिद्धान्तों का पुरजोर समर्थन करता है। चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने के लिये भारत संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों

और एजेन्सियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने की एक महत्वपूर्ण गारण्टी के रूप में देखा।

5.8 सारांश–

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थपना की गई थी, ताकि तीसरा विश्व को रोका जा सके क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से अपार जनधन की हानि हुयी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद इसकी विश्वसनीय कार्य शैली तथा विश्व में शांति व्यवस्था की गारण्टी के रूप में इसे देखा गया इसलिये वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कई गुना बढ़कर 193 हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवीय सहायता प्रदान करता है। सतत विकास को बढ़ावा देता है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखता है।

5.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र का अर्थ एवं विकास समझाइए।
2. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का वर्णन कीजिए।
3. संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतो पर प्रकाश डालिए।
4. संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालिए।
5. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंग कौन–कौन से हैं चर्चा कीजिए।
6. संयुक्त राष्ट्र का महत्व समझाइए।
7. संयुक्त राष्ट्र संघ की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न

a. संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई।
   a. 1948 में।
   b. 1949 में
   c. 1950 में
   d. 1951 में

2. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन कैसे होता है।
   a. महासभा के दो तिहाई बहुमत से।
   b. महासभा के एक तिहाई बहुमत से।
   c. महासभा के एक चौथाई बहुमत से।
   d. इनमे से कोई नहीं

3. संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं?

a. 195

b. 196

c. 197

d. 193

उत्तर.

1. (A)

2- (A)

3- (D)

5.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. डॉ. बी एल फाडिया एवं डॉ. कुलदीप फाड़िया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. डॉ. कुलदीप फाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. डॉ. एस सी सिंहल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल लखनऊ।
4. डॉ. प्रमोद राजेंद्र तांबे एवं शेखर राजेंद्र सोनार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निराली प्रकाशन, नई दिल्ली।

इकाई–6 संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं सदस्यता

6.0 उद्देश्य
6.1 प्रस्तावना
6.2 संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एवं अधिनियम
6.3 संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता
6.4 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का संशोधन
6.5 संयुक्त राष्ट्र का महत्व
6.6 सारांश
6.7 अभ्यासार्थ प्रश्न
6.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.0 उद्देश्य–

1. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को समझना।
2. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता समझना

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर संशोधन एवं महत्व को जान सकेगें।

6.1 प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाये रखने, अपने नागरिकों के लिये ''उच्च जीवन स्तर'' प्राप्त करने ''आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं'' का समाधान करने और ''सार्वभौमिक सम्मान'' को बढ़ावा देने का आदेश देता है। जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी के लिये मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिये उनका पालन करना। एक चार्टर और घटना संधि के रूप में इसके नियम और दायित्व सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है। और अन्य संधियों का स्थान लेते है।

6.2 संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एवं अधिनियम

(क) संयुक्त राष्ट्र का चार्टर

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त राष्ट्रों के मध्य एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने पर सहमति बनी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 25 अप्रैल 1945 को सम्मेलन शुरू हुआ। सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विचार विमर्श किया गया तथा मसौदा तैयार किया गया। जिसमें विश्व के अधिकांश संप्रभु राष्ट्र शामिल थे। मसौदा के प्रत्येक भाग के दो तिहाई अनुमोदन के बाद अन्तिम पाठ को प्रतिनिधियों द्वारा

सर्वसम्मति से अपनाया गया और 26 जून 1945 को हस्ताक्षर के लिये खोला गया जिस पर 50 राष्ट्रो द्वारा सैन फ्रांसिस्को, (संयुक्त राज्य अमेरिका) में हस्ताक्षर किये गये थे। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 स्थाई सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन रूस (भूतपूर्व सोवियत संघ) चीन और फ्रांस है। अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 है। अनुसमर्थन के बाद चार्टर 24 अक्टूर 1945 को लागू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ता इसे संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक शुरूआत तिथि माना जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में महासभा द्वारा मान्यता दी गई।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं–

अध्याय 1 में उद्देश्य और सिद्धांत ।

अध्याय 2. में सदस्यता।

अध्याय 3. में अंग।

अध्याय 4. में महासभा।

अध्याय 5. में सुरक्षा परिषद ।

अध्याय 6. मे विवादो का शांतिपूर्ण निपटान ।

अध्याय 7. में शांति खतरों शांति के उल्लंघन और आक्रामकता के कृत्य के सम्बन्ध में कार्यवाही।

अध्याय 8. में क्षेत्रीय व्यवस्थाएं ।

अध्याय 9.में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग ।

अध्याय 10. आर्थिक और सामाजिक परिषद ।

अध्याय 11 में गैर स्वशासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में घोषणा।

अध्याय 12 में अंतराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली ।

अध्याय 13. में ट्रस्टीशिप परिषद ।

अध्याय 14 में अंतराष्ट्रीय न्यायालय ।

अध्याय 15 में सचिवालय ।

अध्याय 16 में विविध प्रावधान ।

अध्याय 17 में संक्रमण कालीन सुरक्षा व्यवस्थाएं ।

अध्याय 18 में संशोधन।

अध्याय 19.में अनुसमर्थन और हस्ताक्षर ।

चार्टर के अधिनियम में सुरक्षा परिषद में 5 स्थाई और 6 अस्थाई सदस्यों का विधान है किंतु बाद मे अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई ळें

(ख) संयुक्त राष्ट्र के अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद–2 में उन सिद्धान्तों की चर्चा की गई है जिन पर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार सभी सदस्य राज्यों की प्रभुता सम्पन्न तथा समानता का सिद्धान्त है। सभी सदस्य राष्ट्र अपने उन सभी दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभायेगें जो उन्हें सौपी गई है। जैसे सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में किसी राज्य की अखण्डता राजनीतिक स्वाधीनता के विरूद्ध न तो धमकी देगें और न ही बल का प्रयोग करेगें तथा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों से मेल न खाता हो। चार्टर के सिद्धान्तों को निम्नलिखित बिन्दु के तहत समझ सकते हैं जैसे–

1. सार्वभौमिक समानता
2. सद्भावना
3. विवादो का शांतिपूर्ण समाधान
4. धमकी अथवा बल प्रयोग नहीं
5. सहायता
6. गैर सदस्य राज्यों से भी अच्छे सम्बन्धों का सिद्धान्त
7. घरेलू क्षेत्राधिकार आदि।

संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुयी शाखायें, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि, आकार की है। अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को अंगीकृत किया है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर इसका संविधान है। जिसमें संगठन के उद्देश्यों, सिद्धान्तों तथा नियमों का उल्लेख है। ये उद्देश्य मानवता को भविष्य में आने वाले युद्धों के प्रकोप से बचाने, सामान्य जनमानस को उनके मौलिक अधिकार दिलाने आर्थिक सामाजिक उन्नति करने आदि से सम्बन्धित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10 हजार शब्द है। 111 धारायें तथा 19 अध्याय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषायें–अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी रूसी तथा स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख दो भाषाएं हैं अंग्रेजी तथा फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर बना है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक सहयोगी अंग विश्व की हर प्रकार की समस्याएँ सुलझाने के कार्य में लगे हुये है।

6.3 संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के दूसरे अध्याय में सदस्यता से सम्बन्धित उपलब्ध है। इसमें दो प्रकार की सदस्यता का प्रावधान है। प्रारम्भिक सदस्यता तथा निर्वाचित अथवा बाद में ग्रहण सदस्यता । चार्टर की तीसरी धारा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारम्भिक सदस्य वे थे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था अर्थात 1 जनवरी 1942 के संयुक्त राष्ट्र घोषण पत्र पर हस्ताक्षर करके धारा 110 के अनुसार उसकी पुष्टि की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 4 में सदस्यता ग्रहण शर्तो का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रो के लिये खुली है जो संघ की जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और जो संघ के निधि के अनुसार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के योग्य और इसके लिये तैयार हो।

सदस्यता सम्बन्धी निर्णयों के लिये सुरक्षा परिषद के पांचो स्थायी सदस्यों की सहमति और आम सभा में दो तिहाई बहुमत का समर्थन आवश्यक रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य बनाने का अधिकार सुरक्षा परिषद तथा आम सभा की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। फिर भी चार्टर में राज्यों के लिये निम्नलिखित शर्तो का पालन आवश्यक माना गया है।

आवेदनकर्ता को संप्रभु राज्य होना चाहिये अपवाद स्वरूप प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में हस्ताक्षर करते समय कुछ राष्ट्र संप्रभु नहीं थे। जैसे– भारत, फिलीपींस, यूक्रेन, बेलारुस जो कि ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक सदस्य है। चार्टर पर हस्ताक्षर करते समय संप्रभु राज्य नहीं थे।

1. आवेदनकर्ता राष्ट्र शांति प्रिय होना चाहिये।
2. आवेदनकर्ता राज्य को चार्टर द्वारा निर्धारित नियमों को स्वीकार करना होगा।
3. आवेदनकर्ता राज्य को सदस्यता ग्रहण करने के लिये योग्य एवं इच्छुक होना चाहिये।

सर्वप्रथम सदस्यता के लिये इच्छुक राज्य आवेदन पत्र पर सुरक्षा परिषद विचार करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रत्येक आवेदन पर अलग से विचार होना चाहिये। आवेदन पर विचार करने के बाद सुरक्षा परिषद अपनी सिफारिश पेश करती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के लिये 15 सदस्यों में से 3 सदस्यों का एकमत होना आवश्यक है। जिनमें 5 स्थायी सदस्यों का मत एक होना अनिवार्य है।

इस प्रकार सदस्यता के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। यदि स्थायी सदस्य, राज्य को नहीं चाहता है तो वह सदस्य नहीं हो सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आम सभा निर्णय लेती है। यदि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आम सभा ने दो तिहाई बहुमत से निर्णय लिया तो आवेदनकर्ता राज्य उसी दिन से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा में कहा गया है कि चार्टर के सिद्धान्तों का लगातार उल्लंधन करने वाले राज्य को विश्व की इस संस्था से निष्कासित किया जा सकता है। परन्तु यह सुरक्षा परिषद की अनुसंशा पर महासभा के निर्णय से होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्यों द्वारा सदस्यता परित्याग करने की (अफवाहों को छोड़कर) कोई व्यवस्था नहीं है।

6.4 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का संशोधन –

संयुक्त राष्ट्र के संविधान में दो पद्धतियों से संशोधन किया जा सकता है।

7. प्रथम विधि के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा संविधान संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। यदि उसकी सम्पूर्ण सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्य इसके लिये सहमत हो।
8. द्वितीय विधि के अनुसार महासभा के दो तिहाई सदस्य एवं सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य संविधान संशोधन में विचार के लिये एक महा अधिवेशन में दो तिहाई मतों से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन तब तक अपने प्रभाव में नहीं आ सकता जब तक कि संयुक्त राष्ट्र की सम्पूर्ण सदस्य संख्या में

दो तिहाई बहुमत द्वारा तथा सुरक्षा परिषद के पांचो स्थायी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित न कर दिया जाये। 1965 में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संविधान में संशोधन किया गया था।

6.5 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का महत्व

वर्तमान में संयक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र है विश्व के लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद आदि सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अत्यधिक महत्व है क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के जाति संहार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को बहुत आवश्यक समझा भविष्य में नरसंहार को रोकने के लिये 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पूरे विश्व के लिये एक समान दर्जा प्राप्त करती है। जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थन प्रदान करता है। वर्तमान में मानव अधिकारों के सम्बन्ध में सात संघ निकाय स्थापित किये गये हैं जैसे–

8. मानव अधिकार संसद
9. सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संसद
10. जातीय भेदभाव निष्कासन संसद
11. नारी भेदभाव विरूद्ध निष्कासन संसद
12. यातना विरूद्ध संसद
13. बच्चों के अधिकारों का संसद
14. प्रवासी कर्मचारी संसद।

संयुक्त राष्ट्र संघ में 1948 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिये सार्वभौम घोषणा की गई। जो पूरे विश्व के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये यह संगठन संकल्पबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र–संघ का सतत सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक से जुड़ा संगठन है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का 80 प्रतिशत खर्च करती है। यह संस्था अति व्यापक है, इसे विश्व का लघु कल्याणकारी सरकार भी कहा जाता है। आई0एल0ओ0, डब्लूएच0ओ0, एफएओ, यूनेस्को, यूनिसेफ यूएनआरडब्लू इत्यादि संगठन आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा संचालित है। ये अनुषंगी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर अलग–अलग क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती है। विश्व में समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संगठन के भीतर नारी भेदभाव निष्कासन संसद की स्थापना की गई है।

इसका प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति हर तरह के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण दिशा में समुचित प्रयास करना है। यातना के विरूद्ध संगठन में संसद का प्रावधान किया गया है। विश्व के किसी भी देश के लोगों को यातनाएं देना मानवता के विरूद्ध है। ऐसे मामलों को संयुक्त राष्ट्र–संघ संज्ञान में लेते हुये दोषियों पर कार्यवाही करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के अधिकारों को लिए संसद स्थापित की गयी है। जिसमें प्रत्येक

बच्चे को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास के लिये बच्चों के विचारों पर समुचित ध्यान दिया जाये उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाये। जिससे समाज, देश और पूरे विश्व के निर्माण में आगे चलकर उनका प्रमुख योगदान संभव हो सके। प्रवासी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन में संसद का प्रावधान किया गया है। जो विशेष रूप से प्रवासी कर्मचारियों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। स्वास्थ्य देखभाल, गैर भेदभाव के अधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है।

6.6 सारांश–

संयुक्त राष्ट्र संघ एक राजनायिक और राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के साथ–साथ मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण महिलाओं, बच्चों के अधिकारों के लिये संकल्प बद्ध है। संयुक्त राष्ट्र अपने 6 प्रमुख अंगों तथा अन्य अनुषंगी अंगों उपयोगों के माध्यम से विश्व में शांति सुरक्षा तथा अन्य प्रमुख मुद्दों पर सफलतापूर्वक कार्य करता है। ये संगठन विश्व के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करता है। साथ इसके लिये अन्य राष्ट्रों से सहयोग भी प्राप्त करता है। अन्य राष्ट्रों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुये संयुक्त राष्ट्र अपनी केन्द्रीय भूमिका अदा करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयार्क शहर (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के विश्व युद्धों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाये रखना, मानवीय सहायता प्रदान करना, निरंतर विकास को बढ़ावा देना अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को कायम रखना आदि शामिल है।

6.7. अभ्यास प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अधिनियमों की व्याख्या करें।
2. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पर चर्चा करें।
9. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन संबंधी प्रावधानों की व्याख्या करें।
10. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के महत्व की व्याख्या करें

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी?

a. 24 अक्टूबर 1945 को
b. 24 अक्टूबर 1946 को
c. 24 सितंबर 1947 को
d. 25 सितंबर 1948 को

2. संयुक्त राष्ट्र में कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं ?

a. 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय
b. 110 अनुच्छेद और 18 अध्याय

c. 109 अनुच्छेद और 17 अध्याय

d. 108 अनुच्छेद और 16 अध्याय

3. वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं?

a. 6 स्थायी 10 अस्थायी

b. 5 स्थायी 10 अस्थायी

c. 7 स्थायी 11 अस्थायी

d. क 8 स्थायी 12 अस्थायी

4. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब संपन्न हुआ था?

a. 24 अप्रैल 1946 को

b. 26 अप्रैल 1947 को

c. 25 अप्रैल 1945 को

d. 27 अप्रैल 1948 को

उत्तर. 1- a- 2- a- 3- b- 4- c-

6.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. डॉ. बी एल फाडिया एवं डॉ. कुलदीप फाड़िया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. डॉ. कुलदीप फाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. डॉ. एस सी सिंहल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल लखनऊ।
4. डॉ. प्रमोद राजेंद्र तांबे एवं शेखर राजेंद्र सोनार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निराली प्रकाशन, नई दिल्ली।

इकाई–7 संयुक्त राष्ट्र के प्रधान अंगः महासभा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा

7.3 महासभा का गठन एवं एवं अधिवेशन

7.4 महासभा के अधिकार क्षेत्र और कार्य

7.5 महासभा का महत्व

7.6 सारांश

7.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

7.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.0 उद्देश्य–

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग के रूप में महासभा को समझना।
2. महासभा के गठन के बारे में जानना।
3. महासभा के अधिकार और कार्यो को जानना।
4. महासभा के महत्व को समझना।

7.1 प्रस्तावना

महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त विषयों पर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद से उचित अभिस्ताव करती है।

महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधियात्मक अंग है। संघ के सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं। महासभा का गठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को इसके कार्यो के आधार पर विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के अंगो में प्रमुख है। इस सभा का हर वर्ष सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। इन प्रतिनिधियों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। क्योंकि सामान्य सभा वह एक अकेला मुख्य अंग है जिसमें सब सदस्य देश सम्मिलित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर महासभा के विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते है। विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के बहुमत या अधिक से अधिक सदस्यों की सहमति से एक सदस्य की प्रार्थना पर बुलाया जा सकता है।

7.2 संयुक्त राष्ट्र की महासभा

संयुक्त राष्ट्र महासभा संगठन का मुख्य नीति निर्माण अंग है। सभी सदस्य देशों को मिलाकर, यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा कवर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की बहुपक्षपीय विचार विमर्श के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक का एक समान वोट है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है। महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का चुनाव करती है इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देती है। यह सभा प्रत्येक वर्ष सितम्बर से दिसम्बर तक और उसके बाद आवश्यकतानुसार नियमित सत्र में बैठक करती है। यह समर्पित एजेण्डा समितियों के माध्यम से विशिष्ट मुद्दो पर चर्चा करता है। इसके बाद प्रस्तावों को अपनाया जाता है। प्रत्येक सत्र के लिये महासभा हाल में बैठने की व्यवस्था बदल जाती है।

महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त विषयों पर समितियों के माध्यम से विचार विमर्श करती है। इस सभा का हर वर्ष सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। प्रतिनिधियों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दायरे में किसी भी मामले से सम्बन्धित विचार विमर्श पर्यवेक्षीय वित्तीय और वैकल्पिक कार्य करती है। इस सभा की प्राथमिक भूमिका सिफारिशे करना है। प्रस्तावों को लागू करने या राज्यों को कार्यवाही के लिये मजबूर करने की कोई शक्ति नहीं है। अन्य कार्यो में नये सदस्यों के प्रवेश देना शामिल है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों और ट्रस्टीशिप परिषद के सदस्यों का चयन करना संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की गतिविधियों की निगरानी करना जिनसे महासभा को रिपोर्ट प्राप्त होती है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव और महासभा के चयन में भाग लेना आदि। आम तौर पर निर्णय बहुमत से लिये जाते है। किन्तु महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे नये सदस्यों का प्रवेश, बजटीय मामले, शांति और सुरक्षा के मुद्दे जैसे विषयों पर निर्णय लेने के लिये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

7.3 महासभा का गठन एवं अधिवेशन

(क) महासभा का गठन–

महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधियात्मक अंग है। संघ के सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते है। महासभा का गठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है। प्रत्येक सदस्य राज्य 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है। परन्तु एक मत ही देने का अधिकार है। चार्टर में व्यवस्था है कि किसी सदस्य राज्य का प्रतिनिधि मण्डल 5 प्रतिनिधियों 5 वैकल्पिक प्रतिनिधियों तथा उतने ही सलाहकार एवं विशेषज्ञों को मिलाकर गठित होगा जितना प्रतिनिधि मण्डल आवश्यक हो। प्रतिनिधियों की नियुक्ति उनकी सरकार द्वारा होती है। उनकी योग्यताओं तथा आवश्यक शर्तो का निर्धारण उनकी सरकार द्वारा ही किया जाता है। प्रतिनिधिगण अपने राज्य के प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री से प्रमाण पत्र ग्रहण करते है।

प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों की सूची तथा उनके प्रमाण पत्र महासभा के अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले ही महासचिव के पास जमा करना पड़ता है। महासभा की प्रमाण पत्र समिति प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच

करती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह विधान है कि महासभा की बैठके वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। आमतौर पर यह अधिवेशन सितम्बर के महीने में न्यूयार्क में होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष ब्राजील के श्री पाल हेनरी स्पाक 16 जनवरी 1946 को चुने गए थे, इसके प्रथम महासचिव नार्वे के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ त्रिग्वेली चुने गए थे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस है, तथा वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाली राजनीतिज्ञ और राजनयिक एंटेनियो गुटेरस हैं।

(ख) महासभा के अधिवेशन

महासभा के अधिवेशन प्रायः सितम्बर महीने के तीसरे मंगलवार को प्रारम्भ होता है। और करीब दो महीने तक चलता है। केलसन के अनुसार ''यदि कार्य सूची के लिये आवश्यक हो तो महासभा अपना वार्षिक अधिवेशन दूसरे वार्षिक अधिवेशन तक चालू रख सकती है। परन्तु व्यवहार में यह अधिवेशन लगभग 2 महीने तक चलता है।

आवश्यकता पड़ने पर महासभा के विशेष अधिवेशन भी बुलाये जाते है विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत या अधिक से अधिक सदस्यों की सहमति एक–एक सदस्य की प्रार्थना पत्र बुलाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों सुरक्षा परिषद या बहुमत सदस्यों के अनुरोध पर 24 घण्टे के भीतर महासचिव के द्वारा सभा का संकटकालीन अधिवेशन बुलाने की मांग कर सकती है। ऐसे अधिवेशनों में सभा केवल उन्हीं विषयों पर विचार करती है। जिनके लिये अधिवेशन बुलाया गया हो। इसका उदाहरण एक विशेष अधिवेशन ट्यूनीशिया की स्थिति पर विचार करने के लिये 21 अगसत 1961 में हुआ था।

महासभा के पूर्ण अधिवेशन की बैठक पदाधिकारियों का चुनाव करने,कार्य पद्धति सम्बन्धी अन्य मामले तय करने के लिये लगभग 5 सप्ताह की सामान्य बहस के लिये होती है। महासभा अपने कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक अध्यक्ष का चुनाव करती है।

यह चुनाव महासभा के प्रत्येक अधिवेशन के लिये किया जाता है। जो अधिवेशन के अन्त तक सभा की कार्यवाही का संचालन करता है। महासभा के अध्यक्ष सभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। वाद–संवाद का निर्देशन करता है। नियमों का पालन करवाता है। तथा प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर प्रदान करता है। वह किसी प्रश्न पर मत लेता है। और उसके निर्णय की घोषणा करता है। वह प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। समय सीमा का निर्धारण करता है एवं सभा का बहस के स्थान पर समाप्ति की घोषणा करता है।

7.4 महासभा के अधिकार क्षेत्र और कार्य–

(क) महासभा के अधिकार क्षेत्र–

महासभा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों की सिफारिशें करती है। राजनीतिक, आर्थिक मानवीय सामाजिक और कानूनी मामलों सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी स्तम्भों पर भी कार्यवाही करती है। सितम्बर 2015 में असेम्बली ने 17 सतत विकास लक्ष्यों के एक सेट पर सहमति बनी। 2015 के वाद विकास एजेण्डे को अपनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज में शामिल थे। जिसका शीर्षक था ''हमारी दुनिया'' को बदलना 2030

एजेण्डा सतत् विकास के लिये 2022 में महासचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में ''हमारा साझा एजेण्डा'' शीर्षक रखी गई जिसको बहुपक्षीय समझौतों को मजबूत करने और तेज करने के लिये डिजाइन किया गया है।

महासभा ने अपनी सहायता के लिये 4 स्थायी अंगों की स्थापना की है—जैसे आडिट बोर्ड पूंजीलागत से सम्बन्ध रखने वाली समिति संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी पेंशन समिति, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग नवम्बर 1949 में महासभा ने एक सर्वथा नवीन एवं महत्वपूर्ण समिति की स्थापना की जो अन्तरिम समिति अथवा छोटी सभा के नाम से जाना जाता है। यह समिति सदा अधिवेशन में रहने वाली संस्था इसका उत्तरदायित्व है। महासभा के अधिवेशन न होने के समय वह शांति और सुरक्षा के प्रश्न पर सुझाव प्रस्तुत करती है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की बैठकों में भाग लेने के लिये जब प्रतिनिधिगण एकत्रित होते है तो उनके लिये किन—किन विषयों पर विचार करेंगें, ऐसे विषयों के योग को कार्य सूची कहा जाता है।

महासभा के समक्ष आने वाले विषयों से सम्बन्धित सूचनाएं आंकड़े संघ कार्य सचिवालय तैयार करता है। महासभा के अधिवेशन के लिये कार्यसूची तैयार करना अपने आप में जटिल कार्य है। इसके लिये एक अन्तरिम कार्य सूची महासचिव तैयार करता है। इनमें निम्न विषय रखे जाते है जैसे—

11. संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यो के सम्बन्ध में महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट।
12. संघ के अन्य अंगों तथा विशिष्ट अभिकरणों की रिपोर्ट।
13. महासभा द्वारा पिछले सत्र में आडिट विषय।
14. सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विषय
15. अन्य अंगों द्वारा प्रस्तावित विषय।
16. आगामी वित्त वर्ष का बजट तथा पिछले वित्त वर्ष का लेखा रिपोर्ट।
17. महासचिव द्वारा प्रस्तुत विविध आवश्यक विषय।

महासभा की बैठक प्रारम्भ होने के कम से कम 60 दिनों पूर्व यह अन्तरिम सूची सभी सदस्यों में वितरित कर दी जाती है। सदस्यगण बैठक में 25 दिन पूर्व कोई नया विषय भी जोड़ सकते है। बैठक में किसी विषय को पारित करने के लिये कुछ विषयों पर दो तिहाई और कुछ विषय पर सामान्य बहुमत से पारित करने की व्यवस्था है। विभिन्न विषयों पर ये विधियां बनाई जा सकती है जैसे—अनुसंशाएं, सुरक्षा परिषद आर्थिक सामाजिक परिषद तथा संरक्षण परिषद के लिये सदस्यों का निर्वाचन बजट सम्बन्धी विषय आदि। धारा 19 में यह व्यवस्था है कि जिस सदस्य देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना वित्तीय अनुदान नहीं किया हो, उसको महासभा में मतदान का अधिकार नहीं रह जाता, किन्तु महासभा उस सदस्य को मत का अधिकार प्रदान कर सकती है जिस पर विश्वास हो गया हो चन्दे का भुगतान करना सदस्य राष्ट्र के नियंत्रण से बाहर है।

(ख) महासभा के कार्य

महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रभावशाली अंग है। संघ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में इसको प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसके अधिकार और कार्य अत्यधिक व्यापक और विस्तृत है।

महासभा के कार्यो को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

(क) विचारात्मक कार्य–

विचारात्मक कार्य निम्नलिखित है–

1. अनुच्छेद 10 में कहा गया है "महासभा घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तथा उनके द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों के अधिकारों एवं कृत्यों से सम्बन्ध सभी प्रश्नों पर विचार कर सकती है। तथा उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें पेश कर सकती है।

2. शांति सुरक्षा और सुव्यवस्था के मामले में आम सभा व्यापक विचारात्मक अधिकार है लेकिन इस क्षेत्र प्राथमिक अधिकार सुरक्षा परिषद को प्रदान किया गया है। महासभा शांति सुरक्षा बनाये रखने के लिये सहयोग के सामान्य सिद्धांत पर विचार कर सकती है।

(ख) निरीक्षणात्मक कार्य–

1. महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की केन्द्रीय संस्था है जिसमें चार्टर के द्वारा इसके कुछ निरीक्षणात्मक कार्य प्रदान किये गये है। इस कार्य के अन्तर्गत महासभा को सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य विभागों से रिपोर्ट प्राप्त करने एवं उस पर विचार करने तथा मत प्रकट करने का अधिकार है।

2. अनुच्छेद 15 और 24 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद को महासभा के समक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश करना होता है। इसमें सुरक्षा परिषद की सालभर की कार्यवाही का विवरण होता है।

3. चार्टर के अनुच्छेद 13 के अनुसार राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिये महासभा प्रारम्भिक अध्ययन द्वारा जांच पड़ताल की व्यवस्था कर सकती है। तथा इस विषय में अपनी सिफारिशे भी प्रस्तुत कर सकती है।

4. अनुच्छेद 57 के अनुसार सरकारी समझौते द्वारा विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों से सम्पन्न आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में विशेष माध्यम खोले जाने के लिये महासभा को आदेश देने का अधिकार दिया गया है।

5. महासभा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था से सम्बद्ध है। जिसका विवरण अनुच्छेदद 17 में उपबन्धित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना महासभा का दायित्व है। संघ के प्रत्येक अंग अपने अनुमानित खर्च का ब्यौरा महासभा के समक्ष पेश करता है।

(ग) संगठनात्मक कार्य–

महासभा को खुद संगठनात्मक कार्य भी सम्पादित करना पड़ता है।

1. सर्वप्रथम यह सभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर मंच में नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करती है। लेकिन संघ में महासभा की अनुमति पर तब तक प्रवेश संभव नहीं अब तक सुरक्षा परिषद का समर्थन नहीं प्राप्त हो जाता है।

2. अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वैसे किसी भी सदस्य जिनके विरूद्ध बाध्यकारी कदम उठाये जा चुके है। सदस्यता की सुविधा एवं अपने अधिकारों में उपभोग करने में महासभा अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा वंचित किये जा सकते हैं।

3. महासभा का दूसरा संगठनात्मक कार्य संघ के अंगों के निर्वाचित सदस्यों के चयन से सम्बन्धित है। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।

4. न्यास परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा होता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की अनुसंशा अथवा उससे मिलकर वह कुछ सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन भी करती है। जैसे महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की अनुसंशा पर महासभा ही करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। सचिवालय द्वारा की जाने वाली बहालियों के लिये निर्देश भी महासभा ही देती है।

(घ) संशोधन सम्बन्धी कार्य–

संशोधन सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य है–

1. अनुच्छेद 108 के अनुसार महासभा को चार्टर में संशोधन लाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार महासभा को सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर चार्टर पर विचार करने के लिये सामान्य सम्मेलन बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस सम्मेलन द्वारा लाया गया कोई भी संशोधन दो तिहाई सदस्यों द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से पारित होने पर लागू हो जाता है।

2. महासभा को अपने दो तिहाई बहुमत में संशोधन लाने की सिफारिश करने का अधिकार है। परन्तु इस तरह का संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के दो तिहाई सदस्यों जिनमें सुरक्षा परिषद की पांच महाशक्तियों का एक मत शामिल होकर समर्थन न प्राप्त हो जाये।

3. यदि सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव के कारण किसी भी मामले में जिसमें शांति के संकट शांति भंग अथवा कोई आक्रमण दिखाई पड़ता है। कार्य दिखाई पड़ता है, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के व्यवस्था के अपनी प्राथमिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में असफल हो जाती है। तब महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने अथवा पुनः स्थापित करने के लिये सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता पड़ने पर शांतिभंग या आक्रामक कार्य करने के मामले में सशस्त्र बल प्रयोग भी सम्मिलित है।

4. महासभा का आपात कालीन अधिवेशन 24 घण्टे के भीतर बुलाया जा सकता है। ऐसा आपातकालीन अधिवेशन तभी बुलाया जायेगा जब 7 सदस्यों के मत से सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुमत ऐसा करने की प्रार्थना करें।

5. प्रस्ताव के तीसरे भाग में संघ द्वारा सदस्य राज्यों से यह प्रार्थना की गई है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ के अधीन कार्यवाही करने के लिये प्रशिक्षित सेना प्रदान करे।

महासभा का कार्य केवल विचारात्मक है। तथा यह प्रस्ताव पारित करने वाली संस्था है परन्तु सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिये कार्य करती है।

7.5 महासभा का महत्व

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत 1945 में स्थापित महासभा संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श नीति निर्धारण और प्रतिनिधि के अंग के रूप में एक केन्द्रीय स्थान रखती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों से युक्त यह चार्टर द्वारा कवर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय विचार विमर्श के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करता है। यह मानक निर्धारण और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की प्रक्रिया में केन्द्रीय भूमिका निर्वाह करता है।

यह सभा अपनी क्षमता के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों को सिफारिशें करती है। इसने राजनीतिक आर्थिक मानवीय सामाजिक और कानूनी मामलों सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी स्तम्भों पर भी कार्यवाही की है। सितम्बर 2015 में असेम्बली ने 17 सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक सेट पर सहमति व्यक्त की जो 2015 के बाद के विकास एजेण्डे को अपनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज में शामिल थे, जिसका शीर्षक था ''हमारी दुनियाँ को बदलना'' 2030 का एजेण्डा सतत विकास के लिये 2022 में निर्धारित किया गया है। वर्तमान महासचिव एंटोनियों गुटेरस ने ''हमारा साझा एजेण्डा'' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इन सिफारिशों पर अमल करने हेतु बैठकों की श्रृंखला आयोजित करवाई गई। जिसे बहुपक्षीय समझौतों को मजबूत करने सदस्य देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास करने पर बल दिया गया। विशेष रूप से 2030 एजेण्डा और लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाएगा। इसमें सभा को अधिक केन्द्रित और प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसे पहली बार 58 वे सत्र के दौरान प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। और बाद के सत्रों में एजेण्डे को सुव्यवस्थित करने, मुख्य समितियों की प्रथाओं और काम काजी तरीकों में सुधार करने सामान्य समिति की भूमिका बढ़ाने महासचिव के अधिकारों को अधिक मजबूत करने का प्रयास जारी है। महासचिव के लिये महासभा की अनौपचारिक बैठकों में समय–समय पर सदस्य राज्यों को उनकी हालिया गतिविधियों और यात्राओं के बारे में जानकारी देना एक अच्छी स्थापित प्रक्रिया बन गई है। समय के साथ–साथ वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की महासभा अत्यधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बन गई है।

7.6 सारांश–

महासभा संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श नीति निर्धारण और प्रतिनिधि के रूप में एक केन्द्रीय स्थान रखती है। महासभा ने अपनी सहायता के लिये 4 स्थायी अंगों जैसे आडिट बोर्ड, पूंजीलागत समिति, संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी पेंशन समिति, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग आदि की स्थापना किया है। महासभा का संगठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है। प्रत्येक राज्य को एक मत का अधिकार प्राप्त है। सितम्बर माह में इसकी बैठकें प्रारम्भ होती है। 2 माह तक बैठके चलती है। विशेष परिस्थितियों में महासभा के विशेष अधिवेशन भी बुलाए

जाते है। अपनी क्षमता के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों की सिफारिशें करती हैं इसने राजनीतिक, आर्थिक मानवीय और कानूनी मानको सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी स्तम्भों पर कार्यवाही की है। समय के साथ इसका महत्व एवं प्रासंगिकता बढ़ गई है। यह मानक निर्धारण और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की प्रक्रिया में महासभा एक केन्द्रीय भूमिका निभाता है।

7.7 अभ्यसार्थ प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग महासभा की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. महासभा के गठन एवं अधिवेशन पर प्रकाश डालिए।
3. संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अधिकार क्षेत्र और कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. संयुक्त राष्ट्र के महासभा के महत्व को समझाइए।

बहुविकल्पीय प्रश्न।

1. संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला महासचिव बनने का गौरव किसको प्राप्त है?
   a. भारत की विजय लक्ष्मी पण्डित को।
   b. श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके को.
   c. जर्मनी की एंजेला मर्केल को
   d. इनमे से कोई नहीं
2. महासभा के कार्यों में एक कौन सा कार्य नहीं है?
   a. विचारात्मक कार्य।
   b. निरीक्षणामत्मक कार्य
   c. संगठनात्मक कार्य
   d. आक्रमणकारी कार्य
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं?
   a. 193
   b. 192
   c. 191
   d. 190

उत्तर

1– (a)

2– (d)

3– (a)

7.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. डॉ. बी एल फाडिया एवं डॉ. कुलदीप फाड़िया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. डॉ. कुलदीप फाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. डॉ. एस सी सिंहल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल लखनऊ।
4. डॉ. प्रमोद राजेंद्र तांबे एवं शेखर राजेंद्र सोनार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निराली प्रकाशन, नई दिल्ली।

।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon
Open University

MAPS -112
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

खण्ड
3
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग

इकाई- 8

सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् 73

इकाई- 9

संयुक्त राष्ट्र- आर्थिक और सामाजिक परिषद् 80

इकाई- 10

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 88

इकाई- 11

सचिवालय 97

खण्ड – 3

राष्ट्र संघ की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश ने कई लोगों को क्षुब्ध कर दिया। जिस समय युद्ध चल रहा था उसी समय कुछ लोग शांति की स्थापना की कल्पना व्यक्त कर रहे थे। शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का प्रयास 1941 से ही प्रारंभ कर दिया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद काफी विचार विमर्श के पश्चात्संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक बना हुआ एकमात्र वास्तविक सार्वभौमिक और वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ को 51 देश में मिलकर स्थापित किया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके पास शासन मुद्दों की व्यापक श्रेणी शामिल है। वर्तमान में समस्याएं वैश्विक रूप धारण कर रही है। इसलिए इन समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक एवं वैश्विक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बिंदु महासभा है। महासभा प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में अपना अधिवेशन करती है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से लेकर विकास कार्यों तक एवं कुपोषण, गरीबी आदि क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी भूमिका अत्यधिक संतोषजनक नहीं हो सकती है लेकिन इसकी सक्रिय भूमिका विशेष रूप से शीत युद्ध की अवधि के दौरान दुनिया में महा शक्त्यिों और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव को शांत करने में सफल रही है। मानवाधिकार के प्रावधान बनाने, शरणार्थी समस्याओं को निपटने में, युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां सभी देश मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री उपयोग एवं सहयोग, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अंतरराष्ट्रीय कानून पर चर्चा आदि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है।

(ग). **संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग**—सहायक अंगों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा—7 (2) में किया गया है। इसके अन्तर्गत इनके नाम व कार्य वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि केवल यह उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के अंगों की स्थापना आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान चार्टर के अनुसार की जाएगी। सहायक अंग विशिष्ट अंगों से भिन्न हैं और उनकी स्थापना मुख्यतः महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा की गई है।

इकाई – 8 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

इकाई की रूपरेखा–

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग

8.3 सारांश

8.4 संदर्भ ग्रंथ

8.5 बोध प्रश्न

8.0 उद्देश्य – इस इकाई में बच्चे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्ययन करेंगे एवं इस इकाई से बच्चे निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे–

1. सुरक्षा परिषद क्या है?
2. सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं।
3. स्थायी और अस्थायी सदस्य क्या होते हैं?
4. विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद कितनी आवश्यक है।
5. सुरक्षा परिषद में सुधार।

8.1 प्रस्तावना–

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का वह अंग है जिसके लिए चार्टर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी देता है। इसकी बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है, यहां तक कि जब शांति को खतरा हो तो आधी रात को भी। सभी सदस्य राज्य इसके निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसके 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं। पांचो स्थायी सदस्य परमाणु हथियार वाले राज्य भी हैं। अन्य 10 सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। एक स्थायी सदस्य द्वारा किसी निर्णय पर दिए गए नकारात्मक वोट से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में इसको 'वीटो' भी कहते हैं। जब परिषद के सामने शांति के लिए खतरा पैदा हो जाता है, तो यह आमतौर पर पहले पक्षों को शांतिपूर्ण तरीकों से समझौते पर पहुंचने के लिए कहता है। यह परिषद विवाद के निपटारा के लिए मध्यस्थता या आगे के सिद्धांतों

को निर्धारित कर सकती है। यदि लड़ाई हो जाती है तो परिषद संघर्ष विराम को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। यह तनावग्रस्त क्षेत्रों में, तनाव को कम करने और विरोधी ताकतों को अलग रखने के लिए, शांति बनाए रखने वाली इकाइयों जैसे– पर्यवेक्षकों एवं सैनिक को तनावग्रस्त क्षेत्रों में भेज सकती हैं। इस परिषद को 'सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत' के तहत सैन्य कार्यवाही की शक्ति भी प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है 'अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा' बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं क्योंकि वैश्विक शान्ति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों की नाभिकीय योग्यताएँ अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति (वीटो) भी दी गई है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पाँच में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सकता है।

सुरक्षा परिषद से संबंधित प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 23 से 32 तक में वर्णित है जो अध्याय 5 में सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्र संघ के कटु अनुभव ने हमें सिखाया था कि संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसके भविष्य की सुरक्षा और सफलता के लिए बड़ी शक्तियों की उपस्थिति एवं परस्पर सहयोग अनिवार्य होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने प्राथमिक दायित्व 'अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा' की स्थापना की पूर्ति के लिए बड़े राज्यों पर पूर्णतः निर्भर है। इसी दृष्टि से इन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के प्रधान राजनीतिक अंग के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही इन बड़े राज्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसमें 11 सदस्य होते थे किंतु 1965 में चार्ट में संशोधन करके इसके सदस्यों की संख्या 15 कर दी गई। इन 15 सदस्यों में पांच स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य–संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रुस, फ्रांस और इंग्लैंड हैं। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, किंतु प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य तब तक निर्वाचित किए जाते हैं, जब 5 सदस्य 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पदमुक्त हो जाते हैं। एक ही समय में सभी अस्थाई सदस्य नए न हो इसीलिए इस पद्धति को अपनाया जाता है। अनुच्छेद 23 के परिच्छेद 2 में यह स्पष्ट वर्णित है कि पदमुक्त होने वाला सदस्य देश तुरंत पुनः निर्वाचन के योग्य नहीं होता है। सुरक्षा परिषद की सभी बैठकों में प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है। अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है–

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में और संगठन के अन्य उद्छदश्यों को पूरा करने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का योगदान।

2. साम्यापूर्ण भौगोलिक वितरण। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 1965 के संशोधन के पश्चात अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 कर दी गई तथा सदस्यों का विभाजन इस प्रकार किया गया है –

क्षेत्र	संख्या
अफ्रीकी एशिया	5 सदस्य
पूर्वी यूरोप	1 सदस्य
लैटिन अमेरिका	2 सदस्य
पश्चिमी यूरोप एवं अन्य	2 सदस्य

चार्टर में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में कुछ कमियां प्रतीत होते हैं जैसे–*पहला*– अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। यह सदस्यों के लिए परिषद के वास्तविक कार्यों से परिचित होने के लिए पर्याप्त नहीं है।, *दूसरा*– व्यवहार में सदस्यों का अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया और ना ही इसके मानदंड के लिए कोई तंत्र निर्मित किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 31 के अधीन सुरक्षा परिषद तदर्थ सदस्यता के लिए भी प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य को, जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद के विचार– विमर्श में भाग लेने के संबंध में प्रावधान करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का चयन करती है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अच्छा परिषद को अपने अध्यक्ष के चुनने के ढंग को निश्चित करने की स्वतंत्रता देता है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने परिषद के सदस्यों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के चक्रीय क्रम मे पद्धति द्वारा चुना जाता है। केवल सुरक्षा परिषद के सदस्य राज्य ही अध्यक्ष हो सकते हैं। परिषद अपनी बैठकें साधारणता मुख्यालय में करती है। किंतु यह अन्य स्थानों पर भी बैठक करने के लिए स्वतंत्र है। सुरक्षा परिषद का एक सत्र 1977 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में तथा 1973 में पनामा में आयोजित हो चुका है।

सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है और उसका भार समान होता है। सुरक्षा परिषद द्वारा निर्णय किए गए मामलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है–'प्रक्रिया संबंधी विषय' और 'अन्य सभी विषयों से संबंधित विषय'। प्रक्रिया संबंधी विषयों पर सुरक्षा परिषद का निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जाता है। अन्य सभी विषयों पर जिन्हें सुविधा के अनुसार गैर प्रक्रिया संबंधी विषय भी कहा जाता है, इनमें निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जाता है परंतु स्थाई सदस्यों का सहमति सूचक मत का शामिल होना आवश्यक होता है।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। चार्टर के अनुच्छेद 27 का परिच्छेद 3 में उल्लिखित है कि गैर–प्रक्रिया संबंधी विषयों पर निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से किए जाएंगे इसमें स्थाई सदस्यों के सहमत सूचक मतों का होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे विषयों पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता जिसमें किसी भी स्थाई सदस्य द्वारा नकारात्मक मत दिया जाता है। यदि कोई स्थाई

सदस्य चाहता है कि किसी विशेष विषय पर सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निर्णय न लिया जाए तो उसे नकारात्मक मत देकर ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है।

सुरक्षा परिषद के वर्तमान प्रारूप को लेकर इसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। सुरक्षा परिषद की स्थापना के बाद कई परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हुए किंतु सुरक्षा परिषद के गठन में 1965 में किए गए संशोधन के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 1965 में 11 से 15 कर दी गई। उस समय संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्यों की संख्या 113 थी। परंतु वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 51 से 193 हो गई है, जिनमें अफ्रीकी महाद्वीप के 53 सदस्य हैं यह संख्या कुल सदस्यों की लगभग एक तिहाई हैं। फिर भी इस महाद्वीप का कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य नहीं है इन सभी आलोचनाओं को दृष्टिगत करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ने की उठाई जाती रही है इस मांग में भारत भी स्थाई सदस्यता की मांग उठाता है। विभिन्न देशों के राजनीतिक समय–समय पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए मांग उठाते रहे हैं। भारत द्वारा स्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित दावे पेश किए गए–

1. भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
2. भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3. संयुक्त राष्ट्र में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जया तो गुटनिरपेक्ष है या विकासशील देश है ऐसे राज्यों में भारत का गहरा प्रभाव है।
4. भारत विश्व में जनसंख्या वाला देश है।
5. भारत में संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न कार्रवाइयों में स्पष्ट योगदान दिया है।
6. भारत पूर्ण निशास्त्रीकारण तथा परमाणु शस्त्रों के प्रति प्रतिबद्ध है।
7. भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कटिबंध है।
8. भारत ने अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में व्यापक योगदान दिया है भारत 1951– 52, 1967– 67, 1972– 73, 1977– 78, 1984– 85, 1991– 92 और 2011– 12 कुल सात बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य– सुरक्षा परिषद के कार्यों को व्यापक रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना– इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(क). शांतिपूर्ण साधनों द्वारा– चार्टर का अध्याय 6 उन विभिन्न तौर– तरीकों का प्रावधान करता है इसके द्वारा सुरक्षा परिषद शांतिपूर्ण तरीके से उन विवादों का निपटारा करती है, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा होने की संभावना होती है। यह तरीका इस प्रकार हैं–

- शांतिपूर्ण साधनों से विवादों का निपटारा करने के लिए कहना।

- विवादों का अन्वेषण करना।
- समुचित प्रक्रिया या पद्धति की सिफारिश करना।
- सभी पक्षकारों के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश करना।

(ख). प्रवर्तन कार्रवाही द्वारा– यदि सुरक्षा परिषद यह निश्चित कर लेती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है या किसी देश द्वारा आक्रमण की कोई कार्रवाई की गई है इससे संबंधित चार्टर के अध्याय 7 में परिवर्तन कार्रवाई करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। प्रावधान इस प्रकार हैं–

1. सशस्त्र बल के प्रयोग को शामिल न करने वाले उपाय– इन उपायों में आर्थिक प्रतिबंध, रेल, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो और संचार के अन्य साधनों को आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित कर दिया जाता है। जैसे– इराक के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध, लीबिया के विरुद्ध हवाई व्यापार प्रतिबंध, कंबोडिया के विरुद्ध व्यापार प्रतिबंध, सोमालिया के विरुद्ध शस्त्र व्यापार प्रतिबंध, हैती के विरुद्ध तेल तथा शास्त्र व्यापार प्रतिबंध, रवांडा के विरुद्ध शास्त्र प्रबंध आदि।
2. सशस्त्र बल के प्रयोग को शामिल करने वाले उपाय– चार्टर के अनुच्छेद 42 के अधीन प्रावधान किया गया है कि जब अनुच्छेद 41 में उल्लेख उपाय पर्याप्त हो जाएं तो सुरक्षा परिषद जल, थल, एवं वायु सेना के माध्यम से सुरक्षा परिषद ऐसी सभी कार्रवाइयां कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

2. विधिक कार्य–

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र में किसी देश के प्रवेश के लिए महासभा से सिफारिश कर सकती है।
- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य को निलंबित करने या निष्कासित करने के लिए महासभा को सिफारिश कर सकती है।
- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकती है।
- सुरक्षा परिषद ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह अपने कृतियों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कार्य–

- सुरक्षा परिषद तथा महासभा एक साथ किंतु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती हैं।
- यदि किसी मामले में पक्षकार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है तो सुरक्षा परिषद द्वारा दूसरे पक्षकार की अपील पर निर्णय को प्रभावित बनाने के लिए सिफारिश कर सकती है या उपाय करने का निर्णय कर सकती है।

➢ सुरक्षा परिषद उन शर्तों की सिफारिश महासभा से कर सकती है जिस पर संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं।

8.3 सारांश–

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्‌देश्य से की गई थी। परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, और यूनाइटेड किंगडम हैं। इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार देता है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह परिषद संघर्षों को रोकने, शांति स्थापित करने, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान खोजने के लिए जिम्मेदार होती है। सुरक्षा परिषद विभिन्न तरीकों से यह कार्य करती है, जैसे शांति स्थापना मिशनों को मंजूरी देना, प्रतिबंध लगाना, और अगर आवश्यक हो, तो सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति देना।परिषद के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर बाध्यकारी होते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निकाय बनाते हैं। हालांकि, स्थायी सदस्यों की वीटो पावर के कारण कभी–कभी परिषद के निर्णयों में गतिरोध आ जाता है, जिससे इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रमुख भूमिका निभाती है न्यायाधीशों के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद की अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद, सुरक्षा परिषद विश्व राजनीति और शांति प्रयासों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।

8.4 संदर्भ ग्रंथ–

1. स्मिथ, जे. (2020). संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. डो, ए. (2019). आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका, आर. ली (एड.) में, वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा (पेज. 45–68) । कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. मेलोन, डी.एम. (2004). संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः शीत युद्ध से 21वीं सदी तक, लिन रीनर प्रकाशक, बोल्डर, कोलोराडो, यू.एस. ।
4. संयुक्त राष्ट्र (2017). संयुक्त राष्ट्र के बारे में बुनियादी तथ्य 42वां संस्करण. न्यूयॉर्कः संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग.
5. वीस, थॉमस एंड रमेश ठाकुर. (2010). ग्लोबल गवर्नेंस एंड द यूनाइटेड नेशनः एन अनफिनिशड जर्नी. (ब्लूमिंगटन इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस).
6. मिगस्ट, करेन ए, कर्न्स, मार्गेट. (2012). द यूनाइटेड नेशन इन द 21 वीं सेंचुरी चौथा एडिशन. बोल्डर कर्नलः वेस्टव्यू प्रेस.
7. बेहर, पीटर आर. एण्ड गार्डनकर, लियोन.(2005). द यूनाइटेड नेशनः रियलिटी एंड आइडियल. चौथा एडिशन. लंदनः पालग्रेव मैकमिलन.

8. हैहिमाकी, जुसी एम. (2008). थे यूनाइटेड नेशंस– ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन. नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

9. विजापुर, अब्दुलरहीम पी. (1995). थे यूनाइटेड नेशंस एट फिफ्टीः स्टडीज इन ह्यूमन राइट्स. नई दिल्लीः साउथ एशियन पब्लिशर्स.

10. लेलैंड एम. गुडरिच, ' द यूनाइटेड नेशंस' (1960).

8.5 . बोध प्रश्न–

प्रश्न 1. अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थापना क्यों की गई है?

प्रश्न 2. सुरक्षा परिषद में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं एवं वीटो की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए?

प्रश्न 3. सुरक्षा परिषद विश्व शांति एवं सुरक्षा में किस प्रकार योगदान करती है?

इकाई 9. संयुक्त राष्ट्र– आर्थिक और सामाजिक परिषद

इकाई की रूपरेखा–

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है।

9.4 सारांश

9.5 संदर्भ ग्रंथ

9.6 बोध प्रश्न

9.0 उद्देश्य–इस इकाई में बच्चे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्ययन करेंगे एवं बच्चे निम्न का ज्ञान प्राप्त करेंगे–

1. आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है?
2. आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य क्या–क्या होते हैं?
3. आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित अन्य आयोग एवं अभिकरण कौन–कौन है?
4. विश्व के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की भूमिका क्या है?

9.1. प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका उद्देश्यवैश्विक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर बहस, सहयोग और निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करना है। संयुक्तराष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की प्रस्तावना का सार यह है कि यह परिषद एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और मानवीय समस्याओं पर विचार–विमर्श किया जा सके। इसके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समझ को प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। यह प्रस्तावना परिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करती है, जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने, जीवन स्तर को सुधारने, और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद विभिन्न विशेषज्ञ निकायों और आयोगों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के समन्वय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।यह परिषद सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक नीतियों के समन्वय को बढ़ावा देने, विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने, और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों (NGO) के साथ भी मिलकर काम करता है, जिससे यह एक

ऐसा मंच बनता है जहां वैश्विक चुनौतियों का समाधान सामूहिक रूप से खोजा जा सके।इसकी बैठकों में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता, और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य वैश्विक समाज में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करना है, ताकि सभी राष्ट्रों और व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो सके और वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक और सामाजिक परिषद की प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत इस प्रकार हैं– 1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोत्साहन– परिषद का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। यह आर्थिक असमानताओं को दूर करने, गरीबी उन्मूलन, और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करता है। 2. मानवाधिकारों का संरक्षण– परिषद मानवाधिकारों के संरक्षण और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने का प्रयास करती है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उन्हें सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी करती है। 3. सामाजिक न्याय और समानता– प्रस्तावना में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। परिषद समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, या सांस्कृतिक संदर्भ में हो। 4. आर्थिक विकास– आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्यवैश्विक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह परिषद आर्थिक नीति समन्वय, तकनीकी सहायता, और क्षमता निर्माण के माध्यम से देशों को समर्थन प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से विकसित कर सकें। 5. सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण– परिषद सतत विकास को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करती है। यह प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देती है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण हो सके। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की प्रस्तावना वैश्विक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देती है। यह परिषद के उद्देश्यों, सिद्धांतों, और भूमिकाओं को स्पष्ट करती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत, और सतत विश्व की दिशा में कार्य कर रहा है। इस प्रकार, प्रस्तावना न केवल परिषद के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, बल्कि इसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समझ को भी प्रोत्साहित करती है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है?

यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। यह विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों को करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार, "संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं लोकोपकारी स्वरूप की समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग प्राप्त करना एवं जाति, भाषा, लिंग एवं धर्म के उल्लेख बिना मानव के मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के लिए लोगों में सम्मान की भावना पैदा करना।" इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन

किया गया है। इसका गठन महासभा द्वारा निर्वाच्य सदस्यों से होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में यह दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग, सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए दृढ़ निश्चित है। यह अंग इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व शांति का आर्थिक एवं सामाजिक स्थायित्व से घनिष्ठ संबंध है, तथा शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए सामाजिक–आर्थिक प्रगति आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र का नवीन प्रयोग कहा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र संघ में इस कार्य के लिए कोई विशेष या पृथक अंग स्थापित नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि " हम संयुक्त राष्ट्र के लोग बृहद स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति एवं श्रेष्ठ जीवन स्तर का उन्मेष करने हेतु कृतसंकल्पि हैं। "चार्टर के अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को उपलब्ध करवाना संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए चार्टर में आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन से का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इस परिषद में 54 सदस्य होते हैं इन सदस्यों को महासभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य अर्थात् इस परिषद के 18 सदस्य प्रति वर्ष 3 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किए जाते हैं। जो सदस्य देश पद मुक्त होते हैं उनको पुनः निर्वाचित किए जाने का प्रावधान है। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है। परिषद अपने प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ पर अध्यक्ष तथा प्रथम व द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में मतदान साधारण तथा प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी निर्णय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। परिषद संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्यों को ऐसे विषयों पर जिसका उसे सदस्य से विशेष संबंध है, विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है किंतु ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। चार्टर का अनुच्छेद 70 यह प्रावधान करता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद विशिष्ट अभिकरण को भी इस प्रकार भाग लेने के लिए व्यवस्था कर सकती है। इस परिषद में सदस्यों का निर्वाचन साम्यापूर्ण भौगोलिक वितरण के सिद्धांत के अनुसार होता है। अर्थात एशिया से 14 सदस्य, लैटिन अमेरिका से 10 सदस्य, पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्यों से 13 सदस्य और पूर्वी यूरोप से 6 सदस्य चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य भी बने रहते हैं। परंतु इस परिषद में उनकी विशेष स्थिति नहीं रहती हैं।

इस प्रकार संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य स्थल बनने के लिए बनाया गया आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेष एजेंसियों की आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित आर्थिक और सामाजिक परिषद को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की सिफारिश करने, मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य,

शिक्षा और सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग के लिए काम करने का अधिकार है। आर्थिक और सामाजिक परिषद अध्ययन करता है, महासभा द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव, सिफारिशें और सम्मेलनों का निर्माण करता है, और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का अधिकांश काम मानवाधिकार, नशीले पदार्थ, जनसंख्या, सामाजिक विकास, सांख्यिकी, महिलाओं की स्थिति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर कार्यात्मक आयोगों में किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर आर्थिक और सामाजिक परिषद को परामर्शदात्री दर्जा प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) परामर्शदात्री स्थिति की तीन श्रेणियाँ मान्यता प्राप्त हैं, सामान्य श्रेणी के एनजीओ (पूर्व में श्रेणी I) में कई लक्ष्य और गतिविधियाँ रखने वाले संगठन शामिल हैं, विशेष श्रेणी के एनजीओ (पूर्व में श्रेणी II) आर्थिक और सामाजिक परिषद गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं और रोस्टर एनजीओ की संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में कभी–कभार ही रुचि होती है। परामर्शदात्री स्थिति एनजीओ को आर्थिक और सामाजिक परिषद बैठकों में भाग लेने, रिपोर्ट जारी करने और कभी–कभी बैठकों में गवाही देने में सक्षम बनाती है। 1990 के दशक के मध्य से, आर्थिक और सामाजिक परिषद, तदर्थ वैश्विक सम्मेलनों और अन्य संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों में एनजीओ की भागीदारी के दायरे को बढ़ाने के लिए उपाय अपनाए गए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत तक, आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2,500 से अधिक एनजीओ को परामर्शदात्री स्थिति प्रदान की थी। मूल रूप से, आर्थिक और सामाजिक परिषद में 18 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन 1965 और 1974 में चार्टर में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 54 कर दी गई। सदस्यों को महासभा द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों में से चार –संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ (रूस) और फ्रांस – को लगातार फिर से चुना जाता रहा है क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकांश बजट के लिए धन मुहैया कराते हैं, जो किसी भी संयुक्त राष्ट्र सहायक निकाय से सबसे बड़ा है। निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं।

आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य और शक्तियां–

1. आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी और उससे संबंधित विषयों के संबंध में अध्ययन कर सकती है और उसे पर रिपोर्ट दे सकती है।
2. यह परिषद सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने के और उनके पालन के लिए सिफारिश कर सकती है।
3. यह परिषद अपने क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में महासभा को पेश करने के लिए प्रारूप अभिसमय तैयार कर सकती है।
4. आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकती है।
5. सामाजिक और आर्थिक परिषद सुरक्षा परिषद को भी सूचना दे सकती है और सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर उसकी सहायता कर सकती है।

6. आर्थिक और सामाजिक परिषद ऐसे कृत करेगी जो महासभा की सिफारिश को क्रियान्वित करने के संबंध में इसकी अधिकारिक में है।
7. यह परिषद ऐसे अन्य कार्य भी करेगी जो इस चार्टर में अन्यत्र विनिर्दिष्ट है या जो उसे महासभा द्वारा सौंप गए हैं।

आर्थिक और सामाजिक परिषद समन्वय, नीति पुनर्विचार, नीति वार्ता एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकास के मुद्दों पर सुझावों हेतु एक प्रमुख संस्था होने के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख शिखर सम्मेलनों तथा सभाओं में सहमति प्राप्त विकास के लक्षण को लागू किए जाने की भी प्रमुख संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में परिषद की शक्ति मात्र सुझाव देने की है जो सदस्यों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। और यह एक महत्वहीन स्तर की ओर बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महानतम उपलब्धि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रही है जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रभावी कार्य संचालन के कारण संभव हो सका है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशिष्ट अभिकरणों से संबंधित कार्य–

विशिष्ट अभिकरण ऐसे अंतर सरकारी संगठन है जो विशेष अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को निपटाने के लिए स्थापित किए गए हैं। इस परिषद का इन संगठनों से विशेष संबंध होता है। परिषद को इन अभिकरणों के संबंध में कई प्रकार के कार्य करने की शक्ति दी गई है जो इस प्रकार है–

1. यह परिषद इन संगठनों के साथ ऐसे करार कर सकती है जिनसे उनका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ स्थापित किया जा सके।
2. परिषद को विशिष्ट अभिकरणों के कार्यों का समन्वय करने के लिए उनके साथ परामर्श करके और उन्हें सिफारिश करके तथा महासभा को और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को सिफारिश करके कर सकती है।
3. यह परिषद इन विशिष्ट अभिकरणों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है।
4. चार्टर में प्रावधान किया गया है कि परिषद संबंद्ध राज्यों से किसी नए विशिष्ट अभिकरण के लिए बातचीत प्रारंभ कर सकती है, जो उसे सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

आर्थिक और सामाजिक परिषद– कार्यात्मक आयोग

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 68 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तथा मानव अधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग और ऐसे अन्य आयोग स्थापित करेगी जिनकी परिषद के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यकता हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद ने कई कार्यात्मक आयोगों की स्थापना की हैं। जैसे– सामाजिक विकास आयोग, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, सांख्यिकी की आयोग, स्वापक औषधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, जनसंख्या आयोग, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग इत्यादि।

आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा पांच क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों की स्थापना की गई है यद्यपि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में क्षेत्रीय आयोगों के सजृन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है फिर भी महासभा की पहल पर अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए इनकी स्थापना की गई है। यह निम्नलिखित है–

1. अफ़्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग इसकी स्थापना 1958 में हुई थी इसमें अफ़्रीका के कुल 53 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित है।
2. एशिया–प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, इसमें दक्षिण तथा पूर्व जंबुद्वीप में 52 राष्ट्र सम्मिलित है।
3. पश्चिम एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग इसकी स्थापना 1973 में हुई थी ,इसमें पश्चिम जंबुद्वीप में 13 राष्ट्र सम्मिलित है।
4. लैटिन अमरिका व कैरिबियन के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसमें लैटिन अमरिका तथा करिबियन क्षेत्र में 41 राष्ट्र और 7 और देश (कनाडा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, फ़्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य और स्पेन) सम्मिलित है।
5. यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग स्थापना इसकी 1947 में हुई थी ,इसमें युरोप के राष्ट्र, कुछ मध जंबुद्वीप के राष्ट्र, इस्राइल, कनाडा और संयुक्त राज्य (कुल 56 सदस्य) सम्मिलित। है।

इकाई 9.3 सारांश–

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की छह प्रमुख संस्थाओं में से एक है, जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्यवैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का प्रमुख समन्वयक निकाय है, जिसमें 54 सदस्य देश शामिल होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा तीन साल की अवधि के लिए किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष इनका एक तिहाई हिस्सा नए सदस्यों के साथ बदलता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यक्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। यह संगठन वैश्विक स्तर पर नीति–निर्माण में सहायता करता है, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की कार्यवाहियों का एक प्रमुख हिस्सा इसकी विभिन्न सहायक एजेंसियों, आयोगों और कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा होता है। इसमें कई कार्यात्मक आयोग जैसे कि जनसंख्या और विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, महिला स्थिति पर आयोग, और मानवाधिकार परिषद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय आयोग जैसे कि एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग भी आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करते हैं। ये आयोग विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार काम करते हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक और सामाजिक

परिषद संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों और एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य विशेष एजेंसियां। यह संगठन वैश्विक गैर–सरकारी संगठनों (NGO) के साथ भी मजबूत संबंध रखता है, जिससे वैश्विक नीति निर्माण में विविधता और समावेश सुनिश्चित हो सके।हर साल जुलाई में, आर्थिक और सामाजिक परिषद उच्च–स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक आयोजित करता है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। यह मंच सदस्य देशों को अपने अनुभव साझा करने और चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्छों के समाधान में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह संगठन वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व करता है, जिससे दुनिया भर में शांति, समृद्धि, और समानता की स्थापना हो सके।

आर्थिक और सामाजिक परिषद की भविष्य की दिशा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने, और वैश्विक आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में केंद्रित है। परिषद का लक्ष्य एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो सभी देशों के लिए समान अवसर प्रदान कर सके।इसके लिए परिषद को विकासशील देशों के साथ समन्वय बढ़ाने, वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह विभिन्न हितधारकों को कैसे साथ ला सकता है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान कैसे ढूंढ सकता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और विकासशील देशों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि परिषद के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके प्रयासों से वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रगति हो रही है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का भविष्य सतत विकास और वैश्विक समृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

9.4 संदर्भ ग्रंथ

1. स्मिथ, जे. (2015). वैश्विक शासन में आर्थिक और सामाजिक परिषद की भूमिका, रूटलेज पब्लिशर्स ,यूनाइटेड किंगडम।
2. जॉनसन, एम. एल. (2018). आर्थिक और सामाजिक परिषद और सतत विकासः नीति, योजना और अभ्यास, पाल्ग्रेव मैकमिलन पब्लिशर्स ,यूनाइटेड किंगडम।
3. हैरिस, पी. डब्ल्यू., और मार्टिन, एस. डी. (2017). अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में आर्थिक और सामाजिक परिषद की भूमिका, पब्लिशर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. पटेल, वी. आर. (2021). संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक शासनः आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रभाव, पब्लिशर्स सेज प्रकाशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

5. गुप्ता, एन. (2014). अंतर्राष्ट्रीय विकास नीतियों पर आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रभाव, टेलर और फ्रांसिस प्रकाशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।
6. कोहेन, आर. एस. (2023). सामाजिक नीति पर आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रभाव, प्रकाशन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

इकाई 9.5 बोध प्रश्न—

प्रश्न 1.संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है। यह किस प्रकार गठित होती है?

प्रश्न 2. आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों और शक्तियों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 3. संपूर्ण विश्व के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आर्थिक और सामाजिक परिषद की भूमिका रेखांकित कीजिए।

इकाई 10. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

इकाई की रूपरेखा–

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 संयुक्त राष्ट्र– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है

10.3 सारांश

10.4 संदर्भ ग्रंथ

10.5 बोध प्रश्न

10.0 उद्देश्य–

1. इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समझ विकसित करना है।
2. इस इकाई द्वारा बच्चों में अंतरराष्ट्रीय कानून की समझ उत्पन्न होगी।
3. इस इकाई द्वारा बच्चे जान सकेंगे की किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जाता है।
4. बच्चे इस इकाई में कानूनी नीतियों और दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करेंगे।
5. बच्चों में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की समझ विकसित होगी।
6. बच्चे शांति और सुरक्षा का महत्व समझेंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

10.1 प्रस्तावना–

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य थे, वे हैं न्याय, शांति और स्थिरता की स्थापना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्यायपूर्ण समाधान। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 92 के तहत स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और इसका कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों को सुलझाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रस्तावना में जो मूल बातें सम्मिलित हैं, वे न्यायालय की भूमिका, उद्देश्य और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती हैं। इस प्रस्तावना में सबसे पहले यह स्थापित किया गया है कि न्यायालय का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण और कानूनी समाधान प्रदान करना है, ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनी रहे।प्रस्तावना में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित होंगे, जिसमें न्याय और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ हो, न्यायालय में विभिन्न देशों के

न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व होता है, जो अपने–अपने देशों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जिम्मेदार होते हैं।इस प्रस्तावना में यह भी वर्णन किया गया है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार उन सभी मामलों पर होगा, जिन पर पक्षकार सहमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि न्यायालय केवल उन्हीं मामलों पर निर्णय कर सकता है, जिन पर दोनों पक्ष इसकी सुनवाई के लिए सहमत होते हैं। साथ ही, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उन कानूनी प्रश्नों तक भी फैला हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत किए जाते हैं।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह न्यायालय उन मामलों पर निर्णय करता है, जो देशों के बीच विवादों से संबंधित होते हैं, न कि व्यक्तिगत या निजी मामलों पर। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को कानूनी रूप से सुलझाना है, ताकि राष्ट्रों के बीच शांति और स्थिरता बनी रहे।प्रस्तावना में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय अपने निर्णयों के लिए कानूनी मिसालों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, परंपराओं और सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होगा। न्यायालय के निर्णयों का उद्देश्य न केवल विवादों को सुलझाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को और भी स्पष्ट और मजबूत करना है।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रस्तावना इस बात पर भी जोर देती है कि न्यायालय के निर्णयों का पालन अनिवार्य है और इसमें शामिल देशों को अपने कानूनी दायित्वों का पालन करना होगा। न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। यदि कोई देश न्यायालय के निर्णयों का पालन नहीं करता, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा जा सकता है, जो आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।इस प्रस्तावना में न्यायालय के उन विभिन्न साधनों और प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनका उपयोग न्यायालय अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। इनमें शामिल हैं वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों की मदद, साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों की जांच करना, और कानूनों और संधियों की व्याख्या करना। न्यायालय की कार्यवाही पूरी तरह से सार्वजनिक होती है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है।अंत में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं है, बल्कि देशों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ करना भी है। न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां देशों के बीच विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना इस विश्वास पर आधारित है कि कानून और न्याय के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। इस न्यायालय की कार्यप्रणाली और इसके निर्णयों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रस्तावना इसके कार्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जो न केवल न्यायालय के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

10.3 संयुक्त राष्ट्र– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है?

स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 में द्वितीय शान्ति

सम्मेलन हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदुपरान्त 30 जनवरी 1922 को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। 1980 तक अन्तर्राष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का अधिक प्रयोग नहीं करता था, पर जब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने, न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है। फिर भी, कुछ अहम राष्ट्रों ने, जैसे कि संयुक्त राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निभाना नहीं समझा हुआ है। ऐसे देश प्रत्येक निर्णय को निभाने का स्वयं निर्णय लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय में भारतीय प्रथम न्यायाधीश पेनिकल रामाराम थे।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों या स्थितियों का, जिनके कारण शांति भंग हो सकती हो, शांतिपूर्ण साधनों द्वारा तथा न्याय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुरूप समायोजन या निपटारा करने के लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक उपाय करना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। न्यायालय की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला– न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा जो वाद ले जाते हैं उनको न्याय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के द्वारा निपटारा करना, दूसरा– विधिक प्रश्न पर ऐसे निकायों को सलाहकार राय देना जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। न्यायालय एक स्टैट्यूट के अनुसार कार्य करता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई नयी संस्था नहीं है इससे पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी जिसको स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते थे। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ परिषद ने न्यायालय की स्थापना के लिए प्रारुप योजना तैयार करने के लिए फरवरी 1918 में न्यायविदों की सलाहकार समिति का गठन किया था कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ इस प्रारूप को महासभा द्वारा 3 दिसंबर 1920 को अनुमोदित किया गया। इस न्यायालय का नाम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रखा गया जो एक स्टैट्यूट के अनुसार कार्य करता था। राष्ट्र संघ के सदस्यों में से समक्ष पक्षकार हो सकते थे। न्यायालय को उन मामलों का जिन्हें पक्षकार उसे निर्दिष्ट करते थे और प्रवर्तित संधिया तथा अभिसमयों में विशेष रूप से उपबंधित मामलों पर विनिश्चित करने की अधिकारिक थी। न्यायालय की अधिकारिक अनिवार्य नहीं थी किंतु स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36 में दिया गया है कि इसके द्वारा राज्य घोषणा कर सकते थे कि उसी आबद्धता को स्वीकार करने वाले किसी अन्य सदस्य राज्य के संबंध में स्वतः अनिवार्य रूप से और विशेष कार के बिना अनिवार्य रूप से मान्यता देते हैं। सेंन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र को प्रायोजित करने वाली शक्तियों द्वारा अप्रैल 1945 में स्थापित न्यायविदों की एक

समिति ने रिपोर्ट तैयार की जिसके परिणामस्वरुप यह विनिश्चय किया गया कि स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को समाप्त किया जाए और इसके स्थान पर एक नया न्यायालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जाए। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतिम सत्र अक्टूबर 1945 में आयोजित हुआ था। इसके बाद इसके सभी न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्र संघ परिषद ने इसे 18 अप्रैल 1946 को विकसित किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्टैट्यूट अनुच्छेद 92 में उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्टैट्यूट स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट के प्रावधान केवल कुछ परिवर्तनों को छोड़कर, इनमें से अधिकतर पूर्णतया औपचारिक है, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट के प्रावधान के समान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी होना स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36 के परिच्छेद 5 से भी स्पष्ट है जो यह प्रावधान करता है कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36 के अधीन की गई घोषणाएं अभी भी लागू है, इस स्टैट्यूट के पक्षकारों के बीच उनकी शेष अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अनिवार्य अधिकारिता की स्वीकृति के लिए वैध होगी। नए न्यायालय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य स्थान भी वही है जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य स्थान था। दोनों ही पीस पैलेस हेग में हैं। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निवृत्ति अध्यक्ष न्यायमूर्ति गेरेरो नए न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष थे।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन के संबंध में स्टैट्यूट के अनुच्छेद 3 के परिच्छेद देशों 1 के अनुसार इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होंगे। लेकिन इसमें से कोई दो न्यायाधीश एक ही राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं।

न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से लिये जाते हैं–

1. अफ्रीका से तीन
2. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से दो
3. एशिया से तीन
4. पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से पाँच
5. पूर्वी यूरोप से दो

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश भी रहे है जो इस प्रकार हैं–

1. सर बेनेगल रावः 1952–1953 तक
2. नागेंद्र सिंहः 1973–1988 तक
3. रघुनंदन स्वरूप पाठकः 1989–1991 तक
4. दलवीर भंडारीः 27 अप्रैल, 2012 से न्यायालय के सदस्य है।

न्यायालय के न्यायाधीश महासभा द्वारा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से किंतु एक ही समय निर्वाचित किए जाते हैं। न्यायाधीश पद के जो अभ्यर्थी महासभा तथा सुरक्षा परिषद में मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं वे निर्वाचित माने जाते हैं। न्यायाधीश के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों का वीटो का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से स्वतंत्र रहने की आशा की जाती है।

न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपने कार्य ग्रहण करने से पूर्व खुले न्यायालय में सत्य निष्ठा से घोषणा करते हैं कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष भाव से और शुद्ध अंतःकरण से करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। उनसे ऐसी योग्यता धारण करने की अपेक्षा की जाती है जो उनके अपने–अपने देश में उच्चतम न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है। वे अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्राप्त सक्षम विधिवेत्ता भी हो सकते हैं। यह न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। पदमुक्त न्यायाधीश पुनः निर्वाचित किया जा सकते हैं। न्यायालय के सदस्य तब तक पदच्युत नहीं किया जा सकते जब तक अन्य सदस्यों की यह सर्वसम्मत राय न हो कि अब वह अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं करता। सदस्यों (न्यायाधीशों) से जिन शर्तों को पूरा करने की आशा की जाती है उनका प्रावधान स्टैट्यूट के अनुच्छेद 16 तथा 17 में किया गया है। यह इस प्रकार है–

- कोई भी सदस्य कोई राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकता साथ ही वृत्तिक अर्थात व्यवसायिक प्रकृति की कोई अन्य उपजीविका में संलग्न नहीं हो सकता।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई भी सदस्य किसी मामले में अभिकर्ता, मामले के निर्णय में भाग नहीं ले सकता जिसमें उसने किसी एक पक्षकार की ओर से अभिकर्ता, परामर्श या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है।

न्यायालय के गणपूर्ति (कोरम) के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। यदि कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देता है तब उसके स्थान पर इस राष्ट्र का दूसरा सदस्य अपने पूर्ण भारती के शेष अवधि तक पद धारण करता है। न्यायालय 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। वे कार्यकाल के समापन के बाद पुनः चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 यह प्रावधान करता है कि "यदि किसी मामले में न्यायालय का अध्यक्ष पक्षकारों में से एक का नागरिक है, तो वह मामले के संबंध में अध्यक्ष के कार्यों को नहीं करेगा।" ऐसे मामलों में न्यायालय का उपाध्यक्ष मामले की अध्यक्षता करता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अनुपीठ का भी प्रावधान है न्यायालय समय–समय पर विशेष मामलों का निपटारा करने के लिए तीन या अधिक न्यायाधीशों वाले अनुपीठ का गठन कर सकता है। ऐसी अनुपीठ को बनाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, पक्षकारों के अनुमोदन से, न्यायालय द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान है यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट में दिया गया है। स्टैट्यूट के अनुच्छेद 31 का परिच्छेद 2 प्रावधान करता है कि जिन मामलों में किसी पक्षकार का नागरिक न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है, उन मामलों में न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यह तदर्थ न्यायाधीश केवल उसे विशिष्ट मामले में सुनवाई करते हैं जिसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। न्यायालय विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए अपने साथ बैठने के लिए सहायकों को भी आमंत्रित कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश या सहायक मतदान करने के हकदार नहीं होते हैं। सहायक स्वयं न्यायालय द्वारा चुने जाते हैं पक्षकारों द्वारा नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष वाद के पक्षकार– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद के पक्ष का निम्नलिखित हो सकते हैं–

1. राज्य– न्यायालय के स्टैट्यूट का अनुच्छेद 34 प्रावधान करता है कि न्यायालय के समक्ष मामलों में केवल राज्य ही पक्षकार हो सकता है। निम्नलिखित राज्य पक्षकार हो सकते हैं–

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य
- संयुक्त राष्ट्र के गैर– सदस्य
- स्टैट्यूट के गैर– पक्षकार
- अंतरराष्ट्रीय संगठन
- व्यक्ति।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता– न्यायालय के स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36 के पैरा 1 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता में वह समस्त मामले आते हैं जो पक्षकार न्यायालय को संदर्भित करते हैं। अर्थात पक्षकार किसी भी विवाद को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं चाहे वह विवाद विधिक हो या गैर– विधिक अर्थात राजनीतिक विवाद, किंतु न्यायालय समस्त विवादों का निर्णय नहीं करता है। विवाद के विधिक होने पर ही न्यायालय इसका निर्णय करता है अर्थात जब विवाद के पक्षों के दावे एवं तर्क मान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि पर आधारित होते हैं। सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सैन्य कार्यवाही से संबंधित मामलों में न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय विधिक विवादों से मात्र ऐसे अर्थों में संबंधित है जहां विवाद का समाधान अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों एवं सिद्धांतों को लागू किया जाना संभव हो। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि में सम्मिलित समस्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका क्षेत्राधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र अथवा विभिन्न; सन्धियों तथा अभिसमयों में परिगणित समस्त मामलों पर है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि में सम्मिलत कोई राष्ट्र किसी भी समय बिना किसी विशेष प्रसंविदा के किसी ऐसे अन्य राष्ट्र के सम्बन्ध में, जो इसके लिए सहमत हो, यह घोषित कर सकता है कि वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप में स्वीकार करता है। उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उन समस्त विवादों पर है जिनका सम्बन्ध सन्धिनिर्वचन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रश्न, अन्तरराष्ट्रीय आभार का उल्लंघन तथा उसकी क्षतिपूर्ति के प्रकार एवं सीमा से है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। वह किसी ऐसे पक्ष की प्रार्थना पर, जो इसका अधिकारी है, किसी भी विधिक प्रश्न पर अपनी सम्मति दे सकता है। न्यायालय की अधिकारिता / क्षेत्राधिकार को दो भागों में जीत किया जा सकता है–

1. विवादास्पद (न्यायिक) क्षेत्राधिकार – अंतर्राष्ट्रीय विधि के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार " किसी राज्य को, उसकी सम्मति के बिना, अन्य राज्यों के साथ उसके विवादों को ना तो मध्यस्थ और ना ही किसी अन्य प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए विवश किया जा सकता है।" जब न्यायालय विवादी पक्षकारों की सम्मति के आधार पर वाद का निर्णय करता है, तव न्यायालय की अधिकारिक को विवादास्पद अधिकारिता कहा जाता है। इसको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(क). स्वैच्छिक अधिकारिता– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार संधि या अभिसमय में यह प्रावधान करते हैं कि उनके अधीन उठे विवादों को न्यायालय के निर्दिष्ट किया जाएगा, तो न्यायालय के अधिकारिता स्थापित हो जाती है।

(ख). तदर्थ अधिकारिता– इसमें विवादी पक्षकार स्वयं विवाद को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं।

(ग). अनिवार्य अधिकारिता– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को मान्यता देना वैकल्पिक होगा। न्यायालय की अनिवार्य अधिकारिता को राज्यों द्वारा दो ढंग से मान्यता दी जा सकती है–

- न्यायालय की अधिकारिता के मान्यता की घोषणा द्वारा।
- स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट के अधीन घोषणा द्वारा।

2. सलाहकारी अधिकारिता– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट के अनुच्छेद 65 के अनुसार न्यायालय किसी विधिक प्रश्न सलाहकारी राय ऐसे किसी निकाय के अनुरोध पर दे सकता है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उसके अनुसार ऐसा अनुरोध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस अधिकारिता के तहत न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थानों द्वारा पूछे गए कानूनी प्रश्नों पर परामर्शी राय प्रदान करता है। यह राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायता करती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है। परामर्शी राय का एक प्रसिद्ध उदाहरण 2004 का मामला है, जिसमें न्यायालय ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल द्वारा बनाई जा रही दीवार को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमाएँ और चुनौतियाँ– हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को वैश्विक न्याय का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में कुछ सीमाएँ और चुनौतियाँ भी हैं–

1. अनिवार्यता की कमी– न्यायालय की विवादात्मक अधिकारिता तभी लागू होती है जब संबंधित पक्ष इसके लिए सहमत होते हैं। अगर कोई देश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकता।

2. क्रियान्वयन की समस्याएँ– न्यायालय के निर्णयों का क्रियान्वयन सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। न्यायालय के पास कोई स्वतंत्र क्रियान्वयन तंत्र नहीं है, और इसके निर्णयों का पालन न करने वाले देशों पर कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है।

3. राजनीतिक प्रभाव– यद्यपि न्यायालय एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, लेकिन कभी–कभी इसके निर्णयों पर राजनीतिक दबाव का प्रभाव हो सकता है। कई बार बड़े और शक्तिशाली देश न्यायालय के निर्णयों को अनदेखा कर सकते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा मंच है जहां देश आपसी विवादों को सुलझा सकते हैं और न्याय की ओर बढ़ सकते हैं। इसकी कार्यप्रणाली और अधिकारिता अंतर्राष्ट्रीय कानून के

पालन को सुनिश्चित करने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, न्यायालय की सीमाएँ और चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इसके बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और न्याय की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर पर इसके योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, खासकर जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विवाद और संघर्ष बढ़ रहे हैं। अंततः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सफलताएँ और असफलताएँ इस बात पर निर्भर करेंगी कि विश्व के देश इसे कितना महत्व देते हैं और इसके निर्णयों को मानने के लिए कितने तैयार होते हैं। इसके साथ ही, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने और उसके निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायिक स्वतंत्रता और वैश्विक न्याय में इसकी भूमिका और भी सुदृ ढ़ हो सकेगी।

10.3 सारांश–

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय , जिसे आमतौर पर विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, हालांकि न्यायालय की स्थापना राष्ट्र संघ से पहले की है। मध्यस्थता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्माण का विचार1899 में हेग में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय विवाद उठे । इस संस्था को 1919 में राष्ट्र संघ के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (पीसीआईजे) और 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही इसने अपना वर्तमान नाम अपना लिया। न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी हैं, और इसका व्यापक अधिकार क्षेत्र "सभी मामलों को शामिल करता है , जिन्हें पक्षकार इसके पास भेजते हैं और सभी मामले जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या लागू संधियों और सम्मेलनों में विशेष रूप से प्रदान किए गए हैं।" सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य बिना उनकी सहमति के किसी विवाद में पक्ष नहीं हो सकते हैं, हालांकि वे विवादों की निर्दिष्ट श्रेणियों में न्यायालय के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर सकते हैं। न्यायालय महासभा या सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर या महासभा द्वारा अधिकृत अन्य अंगों और विशेष एजेंसियों के अनुरोध पर सलाहकार राय दे सकता है। हालाँकि न्यायालय ने कुछ मामलों में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है (जैसे, 1992 में होंडुरास और अल साल्वाडोर के बीच सीमा विवाद), सरकारें संवेदनशील मुद्दों को प्रस्तुत करने में अनिच्छुक रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों को हल करने की न्यायालय की क्षमता सीमित हो गई है। कई बार देशों ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या निष्कर्षों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। उदाहरण के लिए, जब 1984 में निकारागुआ ने अपने बंदरगाहों में खनन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर मुकदमा दायर किया , तो न्यायालय ने निकारागुआ के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, सुरक्षा परिषद में निकारागुआ की अपील को अवरुद्ध कर दिया, तथा न्यायालय के अनिवार्य, या सामान्य, क्षेत्राधिकार से पीछे हट गया, जिसे उसने 1946 से स्वीकार कर लिया था। न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से मतदान करके किया जाता है। कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं, और

न्यायाधीशों को दुनिया की प्रमुख कानूनी प्रणालियों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करना होता है। न्यायाधीश नौ साल का कार्यकाल पूरा करते हैं और फिर से चुने जाने के पात्र होते हैं। विश्व न्यायालय की सीट हेग है।

10.5 संदर्भ ग्रंथ–

1. ज़िम्मरमैन, ए., और ओलेर्स–फ़्राम, के. (2006). अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क़ानूनः एक टिप्पणी, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. गुइलाउम, जी. (2011). अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका, मार्टिनस निजॉफ पब्लिशर्स, नीदरलैंड।
3. ओराखेलशविली, ए. (2008). सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिनियमों और नियमों की व्याख्या, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. डनॉफ़, जे.एल., और पोलाक, एम.ए. (2013). अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अंतःविषय परिप्रेक्ष्यः अत्याधुनिक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. कोल्ब, आर. (2013). अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हार्ट प्रकाशन।
6. थर्लवे, एच. (2016). अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. संयुक्त राष्ट्र (2017). संयुक्त राष्ट्र के बारे में बुनियादी तथ्य 42वां संस्करण. न्यूयॉर्कः संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग.
8. वीस, थॉमस एंड रमेश ठाकुर. (2010). ग्लोबल गवर्नेंस एंड द यूनाइटेड नेशनः एन अनफिनिशड जर्नी. (ब्लूमिंगटन इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस).
9. मिगस्ट, करेन ए, कर्न्स, मार्गेट. (2012). द यूनाइटेड नेशन इन द 21 वीं संेचुरी चौथा एडिशन. बोल्डर कर्नलः वेस्टव्यू प्रेस.
10. बेहर, पीटर आर. एण्ड गार्डनकर, लियोन.(2005). द यूनाइटेड नेशनः रियलिटी एंड आइडियल. चौथा एडिशन. लंदनः पालग्रेव मैकमिलन.
11. हैहिमाकी, जुसी एम. (2008). थे यूनाइटेड नेशंस– ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन. नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
12. विजापुर, अब्दुलरहीम पी. (1995). थे यूनाइटेड नेशंस एट फिफ्टीः स्टडीज इन ह्यूमन राइट्स. नई दिल्लीः साउथ एशियन पब्लिशर्स.
13. लेलैंड एम. गुडरिच, ' द यूनाइटेड नेशंस' (1960).

10.5 बोध प्रश्न–

प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इसका गठन किस प्रकार हुआ है, स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां स्पष्ट कीजिए?

प्रश्न 3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्षेत्राधिकार/ अधिकारिक पर टिप्पणी लिखिए।

इकाई 11 सचिवालय

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्‌देश्य

11.1 प्रस्तावना :

11.2 सचिवालय का संगठन

11.3 संयुक्त राष्ट्र संघ का उपमहासचिव

11.4 सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

11.5 उन्मुक्तियां और सुविधायें

11.6 संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालय की भूमिका व कार्य

11.7 राष्ट्रसंघ के सचिवालय और संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालय की तुलना

11.8 संयुक्त राष्ट्र महासचिव

11.9 महासचिव का कार्यकाल

11.10 महासचिव के अधिकार और कार्य

11.11 महासचिव की राजनयिक के रूप में भूमिका

11.12 सारांश

11.0 उद्‌देश्य :

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- संयुक्त राष्ट्रसंघ के सचिवालय पर टिप्पणी कर सकेगें।
- तद्‌युगीन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के निर्माण की जानकारी कर सकेगें।
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की भूमिका समझ सकेंगे।
- महासचिव के अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी कर सकेंगें
- महासचिव की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना :

संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने, सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करने और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने जैसे उद्‌देश्यों के लिये की गयी थी परन्तु इतने व्यापक उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिये एक प्रशासनिक संस्था और प्रशासनिक प्रधान की भी नितांत आवश्यकता थी। संयुक्तराष्ट्र संघ का सचिवालय और महासचिव की व्यवस्था इन्ही उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिये की गयी ळें

11.2 सचिवालय का संगठन :

संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग सचिवालय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिये आवश्यक जानकारी और सुविधा प्रदान करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा आवश्यकतानुसार अन्य अंगों के लिये जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वे सब सचिवालय के भाग होते है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सचिवालय में दक्ष योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, सचिवालय का नेतृत्व करता है। ये कर्मचारी महासचिव की सहायता के लिये होते है। महासचिव ही इनका प्रशासनिक मार्गदर्शन करता है। महासचिव की सहायता के लिये अनेक सहायक महासचिव, विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी आदि होते है। महासचिव इन सब की नियुक्ति करते समय भौगोलिक आधारों को भी ध्यान में रखता है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति महासभा द्वारा बनाये गये विनियमों के अधीन महासचिव द्वारा होती है। सचिवालय के कर्मचारी किसी राज्य से या संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से किसी तरह का अनुदेश प्राप्त नही सकते हैं। सचिवालय के कर्मचारी अपनी नियुक्ति के बाद अपने कार्यकाल में विश्व नागरिक हो जाते है, ओर उनकी निष्ठा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हो जाती है।

सचिवालय को सामान्यतया आठ विभागों में बांटा गया है ये है– (i) सुरक्षा परिशद से सम्बद्ध विषयों का विभाग (ii) सम्मेलन एवं सामान्य सेवायें (iii) प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवायें (iv) आर्थिक विषयों से सम्बन्धित विभाग (v) न्याय विभाग (vi) लोक सूचना विभाग (vii) सामाजिक विषयों से सम्बन्धित विभाग और (viii) ट्रस्टीशिप विभाग। विभागीय आधार पर गठित प्रत्येक विभाग या कार्यालय की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है। महासचिव को सहायता व सहयोग प्रदान करने के लिये उपमहासचिव का पद भी होता है।

11.3 उपमहासचिव

महासचिव के सहायतार्थ संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में उपमहासचिव होता है। वर्ष 1997 में जब कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में महासचिव थे तब सर्वप्रथम सुश्री लुइस फ्रेचेट (कनाडा) को उपमहासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। लुईस फ्रेचेट (2 मार्च 1998–1 अप्रैल 2006) के पश्चात् इस पद पर मार्क मैलोच ब्राउन (यूनाइटेड किंगडम) 1 अप्रैल 2006– 31 दिसम्बर 2006), आशारोज मिगिरो (तंजानिया, 5 फरवरी 2007– 1 जुलाई 2012), जान एलियासन (स्वीडन, 1 जुलाई 2012, 31 दिसम्बर 2016) और अमीना जे मोहम्मद (नाइजीरिया 1 जनवरी 2017 से) उपमहासचिव के पद पर नियुक्त किये गये। अमीना जे मोहम्मद को तत्कालीन महासचिव एंटोनियों गुटेरस द्वारा मनोनीत किया गया था।

औपचारिक रूप से उपमहासचिव के पद का प्रावधान 1997 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा किया गया था। यह पद महासचिव को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने, सचिवालय संचालन में सहायता करने और गतिविधियों को सुसंगत व सुनिश्चित करने के लिये सृजित किया था। उपमहासचिव गतिविधियों और कार्यक्रमां के अंतर–क्षेत्रीय और अंतर संस्थगत सामंजस्य को सुनिश्चित करने में, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में नेतृत्व को ऊपर

उठाने में महासचिव को सहयोग प्रदान करता है। यह विकास सहायता के अग्रणी केन्द्र के रूप में संयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रभावशाली केन्द्र की भूमिका के रूप में मजबूती प्रदान करता है। यह विविध सम्मेलनों, समारोहों के अवसर पर महासचिव का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा महासचिव की अनुपस्थिति में तथा महासचिव द्वारा निश्चित किये गये मामलों में महासचिव के कार्यों को करता है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे सभी कार्यों को करता है जो महासचिव द्वारा सौंपे जाते हैं।

11.4 सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा शर्ते :

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सचिवालय के कर्मचारी विश्व संस्था के प्रति निष्ठावान होते है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय नौकरशाही की भावना का विकास होता है। यह भावना संयुक्त राष्ट्रसंघ के सचिवालय के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में महासचिव और कर्मचारी वर्ग संयुक्त राष्ट्रसंघ के अतिरिक्त किसी भी अन्य सरकार या अन्य किसी भी अधिकारी का आदेश नहीं स्वीकार करेगें।' इस तरह स्पष्ट है कि सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी है। यद्यपि उनके पद ग्रहण से उनकी अपने राष्ट्र की राष्ट्रीयता व नागरिकता समाप्त नहीं होती।

कर्मचारियों को सचिवालय में कार्य करने से पूर्व विश्व संस्था के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है– ''मैं सत्यनिष्ठा से शपथ ग्रहण करता हूँ .... कि सम्पूर्ण श्रद्धा भावना और आस्था के साथ अपने ऊपर सौपे गये कार्यों को करूँगा, जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसेवा का सदस्य होने के नाते मुझ पर सौपा गया है। अपने चरित्र को उसी दिशा में निर्देशित करूँगा जिससे संयुक्त राष्ट्र का हित साधन हो और वैसे किसी कार्य को स्वीकार न करूँगा या अपने कर्तव्य पूर्ति में वैसे किसी भी सरकार अथवा अन्य संस्था द्वारा दिये गये किसी भी निर्देश को स्वीकार करूँगा।''

11.5 उन्मुक्तियां और सुविधायें :

संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारीगण अपने कार्यो को सुचारू रूप से कर सकें, इसके लिये उन्हे निम्नवत् रियायतें दी गयी हैं –

1. उन्हे विवाद पक्ष या गवाह के रूप में किसी भी स्थानीय न्यायालय के समक्ष तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकता जब तक महासचिव से सहमति न प्राप्त कर ली गयी हो।
2. उन्हें न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न जबरन रोका जा सकता है।
3. उन्हें सम्पत्ति विषयक उन्मुक्तियां प्राप्त है। इसके अनतर्गत न तो उनपर प्रत्यक्ष कर लगाया जा सकता है और न ही संगठन से प्राप्त सम्पत्ति को कर युक्त किया जा सकता है।
4. उन्हें विशेष बीजा (Visa) परिपत्र (Passport) के उपयोग, टेलीग्राफ टेलीफोन और रेडियों सेवा के उपयोग की छूट दी गयी है। उन्हें विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विनिमय की सुविधा और घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर आयात कर से भी छूट प्राप्त है। उन्हें अपने पारिवारिक सदस्यों के लिये वे विशेषाधिकार भी प्राप्त है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्वाह किराये, भ्रमण व आवागमन के व्यय के साथ आकर्षक वेतन व भत्ते भी दिये जाते हैं।

11.5 संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय की भूमिका व कार्य :

संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में है। यहाँ यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को आवश्यक सूचनायें व सुविधायें उपलब्ध कराता है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित होने वाले सम्मेलनों, शांति प्रक्रिया के संचालन, सर्वेक्षण, शोध आदि के कार्यों में सहयोग प्रदान करना है। सचिवालय सुरक्षा परिषद और महासभा के लिये आर्थिक व राजनीतिक विश्लेषण का मुख्य स्रोत है। इनकी भूमिका शांति स्थापना की गतिविधियों और वैश्विक विवादों व मध्यस्थता में सहयोग करना है। यह दुभाषियों की आपूर्ति करता है और दस्तावेजों का अनुवाद संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में कराता है।

11.7 राष्ट्र संघ के सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र संघ्ज्ञ के सचिवालय की तुलना :

राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय जेनेवा में था जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय न्यूयार्क में है। कर्मचारियेां की संख्या की दृष्टि से राष्ट्रसंघ के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 1000 से भी कम रही किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्मचारियों की संख्या उससे कई गुना अधिक है। ये कर्मचारी न्यूयार्क स्थित मुख्यालय के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य केन्द्रों पर कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यालय और पांच क्षेत्रीय आर्थिक आयोग भी है। आज सचिवालय के कार्यक्षेत्र का अत्यधिक विस्तार भी हो गया है।

11.8 संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति :

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद की पाँच बड़ी महाशक्तियों का किसी एक नाम के सम्बन्ध में एकमत होना आवश्यक है। इसके लिये किसी प्रत्याशी के बारे में निर्णय लेने के लिये पहले इन राष्ट्रों की अनौपचारिक बैठक होती है। उसके पश्चात् औपचारिक बैठक में महाासचिव पद का नाम महासभा को भेजा जाता है। तत्पश्चात महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उस व्यक्ति विशेष की नियुक्ति करती है। महासभा चाहे तो संस्तुति को अस्वीकार कर दें किन्तु वह किसी नये सदस्य की नियुक्ति भी नहीं कर सकती। परम्परा के अनुसार सुरक्षा परिषद ऐसे नाम की ही सिफारिश महासभा को करती है, जो किसी गुटविशेष और किसी आदर्श के प्रति दृढ़ आस्थावान न होकर तटस्थ व्यक्ति हो।

11.9 महासचिव का कार्यकाल :

महासचिव के कार्यकाल के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर यद्यपि मौन है किन्तु महाससभा के 1946 के प्रस्ताव के आधार पर 1 फरवरी 1946 को नार्वे के त्रिग्वली को पाच सालों के लिये महासचिव के पद पर नियुक्त कर लिया गया था। उसके बाद महासचिव की नियुक्ति पांच वर्ष के लिये ्होती है। पुनर्निवाचन भी किया जा सकता है।

अभी तक 09 महासचिव महासभा द्वारा नियुक्त किये जा चुके है इनका कार्यकाल निम्नवत् है– नार्वे के ट्रीगवीली (1 फरवरी 1946–10 अप्रैल 1953) स्वीडन के डैगहैमर स्कजोल्ड (10 अप्रैल 1953–18 सितम्बर 1961) म्यांमार के यू थॉट (30 नवम्बर 1962– 31 दिसम्बर 1961), आस्ट्रिया के कर्टवाल्डहाइम (1 फरवरी 1972– 31

दिसम्बर 1981), पेरूके जेवियर पेरेज डी कुएलर (1 जनवरी 1982–31 दिसम्बर 1996) , घाना के कोफी अन्नान (1 जनवरी 1997– 31 दिसम्बर 2006), दक्षिण कोरिया के बानकीमून (1 जनवरी 2007–31 दिसम्बर 2016) और पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस (1 जनवरी 2017 से ....) ध्यातव्य है यूनाइटेड किंगडम के ग्लैडविन जेब ने 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य किया था।

11.10 महासाचिव के अधिकार और कार्य :

संयुक्तराष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार महासचिव संयुंक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र की सफलता उसके व्यक्तित्व व कार्यों पर निर्भर है। वह संयुक्त राष्ट्र की बैठकों के लिये भूमिका तैयार करता है। यू0एन0ओ0 के चार्टर के अनुच्छेद 7, 97, 98, 99, 100 और 101 में महासचिव के कार्यों व अधिकारों का उल्लेख मिलता है जिन्हें निम्नलिखित रूपमें विवेचित किया जा सकता है :–

प्रशासकीय कार्य : चार्टर के अनु 97 व 101 में उसके प्रशासकीय कार्यों व शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें निम्नवत् रूप में रखा जा सकता है:–

1. महासचिव सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियेां की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन पदोन्नति व अनुशासन जैसे कार्यों के लिये उत्तरदायी है।
2. महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों व अंगों के मध्य संप्रेषण की कड़ी है।
3. संयुक्त राष्ट्र सेवा के विभिन्न अंगों के कार्यों के लये महासचिव उत्तरदायी है।
4. महासचिव संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों व जरूरतमंद देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है।
5. वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट को तैयार कराता है, व्यय पर नियंत्रण रखता है और सदस्य राज्येां से चंदा वसूल करता है।

कार्यपालिकीय शक्तियां : संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 98 में महासचिव की कार्यपालिकीय शक्तियों का उल्लेख मिलता है। उसकी कार्यपालिकीय शक्तियां निम्नवत् है :–

1. विश्व–शांति और सुरक्षा के लिये आवश्यक विषयों की सूचना सुरक्षा परिषद को देना।
2. महासभा की कार्यावली में आवश्यक विषयों को रखवाना।
3. आर्थिक व सामाजिक परिषद के विभिन्न कार्यों के निर्धारण में मार्गदर्शन करना।
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी अंग के विचारणीय विषय पर अपना सुझाव प्रदान करना।
5. संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के सम्बन्ध में महासभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाना।

राजनीतिक शक्तियां :

महासचिव की राजनीतिक भूमिका का उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 99 में किया गया है। उसकी राजनीतिक भूमिका निम्नवत् है :–

1. महासचिव को चार्टर के अनुच्छेद 99 के अनुसार राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति है।
2. महासचिव किसी भी समस्या के सम्बन्ध में विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट कर सकता है।

3. महासचिव अपनी शक्तियों के प्रयोग से पूर्व आवश्यक जाँच–पड़ताल व पूँछतांछ कर सकता है।

4. वह राजनीतिक परिणाम प्रदान करने वाले राजनीतिक व आर्थिक घटनाओं को सुरक्षा परिषद के समक्ष रख सकता है।

5. वह सुरक्षा की अस्थायी कार्यावली में किसी भी विवाद को रख सकता है।

6. वह बिगड़ती परिस्थितियों को बचाने के लिये सम्बद्ध सरकारों से सीधे वार्तालाप कर सकता है।

7. महासचिव के पास संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने के लिये किसी भी साधन को अपनाने का विशेषाधिकार है।

11.11 महासचिव की राजनयिक (Deplomat) के रूप में भूमिका :

महासचिव संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूपम ें महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह करता है। जिस तरह किसी स्वतंत्र देश का राजदूत दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है उसी तरह महासचिव की विभिन्न देशों की राजधानियों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। महासचिव, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में आम भाषण करता है और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से विभिन्न प्रकार के समझौते भी करता है वह इन संधियों व समझौतों के अतिरिक्त निजी संस्थाओं से भी आपूर्ति और सेवा के सम्बन्ध में समझौते करता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समझ भी वह संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकता है। महासचिव राष्ट्रीय और प्रशासकीय न्ययाधिकरणों के समझ भी विश्व संस्था का प्रतिनिधित्व करता है अगर उसकी सम्पत्ति खतरे में हो।

इस तरह एक राजनयिक के रूप में **पामर तथा पार्किस** ने महासचिव के चार कार्य बनाये हैं–

1. प्रतिनिधित्व का कार्य वह न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अगों में करता है बल्कि सरकारी, निजी संस्थाओं, राष्ट्रीय, प्रशासकीय न्यायाधिकरणें तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत की भूमिका में करता है।

2. संधिवार्ता का कार्य वह विभिन्न सरकारों, संस्थाओं और महत्वपूर्ण अभिकरणेां से करता है, ताकि विश्व संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा जा सके।

3. सूचना (Reporting) देने का कार्य भी महासचिव को करना पड़ता है। जब महासभा के अधिवेशन में वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तब उसे संयुक्त राष्ट्र के अंगों और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की सूचना देनी पड़ती है। इसी तरह जब कभी वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है तब उसकी सूचना महासभा को देता है। इसी तरह जब उसे लगता है कि विश्वशांति को खतरा पैदा हो रहा है तब उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को देता है। इसी तरह संयुक्तराष्ट्र की सफलता व असफलता की सूचना सदस्य राज्यों को देता है।

4. संरक्षण (Protection) देने की भूमिका में भी महासचिव को रहना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और अस्तित्व पर जब कभी खतरा पैदा होता है तब उसे आगे आना होता है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की सम्पत्ति के रक्षार्थ उसे राष्ट्रीय व प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के सम्मुख उपस्थित होना होता है। इसके

अतिरिक्त विश्व संस्था के पदाधिकारियों से सम्बन्धित उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों की भी रक्षा करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शांति दूत के रूप में भी वह एक राजनयिक की भूमिका में रहता है। शांति दूत के रूप में वह पूरे दिशा में शांति और सुरक्षा की स्थापना का यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है। महासचिव का कार्यालय शांति मिशनों की निगरानी करता है और शांति अभियानों को मजबूत बनाने के लिये प्रयासरत रहता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने अफ्रीका में उल्लेखनीय कार्य किया है।

11.12 सारांश :

संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ के महासचिव का मुख्यतया प्रशासकीय अधिकार ही प्राप्त थे किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को व्यापक अधिकार प्राप्त है। वह आवश्यकता पड़ने पर शान्ति व सुरक्षा के विषय में सुरक्षा परिषद का भी ध्यान आकृष्ट कर सकता है। अपनी व्यापक शक्तियों के चलते वह शक्ति गुटों का शिकार हो सकता है। वीटो प्राप्त शक्तियों के चलते उसका निर्वाचन चर्चित हो सकता है और उसकी भूमिका को लेकर महाशक्तियों में गतिरोध भी पैदा हो सकता है। इसके समाधान के लिये ख ुश्चेव (सोवियत संघ) ने 13 सितम्बर 1960 को महासभा में तीन महासचिवों की नियुक्ति का प्रस्ताव पेश किया था जिसके अनुसार साम्यवादी, पूँजीवादी और तटस्थ देशों का प्रतिनिधित्व होना था। किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधि प्रभावित हो सकती है। वर्तमान बदलते परिदृश्य में महासचिव की भूमिका प्रभावी रूप में स्पष्ट हो रही है। महाासचिव त्रिग्वली और डागहैमरशोल्ड के बाद महासचिव का पद चर्चित नहीं रहा। वस्तुत उसकी निष्पक्षता और कार्यक्षमता पर ही इस विश्व संस्था का भविष्य निर्भर है। उसके कार्यकाल की निश्चितता के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का समुचित मार्गदर्शन होता रहता है। ध्यातव्य रहे सुरक्षा परिषद के सभापति हर माह बदलते रहते है। इसी तरह महासभा के अध्यक्ष हर वर्ष बदलते है।

महासचिव छोटे और निर्बल राष्ट्रों का भी प्रवक्ता है। अतः आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त मानवीय समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। महासभा में प्रस्तुत उसकी रिपोर्टो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है और तनाव के निराकरण विषयक सुझाव दिये जाते है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों में महासचिव की शक्तियों विषयक विविध प्रावधान है। चार्टर के अनुच्छेद 97 में महासचिव को प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी (Chief administrative Officer) माना गया है। अनु0 98 के अनुसार वही महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद की बैठकों में मुख्य राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में स्पष्ट की गयी है। इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त उसका व्यक्तित्व भी उसकी भूमिका को बहुआयामी बनाने में सहायक है।

सम्बन्धित प्रश्न :

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1— संयुक्त राष्ट्रसंघ के सचिवालय के संगठन, भूमिका और कार्यों की विवेचना कीजिये।

2– संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का गठन कैसे होता है? राष्ट्र संघ के सचिवालय से उसकी तुलना करें।

3– संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अधिकार और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

4– संयुक्त राष्ट्र संघ के महसचिव की नियुक्ति कैसे होती है? महासचिव की राजनयिक भूमिका की विवेचना करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न :

1– संयुक्त राष्ट्र संघ के उपमहासचिव पद की व्यवस्था क्यों की गयी?

2– संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियेां व कर्मचारियों को क्यों उन्मुक्तियां प्राप्त है?

3– संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है?

4– संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका स्पष्ट करें।

वस्तु निष्ठ प्रश्न :

1– संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के प्रथम महासचिव कौन थे

(A) ऊ–थॉट

(B) कुर्तवाल्दाहिम

(C) हेमरशोल्ड

(D) त्रिग्वेली

2– संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम उपमहासचिव कौन थे?

(A) सुश्री लुइस फ्रेचेट

(B) मार्क मेलोच ब्राउन

(C) जान एलियासन

(D) आशा रोज चिगिरो

3– संयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्तमान महासचिव कौन है?

(A) कोफी अन्नान

(B) बान कीमून

(C) एंटोनियो गुटेरंस

(D) कर्ट वाल्ड हाइम

4– संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या सही है?

(A) महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा होती है।

(B) महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा होती है।

(C) महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा होती है।

(D) महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा होती है।

5– महासचिव के सम्बन्ध में क्या सही नहीं है?

(A) खुश्चेव ने 3 महासचिवों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया था?

(B) महासचिव के कार्यकाल के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मौन है।

(C) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनु0 80 के अनुसार महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।

(D) महाासचिव की पुनर्नियुक्ति हो सकती है।

प्रश्नोत्तर –

1 D	2A	3C	4C	5C

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon
Open University

MAPS -112
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

खण्ड

4

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग - 2

इकाई- 12

न्याय परिषद 110

इकाई- 13

संयुक्त राष्ट्र संघ और नि:शस्त्रीकरण 117

इकाई- 14

संयुक्त राष्ट्र के अर्न्तगत अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का शन्तिपूर्ण समाधान 129

उपयोगी पुस्तकें 137

खण्ड 4 का परिचय संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग–2

परिचय :

मानव जीवन में शांति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी शांति की अभिलाषा में मानव प्रयत्नशील रहा है। प्रथम महायुद्ध ने विश्व स्तर पर शांति स्थापना के महत्व को स्पष्ट कर दिया। पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात् 10 जनवरी 1920 को विश्व में शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी थी, जिसमें 26 धाराओं की व्यवस्था थी। उसका मुख्य कार्य राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रखा गया। उस समय यह माना गया था कि युद्ध केवल राजनीतिक कारणों से ही होता है। प्रथम महायुद्ध में जिस तरह मानवता को क्षति पहुॅची थी उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इस भावना से राष्ट्र संघ में तीन प्रधान अंग–असेम्बली, परिषद और सचिवालय की व्यवस्था भी की गयी थी। उस समय यह समझा गया था कि सभी देशों के लिये शांति स्थापना का समान महत्व होता है और सभी राष्ट्रों की इसमें समान रूचि होगी। अतः महासभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेने की व्यवस्था की गयी थी।

राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात् जब द्वितीय महायुद्ध हुआ, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ और मानवीय जीवन का प्रत्येक क्षेत्र बाधित हुआ तब राष्ट्र संघ की कमियों की तरफ ध्यान गया और राष्ट्रसंघ की भूमिका का मूल्यांकन किया गया। राष्ट्र संघ की सदस्यता सीमित थी, उसमें एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों की संख्या नगण्य थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की विशिष्ट भूमिका के चलते राष्ट्रसंघ की स्थापना हुयी थी इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था। 1939 में सोवियत संघ को फिनलैण्ड पर आक्रमण करने का दोषी कहकर राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया गया था। अंत में राष्ट्र संघ में मात्र 43 सदस्य रह गये, जिनमें केवल ब्रिटेन व फ्रांस ही महाशक्ति थे। राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या 42 थी जो 1935 में 62 तक पहुँच गयी थी। इस तरह राष्ट्र संघ कभी भी सार्वदेशिक संस्था नहीं बन सकी। समीक्षकों ने इसीलिये राष्ट्र संघ को यूरोपीय राज्यों का संघ और 'विजेताओं की गोष्ठी' कह कर आलोचना की थी।

इतनी कमियों वाला राष्ट्र संघ द्वितीय महायुद्ध को रोकने में असफल रहा। वह द्वितीय महायुद्ध की ज्वाला में भस्म हो गया, परन्तु उसकी राख से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ ऐसा संगठन बना जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ की कमियों को दूर करते हुये किया था। यह राष्ट्र संघ से अधिक शक्तिशाली था। अपनी सदस्य संख्या, सोच, व दृष्टिकोण में भी व्यापक था। एलडोलीवेट (L Dolivet) ने इसीलिये कहा है कि ''संयुक्त राष्ट्रसंघ'' वास्तव में राष्ट्रसंघ से कही अधिक शक्तिशाली है तथा उसकी शक्ति में मानव जाति की आशा छिपी है।''

'संयुक्त राष्ट्र' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। इसकी स्थापना का विचार 1942 में एटलांटिक चार्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1943 में इसके निर्माण हेतु तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया, फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में पांच स्थायी सदस्यों और उन्हे वीटो शक्ति से युक्त करने पर सहमति बनी, फिर जून 1945 में सैन फ्रैसिस्को सम्मेलन में इसके चार्टर का निर्माण किया गया। 24 अक्टूबर 1945

को चार्टर स्वीकार कर लिया गया। इसीलिये 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाने लगा। 10 अक्टूबर 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा काप्रथम अधिवेशन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य यद्यपि 51 थे किन्तु वर्तमान समय (जनवरी 2024) में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गयी जिसमें सबसे नया सदस्य दक्षिणी सूडान है।

संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका जन्म द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पूर्व ही हो चुका था, के चार्टर में 111 धारायें है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की पृष्ठभूमि में इसके दृष्टिकोण की व्यापकता महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना के समय ही यह तथ्य समझ लिया गया था कि शांति की स्थापना युद्ध रोकने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिये इसकी स्थापना में विभिन्न क्षेत्रों–सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक सांस्कृतिक सभी की शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुये इस विश्व संगठन की स्थापना की गयी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में राजनीतिक कार्यों के साथ आर्थिक, सामाजिक, मानवीय व सास्कृतिक विषयों को भी समाहित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंगों की व्यवस्था की गयी है– महासभा, सुरक्षा परिषद, आथ्रिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते समय पूर्ववर्ती राष्ट्रसंघ के अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार भी किये गये है जैसे राष्ट्रसंघ की असेम्बली में सर्वसम्मति से निर्णय लेने की अपेक्षा की गयी थी, जो एक असम्भव आदर्श था। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय दो तिहायी बहुमत से किये जाते है। इसी तरह राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद के कार्यों में स्पष्ट विभाजन का अभाव था परन्तु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सुरक्षा परिषद और महासभा के कार्यों में स्पष्ट विभाजन किया गया है। इन्ही कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ अपेक्षाकृत सफल है य़द्यपि बदलते परिदृश्य में उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।

इकाई 12 : न्यास परिषद

इकाई की रूपरेखा :

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना
12.2 न्यास परिषद के गठन का उद्देश्य
12.3 न्यास परिषद का संगठन
12.4 न्यास परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
12.5 न्यास परिषद की बैठकें
12.6 न्यास परिषद की शक्तियां और कार्य
12.7 न्यास प्रदेश
12.8 न्यास व्यवस्था और मैंडेट व्यवस्था की तुलना
12.9 न्यास परिषद की व्यावहारिक सफलता
12.10 मूल्यांकन

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह समझ सकेंगे कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुयी उस समय विश्व में अनेक पिछड़े ओर अविकसित प्रदेश भी थे जिनका विकास किये जाने की नितांत आवश्यकता थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये न्यास परिषद को माध्यम बनाया।

इसके साथ ही आप यह भी समझ सकेंगे कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिये न्यास परिषद का निर्माण किया गया था।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट हो जायेगा कि न्यास परिषद ने अपनी भूमिका का निर्वाह किस तरह से किया।

12.1 प्रस्तावना :

20वी शताब्दी से पूर्वार्द्ध तक विश्व के अनेक क्षेत्रों पर उपनिवेशीय राष्ट्रों ने अपना क्रूरतम शासन स्थापित कर रखा था और वहाँ रहने वालों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार जारी रखा था। ऐसी अन्याय पूर्ण परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिये आवाज मुखर होने लगी जो अन्ततः आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग में परिणत हो गयी और एक आन्दोलन का रूप लेने लगी। शनैः–शनैः यह भावना विश्व से बनने लगी कि ऐसे भू–भाग व उपनिवेशों को स्वशासन प्रदान किया जाय। राष्ट्रसंघ की मैडेंट पद्धति में इस भाव की विद्यमानता देखी जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान अन्ततः मित्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का उद्घोष कर ही दिया। उस समय

पराधीन क्षेत्रों के लोग अपनी स्वाधीनता के लिये संघर्ष भी कर रहे थे अतः ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका की मान्यता भी दृढ़ हो गयी कि उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो चुका है। उस समय विश्व में कुछ ऐसे भी क्षेत्र जिनके बारे में यह धारणा व्यक्त की गयी कि अभी तो वे राजनीतिक रूप में भी इतने परिपक्व नहीं है कि वे अपना शासन स्वयं संभाल सकें अतः उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाय? इसी समस्या का समाधान करने के लिये न्यास परिषद का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 12 में न्यास पद्धति का विवेचन है।

12.2 न्यास परिषद के गठन का उद्‌देश्य :

न्यास परिषद के गठन का उद्‌देश्य पिछड़े और अविकसित प्रदेशों के विकास में उन्नत देशों का सहयोग प्राप्त कर इस लायक बनाना है जिससे वे राजनीतिक परिपक्वता प्रापत कर अपने क्षेत्रों का शासन भार स्वतः ग्रहण कर सके। 14 जुलाई 1943 को प्रकाशित अमेरिकी प्रारूप के अनुच्छेद 12 में इसे स्पष्ट करते हुये कहा गया था कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन नहीं प्राप्त कर सके हैं, न्यास पद्धति का सिद्धानत लागू किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत स्थानीय लोगों के हितों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जायेगा। इसका अन्तिम उद्‌देश्य यही होगा कि पराधीन क्षेत्र के ये लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और फिर आगे चलकर अपने–अपने क्षेत्रों का शासन–भार ग्रहण कर सकेंगें।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में न्यास पद्धति के 4 उद्‌देश्य स्पष्टतया बताये गये हैं–

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

(ii) स्वशासन ओर स्वतंत्रता के उद्‌देश्य से संरक्षित प्रदेश के निवासियों का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना।

(iii) जाति, लिंग भाषा और धर्म का भेदभाव किये बिना सबके लिये मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना प्रोत्साहित करना और उनमें यह भाव पैदा करना कि विश्व के सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित है।

(iv) सामाजिक आर्थिक और वाणिज्य सम्बन्धी मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना।

12.3 न्यास परिषद का संगठन :

न्यास परिषद विषयक प्रावधानों को लागू करने के लिये महासभा ने 14 दिसम्बर 1946 को प्रस्ताव पास करके इसकी स्थापना का प्रावधान किया। मार्च 1947 में आयोजित प्रथम सत्र के पश्चात् न्यास परिषद ने अपना कार्य आरम्भ किया।

न्यास परिषद की सदस्य संख्या निश्चित न होकर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि इसमें तीन प्रकार के सदस्य होते हैं–

(i) ऐसे प्रदेशों के प्रतिनिधि जिनके अधीन संरक्षित प्रदेश होते है।

(ii) सुरक्षा परिषद के वे स्थायी सदस्य जिसके अधीन संरक्षित प्रदेश नहीं है जैसे– चीन और सोवियत संघ

(iii) पहले तथा दूसरे प्रकार के सदस्यों के जोड़ के बराबर जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिये होता है।

समय के साथ–साथ जैसे ट्रस्ट क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त होती गयी, ट्रस्टीशिप कौंसिल का आकार और कार्यभार कम होता गया अन्ततः ट्रस्टीशिप कौंसिल में अब केवल सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को ही शामिल किया गया है।

12.4 न्यास परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष :

ट्रस्टीशिप कौंसिल में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। ट्रस्टीशिप कौंसिल ने वर्ष 2023 में अपने चौहत्तरवें सत्र में यूनाइटेड किंगडम के जेम्स करियुकी को अध्यक्ष पद पर और फ्रांस की नथाली ब्रांड हर्स्ट एस्टिवल को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते है जब तक कि उनसे सम्बन्धित उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाते।

12.5 न्यास परिषद की बैठकें :

न्यास परिषद की बैठकें अपने मूल रूप में सामान्यतया प्रत्येक वर्ष होती थी। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता था और निर्णय उपस्थित लोगों के साधारण बहुमत से लिये जाते थे। वर्ष 1994 के बाद से न्यास परिषद को अब वार्षिक रूप से बैठक करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि न्यास परिषद के अध्यक्ष के निर्णय पर या इसके अधिकांश सदस्यों के आग्रह पर महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा बैठक करायी जा सकती है। न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में ट्रस्टीशिप कौंसिल का कक्ष है।

न्यास परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलामू की स्वतंत्रता के एक माह पश्चात् 1 नवम्बर 1994 को अपना संचालन निलम्बित कर दिया।

12.6 न्यास परिषद की शक्तियां और कार्य :

संरक्षण परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत् है :–

1. संरक्षित प्रदेशों के शासक–राज्यों का यह कर्तव्य माना गया है कि वे वहाँ के निवासियों की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और शैक्षणिक विकास के प्रतिवेदन संरक्षण परिषद को प्रेषित करें। न्यास परिषद इन प्रतिवेदनों पर विचार करती है और उनके प्रतिनिधियों का जवाब भी सुनती है। न्यास परिषद फिर उन प्रतिवेदनों को महासभा को भेज देती है। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से वहाँ के जीवन स्तर को ऊँचा करने और वहाँ के मूल निवासियों की कला व संस्कृति का उन्नयन करने का प्रयत्न किया जाता है।
2. न्यास परिषद संरक्षित प्रदेश के निवासियों के आवेदनों की जांच पड़ताल भी करती है। इन प्राप्त प्रार्थना पत्रों में उल्लिखित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये उसे सम्बद्ध प्रदेशों के राज्यों को भेजकर फिर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी करती है। इस तरह न्यास परिषद सरक्षित प्रदेशों के ऊपर प्रशासकीय राज्यों की मनमानी पर अंकुश लगती है।

3. संरक्षित प्रदेशों की जांच–पड़ताल के लिये न्यास परिषद समय–समय पर निरीक्षक मंडल भी भेजती है। निरीक्षक मंडल वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं, कृषि, विद्यालय, सार्वजनिक व स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करता है और पता लगाता है कि सम्बद्ध क्षेत्रों में न्यास परिषद के सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन किया जा रहा है। एलकोनी ने निरीक्षण मंडलों को संयुक्त राष्ट्र की आख और कान (eyes and ears) कहा है। डब्ल्यू एफ कोटलर और पामर व पर्किंस ने इस भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि वहाँ के निवासियों को आभास होने लगता है कि संयुक्त राष्ट्र उनके बारे में उत्साहित है और उनकी स्वतंत्रता के लिये प्रयासरत है।

12.7 न्यास प्रदेश :

इसके अन्तर्गत वे प्रदेश आते है, जो न्यास समझौतों द्वारा न्यास प्रदेश बना दिये जाते हैं। सम्बन्धित राज्यों के मध्य हुये इन समझौतों पर महासभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। न्यास प्रदेश तीन प्रकार के हो सकते हैं, मैन्डेट के अधीन प्रदेश, विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गये प्रदेश और ऐसे प्रदेश जिन्हें उनके शासन के लिये उत्तरदायी राज्यों द्वारा स्वतः इस व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया है।

इसमें से तीसरे प्रकार का जहाँ तक प्रश्न है तो व्यवहार में किसी भी देश ने अपने अधीन प्रदेशों को न्यास प्रदेश बनाना स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिये तीव्र आलोचना और महासभा द्वारा अनुरोध किये जाने के बाद भी शासक देश दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को एक न्यास प्रदेश बनाना स्वीकार नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका ने तो महासभा द्वारा स्थापित समिति को इस प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजने से इनकार कर दिया था।

इस तरह दिसम्बर 1949 तक न्यास समझौतों द्वारा 11 प्रदेश न्यास प्रदेश बनाये गये थे– न्यूगिनी (आस्ट्रेलिया) रूआन्डा (वेल्जियम), फ्रेंच कैमरून्ज (फ्रांस), फ्रेंच टोगोलैण्ड (फ्रांस) पश्चिमी समोआ (न्यूजीलैण्ड) टांगानिका (ब्रिटेन), ब्रिटिश कैमरून (ग्रेटब्रिटेन), ब्रिटिश टोगोलैंड (ग्रेट ब्रिटेन) नौरू (आस्ट्रेलिया) सुमालीलैण्ड (इटली), प्रशान्त महासागर के द्वीपों का न्यास प्रदेश (सं0रा0अमेरिका)

12.8 न्यास व्यवस्था और मैन्डेट व्यवस्था की तुलना :

संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद की स्थापना राष्ट्र संघ की संरक्षण व्यवस्था (मैन्डेट सिस्टम) के स्थान पर की गयी है। दोनों में निम्नलिखित अंतर है –

1. राष्ट्र संघ की संरक्षण पद्धति में केवल जर्मनी और टर्की से छीने गये प्रदेश ही शामिल किये गये थे, वही संयुक्त राष्ट्र की न्यास व्यवस्था में न केवल शत्रु से छीने गये प्रदेश है बल्कि स्वशासन न कर पाने वाले पराधीन और उपनिवेशवाद के शिकार हुये प्रदेश भी शामिल है। जेम्स मुरे ने इसीलिये कहा है कि न्यास व्यवस्था मैण्डेट प्रणाली से अधिक व्यापक व विस्तृत है।
2. न्यास व्यवस्था के अन्तर्गत मैण्डेट व्यवस्था की तुलना में अधिक कड़े नियंत्रण का प्रावधान है क्योंकि राष्ट्रसंघ के स्थायी संरक्षण आयोग (Permanent Mandate Commission) को संरक्षित प्रदेश में

जाकर न निगरानी करने का अधिकार था और न ही प्रार्थना पत्र पर विचार करने का ही अधिकार था। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद संरक्षित प्रदेशों के निवासियों के आवेदन पत्र पर विचार भी कर सकती है और संरक्षित प्रदेशों में निरीक्षक मंडल भी भेज सकती है।

3. मैण्डेट पद्धति में प्रदेशों की उन्नति, स्वशासन और स्वतंत्रता के लिये प्रावधान न रखकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का उद्देश्य था। इसके विपरीत न्यास पद्धति में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की स्पष्ट व्यवस्था है।

4. मैण्डेट व्यवस्था में संरक्षण प्रदेशों की समस्या 'स्थायी संरक्षण आयोग का ही विषय माना जाता था परन्तु न्यास व्यवस्था में ऐसे विषय महासभा में पहुचने लगे जहाँ छोटे राज्यों की बहुलता है और वे औपनिवेशिक शक्तियों के विरोधी है।

5. मैण्डेट व्यवस्था मे केवल विशेषज्ञ होते थे किन्तु न्यास पद्धति में न केवल प्रशासन करने वाले देश है, बल्कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और उनकी संख्या के बराबर महासभा से चुने हुये सदस्य भी है।

12.9 न्यास परिषद की व्यावहारिक सफलता :

मैंडेट व्यवस्था में अधिकांश मैंण्डेट प्रदेश राष्ट्रसंघ के समापत हो जाने के बाद भी पराधीन ही रहे, जबकि न्यास परिषद के अन्तर्गत न्यास प्रदेश मात्र पन्द्रह वर्ष की अल्प अवधि में ही स्वतंत्र हो गये। 6 मार्च 1957 को ब्रिटिश टोगोलैंड स्वाधीन होकर घाना के साथ संयुक्त हो गया यह क्रम बढ़ता गया और 1 जनवरी 1960 को फ्रेंच केम्रूनर; 27 अप्रैल 1960 को फ्रेंच टोगोलैंड और 1 जुलाई 1960 को टांगनिक्या को स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी। इसी तरह 1 जुलाई 1962 को रूआन्डा उरून्डी को स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी और वह दो स्वतंत्र राज्य रूआन्डा और बुरून्डी के रूप में स्थापित हुआ। आगे चलकर 1 जनवरी 1968 को नौरू द्वीप और नवम्बर 1973 में न्यूगिनी के न्यास क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गये। प्रशांत महासागर से स्थित द्वीप समूह माइक्रोशिया भी स्वतंत्र हो गया।

न्यास परिषद की स्वाधीनता दिलाने की मूल भावना की तरह ही महासभा ने भी अ–स्वाशासित प्रदेशों को स्वतंत्र कराने में सहयोग दिया है। तभी तो द्वितीय महायुद्ध के बाद अकेले अफ्रीकन महाद्वीप में 50 देशों को स्वतंत्रता मिल गयी।

इस प्रकार की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये सी0टी0 रोमुर्ला (C.T. Ramula) ने ठीक ही कहा है कि ''न्यास पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनैतिकता के उच्च बिन्दु का प्रतिनिधित्व करती है।''

12.10 मूल्यांकन :

न्यास पद्धति सभ्य और उन्नत देशों में कर्तव्य बोध पैदा करती है कि वे पिछड़े प्रदेशों को स्वशासन के योग्य बनाये वही वह साम्राज्यवाद विरोधी भी है क्योंकि ऐसे प्रदेशों के निवासियों के हितों को सर्वोपरि बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देती है। वस्तुतः न्यास परिषद ने उपनिवेशविरोधी आन्दोलनों को तीव्रता प्रदान की है। गुडरीच ने कहा है कि न्यास परिषद पराधीनता को स्वाधीनता एवं स्वशासन लाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुयी है। नवम्बर 1994 में पलाऊ (अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशान्त द्वीप) की स्वाधीनता के पश्चात् न्यास परिषद का कार्य प्रायः समाप्त हो गया और इसकी नवीन भूमिकायें प्रस्तावित की गयी है जिनसे

वैश्विक कामन्स (उदाहरण के लिये समुद्री तट और बाहरी स्थान)का प्रशासनकरना और अल्पसंख्यकों व स्वदेशियों के लिये एक सेवा का एक मंच प्रदान करना जैसे कार्य है। प्लेनों और रिग्स ने न्यास परिषद के सम्बन्ध में कहा है अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिशद को विलोपन का सामना करना पड़ रहा है। आज ट्रस्टीशिप कौंसिल सुरक्षा परिषद के पाँच सदस्यों से बन कर रह गयी है।

सम्बन्धित प्रश्न :

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1— न्यास परिषद के योगदान का परीक्षण कीजिये।

2— न्यास परिषद की रचना, अधिकार और कार्यों का परीक्षण कीजिये।

3— न्यास व्यवस्था का कैसे गठन होता है? न्यास व्यवस्था और मैण्डेट व्यवस्था की तुलना कीजिये।

4— न्यास व्यवस्था का गठन क्यों किया गया? वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न :

1— न्यास प्रदेश से आप क्या समझते हैं?

2— न्यास व्यवस्था की उपलब्धियां स्पष्ट करें।

3— राष्ट्र संघ की मैंण्डेट व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास व्यवस्था की तुलना करें।

4— न्यास व्यवस्था की बैठक कब बुलायी जाती है?

वस्तु निष्ठ प्रश्न :

1— न्यास परिषद का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया?

(A) मार्च 1947

(B) फरवरी 1948

(C) जनवरी 1949

(D) मार्च 1948

2— वर्तमान समय में न्यास परिषद की बैठक होती है—

(A) प्रत्येक वर्ष में दो बार

(B) 6 माह में एक बार

(C) वर्ष में एक बार

(D) वर्तमान समय में बैठक की आवश्यकता नहीं है।

3– न्यास परिषद के सम्बन्ध में क्या सही नही है–

(A) संयुक्त राष्ट्र का अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलामू था।

(B) न्यास परिषद ने 1994 से अपना संचालन स्थगित कर दिया।

(C) न्यास परिषद की सदस्य संख्या निश्चित रही है।

(D) न्यास परिषद संरक्षित प्रदेशों की जाँच पड़ताल के लिये निरीक्षक मंडल भी भेजता है।

प्रश्नोत्तर –

1 A	2 D	3 C

इकाई–13 संयुक्त राष्ट्र संघ और निःशस्त्रीकरण

इकाई की रूपरेखा :

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य

13.3 निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में अन्तर

13.4 निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता

13.5 निःशस्त्र.ीकरण के प्रकार

13.6 संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण

13.7 परमाणु अप्रसार संधि

13.8 व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि

13.9 एन0पी0टी0 और सी0टी0पी0टी0 का क्रियान्वयन

13.10 निःशस्त्रीकरण विषयक संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थायें

13.11 भारत की परमाणु नीति

13.12 निःशस्त्रीकरण के मार्ग बाधायें

13.13 सारांश

13.0 अध्ययन के उद्देश्य :

- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निःशस्त्रीकरण का अर्थ और शस्त्र नियंत्रण से अन्तर समझ सकेंगे।
- समकालीन विश्व में निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता और महत्व को जान सकेंगे।
- यह समझ सकेंगे कि निःशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है।
- निःशस्त्रीकरण हेतु किये गये प्रमुख अनतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अध्ययन कर सकेगें।
- निःशस्त्रीकरण में भारत की भूमिका का अध्ययन कर सकेगें।

13.1 प्रस्तावना :

बीस वर्षों के अन्तराल में दो विश्व युद्धों से उत्पन्न क्षति के कारण और भावी पीढ़ी को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की अभिलाषा में निःशस्त्रीकरण समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में लोकप्रिय धारणा बन चुकी है। अस्त्र–शस्त्रों के क्षेत्र में पैदा हुयी क्रान्ति के कारण नवीन अस्त्र–शस्त्र रक्षा सेनाओं के अंग बनते जा रहे है। ये

अस्त्र–शस्त्र इतने घातक है कि इनके प्रयोग से सम्पूर्ण विश्व का विनाश हो सकता है। इसका लघु रूप हिरोशिमा और नागासाकी में महाविनाश के रूप में विश्व देख चुका है। इस परिदृश्य में निःशस्त्रीकरण पर मानव जाति का भविष्य निर्भर है। लार्ड ग्रे ने इसका महत्व स्पष्ट करते हुये कहा है ''यदि सभ्यता शस्त्रास्त्रों का नाश नहीं कर सकती है, तो शस्त्रास्त्र सभ्यता का नाश कर देगें।''

13.2 निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य :

यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न विशिष्ट खतरों को कम करना है, जिससे हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उन्हें कम करने का प्रयास किया जाता है। मार्गेन्थो (Moggenthan) ने इसका अर्थ बताते हुये कहा है ''निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने के लिये कुछ अथवा सभी शस्त्रों को कम या समाप्त कर देना है।'' वी0वी0 डाईक (V.V. Dyke) के शब्दों में सैन्य शक्ति से सम्बन्धित किसी भी नियंत्रित करने या प्रतिबन्ध लगाने के कार्य को निःशस्त्रीकरण की कार्यवाही समझा जाता है।'' श्लीचर (Schleicher) ने इसकी परिभाषा देते हुये कहा है कि ''शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है शारीरिक अहिंसा के लिये भौतिक तथा मानवीय साधनों की समाप्ति या कटौती। परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् इसका अर्थ अब दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से समझौते द्वारा ऐसे सभी उपकरणों को सीमित करना, कटौती करना उन्मूलन या नियंत्रण करना कुछ भी हो सकता है।''

संक्षेप में निःशस्त्रीकरण का अर्थ अस्त्र–शस्त्र में कमी तथा उन्हे समाप्त करने से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निःशस्त्रीकरण का सम्बन्ध शस्त्रों को समाप्त या कम कर देने से है जिससे युद्धों को समाप्त या उसकी भयावहता को कम किया जा सके।

13.3 निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में अंतर :

विश्व जनमत की सामान्य धारणा है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की प्राप्ति में निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण अत्यधिक प्रभावशाली साधन है। निःशस्त्रीकरण (Disarmament) और शस्त्र नियत्रण (Arms Control) दोनों घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध और एक दूसरे के पूरक है। किन्तु दोनों धारणाओं में अंतर है :–

1– अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार युद्ध सामग्री और सैनिकों की संख्या में कटौती करना निःशस्त्रीकरण है किन्तु शस्त्र नियंत्रण का सम्बद्ध ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और उपायों से है, जो उन शस्त्रों के प्रयोग को सीमित व नियमित करते है जिनके प्रयोग की आज्ञा दी जा गयी है। इससे निषिद्ध कार्यों की व्यवस्था को लागू किया जाता है न कि कुछ प्रकार के शस्त्र और सैनिक रखे जाते है।

2– निःशस्त्रीकरण के अन्तर्गत विद्यमान शस्त्रों को समाप्त या नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, जबकि शस्त्र नियंत्रण में भविष्य में शस्त्रों के उत्पादन या प्रयोग के सम्बन्ध में सर्वसम्मत और वांछित निर्णय लिया जाता है।

3— बी0वी0 डाईक (V.V. Dyke) के अनुसार शस्त्र नियंत्रण सकारात्मक प्रकार के उन उपायों की ओर संकेत करता है, जो शान्ति की स्थापना के विचार से सोच समझ कर तथा दृढ़ निश्चय से अपनाये जाते है, जबकि निःशस्त्रीकरण नकारात्मक तथा प्रतिबंधित प्रकार के उन उपायो की ओर संकेत करता है जिनका परिणाम अपने आप निकलने की कल्पना की जाती है। दूसरे शब्दों में निःशस्त्रीकरण द्वारा युद्ध सामग्री को नियंत्रित करने और शस्त्र नियंत्रण द्वारा शस्त्र दौड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

13.4 निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता :

निःशस्त्रीकरण इस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी सफलता न केवल वर्तमान समय बल्कि भावीपीढ़ियों के लिये भी महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इसकी आवश्यकता निम्नवत् कारणों से है :—

1— वर्तमान में शस्त्रों की बिक्री और व्यापार की प्रवृत्ति स्वार्थवश हो रही है। यह कार्य बड़े ही सुनियोजित ढंग से होती है किनु यह बढ़ती प्रवृत्ति शान्ति की स्थापना में बाधक है। विश्व की शान्ति शस्त्रों के परित्याग से ही सम्भव है। **कोहन** ने ठीक ही कहा है कि शस्त्रीकरण के द्वारा विश्व के राष्ट्रों में भय व मन मुटाव पैदा होता है, जबकि निःशस्त्रीकरण के द्वारा भय व मन मुटाव को कम करके परस्पर के विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता हैं **आइनिस क्लाड** ने कहा है कि यदि हम शान्ति के आकांक्षी है तो हमें शास्त्रों का तथा शस्त्र प्रतिद्वन्दिता का परित्याग कर देना चाहिये निःशस्त्रीकरण की प्राप्ति अन्ततः हमें शान्ति स्थापना की ओर ले जाती हैं।

2— निःशस्त्रीकरण आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति आर्थिक विकास में बाधक है। विश्व में व्याप्त असमानता, बेकारी गरीबी, अशिक्षा व पिछड़ापन को निःशस्त्रीकरण द्वारा ही दूर किया जा सकता है। राष्ट्रपति **आइजन हावर** के अनुसार शस्त्रों के निर्माण में जो धन व्यय किया जाता है, उसका उपयोग गरीबों को अन्न, कपड़ा देने में और शरणार्थियों को बसाने में किया जा सकता है।

3— निःशस्त्रीकरण के चलते अणुशस्त्रों (Nuclear Weapons) के भय से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विश्व के अनेक देशों के पास आज अणुबमों का भण्डारण हो चुका है, जिसके चलते विश्व का भविष्य अनिश्चित बन गया है। निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया ने लोगों को आश्वस्त किया है, लोग इसके प्रति जागरूक और गम्भीर हुये। इस तरह विश्व जनमत इसके पक्ष में बना और शक्तिशाली देश भी विश्व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये इसके महत्व को स्वीकार कर रहे है। वे नहीं चाहते कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह इसकी पुनरावृत्ति हो।

समीक्षकों का एक वर्ग ऐसा भी है, जिसकी मान्यता है कि विश्व के अनेक देशों में अणुबमों की विद्यमानता ही हमें तृतीय विश्व युद्ध से बचारही है। इन विरोधी दृष्टिकोणों के बावजूद हमें यही स्वीकार करना पड़ेगा कि युद्ध की आशंकाओं से बचने का सर्वथा सुरक्षित मार्ग निःशस्त्रीकरण ही है न कि शस्त्रीकरण।

इसके साथ ही निःशस्त्रीकरण का महत्व विश्व बन्धुत्व की दृष्टि से भी है क्योंकि शस्त्रीकरण परस्पर द्वेषभाव, घृणा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। इस तरह की विकृत मानसिकता विश्व बन्धुत्व की भावना को बाधित

करती है। इसके अतिरिक्त निःशस्त्रीकरण का महत्व सभी देशों के हित से जुड़ा है। निःशस्त्रीकरण की सफलता से विश्व के देश अपने संसाधनों का सदुपयोग कर सकेगें। उनपर शस्त्रों के क्रय का दबाव भी कम होगा और उन्हें शस्त्र निर्माता देशों के दबाव से मुक्ति मिलेगी।

इस तरह निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता अनेक दृष्टि से है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त तनाव और तृतीय विश्वयुद्ध के भय से मुक्ति दिलाकर विकास पथ पर अग्रसर करने में निःशस्त्रीकरण की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। निःशस्त्रीकरण के द्वारा साहित्यकला और विज्ञान आदि क्षेत्रों में मिली उपलब्धियों को बचाया जा सकता है। निःशस्त्रीकरण यदि नहीं होगा तब शक्ति सन्तुलन प्रभावित होगा। निहित स्वार्थ से ग्रसित तानाशाही प्रवृत्ति वाले छोटे देश के नेता भी विकास कार्यों को भूल कर शस्त्रास्त्रों की अंधी दौड़ में शामिल हो जायेंगे। इन्हीं सब कारणों से मानव हितैषी मंचों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों से निःशस्त्रीकरण की मांग निरन्तर उठती रहती है।

13.5 निःशस्त्रीकरण के प्रकार (Forms of Disarmament)

निःशस्त्रीकरण के निम्नलिखित प्रकार है :–

1– सामान्य व स्थानीय निःशस्त्रीकरण :

सामान्य निःशस्त्रीकरण में संधिकर्ता देशें पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक नियंत्रण लगाये जाते हैं। इसमें प्रायः सभी राष्ट्र सम्मिलित होते है। इसका उदाहरण 1922 का वांशिंगटन नौसैनिक समझौता है।

स्थानीय निःशस्त्रीकरण विस्तार की दृष्टि से सीमित होता है। इसका उद्‌देश्य चूँकि क्षेत्रीय स्थिरता शांति स्थापना होता है। अतः इसमें गिने–चुने राष्ट्र ही सम्मिलित होते है।

2– मात्रात्मक और गुणात्मक निःशस्त्रीकरण :

मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण में उपलब्ध सैन्य बलों व शस्त्रास्त्रों का संख्यात्मक परिसीमन किया जाता है। 1932 का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन इसका उदहारण है।

इसके विपरीत गुणात्मक (Qualitative) निःशस्त्रीकरण में विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों में कटौती की जाती है। 1987 की मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि इसका उदाहरण है।

3– पारस्परिक और आणविक निःशस्त्रीकरण :

परम्परागत निःशस्त्रीकरण में परम्परागत अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण किया जाता है जैसे सेनाओं में कटौती करना और उनके परम्परागत अस्त्रशस्त्रों के उपयोग पर रोक लगाया जाता है।

आणविक निःशस्त्रीकरण में आणविक आयुधों के विकास व प्रसार को सीमित करने की भावना निहित होती है। 1968 की परमाणु अप्रसार सन्धि इसका उदाहरण है।

4– पूर्ण और आंशिक निःशस्त्रीकरण :

पूर्ण निःशस्त्रीकरण के अन्तर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें समस्त सैन्यबल व सैन्य सामग्री नष्ट कर दी जाती है। यह असम्भव आदर्श है।

आंशिक निःशस्त्रीकरण में शस्त्रास्त्रों पर मात्रात्मक व गुणात्मक सीमायें लगायी जाती है। अर्थात बिनाशकता में कमी लायी जाती है। SALT-I और SALT- II इसके उदाहरण माने जा सकते हैं।

5– अनिवार्य और ऐच्छिक शस्त्र नियंत्रण :

प्रथम और द्वितीय महायु0 में जर्मनी का निःशस्त्रीकरण करना अनिवार्य निःशस्त्रीकरण का उदाहरण है। इस तरह की व्यवस्था विजेता राष्ट्र परास्त देशों के साथ करते है। यह भेद–भाव पूर्ण होने के कारण स्थायी शान्ति नहीं प्रदान कर सकती। इसके विपरीत ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण ऐसी व्यवस्था है जिसे राष्ट्र स्वेच्छा से स्वीकार करते है। 1968 की अणु प्रसार सन्धि इसका उदाहरण है।

13.6 संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण :

(Disarmament Under the U.N.O.)

द्वितीय महायुद्ध के दौरान हुये भीषण नरसंहार और संहारक शस्त्रास्त्रों के प्रभाव को समझते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर में निःशस्त्रीकरण के प्रावधान किये। इनमें महासभा और सुरक्षा परिषद की भूमिका स्पष्ट की गयी है। चार्टर के अनुच्छेद 11 के अनुसार ''महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये सामान्य नियमों पर विचार करेगी, जिसमें शस्त्रीकरण तथा शस्त्रों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त सम्मिलित है और इन नियमों के सम्बन्ध में सदस्यों या सुरक्षा परिषद या दोनों को ही सुझाव दे सकती है। इसी तरह अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिये और इसे बनाये रखने के लिये शस्त्रास्त्रों के नियमन की व्यवस्था के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखी जाने वाली योजना बनाने के लिये सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद को परामर्श देने के लिये सैनिक स्टाफ कमेटी के गठन की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित भावना को ध्यान में रखते हुये 24 फरवरी 1946 को परमाणु उर्जा आयोग (N E C) का गठन किया गया। इसका उद्देश्य शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु उर्जा के नियंत्रित उपयोग के बारे में सुझाव देना था, किन्तु इसके द्वारा दिये सुझावों को सोवियत संघ ने मानने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात् 13 फरवरी 1947 को सुरक्षा परिषद ने 'परम्परागत शस्त्र आयोग (Commission on conventional armaments) का गठन किया। इसमें सुरक्षा परिषद के ही सदस्य थे किन्तु अमेरिका व सोवियतसंघ में मतैक्य न हो पाने के कारण सफलता न मिल सकी। दोनों की असफलता के बाद महासभा ने इन दोनों आयोगों के स्थान पर निःशस्त्रीकरण आयोग (Disarmament Commission) की 11 जनवरी 1952 को स्थापना की। सुरक्षा परिषद और कनाडा के सहयोग से स्थापित इस आयोग को सभी सशस्त्र बलों और हथियारों को सीमित करने, सामूहिक हथियारों को खत्म करने, केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु उर्जा के उपयोग के सम्बन्ध में सुझाव देने का दायित्व सौपा गया था। पांच वर्षो के प्रयत्न के पश्चात् वर्ष 1957में परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी को स्थापित किया गया।

1961 में महासभा ने परमाणु हथियारों के उपयोग को अन्तर्राष्ट्रीय विधि, यू0एन0ओ0 के चार्टर और मानवता के विपरीत बताने वाला प्रस्ताव अपनाया। इसके पश्चात् परमाणु परीक्षण संधि पर 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन ओर सोवियत संघ ने हस्ताक्षर भी किये। इस संधि ने वायुमंडल, वाह्य अंतरिक्ष और पानी के

भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संधि का 150 देशों ने समर्थन और पालन किया। कालान्तर में 1966 में महासभा ने सर्वसम्मति से एक संधि को मंजूरी प्रदान की जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों को कक्षा में, चन्द्रमा पर या अन्य खगोलीय पिंडो पर रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

इस दृष्टि से 1968 में परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि (N.PT) का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी पहल रूस और अमेरिका के तीन वर्षीय वार्तालाप के बाद महासभा के सामने प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। महासभा ने 13 जून 1968 को मतदान कराया और जुलाई 1968 में लंदन, मास्को वाशिंगठन में एक साथ हस्ताक्षर किये गये। यह संधि 5 मार्च 1970 को क्रियान्वित की गयी। परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य था परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढावा देना और समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति करता।

13.7 परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proleferation Treaty-1968 [NPT])

इस संधि को निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक युगान्तरी कदम माना जाता है। इस संधि के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के 110 सदस्यों ने मतदान किया था। इसके मूल प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1– पाँच परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अपने परमाणु ईधन या तकनीक उन देशों को प्रदान नहीं करेगें जिन्होंने N.PT पर हस्ताक्षर नहीं किये।

2– वे राज्य जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है, वे परमाणु शक्ति सम्पन्न देश माने जायेगें।

3– परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्य परमाणु अस्त्रविहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देगें।

4– परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देगें।

5– परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित होगी।

6– ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीक क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिये करेगें।

इस सन्धि पर भारत जैसे देश ने हस्ताक्षर नहीं किये। इस संधि में दो प्रकार के राज्य माने गये हैं– परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्यों का निरीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी (IAEA) द्वारा नहीं किया जायेगा किन्तु गैर–परमाणु शक्ति राज्य की जांच की जायेगी। इस तरह विश्व के राज्यों को दो श्रेणियों में बांटने के कारण यह भेदभाव पूर्ण संधि है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विपरीत है। दूसरे इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्यों का परमाणु हथियारें पर विशेषाधिकार बनाये रखने का प्रावधान किया गया तथा गैर परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्यों के लिये इसमें सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तीसरे इस संधि में तकनीकी हस्तांतरण का कोई उल्लेख नहीं है।एन0पी0टी0 द्वारा निःशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस संधि की 1975, 1980 और 1985 में सभीक्षा की गयी किन्तु सुधार नहीं हो सका। परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गयी। फ्रांस और चीन परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्य बन गये। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् प्रायः चार राज्यों के पास परमाणु शस्त्रों का स्वामित्व आ गया और पाकिस्तान ने भी गुप्त रूप से परमाणु बम बना लिया। उत्तर कोरिया ने

संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 2003 में एन0पी0टी0 से अपने को अलग कर लिया। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किये। दक्षिण अफ्रीका ने 1991 में और 1992 में फ्रांस और चीन ने हस्ताक्षर किये।

एन0पी0टी0 की समीक्षा के लिये 1995 में न्यूयार्क हुये सम्मेलन द्वारा संधि के कार्यकाल को अनिश्चित समय के लिये बढ़ाया गया। गुटनिरपेक्ष देशों की एन0पी0टी0 पर मतदान कराने की मांग की, जिसे अमेरिका सहित विकसित देशों ने स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः यह संन्धि छोटे राष्ट्रों के हितों को सुरक्षित रखने और समयानुकूल परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह यह संधि ऐसा कोई मापदण्ड भी निश्चित नहीं कर पा रही जिसके आधार पर परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र सैनिक कार्यों व असैनिक कार्यों में अन्तर कर सके।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1970 में समुद्र तल पर सामूहिक विनाश के हथियारेां की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने वाली एक सन्धि को स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह जैविक हथियारों के निर्माण भण्डारण और उपयोग पर रोक लगाने वाले एक सम्मेलन को 1971 में महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया जो 1975 में प्रभावी हुआ, यद्यपि अनेक राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर जानकारी प्रदान करने के लिये 1991 में एक प्रस्ताव पास किया है। आगे चल कर 1993 में रासायनिक हथियार सम्मेलन द्वारा रासायनिक हथियारों के उत्पादन, विकास और भण्डारण पर रोक लगा दी गयी तथा दस वर्षों के अन्दर मौजूदा भण्डारण को नष्ट करने का आवाहन किया किया गया। यह सम्मेलन जनवरी 1993 में पेरिस में हुआ और विश्व के 130 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मई 2006 में एन0पी0टी0 की सातवी समीक्षा की गयी। यह यू0एन0ओ0 मुख्यालय पर हुयी, किन्तु मतभेद बना ही है।

13.8 व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि :

Comprehensive Test ban Treaty 1995 (CTBT)

व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध संन्धि वास्तव में परमाणु अप्रसार संधि (N.PT) का ही अगला चरण है। इसका मसविदा 1995 में जिनेवा में हुये निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। यह 1996 में अस्तित्व में लायी गयी। इसके निम्नवत् महत्वपूर्ण प्रावधान है :—

1. इसमें विश्व के सभी देश सम्मिलित माने जायंगे तथा कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कभी भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता।
2. इस संधि के किसी भाग पर विवाद को सुलझाने का दायित्व अनतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास होगा।
3. सी0टी0बी0टी0 लागू होने के 180 दिन के भीतर वे 44 राज्य इस पर हस्ताक्षर करेगें, जिनके पास परमाणु अनुसंधान की क्षमता है।
4. परमाणु शस्त्र धारक देश अपने—अपने परमाणु शस्त्र बनाये रखेगें तथा वे प्रयोगशालाओं में परमाणु शस्त्र विहीन देश परमाणु शस्त्र न बनायेगें और न ही इसके लिये कोई परीक्षण करेंगे। वे शान्ति परमाणु तकनीक का विकास कर सकेंगें परन्तु इस सम्बन्ध में अपने परमाणु संयंत्रों व केन्द्रों को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिये खुला रखेगें।

इस संधि को लागू करने के लिये 'अन्तर्राष्ट्रीय डाटा केन्द्र और अन्तर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है। 10 सितम्बर 1996 को महासभा में 158 मतों से स्वीकार किया था उसके बाद विभिन्न देशों को हस्ताक्षर के लिये पेश कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस रूस व चीन ने इस पर हस्ताक्षर लिये। अब तक इसपर 187 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये है तथा 178 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह संधि औपचारिक रूप से इसलिये लागू नहीं हो सकी क्योंकि 44 विशिष्ट देशों द्वारा भी अनुमोदित नहीं किया गया। चीन, भारत पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजरायल, ईरान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनुमोदन नहीं किया है।

इस संधि पर आपत्ति करने वालों के निम्नलिखित तर्क है –

1. परमाणु शक्ति सम्पन्न देश स्वयं परमाणु शस्त्रों की प्राप्ति और विकास के पश्चात् इस सन्धि को अपना रहे हैं।
2. इस संधि का उद्देश्य शस्त्र नियंत्रण न होकर परमाणु शक्तियों की श्रेष्ठता को स्थायी बनाना था।
3. परमाणु शक्ति सम्पन्न देश इतने आंकड़े और ज्ञान एकत्र कर चुके है, जिनके आधार पर वे बिना परीक्षण किये कम्प्यूटरों के प्रयोग द्वारा अनुरूपण परीक्षण (Simulated test) के माध्यम से परमाणु शस्त्र तकनीक का विकास कर सकते हैं।
4. यह सन्धि परमाणु शस्त्र सम्पन्न देशों और परमाणु शस्त्र विहीन देशों के मध्य अन्तर को बनाने पर बल देती है।
5. यह सन्धि परमाणु शस्त्र धारकों के विरूद्ध चुप है। संधि में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्य अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेगें की नहीं।

इन्ही कारणों से CTBT एक विवादग्रस्त मुद्दा बना है। विकासशील देशों का परमाणु कार्यक्रम इससे प्रतिबंधित होता है विकसित देशों ने कम्प्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकास कर लिया है इस लिये उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से यह दहलीज पर खडे (Threshaid) राज्यों के विरोध में है और विकासशील देशों को तकनीक से वंचित करने का प्रयास करती है।

13.9 एन0पी0टी0 और सी0टी0बी0टी0 का क्रियान्वयन :

एन0पी0टी0 की धारा 7 में इसकी समीक्षा का प्रावधान है। 1970 में इस संधि के लागू होने के पच्चीस वर्ष बाद 1995 में हुये इसकी समीक्षा सम्मेलन में एन0पी0टी0 के अनिश्चितकालीन विस्तार का निर्णय लिया गया। 2010 और 2015 में हुये समीक्षा सम्मेलन में सन्धि की गम्भीरता पर विचार किया गया। कोविड 19 से उत्पन्न त्रासदी के चलते 2020 के समीक्षा सम्मेलन को अगस्त 2022 में न्यूयार्क में आयोजित किया गया। सम्मेलन में महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने परमाणु प्रसार के बढ़ते जोखिम की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने मध्य पूर्व, कोरियायी प्रायद्वीप और यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर गम्भीर चिंता भी व्यक्त की। इस सम्मेलन में निरस्त्रीकरण मुख्य समिति की मसौदा रिपोर्ट पर परमाणु शक्तिसम्पन्न देश (एन0डब्लू0एस0) और गैर परमाणु हथियार वाले राष्ट्रों ने एन0पी0टी0 की धाराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसी तरह सी0टी0बी0टी0 को लागू करने के सम्बन्ध में 1999, 2003 और 2007 में समीक्षा सम्मेलन वियना में हो चुके है। इसी तरह 2001, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019, 2019 और 2023 में न्यूयार्क में सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के संगठन (CTBTO) का मुख्यालय वियना में है। इस संगठन का उद्देश्य सी0टी0बी0टी0 के प्रावधानों को क्रियान्वित कराना है।

13.10 निःशस्त्रीकरण विषयक संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थायें :

निःशस्त्रीकरण की समस्या अत्यधिक गम्भीर है। यही कारण की संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की स्थापना की गयी है। यह समिति हर वर्ष अक्टूबर में महासभा की आम बहस के बाद 4–5 सप्ताह के लिये बैठक करती है।

संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग (U N D C) महासभा का सहायक उपकरण है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से बना है। इसका कार्य निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं पर विचार करना और सुझाव देना है। 11 जनवरी 1952 में महासभा के प्रस्ताव 502 (VI) द्वारा गठित किया गया। 30 जून 1978 को महासभा द्वारा सहायक अंग के रूप में इसकी पुनरावृत्ति हुयी। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है और बसंत ऋतु में तीन सपताह के लिये इसकी वार्षिक बैठक होती है। वर्ष 2017 में पारम्परिक हथियारों के क्षेत्र में व्यावहारिक विश्वास उत्पन्न करने में और सर्वसम्मति सुझाव को मनवाने में यह सफल रहा।

11 सितम्बर 1979 को 'संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (UNIDIR) की स्थापना की गयी। यह निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी मामलों पर स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करता है। यह महासचिव के सलाहकार बोर्ड की भूमिका में है। इसके अलावा निःशस्त्रीकरण विषयक मामलों और संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर महासचिव को परामर्श देने के लिये निःशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड (ABDM) वर्ष में दो बार जिनेवा और न्यूयार्क में बैठकें करता है। यह UNIDIR के न्यासी बोर्ड के रूप में भी कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत वर्ष 2009 में सुरक्षा परिषद ने अपने संकल्प 1540 पास किया। यह राज्यों को गैर राज्य अभिनेताओं को परमाणु रासायनिक शस्त्रों के विकास, निर्माण उपयोग और परिवहन स्थानान्तरण पर रोक लगाता है।

13.11 भारत की परमाणु नीति :

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ही परमाणु नीति बनाने की आवश्यकता थी। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान आज परमाणु शक्ति सम्पन्न और परमाणु शस्त्र युक्त देश बन चुके है। इस तथ्यात्मक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुये ही भारत ने 1968 की अणु प्रसार संधि (Non Proliferation treaty) पर हस्ताक्षर करने से मना किया हुआ है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता था।

18 मई 1974 को यद्यपि भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भूमिगत परमाणु परीक्षण किया परन्तु इससे मास्को परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संन्धि (1963) का उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि इस सन्धि पर भूमिगत परीक्षण पर रोक नहीं लगायी गयी थी। भारत के इस परीक्षण से महाशक्तियों के एकाधिकार को आघात पहुचा और परमाणु देशों के समुदाय में एक नूतन श्रेणी का अभ्युदय हुआ। भारत ने एन0पी0टी0 जिसे 5 मार्च 1970 से लागू किया गया को भेद भाव पूर्ण मानता है। भारत का तर्क है कि जब तक परमाणु शक्तियां अपने आयुध भण्डार को नष्ट नहीं कर देती तब तक इस संधि से परमाणु शक्ति युक्त राष्टों के एकाधिकार की ही पुष्टि होगी। इन्हीं कारणों के चलते जब 25 वर्ष बाद न्यूयार्क में एन0पी0टी0 की समीक्षा विषयक सम्मेलन हुआ तब भारत ने इस संधि को भेदभाव पूर्ण बताते हुये बहिष्कार किया।

इसी तरह भारत ने भेदभावपूर्ण CTBT पर जून 1996 में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और स्पष्ट रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये कहा कि भारत इस संधि को इसलिये स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में विचार नहीं किया गया है। अतः यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। भारत चाहता था कि परमाणु शक्ति सम्पन्न देश एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर अपने हथियारों को भी समाप्त करें। संधि की यह शर्त कि भारत सहित 44 देशेां के अनुसमर्थन के बाद संधि लागू होगी, भारत को अव्यावहारिक प्रतीत हुयी।

1962 में चीन से युद्ध, 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुये युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण (स्माइलिंग बुद्धा) 1974 में किया। उसने 1968 की N PT पर हस्ताक्षर नहीं किया। उसके बाद 1998 में 11 और 13 मई को अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में पुनः परमाणु परीक्षण किया। पोखरण क्षेत्र में पाचं परमाणु बम के भूमिगत परीक्षण किये गये। इसमें 11 मई को 3 परीक्षण थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण, फिजन परीक्षण और लोयील्ड परीक्षण किये गये इसके पश्चात् 13 मई को सब किलोटन पद्धति के माध्यम से दो परीक्षण किये। 500 से 1000 किलो ग्राम के इन परीक्षणों से भारत की परमाणु बम बनाने की क्षमता स्पष्ट हो गयी और अब भारत ने कम्प्यूटर डिजाइन के माध्यम से नये–नये अस्त्रों के डिजाइन की क्षमता का विकास कर लिया है। भारत के इस परीक्षण के 17 दिन बाद पाकिस्तान के भी 6 परीक्षण किये।

आणविक खतरों से भरे पड़ोंसी वातावरण को देखते हुये भारत का परमाणु परीक्षण आवश्यक था, हालाकि उसे आर्थिक प्रतिबंध सहित अनेक तरह के अन्तर्राष्ट्रीय दबावों का सामना भी करना पड़ा। पोखरण II के परीक्षण के बाद भारत की परमाणु नीति में आमूल परिवर्तन आ गया। भारत ने अपने शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु सीमित एवं विकल्प खुला रखने वाले परमाणु कार्यक्रमों का परित्याग कर परमाणु शस्त्र सम्पन्नता की नीति घोषित कर दी और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को प्रदर्शित कर दियां भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता के साथ कम्प्यूटर स्टीमुलेशन की क्षमता को भी स्पष्ट कर दिया। 1999 में भारत ने अपनी परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जिसे तीन वर्ष बाद सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने परमाणु नीति की घोषणा की जिसमें सुरक्षा के लिये न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की बात कही गयी। भारत ने 'नोफर्स्ट यूज' की नीति की बात कही लेकिन

आक्रमण की स्थिति में कई जवाब देने की बात पर बल भी दिया। भारत ने 2003 में नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाया और आज उसकी छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र की बन गयी है। अब भारत NSG (Nuclear Supplier Group) की सदसरूता के लिये प्रयास कर रहा है।

विश्व परमाणु उद्योग स्थिति (World nueclear industry status Report 2017 के अनुसार परमाणु रियक्टरों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में फिलहाल 21 परमाणु रियेक्टर सक्रिय है, जिनसे लगभग 7 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जिसे बढ़ाकर 2024 तक 14.6 मेगावाट और 2032 तक 63 मेगावाट तक करने का लक्ष्य है।

13.12 निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधायें Hindrances in Disarmament :

निःशस्त्रीकरण मानवता के विनाश में अत्यधिक अवरोधक है। भावी विश्व की सुरक्षा निःशस्त्रीकरण से ही सम्भव है। इसकी प्राप्ति में प्रमुख बाधायें निम्नलिखित है–

1– शक्ति संतुलन के निरन्तर अस्थिर वातावरण में निःशस्त्रीकरण की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

2– अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और असुरक्षा की भावना निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है।

3– राष्ट्रीय हित के प्रति अत्यधिक सतर्कता निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है।

4– पारस्परिक अविश्वास की भावना निःशस्त्रीकरण के मार्ग में अवरोधक है।

5– विश्व की महाशक्तियों का असामंजस्यपूर्ण व्यवहार निःशस्त्रीकरण के मार्ग में अवरोध है।

6– एन0पी0टी0 और सी0टी0बी0टी0 का क्रियान्वयन न हो पाना निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।

13.13 सारांश :

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करना है। यह राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करने में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना है चाहता है, किन्तु इन मंगलमयी भावनाओं की प्राप्ति तब तक तभीं हो सकती जब शस्त्रों की दौड़ में विराम न लगे। यह सम्भव नहीं होगा जब तक शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसका महत्व स्पष्ट होता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत और उसके बाहर निःशस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्न होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सभी राष्ट्रों की सम्प्रभुता का सम्मान किया गया है। अतः नितात आवश्यक है कि सभी राष्ट्र परस्पर सहयोग से भेद–भाव रहित संधियों का मार्ग प्रशस्त करें।

सम्बन्धित प्रश्न :

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1– निःशस्त्रीकरण का अर्थ बताइये और निःशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

2– ''विश्व में शांति की स्थापना के लिये निःशस्त्रीकरण अत्यधिक आवश्यक है।'' व्याख्या कीजिये।

3– संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण की क्या व्यवस्थायें है? स्पष्ट करें।

4– एन0पी0टी0 और सी0टी0बी0टी0 क्या है? भारत इन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है? स्पष्ट करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न :

1— निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में अंतर स्पष्ट करें।

2— निःशस्त्रीकरण के विविध प्रकारों को स्पष्ट करें।

3— संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण आयोग की भूमिका का विवेचन करें।

4— परमाणु अप्रसार संधि (N.P.) के प्रमुख प्रावधान स्पष्ट करें।

5— परमाणु अप्रसार संधि (N.P.T.) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) क्या है? भारत ने इस पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किये?

वस्तु निष्ठ प्रश्न :

1— संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (UN\IDIR) की कब स्थापना हुयी—

(A) 1979

(B) 1980

(C) 1981

(D) 1982

2— परमाणु अप्रसार संधि (N.P./T.) कब अस्तित्व में आयी—

(A) 1965

(B) 1970

(C) 1971

(D) 1972

3— व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) का प्रथम समीक्षा सम्मेलन कब हुआ?

(A) 1995

(B) 1996

(C) 1997

(D) 1998

प्रश्नोत्तर —

1 A	2 B	3 A

इकाई 14 संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का शान्तिपूर्ण समाधान

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास
14.3 संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रावधान में निहित शांति स्थापना का प्रयास
14.4 सदस्यों के निष्कासन के प्रावधान में निहित शांति स्थापना का प्रयास
14.5 समझौता वार्ता द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
14.6 मध्यस्थता द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
14.7 अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
14.8 पंच निर्णय द्वारा विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान
14.9 शान्ति रक्षा अभियानों द्वारा शान्ति स्थापना का प्रयास
14.10 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निःशस्त्रीकरण का प्रयास
14.11 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के अन्य प्रयास
14.12 सारांश

14.0 उद्देश्य :

- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान सकेगें कि संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के क्या–क्या प्रावधान है?
- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह समझ सकेगें कि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान के लिये किन–किन उपायों को अपनाता है।
- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह भी समझ सकेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने शांति अभियानों द्वारा कैसे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करता है।

14.1 प्रस्तावना :

आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कारों ने युद्ध की भयावहता स्पष्ट कर दी है। विश्व में दो महायुद्धों के चलते भीषण मानव संहार हुआ। जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उसका गहरा असर पड़ा। द्वितीय महायुद्ध तो विश्व इतिहास का सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध था। इसमें न केवल सैनिक सम्मिलित हुये बल्कि जन सामान्य भी इसकी परिधि में आ गये। विश्व के सभी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस युद्ध से प्रभावित हुये। वर्तमान समय में परमाणु

हथियार रासायनिक हथियार और जैविक हथियार अस्तित्व में आ चुके हैं। इन हथियारों की बिनाशक क्षमता बहुत ज्यादा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद शीतयुद्धोस्तर विश्व में राज्यों के अंदर भी नृजातीय संघर्ष देखने को मिला। इसके साथ ही गैरराज्यीय कर्ताओं के द्वारा भी मानवता को गम्भीर चुनौती मिली।

उपर्युक्त परिस्थिति में राजनीतिक को विश्व में शांति स्थापना की आवश्यकता की अनुभूति हुयी। फलतः शांति स्थापना की दिशा में विश्व स्तर पर विविध प्रयास हुये। राष्ट्र संघ की स्थापना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था तथापि राष्ट्रसंघ की असफलता के पश्चात् विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रयास था। केनेथ यंगर (Keneth Younger) ने इसी लिये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व में लोगों के मस्तिष्क में पर्याप्त दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गया है।

14.2 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विवादों में शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान :

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का 32 बार प्रयोग किया गया है। चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता बताया गया है। चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और इसके लिये प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शांति के संकटों को रोंकना और समाप्त करना तथा आक्रमण एवं शांति भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य है।'' चार्टर के अध्याय VI के अनुच्छेद 33–38 में शांतिपूर्ण समाधान के प्रावधान वर्णित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय VI विवादों के शंतिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित है। इसीतरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय VII शांति बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है। अध्याय VII का अनुच्छेद 41 निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिये गैर सशस्त्र उपाय जबकि अनुच्छेद 42 सशस्त्र उपायों से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में चार्टर का अनु0 2(3) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि सभी सदस्य राज्य इस बात के लिये वचनबद्ध हैं कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण साधनों द्वारा इस प्रकार तय करेंगे कि विश्व की शांति सुरक्षा ओर न्याय खतरे में न पड़े।

14.3 संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का मापदण्ड :

विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का मापदंड अत्यधिक सहायक है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये आवेदक राज्य को सम्प्रभु होने के साथ शांतिपूर्ण और चार्टर द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों में विश्वास रखने की शर्त पूरा करना आवपश्यक माना गया है।

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये आवेदक राज्य के आवेदन पर सुरक्षा परिषद विचार–विमर्श कर अपनी सिफारिश महासभा को प्रस्तुत करती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के लिये 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का एक मत होना आवश्यक है। इसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यदि महासभा अपने दो तिहायी बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन कर देती है तब आवेदक राज्य संयुक्त राष्ट्र

संघ का सदस्य बन जाता है। स्पष्ट है यह व्यवस्था मनोवैज्ञानिक रूप से सदस्य राज्य को स्मरण कराती रहती है कि उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उसकी शर्त पूरी करने पर प्राप्त हुयी है।

14.4 सदस्यों का निष्कासन :

चार्टर के अनुच्छेद 5 की शांतिपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। चार्टर के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट किया गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के विरूद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा निरोधात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी हो तो महासभा अपने दो तिहायी बहुमत से उस राज्य की सदस्यता के अधिकारों व विशेषाधिकारों के प्रयोग पर रोक लगा कर निलम्बित कर सकती है।

चार्टर का अनुच्छेद 6 की विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अत्यधिक सहायक है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य अगर वर्तमान चार्टर के सिद्धान्तों का बार–बार उलंघन करता है तो उसे महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ से निकाल सकती है।

सदस्य राज्यों के निलम्बन और निष्कासन की यह व्यवस्था विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्थायें सदस्य राज्यों को नियंत्रित करती है। इसके चलते सदस्य राज्य अपनी गरिमा का ध्यान रखते हैं और परिस्थितियों को तनावपूर्ण नहीं बनने देते।

14.5 समझौता वार्ता द्वारा विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान :

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 40 में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में वार्ता का महत्व बताया गया है। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद की सहायता लेने के पूर्व परस्पर वार्तालाप से समझौता करने को महत्वपूर्ण माना गया है। यह वार्ता राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच हो सकती है। वर्तमान समय में इस तरह की वार्ता साधारणतया दो देशों के राजदूतों में की जाती है। संघर्ष के मुद्दे का समाधान खोजने के लिये संघर्षरत राजदूतों के बीच पत्र व्यवहार होता है। यही पत्र व्यवहार वर्ता का आधार माना जाता है। यह वार्ता भले ही असफल हो जाय, किन्तु सम्बद्ध राज्यों का पक्ष विश्व जनमत के सामने प्रकट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सम्बद्ध पक्षों को शांतिपूर्ण समझौते से झगड़ा निपटाने के लिये कह सकती है, परन्तु परिषद की इस सिफारिश से झगड़े का कोई पक्ष विधितः बाध्य नहीं है, भले ही इस सिफारिश का अधिकतम राजनीतिक महत्व हो।

14.6 मध्यस्थता द्वारा विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान :

संयुक्त राष्ट्र की महासभा मध्यस्थता के माध्यम से भी विवादों के समाधान का प्रयास करती है। मध्यस्थता का यह कार्य सुरक्षा परिषद के कार्यों की तरह ही है। **प्लानों और रिग्स** के अनुसार महासभा का हस्तक्षेप उस समय आवश्यक हो जाता है, जब सुरक्षा परिषद किसी गम्भीर गतिरोध या अन्य विवादों से परिपूर्ण कार्यक्रम के कारण कार्य करने में असमर्थ रहती है। अपनी इस भूमिका के चलते उसने यह प्रभावित किया है कि वह एक सार्वजनिक सभा स्थल की ही भूमिका नहीं निभाती वरन् उसने अपने आपको निश्चिय लेने योग्य भी प्रभावित कर दिया है। उसकी यह भूमिका स्वेज नहर के संकट में, स्पेन, यूनान, हंगरी और फिलिस्तीन आदि प्रकरणों में प्रमाणित हुयी है।

सत्ससेवा (Good offices) या मध्यस्थता करने वाला पक्ष एक व्यक्ति या अन्तर्राष्ट्रीय निकाय भी हो सकता है। 1947 में सुरक्षा परिषद ने इण्डोनेशिया के लिये 'संयुक्त राष्ट्र संघ की सत्सेवा समिति की नियुक्ति की थी। सत्ससेवा और मध्यस्थता (Mediation) में अंतर है। सत्ससेवा में तीसरा पक्ष दोनों पक्षों को एक साथ बैठाता है और विवाद को सुलझाने का सुझाव देता है किन्तु वह वास्तविक वार्तालाप में भाग नहीं लेता किन्तु मध्यस्थता में हस्तक्षेपकर्ता राज्य स्वयं वार्ता में भाग लेता है। वह अपना सुझाव भी देता है और विचार विमर्श में सक्रिय भी रहता है। मध्यस्थता में तीसरा राज्य या व्यक्ति न केवल अपनी सेवायें देता है अपितु वार्ता में भाग लेकर सुलझाने का प्रयास करता है।

14.7 अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग द्वारा विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान :

अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग द्वारा विवादों के आधार का अध्ययन किया जाता है और इनके समाधान के लिये सुझाव दिये जाते है। इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव से सम्बन्धित आयोगों की स्थापना की है। उदाहरण के लिये 20 जनवरी 1948 को जम्मू और कश्मीर में शत्रुता के फैलने के सम्बन्ध में जमीनी तथ्यों की जाँच के लिये और उचित मध्यस्थता कार्यों में सहायता करने के लिये आयोग की स्थापना की गयी थी, हालांकि U.N.C.I.P. को 17 मई 1950 को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार अरब क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों से सम्बन्धित स्थिति की जाँच करने के लिये 22 मार्च 1979 को आयोग की स्थापना की गयी थी। इसी तरह के आयोग अंगोला, रवाड़ा, सेशलस, सोमालिया, सूडान, निकारागुआ, इंडोनेशिया आदि के सम्बन्ध में स्थापित किये गये।

14.8 पंच निर्णय द्वारा विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान :

पंच निर्णय का तात्पर्य है कि राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाय। यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा होता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न होता है। सामान्य रूप से पंच निर्णय में दिया गया पंचाट दोनों पक्षेां को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। कोई राज्य अपना विवाद पंचों को सौपने के लिये बाध्य नहीं है, किन्तु एक बार ऐसा कर लिया गया तो उसके निर्णयको मानने के लिये वह बाध्य होगा, किन्तु अंगर पंचों ने धोखे या दबाव से निर्णय दिया हो तो सम्बद्ध पक्षों को इसे स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिये पंचनिर्णय की व्यवस्था को स्वीकृत करता है। आर्बिट्रेशन की व्यवस्था में यदि विवादी पक्षकार मघ्यस्थों को नियुक्त करने में असफल हो जाते है तो नियुक्ति संधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष द्वारा या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा की जा सकती है। 1968 में कच्छ विवाद का निपटारा पंच निर्णय द्वारा हुआ था।

14.9 शांति रक्षा अभियानों द्वारा शान्ति–स्थापना का प्रयास :

संयुक्त राष्ट्र संघ संघर्षरत क्षेत्रों में शांति रक्षा मिशन की तैनाती करता है। शांति रक्षा मिशन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सैन्य पुलिस और नागरिक कर्मी शामिल होते हैं। ये शांति रक्षा मिशन युद्ध विराम की

निगरानी करने, सुलह वार्ता को सुविधा जनक बनाने, अनुकूल वातावरण बनाने और शांति समझौतों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना ने 1948 में सर्वप्रथम अरब–इजरायल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तब से यह निरन्तर गृह युद्ध और जातीय हिंसा से प्रभावित देशों में महत्वपूर्ण कार्य करती आ रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की इस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये वर्ष 1988 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत प्रारम्भ से ही संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के विभिन्न अभियानों में सम्मिलित होता रहा है। इस सम्बन्ध में सूडान, साइप्रस, तिमूर, कांगों, साइबेरिया, हैती आदि देशों में कार्यरत भारतीय सैनिकों की संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशंसा की जाती रही है। वर्तमान समय में चार महाद्वीपों में 17 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाये जा रहे है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है इन शांति अभियानों में 180000 से अधिक भारतीय सैनिकों को भेज चुका है।

शांति अभियानों के लिये सदस्य देश स्वेच्छा से योगदान देते है। शांति अभियानों की भूमिका बहु आयामी होती है। शांति अभियानों को न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने, नागरिकों की रक्षा करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने बल्कि वहां के लड़ाकों को निरस्त्र करने का काम भी करना पड़ता है। शांति सेना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभावी नियंत्रण में और इसका प्रत्येक कार्य सुरक्षा परिषद के प्रभावी नियंत्रण में होती है और इसका प्रत्येक कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। नीले रंग की कैप या नीले रंग की हेल्मेट इनकी पहचान है। ध्यातव्य रहे शांति सेना के ये सैनिक अपने देश की सेना के सदस्य माने जाते है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई शांति सेना नहीं है। इस शांति सेना के तीन बुनियादी सिद्धान्त है प्रथम–शांति सेनाको सम्मिलित सभी पक्षों की सहमति का ध्यान रखना पड़ता है द्वितीय शांति व्यवस्था कायम रखने के समय निष्पक्ष रहना पड़ता है और तृतीय आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में बल का प्रयोग नहीं करना होता है।

14.10 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निःशस्त्रीकरण का प्रयास :

संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति की स्थापना के लिये निःशस्त्रीकरण की दिशा में भी प्रयत्न किया है। चार्टर के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये सार्वजनिक सहयोग के सिद्धान्तों पर भी विचार कर सकता है। इसमें निःशस्त्रीकरण का परिचालन करने वाले तथा शस्त्रास्त्रों का नियमन करने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सुझाव दे सकता है। अनुच्छेद 25 निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद की भूमिका से सम्बन्धित है। इसमें कहा गया है कि विश्व के मानवीय और आर्थिक साधनों को कम से कम शस्त्रास्त्रों की ओर मोड़ने के प्रयत्नों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिये तथा इसे बनाये रखने के लिये शस्त्रास्त्रों के नियमन की व्यवस्था के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के सामने रखी जाने वाली योजना बनाने के लिये सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। इसी तरह अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद एक सैनिक स्टाफ कमेटी का निर्माण करते हुये घोषणा कर सकती है कि वह सुरक्षा परिषद को उन विषयों पर परामर्श और सहायता देगी जो उसको सौपी जाती है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में ही 26 जनवरी 1946 को संयुक्तराष्ट्र महासभा ने एक अणुशक्ति (AEC) के गठन का निर्णय लिया था और महासभा के प्रस्ताव के अनुसार कार्य करते हुये सुरक्षा परिषद ने परम्परागत शस्त्र आयोग (CCA) का गठन किया। जब इनके गठन में सफलता नहीं मिली तब महासभा ने 1952 में निःशस्त्रीकरण आयोग (D.C.) का गठन किया। 1968 में परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये 'परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि पर महासभा में मतदान कराया गया और जुलाई 1968 में N.P.T. पर लंदन मास्को और मास्कों में हस्ताक्षर कराये गये तथा इस सन्धि को मार्च 1970 में क्रियान्वित किया गया। यद्यपि भारत अर्जेन्टीना और ब्राजील ने इसे पक्षपात पूर्ण बताते हुये इसके विरूद्ध निर्णय लिया था। सितम्बर 2009 में सुरक्षा परिषद ने सन्धि पर हस्ताक्षर करने की सिफारिश की किन्तु भारत द्वारा इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुये विरोध जारी है। इसके बावजूद यह तथ्य तो स्पष्ट हो ही जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण के माध्यम से भी शांति की स्थापना का प्रयास करता है।

14.11 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के अन्य प्रयास :

संयुक्त राष्ट्र संघ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये विभिन्न देशों में मित्रता, सहयोग और बन्धुत्व भाव पैदा करने के लिये उचित वातावरण भी बनाता है। इसके साथ ही विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण साधनों को लोकप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व भी निभाता है। इसी उद्देश्य से वह सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास का कार्य भी करता है ताकि विश्व में स्वतंत्रता समानता न्याय बन्धुत्व और सुरक्षा का वातावरण विकसित हो और विश्व के देशों में शांति के भाव का विकास हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति निर्माण आयोग (PBC) एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है, जो संघर्ष प्रभावित देशें में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। यह आयोग 31 देशें से बना है, जो महासभा सुरक्षा परिषद और आर्थिक व सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। इसके साथ ही शांति निर्माण सहायता कार्यालय (PBSO), शांति निर्माण मामलों का विभाग (DPPA) और शांति निर्माण सहायता शाखा (PBCSB) शांति निर्माण आयोग को ठोस तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

14.12 सारांश :

वर्तमान वैज्ञानिक विकास के दौर में बड़े पेमाने पर विनाशक अस्त्र–शस्त्र मौजूद है, आतंकवाद के विभिन्न प्रकार चलन में है, राज्यों में प्रतिस्पर्धा भी है और गुटबन्दी भी। ऐसी परिस्थिति में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ न केवल युद्धों को रोककर बल्कि वातावरण सृजित कर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंग भी इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करते हैं। शांति स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विविध प्रकार के प्रावधान हैं गैर शस्त्र उपायों को वह प्राथमिकता प्रदान करता है। उनके विफल होने पर सशस्त्र उपायों का उपयोग किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 में ऐसे उपबन्ध बताये गये हैं। चार्टर की धारा 39 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद खतरों और आक्रमणकारी का पता लगायेगी। इसके साथ ही धारा 40 और 41 के अनुसार आक्रमणकारी के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध और कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने जैसी सिफारिश कर सकती है। अन्ततः चार्टर की धारा 42 के अनुसार वह सेना तक का प्रयोग भी कर सकती है। जैसा कि उसने कोरिया विवाद (1950) और खाड़ी संकट (1990) जैसे अवसरों पर किया है। इन सब परम्परागत उपायों से हटकर चार्टर के अनुच्छेद 52 में प्रादेशिक व्यवस्थाओं (Regional agencies or arrangements) का भी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य ऐसी संस्थाओं के सदस्य हो या उन्होंने ऐसे प्रबन्ध किये हो तो वे स्थानीय झगड़ों को सुरक्षा परिषद के सामने लाने से पूर्व पहले इन्हें प्रादेशिक संस्थाओं या प्रबन्धों के जरिये शान्तिपूर्ण रूप से सुलझाने की कोशिश करेंगे। सभी प्रादेशिक संगठनों फिर वह चाहे अमेरिकी राज्येां के संगठन व नाटों आदि ही हो सभी के चार्टर में शान्तिपूर्ण ढंग से विवादों के समाधान का प्रावधान है।

राष्ट्र संघ की विफलता के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर में विवादों के समाधान हेतु विविध तरह के उपायों का प्रावधान किया है। फिर वह चाहे शांतिपूर्ण हो या बाध्यकारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि शांति ही विकास का आधार है। इसी पर वर्तमान और भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विविध अंगों ओर एजेंन्सियों के माध्यम से ऐसे वातावरण के सृजन के लिये सतत प्रयत्नशील रहता है। वैश्वीकरण के इस परिदृश्य में विश्व के प्रत्येक भाग में शांति स्थापना की आवश्यकता है। य़द्यपि विश्व संस्था से हटकर भी इस दिशा में प्रयास होते रहे है तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किये गये प्रयासों का प्रभाव वैश्विक स्तर का हो जाता है।

सम्बन्धित प्रश्न :

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1– संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये किन उपायों को अपनाता है? स्पष्ट करें।

2– संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये क्या प्रावधान है? राष्ट्रसंघ ने कैसे उनका प्रयोग किया?

3– संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति रक्षा अभियान किस तरह शांति स्थापना में सहयोग करते हैं? स्पष्ट करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न :

1– मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान कैसे होता है? मध्यस्थता और सत्सेवा में क्या अन्तर है?

2– संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की भूमिका स्पष्ट करें।

3– पंच निर्णय द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जाता है?

4– अन्तर्राष्ट्रीय जांच आयोग की भूमिका स्पष्ट करें।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

1– संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय शांतिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित है?

(A) अध्याय VI

(B) अध्याय VII

(C) अध्याय VIII

(D) अध्याय IX

2– संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये क्या आवश्यक है?

(A) चार्टर के निर्धारित सिद्धान्तों में विश्वास

(B) सुरक्षा परिषद की सिफारिश

(C) महासभा द्वारा दो तिहायी बहुमत से समर्थन

(D) उपर्युक्त सभी

3– संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से निष्कासन के लिये क्या आवश्यक नहीं है?

(A) महासभा का दो तिहायी बहुमत

(B) सुरक्षा परिषद की सिफारिश

(C) सुरषा परिषद की सर्वसम्मति से सिफारिश

(D) सुरषा परिषद द्वारा सदस्य राज्य के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

4– संयुक्त राष्ट्र शाति सेना को कब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया?

(A) 1986

(B) 1987

(C) 1988

(D) 1986 और 1987

प्रश्नोत्तर –

1 A	2 D	3 C	4 C

<u>उपयोगी पुस्तकें</u>

1-	Arne, Signed	:	United Nations Primer (Rinehertrco New York Inded.
2-	Chase, Eugenep	:	The United nations in action (Me Grow Hill book co,. New york.
3-	Cheever In Haviland	:	Organization for peace, International Organization in world affairs.
4-	Eagletan, clyde	:	International government (The Ronal Press Co. Newyork.
5-	Bhumiya Niranjan	:	International organization.
6-	Nilgrami S.J.R.	:	International organization (Vikas New Delhi.
7-	Goodrich L M and HambroE	:	The charter of the United nations BHaston.
8-	Govind Raj	:	India and disputes in the United nations Vora Bombay.
9-	Kaul M.N.	:	India and the C. L.O. (Metropolitan book Co. Delhi 1956.
10-	Lie Tryve.	:	In the cause of peace (Mac Millan Landon.
11-	Nicholas H.G.	:	The leayue of Nations in theory and Practice.
12-	Oppenteim	:	International Law (Langmars & Co London.
13-	Webster C.K.	:	The leaque of Nations in theory and Practice.

14.	अरोड़ा विजय	:	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
15.	बघेल, सन्तोष सिंह	:	राजनय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगइन
16.	कार. ई0 एच0	:	दो विश्व युद्धों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
17.	देव बाला शांति	:	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त
18.	हार्डी मेथोर्न	:	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संक्षिप्त इतिहास
19.	जैन हरिमोहन	:	अन्तर्राष्ट्रीय विधि
20.	खरे दिनेश	:	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास
21.	राय एम0पी0	:	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
22.	सिंह एस0सी0	:	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
23.	सिंह वेद प्रकाश	:	संयुक्त राष्ट्र संघ
24.	वर्मा दीनानाथ	:	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास

।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon
Open University

MAPS -112
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

खण्ड
5
संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलाप एवं मूल्यांकन

इकाई- 15

संयुक्त राष्ट्र के अर्न्तगत प्रवर्तन कार्यवाही 141

इकाई- 16

संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा (यू0 एन0 पीस कीपिंग) 150

इकाई- 17

संयुक्त राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि 157

इकाई- 18

संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार 171

इकाई- 19

संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन 183

खण्ड – 5 संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलाप एवं मूल्यांकन

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुआयामी है। इसका दायित्व केवल शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने तक ही संयुक्त राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद अवरोध की तरह उत्पन्न होते रहे किन्तु उनके निराकरण के लिए इस संस्था की तत्परता के कारण ही छोटे युद्धों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान कर लिया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये किसी व्यापक संकट की संभावना पर अभी तक विराम लगा हुआ है। इस प्रक्रिया में भले ही इसे कभी आंशिक सफलता, कभी पूर्ण सफलता और कभी विफलता भी मिली किन्तु इसका प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।

इकाई 15— संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 परिचय

15.2 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ

15.3 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निराकरण में संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तन कार्यवाही

15.4 सारांश

15.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

15.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

15.0 उददेश्य :—

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप—

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न देशों के पारस्परिक विवाद एवं टकराव की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के प्रवर्तन कार्यवाही के महत्व को समझ सकेंगे।
- संवाद, समझौते एवं सहयोग से समस्याओं का समाधान न हो पाने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र विवादों के समाधान के लिए सामरिक पहल करता है, इसको समझ सकेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र ने विद्यमान विश्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ ही विश्व को समुचित बनाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहा है, इसे समझ सकेंगे।
- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष क्या नयी चुनौतियाँ हैं, इसे समझ सकेंगे।

15.1 परिचय :—

संयुक्त राष्ट्र, मानव सभ्यता के इतिहास में शान्ति एवं विकास के लिए राष्ट्रों की सामूहिक समझ, चेतना और संकल्प की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह अपने आप में एक विश्व मंच है। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों के मध्य साहचर्य की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक निकाय है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त इसने

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की समझ को विकसित किया है। मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में इसकी पहल महत्वपूर्ण है। निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में यह निरन्तर सचेष्ठ है।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुआयामी है। इसका दायित्व केवल शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है। विश्व में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1974 में महासभा द्वारा कई दिशा–निर्देशों के निरूपण किए गए। साथ ही सदस्य–देशों के आर्थिक अधिकारों और कर्त्तव्यों को भी परिभाषित किया गया तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आचार संहिता तैयार की गई। इन सभी के उद्देश्य यही थे कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विषमता में कमी हो। यह उद्देश्य भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। तीसरी दुनिया के देशों की प्रगति और उपलब्धियों के कारण यह प्रत्यय बेमानी हो गया है। विकासशील देशों में से अनेक देश विकसित देशों के साथ बहुत से क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में है। इस संदर्भ में भी संयुक्त राष्ट्र से प्रवर्तन कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

15.2 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष नयी चुनौतियाँ :–

(1) घातक परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाना।

(2) समुद्री सम्पदा दोहन के सम्बन्ध में विकसित और विकासशील देशों में मतभेद मिटाना।

(3) विकासशील देशों की तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना।

(4) विकसित देशों द्वारा विकासशील के परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग में बाधाएँ उत्पन्न करने को रोकना।

(5) कच्चे माल को अधिक सस्ते भाव में खरीदना और बने माल को अधिक ऊँची कीमत में विकसित देशों द्वारा बेचने को रोकने के प्रयास करना।

संयुक्त राष्ट्र ने विद्यमान विश्व संरचना को व्यवस्थित करने के साथ ही विश्व को बेहतर बनाने के लिए आगे के कार्यक्रम भी निर्धारित कर रखे हैं। इसके द्वारा वर्ष 2015 तक विश्व के राष्ट्रों से शताब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का शताब्दी विकास का लक्ष्य निम्नवत् है–

(1) गरीबी और भूख का उन्मूलन।

(2) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति।

(3) लैंगिक भेदभाव का समापन।

(4) बाल मृत्युदर को 1990 के स्तर से दो–तिहाई कम करना।

(5) मातृत्व स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार।

(6) एचआईवी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निपटना।

(7) पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना।

(8) विकास हेतु वैश्विक साझेदारी सुनिश्चित करना।

15.3 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निराकरण में संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तन कार्यवाही :–

संयुक्त राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद अवरोध की तरह उत्पन्न होते रहे किन्तु उनके निराकरण के लिए इस संस्था की तत्परता के कारण ही छोटे युद्धों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान कर लिया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये किसी व्यापक संकट की संभावना पर अभी तक विराम लगा हुआ है। इस प्रक्रिया में भले ही इसे कभी आंशिक सफलता, कभी पूर्ण सफलता और कभी विफलता भी मिली किन्तु इसका प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। प्रत्येक बड़े संघर्ष के बाद इसी की पहल पर युद्ध विराम की स्थिति बनी और स्थायी समाधान का पथ प्रशस्त हुआ। विविध अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निराकरण में इसकी पहल निम्नवत है–

संयुक्त राष्ट्र–इराक समझौता– फरवरी, 1988 में खाड़ी क्षेत्र में टकराव और सम्भावित युद्ध का खतरा उस समय टल गया जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने स्वयं बगदाद की यात्रा करके इराक में जैविक व रासायनिक हथियारों की जाँच को लेकर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिये इराक के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। संयुक्त राष्ट्र सम्मत सिद्धान्तों को दरकिनार करते हुए सहयोगी राष्ट्रों के साथ अमरीका ने सद्दाम हुसैन व इराकी नेतृत्व का सफाया करने के उद्देश्य से इराक पर एक बड़ा हमला 20 मार्च, 2003 को किया। इस सैन्य कार्यवाही में 35 राष्ट्रों के सक्रिय सहयोग का दावा अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हमले के दिन ही किया था। **'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम'** नाम से की गयी इस सैन्य कार्यवाही में ब्रिटेन की सेनाएँ खुले तौर पर जहाँ युद्ध में शामिल थी, वहीं 1991 के **'ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म'** में अमरीका के सहयोगी रहे फ्रांस, जर्मनी व रूस ने युद्ध के प्रति अपना विरोध शुरू में ही जता दिया था। 1991 में इराक के विरूद्ध संचालित 'ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म' को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की हरी झण्डी कभी मिली हुई थी तथा विश्व का बड़ा जनमत अमरीका के साथ था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के मामले में स्थिति कुछ वैसी नहीं रही। इस सैन्य कार्यवाही के लिये संयुक्त राष्ट्र सघ सम्मत प्रक्रिया को अमरीका ने नहीं अपनाया। इसके लिये सुरक्षा परिषद् में कोई मतदान भी नहीं कराया गया।

9 अप्रैल, 2003 को अमरीकी फौजों ने बगदाद पर नियन्त्रण कर लिया। लगभग 14 माह तक इराक में प्रशासन पर नियंत्रण के पश्चात् अमरीका के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इराकियों को सत्ता का औपचारिक हस्तान्तरण कर दिया। इराकियों की अन्तरिम सरकार को सरकारी विभागों का प्रशासन यद्यपि 24 जून, 2004 को ही अमरीकी

नेतृत्व वाले प्रशासन (Coalition Provisional Authority) ने सौंप दिया था। सत्ता के औपचारिक हस्तान्तरण के लिये 30 जून, 2004 की तिथि निर्धारित की गयी थी। इस कार्य योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 15–0 से स्वीकृति 8 जून, 2004 को प्रदान की थी।

नामीबिया की स्वतन्त्रता– नामीबिया की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 13 दिसम्बर, 1988 को ब्राजबिले में दक्षिणी अफ्रीका, क्यूबा तथा अंगोला में हुए समझौते में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य भूमिका थी जिसके फलस्वरूप 21 मार्च, 1990 को नामीबिया स्वतन्त्र हो गया।

कम्बोडिया– संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से 23 अक्टूबर, 1991 को पेरिस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कम्बोडिया में संघर्षरत सभी गुटों ने पूर्ण सहमति से शान्ति समझौते का अनुमोदन कर दिया। जून 1993 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वहाँ चुनाव सम्पन्न हो गये और देश में शान्ति एवं स्थिरता स्थापित होने की आशा बढ़ी है।

यूगोस्लाविया– भूतपूर्व यूगोस्लाविया में सर्ब, क्रोएट और मुस्लिम समुदायों के बीच आन्तरिक जातीय संघर्ष 1992–95 की अत्यन्त दुःखद घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के ले0 जनरल सतीश नाम्बियार के नेतृत्व में 25,000 सैनिकों की एक सुदृढ़ शान्ति सेना शान्ति बहाल करने के लिये वहाँ भेजी। ये सैनिक 25 देशों से लिये गये थे।

बोस्निया में संयुक्त राष्ट्र को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 14 दिसम्बर, 1995 को बोस्निया समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर हुए। संयुक्त राष्ट्र को पीछे धकेलते हुए बोस्निया में शान्ति स्थापना का दायित्व नाटों ने ग्रहण कर लिया। नाटो बोस्निया में शान्ति स्थापना के लिए 60 हजार सैनिक भेजने के लिये तैयार हो गया जिसमें 20 हजार अमरीका से लिये जाने थे।

पूर्वी तिमोर– पूर्वी तिमोर पर इण्डोनेशिया और पूर्तगाल ने 5 मई, 1999 को दो समझौतों पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में किये। पहले समझौते के अनुसार पूर्वी तिमोर में बहुराष्ट्रीय शान्ति स्थापना बल तैनात करना और दूसरे समझौते के अनुसार पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्रशासन की स्थापना करना था।

बोस्निया– 18 जून, 1999 को सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव द्वारा UNMIVH की अनिवार्यता 21 फरवरी 2000 तक बढ़ा दी थी।

सियरा लियोन– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने सियरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन की स्थापना करते हुए 22 अक्टूबर, 1999 को प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में सियरा लियोन में 6000 सशक्त संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना बल की तैनाती के लिये प्राधिकृत किया गया है। इन शान्ति स्थापकों का पहला दल 29 नवम्बर, 1999 को सियरा लियोन पहुँचा।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम बल– लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम बल की अवधि को जनवरी 2000 के अन्त माह के लिये बढ़ाने की अनिवार्यता पर सुरक्षा परिषद् में 30 जुलाई, 1999 को मतदान हुआ। अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर लेबनान की प्रादेशिक अखंडता, सम्प्रभुता और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये अपने दृढ़ समर्थन की पुनः पुष्टि की।

अतः स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसी के प्रयास से राष्ट्रों के बीच की उभयपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप नहीं धारण कर सकीं और न ही विश्व मानवता के सम्मुख गंभीर संकट उत्पन्न कर सकी। सामान्यतया विवादों को सीमित कर स्थानीय स्तर पर ही हल कर लेने में संयुक्त राष्ट्र को सफलता मिलती रही है।

शांति स्थापित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की विद्यमान कार्यवाहियाँ :–

संयुक्त राष्ट्र ने समय–समय पर राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का सार्थक प्रयास किया है। वर्तमान समय में निम्नलिखित 16 संयुक्त राष्ट्र शांति कायम रखने वाले आपरेशन्स हैं–

(1) यू0एन0 ट्रूस सुपरविजन आर्गनाइजेशन (**U.N. Truce Supervision Organisation : U.N.T.S.O.**)– इसकी स्थापना पैलेस्टीन में मध्यस्थ तथा ट्रूस कमीशन की पैलेस्टीन में संधि के अनुपालन के पर्यवेक्षण हेतु 1948 में हुई थी। इसमें 224 सैनिक पर्यवेक्षक है जो बेरुत तथा सिनाई में स्थित हैं।

(2) यू0एन0 मिलिटरी आब्जर्वर ग्रुप इन इण्डिया ऐण्ड पाकिस्तान (**U.N. Military Observer Group in India and Pakistan : UNMOGIP**)– UNMOGIP भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जम्मू एवं कश्मीर राज्य में संधि–विराम के पर्यवेक्षण हेतु जनवरी 1949 में स्थापित किया गया था। इसमें 38 सैनिक पर्यवेक्षक हैं।

(3) यू0एन0 पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस (**U.N. Peace-Keeping Force in Cyprus : UNFICYP**)– इसकी स्थापना मार्च, 1964 में हुई थी। UNFICYP में 1480 सैनिक कार्मिक तथा 38 नागरिक पुलिस हैं। इसे लड़ाई रोकने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्थापित किया गया था। 1974 के संघर्ष के बाद से यह साइप्रस नेशनल गार्ड तथा टर्किश साइप्रस सेनाओं के मध्य संधि विराम के पर्यवेक्षण का कार्य कर रही है।

(4) यू0एन0 डिसइंगेजमेन्ट आब्जर्वर फोर्स (**U.N. Disengagement Observer Force : U.N.D.O.F.**)– U.N.D.O.F. की स्थापना जून 1974 में इजरायल एवं सीरिया के मध्य सन्धि–विराम का पर्यवेक्षण करने के लिये की गयी थी। इसमें 1120 सैनिक हैं तथा U.N.T.S.O. के पर्यवेक्षक भी इसकी सहायता करते हैं।

(5) यू0एन0 इन्टरिम फोर्स इन लेबनान (**U.N. Interim Force in Lebanon : UNIFIL**)– इसकी स्थापना मार्च, 1978 में की गई थी। इसमें 5.280 सैनिक तथा 57 सैनिक पर्यवेक्षक तथा 520 असैनिक कर्मचारी हैं। इसकी स्थापना दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेनाओं की वापसी की पुष्टि करने, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा पुनः स्थापित करने तथा क्षेत्र में प्रभावी प्राधिकार की वापसी को सुनिश्चित करने के लिये की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव संख्या 1701/2006 द्वारा उक्त फोर्स के उद्देश्य को और भी विस्तृत कर दिया। इस प्रस्ताव ने INIFIL में सेनाओं की संख्या में वृद्धि करके 15,000 कर दिया। प्रस्ताव में संघर्ष की समाप्ति के सम्बन्ध में इसके कार्य की परिधि को बढ़ा दिया है।

(6) यू0एन0 ईराक–कुवैत आब्जर्वर मिशन (**U.N. Iraq-Kuwait Observer Mission : UNIKOM**)– इसकी स्थापना अप्रैल, 1991 में 320 सैनिक तथा 188 असैनिक कर्मचारी द्वारा ईराक तथा कुवैत के मध्य 40 किलोमीटर लम्बा खोर अब्दुल्ला जलमार्ग तथा गैर–सैनिक को गये क्षेत्र के पर्यवेक्षण हेतु की गयी थी। फरवरी 1993 में सुरक्षा परिषद् ने UNILPM को एक सशस्त्र सेना के रूप में परिणित कर दिया जो छोटे स्तर के उल्लंघन भी रोक सकती है। इस हेतु इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3,600 कर दी गई।

(7) यू0एन0 अंगोला वेरीफिकेशन मिशन (**U.N. Angola Verification Mission : UNAVEM II**)– इसकी स्थाना जून, 1991 में सन्धि विराम का पर्यवेक्षण करने हेतु की गई थी। इसमें 75 सैनिक पर्यवेक्षक, 28 पुलिस पर्यवेक्षक तथा 115 असैनिक कर्मचारी है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि सितम्बर, 1992 के चुनाव स्वतंत्र तथा सही थे, उसके परिणाम की चुनौती दी गई तथा लड़ाई फिर से भड़क उठी। तब से UNAVEM II दोनों पक्षकारों में शांति पुनः स्थापित करने के लिये मदद कर रही है।

(8) यू0एन0 आब्जर्वर मिशन इन एल सल्वाडोर (**U.N. Observer Mission in El Salvador : ONUSAL**)– ONUSAL की स्थापना जुलाई 1991 में एल साल्वाडोर तथा FMLN के मध्य करारों के अनुपालन के सत्यापन हेतु की गई थी। इसमें 380 सैनिक तथा पुलिस कार्मिक तथा 250 असैनिक कर्मचारी है। इसके अतिरिक्त 1994 मार्च के चुनावों में 900 चुनाव पर्यवेक्षक सहायता के लिये नियुक्त किये गये।

(9) यू0एन0 मिशन फार द रेफ्रेन्डम इन वेस्टर्न सहारा (**U.N. Mission for the Referendum in Western Sahara: MINURSO**)– इसकी स्थापना सितम्बर, 1991 में सन्धि विराम का पर्यवेक्षण करने, क्षेत्र में मोरक्को सेनाओं की कमी होने का सत्यापन करने, पश्चिमी सहारा के राजनैतिक कैदी, युद्ध कैदियों के आदान–प्रदान की देख–रेख करने, वैध मतदाताओं का पता लगाकर, पंजीकरण करने, स्वतंत्र जनमतगणना (referendum) की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उसके परिणाम निकालने आदि के लिये की गई थी। MINURSO में 255 सैनिक पर्यवेक्षक, 100 सैनिक सहायक कर्मचारी तथा 103 असैनिक कर्मचारी हैं।

(10) **यू0एन0 प्रोटेक्शन फोर्स (U.N. Protection Force : UNPROFOR)**– इसकी स्थापना फरवरी 1992 में की गई थी। इसमें 24,000 सैनिक तथा असैनिक कर्मचारी हैं। इनमें 14,000 क्रोशिया में, 9200 बासनिया एवं हरजीगोबिना तथा 750 पूर्व यूगोस्लाव गणतंत्र मेसी डोनिया में हैं।

(11) **यू0एन0 आपरेशन इन मोजाम्बिक (U.N. Operation in Mozambique : ONUMOZ)**– 4 अक्टूबर, 1992 के रोम करार के अनुपालन हेतु इसकी स्थापना दिसम्बर 1992 में की गई थी। इसमें 7000 से 8000 के मध्य सैनिक एवं असैनिक कर्मचारी है।

(12) **यू0एन0 ट्रान्जिसनल ॲथार्टी इन कम्बोडिया (U.N. Transitional Authority in Combodia : UNTAC)**– UNTAC की स्थापना 28,000 सैनिकों के साथ अप्रैल 1993 में की गई थी। इसे 23–28 मई 1993 के चुनाव प्रबन्ध एवं संचालन हेतु स्थापित किया गया था। इसकी अवधि की समाप्ति एवं संवैधानिक सभा तथा कम्बोडिया के नये संविधान के अनुमोदन होने पर होगी।

(13) **यू0एन0 आपरेशन इन सोमालिया II (U.N. Operation in Somalia II : ONUMOZ)**– इसकी स्थापना अप्रैल 1993 को संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों तथा मानवीय प्रदाय की सुरक्षा हेतु किया गया था। इसमें 28,000 सैनिक तथा 2800 असैनिक कर्मचारी हैं।

(14) **यू0एन0 आब्जर्वर मिशन इन युगान्डा–रवान्डा (U.N. Observer Mission in Uganda-Rwanda : UNOMUR)**– इसकी स्थापना जून 1993 में युगान्डा–रवान्डा सीमा का पर्यवेक्षण करने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि रूवान्डा में कोई सैनिक सामग्री पहुँचने न पाये। इसमें 81 सैनिक पर्यवेक्षक तथा 24 असैनिक कर्मचारी हैं।

यू0एन0 एसिस्टेन्ट मिशन टु रवान्डा (U.N. Nation Assistance Mission to Rwanda : UNAMIR)– 5 अक्टूबर, 1993 को सुरक्षा परिषद् ने UNAMIR की स्थापना सरकार तथा रूवान्डीज पैट्रीआटिक फ्रन्ट (RPF) के मध्य शांति करार के अनुपालन की देख–रेख करने के लिये स्थापित की। उक्त करार से 3 वर्षों का गृहयुद्ध समाप्त हुआ। इस मिशन की स्थापना के बाद (UNOMIR) कभी इसके अन्तर्गत आ गया। इसके द्वितीय चरण में कुल 2548 सैनिक कर्मचारी होंगे।

(15) **यू0एन0 आब्जर्वर मिशन इन लाइबेरिया (U.N. Observer Mission in Liberia : UNOMIL)**– इसकी स्थापना जुलाई 1993 में स्थापित सन्धि विराम के पर्यवेक्षण, फरवरी–मार्च 1994 चुनाव की देख–रेख तथा मानवीय सहायता के समन्वय करने हेतु 22 सितम्बर 1993 को की गई थी। इसमें 300 सैनिक पर्यवेक्षक, मानवीय तथा चुनाव पर्यवेक्षक हैं।

(16) यू0एन0 आब्जर्वर मिशन इन जार्जिया (**U.N. Observer Mission in Georgia : UNOMIG**)– इसकी स्थापना सुरक्षा परिषद् ने 24 अगस्त, 1993 को जार्जिया तथा अबकाजिया के काले सागर के क्षेत्र में पृथकतावादी सेनाओं के मध्य सन्धि विराम करार के अनुपालन के सत्यापन हेतु की गई थी। पूर्व सोवियत संघ क्षेत्र में यह सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र शान्ति कायम रखने वाला मिशन है। इसके अन्तर्गत 88 सैनिक पर्यवेक्षक संधि विराम के अनुपालन का सत्यापन करेंगे।

15.4 सारांश :–

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के सभी छोटे और बड़े देशों को एक मंच पर बैठाकर वार्तालाप के माध्यम से अथवा अन्य शांतिपूर्ण उपायों से विश्व की समस्याओं को हल करने का मार्ग बताती है। संघ की स्थापना से लेकर आज तक अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हुई जिससे यह आशंका होने लगी कि तीसरा महायुद्ध अवश्यंभावी है किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ की दूरदृष्टि, सूझबूझ के कारण इन समस्याओं को किसी–न–किसी प्रकार सुलझाने का प्रयास किया गया और विश्व मानवता को युद्ध की विभीषिका से बचाने में वह कामयाब रहा। आज भी विश्व मानवता के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ आशा की किरण का कार्य कर रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सशक्त संयुक्त राष्ट्र ही विश्व शांति को बनाए रखने तथा संपूर्ण मानवता के हितों की रक्षा करने में सक्षम हो सकेगा। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा के प्रयासों में असफलत रहता है तो सामूहिक विनाश अवश्यंभावी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ जिन सिद्धांतों पर आधारित है, निःसंदेह वे सिद्धांत शांति, एकता और विश्व मानवता के हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। किंतु संघ की सफलता का अंतिम दायित्व सदस्य राष्ट्रों के सहयोग और उनके रूख पर ही निर्भर है। संघ की असफलता का तात्पर्य सदस्य राष्ट्रों का असहयोग ही कहा जाएगा और उसके कड़वे फल भी उन्हें ही चखने होंगे।

15.5 अभ्यासार्थ प्रश्न :–

1. संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों में प्रवर्तन कार्यवाही के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
2. विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र के प्रवर्तन कार्यवाही के समक्ष क्या गतिरोध हैं ? स्पष्ट कीजिए।
3. संयुक्त राष्ट्र के प्रवर्तन कार्यवाही की क्या उपादेयता है? स्पष्ट कीजिए।

15.6 संदर्भ ग्रन्थ :–

- बायड, जेम्स एम, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरशंस : ए मिलिटरी एंड पॉलिटिकल अप्रेसल, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1971.
- ब्लूमफील्ड, लिंकन पी, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स, बोस्टन : लिटिल ब्राउन, 1964.
- फेबियन, लैरी एल, सोल्जर्स विदाउट ऐनीमीज : प्रिपेयरिंग दी यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1971.
- जेम्स, ऐलन, दी पॉलिटिक्स ऑफ पीस कीपिंग, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1969.
- कोक्स, आर्थर एम, प्रास्पेक्टस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1967.
- रिखी, इंद्रजीत, दी ब्लू लाइन : इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड इट्स फ्यूचर, न्यू हैवन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974.
- रसैल, रूथ बी, यूनाइटेड नेशंस एक्सपीरियंस विद मिलिटरी फोर्सेस : पॉलिटिकल एंड लीगल आस्पेक्ट्स, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1964.
- बेहर, पीटर एवं लियोन गोर्डेनकर, दी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1984
- डेविडसन एन सिक्योरिटी काउंसिल : टुवर्ड्स ग्रेटर इफैक्टिवनेस, न्यूयॉर्क : यूनिटार, 1990

इकाई 16– संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा (यू0एन0 पीस कीपिंग)

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 परिचय

16.2 शान्ति परिरक्षा कार्यवाही

16.3 शान्ति परिरक्षा कार्यवाही में सम्मिलित कार्य

16.4 संयुक्त राष्ट्र : प्रमुख शान्ति परिरक्षा कार्यवाही

16.5 शान्ति स्थापनार्थ कार्यवाही विभाग

16.6 सारांश

16.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

16.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

16.0 उददेश्य :–

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप समझ सकेंगे–

- संयुक्त राष्ट्र परिरक्षा कार्यवाही से आशय क्या है।
- शान्ति रक्षण कार्यवाही के विशिष्ट लक्षण क्या हैं।
- शान्ति संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख शान्ति परिरक्षा के कार्यवाही को समझ सकेंगे।

16.1 परिचय :–

संयुक्त राष्ट्र सम्प्रभु राष्ट्रों की शांतिप्रियता, विकासशीलता एवं पारस्परिक निर्भरता की अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसा संगठन है, जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए अनेक प्रकार की शान्ति परिरक्षा की कार्यवाहियों में संलग्न है, जिन्हें 'शान्ति रक्षण कार्यवाही' कहा जाता है। 'शान्ति रक्षण कार्यवाही' के सन्दर्भ में ऐसा माना जाता है कि यह सभी मामलों का निराकरण नहीं करती। सामान्यतया जो कार्यवाही संघर्ष समाप्त करने और संकटपूर्ण स्थितियों का समाधान करने के लिए विभिन्न रूपों में उन्हें निष्प्रभावी करने के लिए की जाती है, उसे शान्ति परिरक्षा कार्यवाही कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के संवर्धन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के पास संयुक्त राष्ट्र की शांति परिरक्षा कार्यवाहियाँ एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। शांति पालन कार्यवाहियों का आयोजन सुरक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है एवं सामान्यतया महासचिव द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से उन्हें निर्देश

दिए जाते हैं। मिशन के स्वरूप को देखते हुए सैन्य पहलुओं के लिए सैन्य बल के कमांडर या सैन्य पर्यवेक्षक जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास अपना कोई सैन्य बल नहीं है। सदस्य राज्य स्वैच्छिक आधार पर किसी कार्यवाही के लिए आवश्यक सैन्यकर्मी, उपकरण एवं आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं। सदस्य राष्ट्र अपनी सहभागिता, जिनमें कमान एवं नियन्त्रण व्यवस्था भी सम्मिलित है, की शर्तों के सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक संवाद करते है एवं अन्ततः अपने सैन्य बलों पर अंतिम अधिकार अपना ही रखते हैं। शांतिपालक अपने देश का यूनिफार्म पहनते हैं। यह केवल संयुक्त राष्ट्र के नीले हेलमेट और नीले बैज के कारण वे शांति पालक के रूप में पहचाने जाते हैं।

16.2 शान्ति परिरक्षा कार्यवाही :–

अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाये रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनेक प्रकार की शान्ति रक्षण कार्यवाहियाँ की जाती हैं उसे हम शान्ति परिरक्षा कार्यवाही कहते हैं। शान्ति परिरक्षा कार्यवाही में पर्यवेक्षक कार्यवाही तथा सशस्त्र बलों की तैनाती को शामिल करने वाली कार्यवाही शामिल है। इसमें सुरक्षात्मक (Defensive) या संरक्षणात्मक (Pnotective) प्रकृति की कार्यवाही होती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव डैग हैमरसोल्ड ने शान्ति रक्षण कार्यवाही को निवारक कूटनीति (Preventive Diplomacy) कहा था।

शान्ति रक्षण कार्यवाही संघर्ष के पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर की जाती है परिणामतः यह सहमति–जन्य (Consensual) होती है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यू0 थांट (U. Thant) ने एक बार कहा था कि 'मेजबान राष्ट्र की सम्मति वह मूल सिद्धान्त है, जो संयुक्त राष्ट्र की सम्पूर्ण शान्ति रक्षण कार्यवाहियों में लागू होती है।'

शान्ति परिरक्षा कार्यवाहियों एवं उनका उपयोग मेजबान राष्ट्र एवं सामान्यतः अन्य सम्मिलित पक्षों की सहमति से सुरक्षा परिषद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। उसमें सैन्य पुलिसकर्मियों तथा नगरवासियों को भी शामिल किया जा सकता है। कार्यवाहियाँ सैन्य प्रेक्षक दल के रूप में या शान्ति अनुरक्षण बल के रूप में या दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है। सैन्य प्रेक्षक, मिशन शस्त्र सहित अधिकारियों से गठित होता है। शान्ति अनुरक्षण बलों के सैनिकों के पास हथियार होते हैं लेकिन उनका प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाता है।

16.3 शान्ति परिरक्षा कार्यवाही में सम्मिलित कार्य :–

शान्ति परिरक्षा कार्यवाहियाँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं। परिवर्तित विश्व व्यवस्था की परिस्थितियों के कारण शान्ति परिरक्षा कार्यवाहियों में भी परिवर्तन आया है। ये अनुरक्षण कार्यवाहियाँ निरन्तर विकसित हो रही हैं। विगत अनेक वर्षों में शान्ति परिरक्षा कार्यवाहियों द्वारा सम्पन्न कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते है–

मानवीय कार्यवाहियों को संरक्षण–

अनेक संघर्षों में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नागरिक आबादी को जानबूझकर लक्ष्य बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में शान्ति अनुरक्षकों को मानवीय कार्यवाहियों को संरक्षण एवं समर्थन प्रदान करने के लिए

कहा जाता है। तथापि ऐसे कार्य शांति अनुरक्षकों को कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में डाल सकते हैं और उनकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं।

निरोधक तैयारी–

संघर्ष शुरू होने से पूर्व आयोजित कार्यवाही एक आश्वासनकारी उपस्थिति प्रदान करती है। वह राजनीतिक प्रक्रिया के लिए कुछ अंशों तक अनुकूल पारदर्शिता भी पैदा करती है।

युद्धविराम तथा सैन्यबलों के पृथक्करण को बनाए रखना–

पक्षों के बीच सीमित समझौते पर आधारित एक कार्यवाही समझौते के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है।

एक व्यापक शांति समाधान का कार्यान्वयन–

व्यापक शांति समझौतों के आधार पर आयोजित पेचीदा, बहुआयामी कार्यवाहियाँ विविध प्रकार के कार्यों में सहायता पहुँचा सकती है, जैसे मानवीय सहायता प्रदान करना, मानवाधिकारों की निगरानी, चुनावों का अवलोकन एवं आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता का समन्वय।

भावी संघर्षों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेचीदा चुनौतियाँ पेश किए जाने की संभावना है। किसी भी उत्तर प्रभावशाली के लिए शांति अनुरक्षण उपकरण, तरीकों, कार्यक्रमों इत्यादि में समय के अनुसार परिवर्तन करने होंगे तभी इनका महत्त्व बचेगा। शांति अनुरक्षण कार्यवाही के लिए तथा शांति की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ क्षेत्रीय संगठनों तथा चार्टर के आठवें अध्याय में प्रदत्त प्रक्रियाओं से अधिकाधिक सहयोग कर रहा है। शांति निर्माण की कार्यवाहियों में कुछ ऐसे उपायों को भी शामिल किया गया है जो संघर्षों को पुनः भड़कने से रोकते हैं। इसके अलावा उसमें शांति को मजबूत एवं स्थायी बनाने वाली संरचनाओं एवं व्यवहारों को समर्थन प्रदान करने का समावेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरोधक शांति निर्माण कार्यवाही में संघर्ष के मूल कारणों पर ध्यान देने के लिए व्यापक प्रकार की दीर्घकालिक, राजनीतिक, संस्थात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियाँ शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण में पाँच मुख्य गतिविधियाँ शामिल हैं :

(i) राजनीति कार्यवाही जिसके अंतर्गत संस्था निर्माण, बेहतर शासन की मजबूती, सांविधानिक सुधारएवं चुनाव का समावेश होता है।

(ii) मानवाधिकार जिसके अंतर्गत मानवाधिकारों की निगरानी, न्यापालिका एवं पुलिस में सुधार और मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच–पड़ताल की जाती है।

(iii) आर्थिक तथा सामाजिक उपायों में संघर्ष में ध्वस्त संरचना का पुननिर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय का निराकरण, बेहतर शासन के लिए वातावरण की सृष्टि तथा आर्थिक विकास शामिल होता है।

(iv) सैन्य एवं सुरक्षा क्षेत्रों के लिए जिसमें निरस्त्रीकरण, लड़ाकू दलों का विघटन एवं पुनःरंकीकरण तथा हथियारों को नष्ट करना शामिल है।

(v) मानव गतिविधियाँ जैसे शरणार्थियों का प्रत्यर्पण एवं संघर्ष से प्रभावित बच्चों की देखभाल।

16.4 संयुक्त राष्ट्र : प्रमुख शांति अनुरक्षण कार्यवाही :–

दक्षिण अफ्रीका– वर्ष 1980 के दशक के अंत में शीत युद्ध के घटने के साथ संयुक्त राष्ट्र अपने वर्षों के प्रयासों के परिणामों को प्राप्त करने में सफल हुआ। ये प्रयास दक्षिणी अफ्रीका में व्याप्त युद्धों के खात्मे की ओर केन्द्रित थे। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदवादी सरकार का पतन इन प्रयासों का एक प्रमुख कारक था।

अंगोला– वर्ष 1975 में पुर्तगाल से देश की स्वाधीनता के बाद से ही सरकार एवं नेशनल यूनियन फॉर टोटल इंडिपेंडेस ऑफ अंगोला (यूनिटा) के बीच रूक–रूककर लेकिन विाशकारी गृहयुद्ध देश को ग्रस्त किए रहे। इस संघर्ष को समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अंतर्गत मध्यस्थता, शांति वार्ताओं के आयोजन यूनिटा सैन्य बलों के खिलाफ सुरक्षा परिषद् द्वारा लागू शस्त्रों एवं तेल पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय चुनावों की निगरानी जैसे प्रयत्न किए गए।

रवांडा– रवांडा में संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप 1993 में शुरू हुआ था, जब रवांडा और युगांडा दोनों देशों ने मिलकर अपनी साझी सीमा को रवांडीज पैट्रिओटिक फ्रंट (आरपीएफ) द्वारा सैनिक कार्रवाई के इस्तेमाल को रोकने के लिए सैन्य प्रेक्षक नियुक्त करने का आवेदन किया। इसके लिए सुरक्षा परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन युगांडा रवांडा (युएनओएमयूआर) तैनात किया।

बुरुंडी– बुरुंडी में काफी समय से आतंरिक झगड़े चल रहे थे और 1993 में जनतांत्रिक ढंग से पहली बार चुने गए हूतू जनजाति के राष्ट्रपति और छह मंत्रियों की हत्या कर दी गई थी तथा सत्ता पलटने का प्रयास किया। इससे वहाँ कबीलों में आपस में लड़ाई चल पड़ी और अगले तीन सालों में लगभग 150,000 लोग मारे गए। यह गृहयुद्ध 10 वर्षों तक चला। मई 2004 में यूएन चार्टर को लागू करने के प्रावधानों के अनुसार काम करते हुए सुरक्षा परिषद ने 1 जून को ''यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशंस इन बुरुंडी (ओएनयूबी)'' की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की। फरवरी 2005 में संक्रांति के बाद बुरुंडी के संविधान के बारे में एक सफल जनमत संग्रह आयोजित किया गया। जून में साम्प्रदायिक चुनाव हुए और अगस्त में संक्रांतिकाल के बाद पियरे एन कुरुन जिजा देश के पहले राष्ट्रपति बने। जून 2006 में सरकार और एफएनएल के बीच सिद्धांतों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सितंबर में इसके बाद युद्धविराम समझौता हुआ जिसको लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जिम्मेदारी निभाने का वायदा किया। जनवरी, 2007 को ओएनयूबी की जगह बुरुंडी में एक छोटा–सा यू एन इंटीग्रेटेड ऑफिस (बीआईएनयूबी) खोला गया। इसका काम शांति को स्थिर करने की प्रक्रिया को समर्थन देना और राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाने, पुलिस को प्रशिक्षण देने, राष्ट्रीय रक्षा सेनाओं का व्यवसायीकरण, पूर्व विद्रोहियों को मुख्यधारा में शामिल करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने, न्याय और कानून के क्षेत्र को सुधारना, तथा आर्थिक विकास एवं गरीबी कम करने में सरकार की सहायता करना था।

लाइबेरिया– आठ वर्षों के गृहयुद्ध के बाद वर्ष 1997 में लाइबेरिया में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और लाइबेरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण समर्थन कार्यालय (यूएनओएल) का गठन किया गया।

सोमालिया– जब 1991 में राष्ट्रपति सियाड बरे की सरकार का तख्ता पलट किया गया, तभी से सोमालिया के 68 लाख लोग निरंकुश वातावरण में रह रहे थे। फिर गृहयुद्ध छिड़ गया और देश अनेक जागीरों में बंट गया, जिन

पर विरोधी लड़ाकू सरदारों का बोलबाला था। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिरोध को तोड़ते हुए सीमा के आरपार शस्त्रास्त्र, गोलाबारूद और विस्फोटकों का आना–जाना लगातार चल रहा था। जब महासचिव द्वारा आयोजित शांतिवार्ता के बाद सोमालिया की राजधानी मोगादीशू में युद्धविराम समझौता हो गया तो अप्रैल 1992 में सुरक्षा परिषद् ने ''यूनोसोम'' यानी ''यूएन ऑपरेशन इन सोमालिया'' की स्थापना कर दी। इसका काम था– युद्धविराम की निगरानी करना, यूएन के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना तथा मानवीय कार्यों के लिए आवश्यक चीजों का वितरण कराना और उपकरणों तथा दूसरे सामान की आपूर्ति करना।

तिमोर–लेस्ते– भूतपूर्व पराश्रित राज्यक्षेत्र ईस्ट तिमोर ने आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए वर्षों संघर्ष करने, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका रही, के बाद 20 मई, 2002 को तिमोर–लेस्ते के नाम से अपने देश की स्वाधीनता घोषित कर दी। इसकी संविधान सभा बाद में राष्ट्रीय विधान सभा के रूप में परिवर्तित हो गई, और 27 सितंबर को तिमोर–लेस्ते संयुक्त राष्ट्र का 191वां सदस्य राज्य बन गया।

भूतपूर्व यूगोस्लाविया– यूगोस्लाविया संघीय समाजवादी गणतंत्र संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य था। वर्ष 1991 में इस संघ के दो गणतंत्रों, स्लोवेनिया और क्रोशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय सेना समर्थित क्रोशियाई सर्बों ने इस कदम का विरोध किया और सर्बिया तथा क्रोशिया के बीच लड़ाई छिड़ गई। सुरक्षा परिषद् ने यूगोस्लाविया पर शस्त्र प्रतिबंध लगा दिया और महासचिव ने यूरोपीय समुदाय के शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए निजी दूत नियुक्त किया।

16.5 शान्ति स्थापनार्थ कार्यवाही विभाग :–

समस्त संयुक्त राष्ट्र शांति अनुरक्षण कार्यवाहियों के लिए डीपीकेओ उसकी आपरेशनल शाखा है और इन कार्यवाहियों के संचालन, प्रबन्धन, निर्देशन, आयोजन एवं तैयारी के लिए उत्तरदायी है। यह शांति अनुरक्षण कार्यवाहियों के लिए योजनाओं एवं प्रणालियों का विकास करता है; सरकारों के साथ वार्ताओं के माध्यम से कार्यवाहियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों एवं उपकरणों को प्राप्त करता है, संसाधनों की आवश्यकताएँ सुझता तथा शांति अनुरक्षण कार्यकलाप से सम्बन्धित धन की निगरानी एवं नियन्त्रण करता है, सुरक्षा परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन पर संघर्ष से सम्बद्ध पक्षों एवं सुरक्षा परिषद् के सदस्यों से सम्पर्क रखता है। सम्भावित नयी कार्यवाहियों के लिए आनुषंगिक योजनाएँ बनाता है तथा उभर रहे नीति प्रश्नों का विश्लेषण कर इस सम्बन्ध में नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ बनाता है। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित दस्तावेज ''यूनाइटेड नेशन्स पीस कीपिंग ऑपरेशन्स–प्रिन्सिपल एण्ड गाइडलाइन्स'' वर्तमान में शान्ति स्थापनार्थ कार्यवाहियों हेतु डी0पी0के0ओ0 का आधार स्तम्भ है।

शांति स्थापनार्थ कार्यवाही विभाग का विभाग प्रमुख शांति अनुरक्षण कार्यवाहियों के निमित्त अवर महासचिव–संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से शांति अनुरक्षण कार्यवाहियों का निर्देशन एवं कार्यवाहियों के लिए नीतियाँ एवं मार्गदर्शन नियमों की रचना करता है और इससे सम्बन्धित सभी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सलाह देता है।

जून 2006 में नए 'संयुक्त राष्ट्र शान्ति निर्माण आयोग' (UN Peace-building Commission) की स्थापना के साथ शान्ति स्थापना का नया तन्त्र अस्तित्व में आया जिसके घटक हैं : शान्ति–निर्माण आयोग (Peace-building Commission), शान्ति–निर्माण कोष (Peace-building Fund) तथा शान्ति–निर्माण समर्थक कार्यालय (Peace-building support office)।

16.6 सारांश :–

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न देशों के पारस्परिक विवाद और टकराव की स्थिति में समस्या समाधान और शान्ति स्थापना के लिए त्वरित कदम उठाए गए। संवाद, समझौते एवं सहयोग से समस्याओं का समाधान न हो पाने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र विवादों के समाधान के लिए सामरिक पहल करता है। संयुक्त राष्ट्र को कोरिया संकट 1950 में पहली बार सैनिक कार्यवाही का आश्रय लेना पड़ा। अन्ततः यह विवाद बातचीत एवं समझौते से हल हो गया। इसी प्रकार साइप्रस के गृहयुद्ध (1960–64) को मार्च 1964 में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने जाकर शान्त किया। ईरान–इराक युद्ध (1988) में युद्ध विराम कराने तथा संयुक्त राष्ट्र की सहमति से मित्र राष्ट्रों की सेना ने कुवैत को इराकी आधिपत्य से 1991 में मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। सोमालिया में गृहयुद्ध एवं भीषण अकाल से त्रस्त जनता को राहत पहुँचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेना सोमालिया में 1992 में भेजी गई, कम्बोडिया में जून 1993 में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में चुनाव सम्पन्न हुए। संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में पूर्वी तिमोर में निर्वाचन एवं समय के साथ स्वतन्त्र देश के रूप में विकास में सहयोग किया। आइवरी कोस्ट एवं लाइबेरिया में 2002–2003 में गृहयुद्ध समापन में इसने सफलता प्राप्त की।

संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति–सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का निरन्तर प्रयास किया है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शांति और मानव कल्याण के इस जीवन्त निकाय को अधिक समर्थ, सशक्त और सफल बनाने के लिये प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को निरन्तर सार्थक योगदान करने की आवश्यकता है।

16.7 अभ्यासार्थ प्रश्न :–

1. शांति परिरक्षा से क्या समझते है? इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
2. संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति परिरक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
3. शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? इसका तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

16.8 संदर्भ ग्रन्थ :–

- बायड, जेम्स एम, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरशंस : ए मिलिटरी एंड पॉलिटिकल अप्रेसल, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1971.
- ब्लूमफील्ड, लिंकन पी, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स, बोस्टन : लिटिल ब्राउन, 1964.
- फेबियन, लैरी एल, सोल्जर्स विदाउट ऐनीमीज : प्रिपेयरिंग दी यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1971.
- जेम्स, ऐलन, दी पॉलिटिक्स ऑफ पीस कीपिंग, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1969.
- कोक्स, आर्थर एम, प्रास्पेक्टस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1967.
- रिखी, इंद्रजीत, दी ब्लू लाइन : इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड इट्स फ्यूचर, न्यू हैवन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974.
- रसैल, रूथ बी, यूनाइटेड नेशंस एक्सपीरियंस विद मिलिटरी फोर्सेस : पॉलिटिकल एंड लीगल आस्पेक्ट्स, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1964.
- बेहर, पीटर एवं लियोन गोर्डेनकर, दी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1984
- डेविडसन एन सिक्योरिटी काउंसिल : टुवर्ड्स ग्रेटर इफैक्टिवनेस, न्यूयॉर्क : यूनिटार, 1990

इकाई 17— संयुक्त राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 परिचय

17.2 अन्तर्राष्ट्रीय विधि अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति

17.3 सुरक्षा परिषद् : विश्व शान्ति एवं सुरक्ष की स्थापना

17.4 न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का वातावरण

17.5 सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में

17.6 संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्तर्राष्ट्रीय विधि

17.7 रूढ़िगत नियम एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि

17.8 मानवाधिकारों के संहिताकरण एवं परिरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

17.9 सारांश

17.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

17.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

17.0 उददेश्य :—

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप—

- अन्तर्राष्ट्रीय विधि की संकल्पना को समझ सकेंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास एवं प्रवर्तन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका समझ सकेंगे।
- सुरक्षा परिषद् के द्वारा विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के लिए निरन्तर प्रयास होते रहते हैं। ये सम्पूर्ण गतिविधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों पर आधारित होती हैं, इसे समझ सकेंगे।
- न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का परिवेश निर्मित करने में क्या भूमिका निर्वहन करता है, इसे समझ सकेंगे।
- वर्तमान समय में सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसे समझ सकेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा को राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निरन्तर विकास और संहिताबद्ध करने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अध्ययन करने या कराने और अपने सुझाव रखने के व्यापक अधिकार महासभा को दिये गये हैं, इसे समझ सकेंगे।

- संयुक्त राष्ट्र की रूढ़िगत विधि के संहिताकरण एवं स्पष्टीकरण में क्या भूमिका है, समझ सकेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र कैसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सहारा लेकर मानवाधिकारों की रक्षा एवं शांति स्थापना के क्षेत्र में कार्य करता है समझ सकेंगे।

17.1 परिचय :–

शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रक्रिया की व्यावहारिकता अत्यन्त आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय एवं सद्भाव के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गयी, इसके अन्तर्गत सम्प्रभुता के परम्परागत मानकों में लचीलापन लाया गया। इसमें राष्ट्रीय सम्प्रभुता को पूर्ण सम्मान देते हुए अन्योन्याश्रयता का विकास किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद–2 में उल्लिखित है कि "यह इस संगठन सभी सदस्य राज्यों की समान सम्प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है।" वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी–सुरक्षा परिषद् को आवश्यक और अनिवार्य होने पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्यवाही करने की शक्ति दी गयी है, जिससे कि राष्ट्रों की सम्प्रभुता को सुरक्षित रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है।

संयुक्त राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मध्य निकट का गहरा सम्बन्ध है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के विकास, निर्माण एवं प्रवर्तन में केन्द्रीय भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधारभूत आलेख है। इसके द्वारा राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का उल्लेख समीचीन है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रश्नों पर जो मानवाधिकार एवं पर्यावरण से सम्बद्ध होते है, उन पर प्रस्ताव लाया एवं पास किया जाता है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिए सहायक सिद्ध होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए जो निर्णय लेती है, यह राष्ट्रों की विधि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होती है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वे सब प्रकरण आते हैं जिनसे सम्बन्धित दोनों पक्ष उन्हें न्यायालय के समक्ष लाना चाहें और वे मामले भी जिनके सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार–पत्र में, वर्तमान सन्धियाँ या समझौतों में, ऐसी व्यवस्था की गयी है। साथ ही यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायिक निर्णयों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मौजूदा नियमों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसी क्रम में विदित हो कि वर्तमान समय में सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टेट्यूट के अनुच्छेद 38(1)(क) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (Conventions) चाहे वे साधारण हों या विशिष्ट न्यायालय के द्वारा लागू किये जायेंगे।

महासभा विधि निर्माण के कार्य अनेक तरह से करती है। प्रथम, यह स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय करारों को करती है और उन्हें राज्यों के सामने, सामान्य सन्धि निर्माणकारी प्रथा के अनुसार हस्ताक्षर तथा समर्थन के लिए रखती है। दूसरे, महासभा अपने सहायक विधि निर्मात्री निकायों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के सहयोग से सन्धि करती है। रूढ़ि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूल और सबसे प्राचीन स्रोत है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ विद्वान ओपेनहाइम ने रूढ़ि के आशय एवं महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया है, रूढ़ि निश्चित कार्य को करने का स्पष्ट तथा निरन्तर स्वभाव है, जो इस विचार के अन्तर्गत विकसित हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ये कार्य बाध्यकर हैं। इस भावना ने रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को सुनिश्चित किया। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 ने संयुक्त राष्ट्र को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं की रक्षा की जानी चाहिए। फलतः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों को प्रमोट एवं रक्षा करने में केन्द्रीय भूमिका निभाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी मानव अधिकार के लिए उच्चायुक्त (High Commissioner for human right) की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार शांति स्थापना (Peace Keeping) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रों के मध्य और राष्ट्रों के अन्दर संघर्षों को रोकना और उसका समाधान करना है। शांति स्थापना मिशनों की स्थापना एवं संचालन संयुक्त राष्ट्र चार्टर से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं। शांति स्थापना की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए पूर्ण किया जाता है।

17.2 अन्तर्राष्ट्रीय विधि अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति :—

अधिकांश परम्परागत न्यायविदों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया है जो राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को विनियमित करती है। सर राबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वाट्स द्वारा सम्पादित ओपेनहाइम की 1992 में प्रकाशित पुस्तक 'इण्टरनेशनल लॉ' के नवें संस्करण में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा ओपेनहाइम ने इस प्रकार की है—"अन्तर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है, जो राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में उन पर आबद्धकर है। ये सम्बन्ध को शासित करते हैं, परन्तु अकेले राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ सीमा तक व्यक्ति भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं।" यह परिभाषा अधिक व्यापक है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा व्यक्तियों को भी सम्मिलित करती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों द्वारा शासित होते हैं। स्टार्क ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत धारणा जिसका सम्बन्ध मात्र राज्यों से सम्बन्धित था उसे विस्तृत करते हुए कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, व्यक्तियों तथा अन्य गैर राज्य इकाइयों (Non-State entities) के अधिकारों तथा कर्तव्यों को भी विनियमित करती है। स्टार्क ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं गैर राज्य इकाइयों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में विधि है? यदि विधि की व्याख्या 'सम्प्रभुता की इच्छा' के उसी अर्थ में करनी है जिसमें हॉब्स और आस्टिन ने की है तब तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विधि होने का दावा निराधार सिद्ध होगा। लेकिन इस द्विविधा से निकालने का काम ओपेनहाइम ने किया। उन्होंने विधि की और अधिक वैज्ञानिक परिभाषा किया। वह परिभाषा यह है : "समाज के भीतर मानव आचरण सम्बन्धी ऐसे नियमों का समूह जिन्हें समाज की सामान्य स्वीकृति से बाहरी शक्ति द्वारा लागू

किया जाय।" इसका अर्थ है कि विधि के निम्नलिखित तीन तात्विक अंग है : (1) एक समाज (2) उस समाज के भीतर मानव–आचरण के लिए नियमों का समूह जो प्रथा और रीति–रिवाज दोनों पर आधारित होते हैं और (3) इन नियमों का बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जाना। ओपेनहाइम कहते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्य हितों द्वारा एक–दूसरे से कम या अधिक रूप में बँधे हों। इससे यह स्पष्ट है कि मानवों के जन–समूह से भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समाज हो सकता है। जहाँ कहीं भी ऐसा समाज है वहीं प्रथा और रीति–रिवाज पर आधारित आचरण के कुछ नियम हमें मिलते हैं। फिर भी उन नियमों को लागू करने के बारे में कठिनाई पैदा होती है। फलतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उतने सशक्त तरीके से लागू नहीं किया जा सकता जितने सशक्त तरीके से राष्ट्रीय विधि को लागू किया जा सकता है। इसका कारण एक ऐसी 'स्थायी व्यवस्था' का अभाव है जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज की सामान्य स्वीकृति को प्रकट कर सके। परन्तु जहाँ ऐसी सामान्य स्वीकृति का भाव पाया जाता है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि को लागू किया जाना सम्भव है। कुछ विधिवेत्ताओं ने इस व्याख्या पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का नियम कहा। ओपेनहाइम ने इस सन्दर्भ में समुचित सशक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए उत्तर यह देते हैं : 'कोई नियम यदि वह समाज की सामान्य स्वीकृति से केवल मनुष्य के अन्तःकरण पर ही लागू होता है तो वह नैतिकता का नियम है; इसके विपरीत कोई भी नियम, यदि समाज की सामान्य स्वीकृति से स्वतः बाहरी बल द्वारा लागू किया जाता है तो वह कानून का नियम हो जाता है।'

राष्ट्रों की सामान्य स्वीकृति राष्ट्रों के मध्य विधि का आधार है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह स्वीकृति एक साथ एक समय पर ही दी जाय। इसमें यह भाव निहित है कि कोई भी राष्ट्र अकेले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विधि में परिवर्तन नहीं कर सकता। यह स्वीकृति व्यक्त या मौन दोनों प्रकार की हो सकती है, जिन्हें क्रमशः प्रथागत (Conventional) और रीति–रिवाज पर आधारित (Costomany) अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधि–संहिता की 38वीं धारा में न्यायालय को निम्नलिखित सामान्य नियमों (Canons) का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। ये आधार ही राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। इस क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत पर विमर्श आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाएँ चाहे वे सामान्य हों या विशिष्ट, जिनकी स्वीकृति प्रतियोगी राष्ट्रों द्वारा घोषित की जा चुकी हो।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय रीति–रिवाज, जिन रीति–रिवाजों का सामान्यतया इतना प्रचलन है कि वे विधि समझे जाने लगे हों।

(3) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि का सामान्य सिद्धान्त।

(4) 59वीं धारा के प्रतिबन्ध के साथ, न्यायधीशों के निर्णय और विभिन्न राष्ट्रों के सर्वोच्च लेखकों अर्थात् विधिवेत्ताओं के लेख (Writing of Jurists), विधि के नियमों का निर्धारण करने के उपसाधनों के रूप में।

विमर्श के इस क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्तों को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं :

(1) प्राचीनतम सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त प्रकृतिवादी है। पूफडॉर्फ इसके जनक हैं। उनके विचारों को 18वीं सदी में रदरफोर्ड ने विकसित किया। इस सिद्धान्त के मतानुसार प्रकृति की विधि ही राष्ट्रों के विधि का एक मात्र स्रोत है। यह सिद्धान्त रीति–रिवाज पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय कानून को विधि नहीं मानता। इनका दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों की विधि प्रकृति के सर्वव्यापी विधि का ही एक भाग है।

(2) दूसरा सिद्धान्त प्रत्यक्षवादियों (Positivist) का है। इसके प्रमुख सिद्धान्तकार रिचर्ड ज्यूख और व्याख्यता विधिशास्त्री ओपेनहाइम हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों या राष्ट्रों के ऊपर न होकर उनके मध्य है। इस सिद्धान्त का आशय यह है कि राष्ट्रों के मध्य के विधि का स्रोत राज्यों की स्वीकृति है। फलतः प्राकृतिक विधि का इससे बहुत कम सम्बन्ध है।

(3) उपर्युक्त वर्णित दोनों सिद्धान्तों के बीच का दृष्टिकोण ग्रोशियस मतावलम्बियों ने स्वीकारा है। इसका विकास वूल्फ और वाटेल ने किया। ओपेनहाइम के शब्दों में जैसे प्रकृति का कानून व्यक्तियों पर 'अलग–अलग लागू होता है उसी प्रकार वह व्यक्तियों पर सामूहिक रूप में यानी संगठित राज्यों पर भी लागू होगा।'

इस प्रकार राष्ट्रीय सम्प्रभुता के दावों को स्वीकार करते हुए भी यह सिद्धान्त घोषणा करता है कि उस सम्प्रभुता को सीमित करने वाले बाहरी तत्व भी प्रकृति के कानून के ही अंग हैं। बीसवीं सदी की घटनाओं को ग्रोशियस सिद्धान्त का ही तर्कसंगत रूप में पुनरूत्थान कहा जा सकता है। इस पुनरूत्थान के दो कारक हैं, पहला कारक है अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रथाओं का विकास जो राष्ट्रीय सम्प्रभुता के निरंकुशता के दावों को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए हेग सम्मेलन (1899–1907); राष्ट्र संघ का प्रसंविदा (1919); पेरिस समझौता (1928); संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र (1945)। इसके अतिरिक्त बीसवीं सदी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को संहिताबद्ध किया गया है जिससे यह यथार्थ और विस्तारपूर्ण हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना प्रमुख रूप से विश्व शांति को बनाए रखने के लिए किया गया।

17.3 सुरक्षा परिषद् : विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना :–

सुरक्षा की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद् का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की विधिक पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित है। जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। चार्टर सुरक्षा परिषद् की संहिता, संयुक्त राष्ट्र की संरचना और कार्यों की रूपरेखा प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक संहिता, अध्याय V (अनुच्छेद 23–32) में सुरक्षा परिषद् की स्थापना करता है। चार्टर से ही सुरक्षा परिषद् को विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के प्राथमिक दायित्व प्राप्त होते हैं। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने की शक्ति उसे चार्टर के अनुच्छेद 24 के परिच्छेद 1 के अधीन दी गयी है। जिसके अनुसार "यह सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्परतापूर्वक और प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जाए, उसके सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने की प्राथमिक दायित्व सुरक्षा परिषद् को सौंपते हैं।" संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र इस पर सहमत हैं कि सुरक्षा परिषद् इस उत्तरदायित्व के अधीन अपने कर्तव्यों

के पालन में सदस्यों की ओर से कार्य करेगी। चार्टर का अनुच्छेद 25 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के निश्चयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। फलतः सुरक्षा परिषद् के विनिश्चय महासभा के विनिश्चय से भिन्न हैं। सुरक्षा परिषद् के विनिश्चय सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। इसको करने में सुरक्षा परिषद् पर कुछ सीमाएँ लगायी गयी हैं। प्रथम, ध्यातव्य है कि चार्टर के अनुच्छेद 24 पैरा 2 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने के निर्वहन में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगी जो चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में लिखित हैं। सुरक्षा परिषद् से अपेक्षा की जाती है ये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मूल सिद्धान्त हैं और इसका अवश्य पालन होना चाहिए। द्वितीय, सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने के लिए किये गये कार्य करते समय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों का उल्लंघन उस समय तक नहीं करेगी जब तक कि चार्टर द्वारा इसको अनुमति नहीं मिल जाती है। साररूप में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक विषय है। इससे भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों का पालन करे। यदि सुरक्षा परिषद् किसी राष्ट्र के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए शस्त्रों का प्रयोग करती है तब इससे अपेक्षा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि (International Humanitarian Law) का अनुकरण करे।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय VII सुरक्षा परिषद् को शान्ति के लिए किसी भी संकट, शांति उल्लंघन या आक्रामकता के कार्य के अस्तित्व को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए आर्थिक प्रतिबन्ध और सैन्य कार्यवाही सहित उपाय करने के लिए अधिकृत करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा प्रदान किया गया विधिक ढांचा सुरक्षा परिषद् के कार्यों और निर्णयों का आधार बनता है।

मुख्य क्रियात्मक एवं शक्ति सम्पन्न निकाय होने के कारण सुरक्षा परिषद् के कार्य बहुआयामी हैं। इस सन्दर्भ में प्लानों एवं रिग्स की मान्यता है कि 'सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र की सम्पूर्ण सदस्यता के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करती है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त के अनुरूप कार्य करने के लिए सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया है, जिससे यह सभी देशों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए विश्व राजनीति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। सुरक्षा परिषद् की कार्यप्रणाली "महान शक्तियों की एकात्मकता" अर्थात् 'वीटो' शक्ति से जुड़ी है। इसके बिना सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का निष्क्रिय अंग बन जाएगा।

कोई भी राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के समक्ष विवादित मामला प्रस्तुत कर सकता है। यदि सुरक्षा परिषद् को ऐसा प्रतीत होता है कि शान्ति को वास्तविक संकट है अथवा आक्रामकता की भी सम्भावना है तो वह सम्बन्धित राष्ट्रों से सम्बन्ध समाप्त करने या आर्थिक प्रतिबन्ध के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को बैठक के लिए बुला सकती है। यदि ये अपर्याप्त सिद्ध हुआ है तो चार्टर के विधिक प्रावधान के अनुसार परिषद् आक्रामक राष्ट्र के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र की वायु, जल और थल सेना द्वारा सैनिक कार्यवाही कर सकती है।

अनुच्छेद 43 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य परिषद् के आग्रह पर सशस्त्र सेनाओं की आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। इन सेवाओं का निर्देशन पाँच स्थाई सदस्यों की सैनिक स्टाफ समिति करेगी जिनमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

जब शांति के प्रति संकट से सम्बन्धित कोई मुद्दा सुरक्षा परिषद् के सम्मुख लाया जाता है तो सम्बन्धित पक्षों को शान्तिपूर्ण माध्यमों से समझौता कराना परिषद् का प्रथम कार्य होता है। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद् स्वयं जाँच–पड़ताल एवं मध्यस्थता करती है। यह विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है या महासचिव से प्रार्थना करती है। यदि विवाद संघर्ष में परिवर्तित हो जाये तो उस संघर्ष को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कराना सुरक्षा परिषद् का पहला कार्य है।

17.4 न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वातावरण :–

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का परिवेश बनाने, राष्ट्रों के बीच समझदारीपूर्ण व्यवहार की पहल करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विधिक विवाद का समाधान करने के लिए विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक उपयोगी अंग है। अनुच्छेद 7 के अनुसार न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों से इसके दो प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट हैं। प्रथम, न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा जो वाद लाये जाते हैं उनका न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों द्वारा निपटारा करना, तथा द्वितीय, विधिक प्रश्न पर ऐसे निकायों को सलाहकारी परामर्श देना जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अनुरोध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। न्यायालय स्टैट्यूट (Statute) के अनुसार कार्य करता है, जो संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है। विश्व में विधि के शासन की स्थापना करना आवश्यक है, इसके द्वारा ही शान्ति तथा लोक–व्यवस्था स्थायी आधार पर स्थापित की जा सकती है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त यह भी बहुत आवश्यक कार्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिक सुदृढ़ बनाया जाय।

संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को उस वाद में मानेगा तथा पालन करेगा जिसमें वह एक पक्षकार है। यदि कोई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से उत्पन्न उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करता तो दूसरा पक्षकार सुरक्षा परिषद् में यह मामला उठा सकता है तथा सुरक्षा परिषद् को निर्णय देने का अधिकार है कि किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नयालय के निर्णय को लागू किया जाय।

न्यायालय में मामले विशेष स्वीकारोक्ति पर अधिसूचना द्वारा या रजिस्ट्रार के नाम दिए गए लिखित प्रार्थना–पत्र के आधार पर आते हैं। न्यायालय अपने निर्णय बहुमत से देता है। ऐसा न होने पर सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है।

इसमें निम्नलिखित विषय आते हैं जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित तथ्यों से होता है :

(क) संधि की धाराओं का अर्थ ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित सभी विषय ;

(ग) किसी ऐसे तथ्य का होना, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य भंग होता हो; और

(घ) किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के भंग किये जाने पर दिये जाने वाले हरजाने का स्वरूप या परिणाम।

अनुच्छेद 94 में कहा गया है, "संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र यह वचन देता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा।" यदि कोई वादी या प्रतिवादी न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो सुरक्षा परिषद् को सूचना दी जाती है और अनुच्छेद 41 और 42 के अन्तर्गत सैनिक अथवा गैर–सैनिक दबाव डाल कर न्यायालय के निर्णय का पालन करा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में, राज्यों के बीच विधिक विवादों का समाधान करता है और महासभा, सुरक्षा परिषद् एवं विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित विधिक प्रश्नों पर परामर्श देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय और सलाहकारयुक्त परामर्श मिसाल स्थापित करके अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान करते हैं। इन निर्णयों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि सिद्धान्तों की आधिकारिक व्याख्या माना जाता है।

कानूनी सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण :– अपने निर्णयों के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जटिल विधिक सिद्धान्तों और संधियों की स्पष्ट व्याख्या करता है, फलतः इससे राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों की श्रेष्ठ समझ मिलती है।

संधि की व्याख्या :– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों के बीच विवादों को हल करते समय संधियों की व्याख्या करता है, संधि दायित्वों के निरन्तर कार्यान्वयन और समझ को सुनिश्चित करता है।

मानवाधिकार :– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णयों और सलाहकारी परामर्श के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो मौलिक सिद्धान्तों की स्थापना करता है, जो मानवाधिकारों की वैश्विक सुरक्षा का मार्गदर्शन करते हैं।

शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना :– विवादों को शान्तिपूर्ण समाधान प्रदान करके, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान देता है।

17.5 सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में :–

वर्तमान समय में सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टेट्यूट के अनुच्छेद 38(1)(क) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय चाहे वे साधारण हों या विशिष्ट न्यायालय द्वारा लागू किये जायेंगे। सन्धियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय विधि वैश्विक शासन के महत्वपूर्ण पहल हैं। सन्धियाँ राष्ट्रों या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच औपचारिक समझौते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के तहत बाध्यकारी हैं। सन्धियाँ व्यापार, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक मुद्‌दों को अपने में अन्तर्निहित कर सकते हैं। दूसरी ओर, अन्तर्राष्ट्रीय विधि में ऐसे सिद्धान्त और नियम शामिल होते हैं जो राष्ट्रों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के बीच सम्बन्धों को नियंत्रित करते हैं। यह विवादों को सुलझाने और विभिन्न मामलों पर राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना कूटनीति को बढ़ावा देने और

न्याय और मानवाधिकारों के वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून आवश्यक है जिसमें सन्धियाँ स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

17.6 संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्तर्राष्ट्रीय विधि :–

संयुक्त राष्ट्र महासभा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के विकास और कार्यान्वयन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विमर्श और समन्वय करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। महासभा के पास स्वयं बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय विधि निर्माण का अधिकार नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्योंकि महासभा के निर्णय सरकारों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं पर वे बड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विश्व जनमत के साथ–साथ विश्व समुदाय के नैतिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। चार्टर के अनुसार महासभा की निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ हैं :

- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सिद्धान्तों के साथ–साथ निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण के नियमन के सिद्धान्तों के लिए सुझाव प्रस्तावित करना।
- सुरक्षा परिषद् के अधीन किसी विवाद को छोड़कर शेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा से जुड़े किसी प्रश्न पर विमर्श करना और उस सम्बन्ध में सुझाव देना।
- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास और संहिताकरण सभी के लिए मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतन्त्रताओं की सुनिश्चितता तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन एवं परामर्श देना।
- राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा परिषद् एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों का विवेचना करना।
- संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।
- सुरक्षा परिषद् के अस्थाई सदस्यों का चुनाव, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् एवं न्यास परिषद् के अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन, सुरक्षा परिषद् के साथ संयुक्त रूप से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन और सुरक्षा परिषद् के परामर्श पर महासचिव को नियुक्त करना।

महासभा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों से प्राप्त होन वाली वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदनों पर विवेचना करने के कारण इसकी स्थिति को और भी बल मिलता है। इसी प्रकार 2005 में प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की पहल से महासभा की स्थिति एक संसदीय मंच में बदल गई है। प्रत्येक नियमित अधिवेशन की शुरूआत के समय महासभा में एक सामान्य वाद–विवाद होता है जिसमें सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। बड़ी संख्या में प्रश्नों पर विवेचन के कारण महासभा का दायित्व बढ़ जाता है इसलिए यह अधिकांश प्रश्नों का बँटवारा निम्नलिखित सात प्रमुख समितियों को सौंपता है :

- पहली समिति; निशस्त्रीकरण और सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले।
- विशेष राजनीतिक समिति।

- दूसरी समिति (आर्थिक एवं वित्तीय मामले)।
- तीसरी समिति (सामाजिक, मानवतावादी और सांस्कृतिक मामले)।
- चौथी समिति (वि–उपनिवेशीकरण के मामले)।
- पाँचवा समिति (प्रशासनिक और बजट सम्बन्धी मामले)।
- छठी समिति (विधिक मामले)।

17.7 रूढ़िगत नियम और अन्तर्राष्ट्रीय विधि :–

रूढ़िगत विधि से तात्पर्य उन अलिखित, पारंपरिक प्रथाओं और रीति–रिवाजों से है जिन्हें किसी विशिष्ट समुदाय या समाज के अन्द समय के साथ विधिक मानदंडों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ये रीति–रिवाज लिखित नहीं अपितु लम्बे समय से चली आ रही परम्पराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर उनका पाल किया जाता है।

दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून, एक–दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों को नियंत्रित करने के लिए देशों के बीच स्थापित नियमों और समझौतों का एक समूह। इसमें सन्धियाँ, सम्मेलन और प्रोटोकॉल शामिल हैं जिन पर राष्ट्र अपनी बातचीत के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यापार, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण को विनियमित करने के लिए सहमत होते हैं।

रूढ़िगत कानून की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्रासंगिकता हो सकती है, विशेषतया जब तथ्य स्वदेशी समुदायों या सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मामलों की हो। अन्तर्राष्ट्रीय विधि मौलिक मानवाधिकारों और वैश्विक मानकों को बनाए रखते हुए विभिन्न संस्कृतियों के रीति–रिवाजों और परम्पराओं का सम्मान करने के महत्व को पहचानता है।

रूढ़िगत कानून स्थानीय परम्पराओं और प्रथाओं में निहित है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि नियमों और समझौतों का एक समूह है जो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों को नियंत्रित करता है, कभी–कभी रूढ़िगत कानून के तत्वों को सम्मिलित करता है, खासकर सांस्कृतिक विविधता और स्वदेशी अधिकारों से जुड़े मामलों में।

संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में रूढ़िगत विधि के महत्व को पहचानता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं सम्मेलनों के माध्यम से सार्वभौमिक मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देता है, यह सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय परम्पराओं के सम्मान के महत्व को भी स्वीकार करता है। कुछ मामलों में रूढ़िगत कानूनों को विधिक प्रणालियों में एकीकृत किया जाता है, बशर्ते वे मौलिक मानवाधिकार सिद्धान्तों के साथ टकराव उत्पन्न न करें।

17.8 मानवाधिकारों के संहिताकरण एवं परीक्षण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका :–

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका "चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अर्न्तनिहित गरिमा और सम्मान तथा अलंघनीय अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शान्ति का आधार है।" को स्थापित करके प्राकृतिक विधि की भाषा के रूप में शामिल किया गया है।

मानवाधिकार मौलिक सिद्धान्त हैं जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं। चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जातीयता या धर्म कुछ भी हो। मानवाधिकारों के आधारभूत सिद्धान्तों में निम्न तथ्य शामिल हैं :

सार्वभौमिकता :– मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जातीयता या धर्म कुछ भी हो।

अहस्तान्तरणीयता :– मानवाधिकारों को छीना या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, और प्रत्येक स्वाभाविक रूप से उनका हकदार है।

अविभाज्यता :– मानवाधिकार परस्पर जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित हैं। अन्य सभी अधिकारों पर विचार किये बिना उन्हें पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है।

समानता और भेदभाव का अभाव :– प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मानवाधिकारों का हकदार है।

गरिमा और सम्मान :– मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अन्तर्निहित गरिमा और मूल्य पर आधारित होते हैं। इसमें यह भाव निहित है कि सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।

कानून का शासन :– मानवाधिकारों के लिए एक विधिक ढाँचे की आवश्यकता होती है जो उनकी सुरक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करे। मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन करना सरकारों का दायित्व है।

उत्तरदायित्व एवं न्याय :– मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही और न्याय होना चाहिए। मानवाधिकारों के हनन के अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं के द्वारा मानवाधिकार कानून के संहिताकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सन्धियों के विकास में सहायता प्रदान की है, जैसे नागरिक और राजनीति अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता। इन सन्धियों ने देशों को उनकी विधिक प्रणालियों के भीतर विशिष्ट मानवाधिकारों को संहिताबद्ध करने और उनकी रक्षा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) और मानवाधिकार परिषद् सहित विभिन्न तन्त्रों के माध्यम से मानवाधिकारों की निगरानी और प्रचार–प्रसार जारी रखता है। ये संस्थाएँ विश्व स्तर पर मानवाधिकार मानकों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की दिशा में कार्य करती हैं। मानवाधिकार सिद्धान्तों का सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं।

विमर्श के इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना (Peace keeping) के प्रयासों को समझना समीचीन होगा। शान्ति स्थापना संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के भीतर संघर्षों को रोकना और हल करना है। संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना अभियानों में शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सहायता के लिए सदस्य देशों से संघर्ष क्षेत्रों में सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों के तैनाती शामिल है।

अधिदेश :– संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अधिदेश के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, जो मिशन के उद्देश्यों, दायरे, और संलग्नता के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।

सिद्धान्त :– संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना सम्मिलित पक्षों की सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा को छोड़कर बल के गैर–उपयोग के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होती है। शान्तिरक्षक किसी संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेते।

मिशनों के प्रकार :– संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशन के दायरे और कार्य में व्यापक रूप से भिन्नता पायी जाती है। उनमें युद्धविराम की निगरानी करना, युद्धरत दलों को पृथक करना, चुनावों में सहायता करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और बहुत कुछ सम्मिलित हो सकता है।

सैन्य योगदान कर्ता :– सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशनों में सैनिकों, पुलिस और कर्मियों का योगदान करते हैं। ये सहयोग विभिन्न राष्ट्रों से प्राप्त होते हैं, फलतः जो इसे एक सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में स्थापित करते हैं।

विवाद :– संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना को विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें शान्ति सैनिकों द्वारा यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। साथ ही कुछ मामलों में मिशन की निष्पक्षता और प्रभावशीलता के सन्दर्भ में चिन्ताएँ शामिल हैं।

संघर्ष समाधान में भूमिका :– शान्ति रक्षक शान्ति के लिए परिवेश निर्मित करने में सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन वे किसी संघर्ष के राजनीतिक समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। अन्ततः शान्ति अनुरक्षण के लिए सामान्यतया कूटनीतिक वार्तालाप और समझौते की प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है।

शान्ति रक्षा (Peace keeping) एक कूटनीतिक कार्य है। यह विवाद प्रबंधन का एक पक्ष है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 के दशक में अपना शान्तिरक्षा कार्य प्रारम्भ किया और इन कार्यों को 'निवारक कूटनीति' (Preventive diplomacy) का नाम दिया।

17.9– सारांश :–

आस्टिन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं अपितु सुनिश्चित नैतिकता माना है। ओपेनहाइम ने इसका प्रतिवाद करते हुए, विधि के तीन तत्वों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रथम, एक समुदाय होना चाहिये, दूसरे, उस समुदाय के अन्तर्गत मानवीय व्यवहारों के लिए नियमों का समूह होना चाहिये, जिससे समुदाय को सुव्यवस्थित ढंग से शासित किया जा सके। सभी समुदाय, विधि के शासन को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे मनुष्यों तथा राष्ट्रों की गरिमा को सम्यक् सम्मान तथा संरक्षण प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, तथा तीसरे, उस समुदाय की सामान्य सहमति होनी चाहिये कि ये नियम बाह्य शक्तियों द्वारा लागू किए जायेंगे। ओपेनहाइम के अनुसार विधि की परिभाषा के तीनों ही तत्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि में पाए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वास्तविक वैधता पर आधारित है। चार्टर से संलग्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट् के अनुच्छेद 38 के अधीन स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय विवादों का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार करेगा।

सुरक्षा परिषद् की भूमिका विश्व व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण है। यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने तथा राष्ट्रों में युद्ध रोकने के लिए सुरक्षा परिषद् को चार्टर द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार चार्टर के अध्याय 6 में उसे विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा सामने रखे गये विवादों की सुनवाई एवं निपटारा करना तथा महासभा, सुरक्षा परिषद् या महासभा द्वारा अधिकृत अन्य सहयोगी संगठन के अनुरोध करने पर किसी वैधानिक प्रश्न से सम्बन्धित परामर्श उपलब्ध कराना है।

सन्धियों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सन्धियाँ दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य विषयों के मध्य समझौता है। फलतः यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा लागू किए जाने के योग्य होते हैं।

महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण करने एवं विचार विमर्श करने वाला प्रतिनिध्यात्मक अंग है। महासभा का कार्य–क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। शान्ति एवं मानव कल्याण सम्बन्धी सारे प्रश्न इसके क्षेत्राधिकार में है। चार्टर का अनुच्छेद 13 महासभा को शक्ति प्रदान करता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करे तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विकास करे।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका में यह कहा गया है कि घोषणा में वर्णित मानव अधिकार सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए एक सामान्य मानक के रूप में उद्घोषित हैं। केल्सन ने उचित ही कहा है कि घोषणा सभी व्यक्तियों और सभी राष्ट्रों के लिए सामान्य मानक के रूप में है और उद्घोषणा इस उद्देश्य से की गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इसके लिए प्रयास करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के पास संयुक्त राष्ट्र की शान्ति अनुरक्षण कार्यवाहियाँ एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

17.10 अभ्यासार्थ प्रश्न :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. सुरक्षा परिषद् अपने दायित्वों का निवर्हन किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कार्य करती है? स्पष्ट कीजिए।

17.11 संदर्भ ग्रन्थ :–

- बायड, जेम्स एम, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरशंस : ए मिलिटरी एंड पॉलिटिकल अप्रेसल, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1971.
- ब्लूमफील्ड, लिंकन पी, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स, बोस्टन : लिटिल ब्राउन, 1964.

- फेबियन, लैरी एल, सोल्जर्स विदाउट ऐनीमीज : प्रिपेयरिंग दी यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1971.
- जेम्स, ऐलन, दी पॉलिटिक्स ऑफ पीस कीपिंग, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1969.
- कोक्स, आर्थर एम, प्रास्पेक्टस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1967.
- रिखी, इंद्रजीत, दी ब्लू लाइन : इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड इट्स फ्यूचर, न्यू हैवन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974.
- रसैल, रूथ बी, यूनाइटेड नेशंस एक्सपीरियंस विद मिलिटरी फोर्सेस : पॉलिटिकल एंड लीगल आस्पेक्ट्स, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1964.
- बेहर, पीटर एवं लियोन गोर्डेनकर, दी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1984
- डेविडसन एन सिक्योरिटी काउंसिल : टुवर्ड्स ग्रेटर इफैक्टिवनेस, न्यूयॉर्क : यूनिटार, 1990

इकाई 18– संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 परिचय

18.2 मानव अधिकार की अवधारणा

18.3 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण

18.4 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत निर्मित मानवाधिकार निकाय

18.5 मानव अधिकार और घरेलू अधिकारिता

18.6 मानवाधिकार और मानव सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा

18.7 मानव अधिकार एवं आतंकवाद

18.8 मानव अधिकारों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन

18.9 सारांश

18.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

18.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

18.0 उददेश्य :–

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप–

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन मानव अधिकार की संकल्पना को समझ सकेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण में क्या भूमिका है, इसे समझ सकेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत निर्मित मानवाधिकार निकाय की भूमिका को समझ सकेंगे।
- मानवाधिकारों का पालन और घरेलू अधिकारिता को समझ सकेंगे।
- मानवाधिकारों और मानव सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को समझ सकेंगे।

18.1 परिचय :–

मानवाधिकार एक विस्तृत संकल्पना है। यह मानव के जीवन जीने के उपक्रमों का मूल अधार है। वर्तमान परिवेश में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, आतंकवाद, शोषण आदि का प्रत्येक क्षेत्र में भय नजर आता है। इस स्थिति में मानवाधिकारों का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। मानव की गरिमापूर्ण एवं सम्माननीय जीवन की सुलभता में मानवाधिकार की अहम् भूमिका रही है। वर्तमान में मानवाधिकार एक नैतिक और राजनीतिक संकल्पना

नहीं वरन् एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सार्वभौमिक स्वरूप धारण कर चुका है। मानवाधिकार 'मानवता' का व्यावहारिक रूप और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के आदर्श पर आधारित है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का एक मूर्तरूप है, इसलिए चार्टर में भी मानवाधिकारों को आज अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गयी है। चार्टर की प्रस्तावना में ही "मानव के मूल अधिकारों में, मानव की गरिमा एवं महत्व में और छोटे–बड़े सभी देशों के नर–नारियों के समान अधिकारों में आस्था" की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुखतम लक्ष्यों में जाति, लिंग, धर्म अथवा भाषा के आधार पर बिना भेदभाव किए समस्त लोगों के लिए मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने का विचार सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभायी गयी प्रथम एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका यह रही है कि इसने व्यक्तियों एवं राष्ट्रों में मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं, बच्चों, प्रवासी कर्मकारों, शरणार्थियों एवं बिना राष्ट्र के व्यक्तियों जैसे लोगों के सभी वर्ग के लिए संधियां बना कर विभिन्न अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को संहिताबद्ध किया है।

18.2 मानव अधिकार की अवधारणा :–

द्वितीय विश्व–युद्ध के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा उसी समय बनी रह सकती है जब व्यक्तियों की स्थिति में सुधार हों तथा उनके अधिकार व मूल स्वतंत्रताओं की अभिवृद्धि हो। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को राज्यों द्वारा दिये गये अनेक अधिकारों में से एक अधिकार को मानव अधिकार कहा जाता है।

मानवाधिकार दो शब्दों के मेल से बनता है– 'मानव' और 'अधिकार'। यहाँ मानव का अभिप्राय सम्पूर्ण मानव जाति से है न कि किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय से है। जबकि अधिकार मनुष्य को अपनी गरिमा व उसमें निहित प्रतिभा के विकास तथा इसे अक्षुण्य बनाये रखने के लिये आवश्यक सुविधा है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लास्की के अनुसार– "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।"

इस प्रकार मानव और अधिकार मिलने से मानवाधिकार की व्यापक अवधारणा बनती है, जो अधिकारों की अपेक्षा अत्यधिक व्यापक हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य है।

प्लानो एवं ओल्टन के शब्दों में :–"मानववाधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है।" मानवाधिकारों की प्रकृति सामान्य और सार्वभौमिक है। इसका आधार केवल मानवता है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बिना धर्म, जाति, लिंग, रंग, स्थान या राष्ट्रीयता, अमीरी–गरीबी का भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के समान रूप से प्रदान किये जाते हैं। मानवाधिकारों की प्रकृति में विशेषाधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। मानवाधिकार व्यक्ति और समाज समूहों, बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का अधिकार है।

वास्तव में मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारन्टी है। जैसे– सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि। मानवाधिकार इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति के बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करने का भरोसा प्रदान करता है। इस सन्दर्भ में फ्रांसिस फुकुयामा के विचार उल्लेखनीय हैं। वे तात्कालीन विश्व को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं, जिसका आदर्श मानवाधिकारों की उपस्थिति में निहित है। दो महायुद्धों के अभिशाप ने इसके स्वरूप को परिष्कृत और परिभाषित किया। संयुक्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गयी। इस घोषणा के उपरान्त मानवाधिकारों की अवधारणा ने विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त कर ली।

वस्तुतः मानवाधिकार बीसवीं शताब्दी की अवधारणा है फिर भी इसकी एक गौरवशाली परम्परा रही है। ऐसा विदित होता है कि मानवाधिकार का विचार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना से जुड़ी अवधारणा है। मानवाधिकार का विकास क्रमिक गति से हुआ है। यह क्रम इस प्रकार है :

प्राकृतिक अधिकार – नागरिक अधिकार – राजनीतिक अधिकार – सामाजिक आर्थिक अधिकार – मानवाधिकार।

प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकारों में दो आधारभूत समानतायें द्रष्टव्य होती हैं–

1. प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार दोनों ही तर्कबुद्धि पर आधारित हैं।
2. प्राकृतिक अधिकारों की तरह मानवाधिकार भी पूर्णतः अहस्तान्तरीय है और किसी अन्य अधिकार को मान्यता देते हुए इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है।

प्राकृतिक अधिकारों के विचार ने अनुबन्ध की स्वतन्त्रता को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप मार्केट–समाज व्यवस्था का जन्म हुआ। इसके उपरान्त नागरिक अधिकारों के विचार ने संवैधानिक शासन का बढ़ावा दिया। इसी क्रम में राजनीतिक अधिकारों के विचार ने लोकतन्त्रीय राज्य की आधारशिला रखी एवं सामाजिक अधिकारों की मांग से कल्याणकारी राज्य का अभ्युदय हुआ। इसके पश्चात् मानवाधिकार की संकल्पना अस्तित्व में आयी। कदाचित 'मानवाधिकार' शब्द को उदारवाद की देन कहना अत्यधिक न्यायसंगत होगा।

मानवाधिकार अहरणीय अधिकार हैं। मानवाधिकार मनुष्यों की गरिमा में अभिवृद्धि करते हैं। मानवाधिकार उदारवादी नैतिक मूल्यों पर आघृत हैं। मानवाधिकार विस्तृत हैं किन्तु असीमित नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों द्वारा अंगीकृत विभिन्न घोषणाओं में यह कहा गया है कि उनके सदस्य मानव अधिकार और मूल स्वतन्त्रताओं के सार्वभौमिक सम्मान की अभिवृद्धि करने और उनका अनुसरण करने के लिए स्वयं वचन दिये हैं। राष्ट्र मानव के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, अभिसमय द्वारा कई क्षेत्रीय व्यवस्थायें किये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपने–अपने संविधानों में मानव अधिकार से सम्बन्धित प्रावधानों को सम्मिलित करके व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये उपाय किए हैं।

वर्तमान समय में, अन्तर्राष्ट्रीय संरचना में मानवाधिकारों के महत्व को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इनका सम्बन्ध नैतिक, विधिक एवं राजनीतिक है। मानव अधिकार विधिक हैं क्योंकि इनमें अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकारों एवं बाध्यताओं का क्रियान्वयन सम्मिलित होता है। यह नैतिक इसलिए है क्योंकि

मानव–अधिकार मानव गरिमा का संरक्षण करने की मूल्य–आधारित प्रणाली है और वृहद् अर्थ में राजनीतिक है। ये व्यक्तियों पर सरकारों की शक्ति को सीमित करने हेतु भी क्रियाशील होते हैं। साथ ही यह जोड़ना भी आवश्यक है कि इसकी प्रकृति एवं इन अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत संरक्षण के सम्बन्ध में अनेक परिप्रेक्ष्य भ्रमात्मक हैं।

1945 के सार्वभौम घोषणा के आधार पर मानव अधिकारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1. **प्रथम श्रेणी के अधिकार :–** प्रथम श्रेणी में वे अधिकार हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यतः व्यक्ति के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से होता है। प्रथम श्रेणी के अधिकार मूल अधिकारों के अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेद 3 से 21 उन नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का वर्णन है जिनका सभी मनुष्यों का अधिकार है। इन अधिकारों में सम्मिलित हैं–

- जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार ;
- दासता और पराधीनता से मुक्ति ;
- अत्याचारपूर्ण क्रूर और अमानवीय व्यवहार अथवा दंड से मुक्ति ;
- विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में समानता का अधिकार, न्याय की सुविधा पाने का अधिकार, मनचाहे ढंग की गिरफ्तारी या निष्कासन से बचाव का अधिकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, दोषी सिद्ध होने से पहले निर्दोष माने जाने का अधिकार ;

विचार, अंतरात्मा एवं धर्म तथा आवागमन की स्वतन्त्रता आदि के अधिकार शामिल होते हैं। इन अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों के सम्बन्ध में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन क्रियाकलापों को नहीं करेगी जिससे इनका उल्लंघन होता है। राजनैतिक अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को राज्य की सरकार में भागीदारी करने की स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार से मत देने का अधिकार, सामयिक निर्वाचनों में निर्वाचित होने का अधिकार, राजनीतिक कार्यों में प्रत्यक्षतः अथवा चयनित : प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने के अधिकार राजनैतिक अधिकारों के अन्तर्गत आते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की प्रकृति भिन्न–भिन्न हो सकती है परन्तु वे एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं और इसलिए उनमें भेद करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। फलतः इन दोनों अधिकारों को एक ही संविदा में सम्मिलित करते हुये एक संविदा किया गया था जिसे नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय संविदा कहा जाता है।

2. **द्वितीय श्रेणी के अधिकार :–** अनुच्छेद 22 से 27 में ऐसे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की गई है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का सम्बन्ध मानव के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकतायें उपलब्ध करवाने से है। ये अधिकार मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। पर्याप्त

भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार इस श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। इन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में उल्लेखित किया गया है। इन अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार (Rights of the second generation) भी कहा जाता है। इन अधिकारों में राष्ट्रों की ओर से सक्रिय हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। इन अधिकारों को उपलब्ध कराने में राष्ट्रों को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है परिणामतः इन अधिकारों की उपलब्धता इतनी तात्कालिक नहीं हो सकती जितनी कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों की होती है।

3. **तृतीय श्रेणी के अधिकार :–** तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरणीय, विकासात्मक एवं सांस्कृतिक अधिकार आते हैं। इन अधिकारों व्यक्ति सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं जैसे विकास का अधिकार, आत्म–निर्णय का अधिकार। पर्यावरण एवं सांस्कृतिक संरक्षण सामूहिक कृत्य है। इसीलिए यह सामूहिक अधिकार है।

उपर्युक्त वर्णित अधिकारों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इन अधिकारों का सम्बन्ध मानव से है और ये सभी अधिकार मानव प्रगति के लिये आवश्यक हैं।

18.3 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण :–

मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं के सम्मान की अभिवृद्धि एवं संरक्षण संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। मानव अधिकारों की अभिवृद्धि से अभिप्राय है मानव अधिकारों के सामान्य मानक को निश्चित करना और उसकी अवधारणा का विकास करना। इस कार्य को संपादित करने का मुख्य दायित्व चार्टर के अन्तर्गत महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् और उसके द्वारा गठित आयोग और उप–आयोगों की है। मानव अधिकार के संरक्षण शब्द का अर्थ उसके प्रवर्तन कार्यवाही से है। चार्टर के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही का कार्य केवल सुरक्षा परिषद् एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को दिया गया है। केवल वे ही बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करने अथवा बाध्यकारी निर्णय देने में सक्षम हैं। यह उल्लेखनीय है कि मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के कार्य में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एवं विस्तार क्षेत्र में पिछले वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र अनेक पद्धतियों से मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण करने में सक्षम हुआ है जो निम्नवत् हैं–

1. मानव अधिकार के प्रति जागरूकता :–

संयुक्त राष्ट्र ने व्यक्तियों एवं राज्यों (राष्ट्रों) में मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रति जागरूकता पैदा की है। इसने राष्ट्रों द्वारा स्वीकार्य व्यवहार के न्यूनतम मानक को स्थापित किया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौम संहिता शामिल है, को मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के प्रति प्राथमिक पहल समझा जा सकता है।

2. मानवाधिकार विधि का संहिताकरण :–

संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं, बच्चों, प्रवासी कर्मकारों, शरणार्थियों जैसे लोगों के सभी वर्ग के लिए संधियाँ बनाकर विभिन्न अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को संहिताबद्ध किया है।

3. **मानवाधिकारों का मोनिटरिंग करना :–**

मानवाधिकार आयोग के कार्य समूहों एवं विशेष रिपोर्टियर तथा संधि निकायों को मानव अधिकारों के दुरूपयोगों के कथनों के अन्वेषण करने और अभिसमयों के पालन को संज्ञान लेने की प्रक्रिया एवं तौर–तरीके उपलब्ध हैं।

4. **व्यक्तिगत परिवादों के लिए प्रक्रिया :–**

मानवाधिकारों की अनेक संधियां उपयुक्त निकायों के सक्षम व्यक्तियों को याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करती हैं। मानवाधिकार आयोग विश्व में कहीं पर भी मानव अधिकार की स्थिति पर बहस करने एवं व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य स्रोतों से सूचना का परीक्षण करने के लिए अधीकृत है। आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद् ने सन् 1970 में प्रस्ताव 1503 अंगीकार किया गया था जिसमें मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचनाओं पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

कोई सूचना एवं परिवाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जनेवा भेज दी जाती है। इस प्रकार 1503 की प्रक्रिया के द्वारा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर विचार किया जाता है।

5. **मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सूचना का संकलन :–**

मानव अधिकार आयोग उन स्थितियों की जाँच करता है जहाँ मानवाधिकारों का व्यापक रूप से उल्लंघन हो रहा हो। उल्लंघन के कतिपय प्रकारों की घटना पर सूचनाओं का संकलन करता है। इस कार्य को कार्यकारी समूहों अथवा विशेष रिपोर्टियर के द्वारा पूरा किया जाता है।

6. **मानव अधिकार क्रियाकलापों का समन्वय :–**

मानव अधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन 1993 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार क्रियाकलापों के समन्वय तथा मानव अधिकार की अभिवृद्धि के उद्देश्य से किया गया था। इस पर सभी प्रकार के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि करने तथा सदस्य राज्यों के साथ संवाद करने का दायित्व दिया गया है।

18.4 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत निर्मित मानवाधिकार निकाय :–

संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की वृद्धि एवं रक्षण के लिए समय–समय पर निकायों (bodies) को बनाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जिसको महासभा द्वारा 16 फरवरी, 1946 को अनुमोदित किया गया। आयोग को मार्च 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर मानव अधिकार परिषद् को बनाया गया। तद्नुसार, आयोग ने मानव अधिकार के वृद्धि एवं संरक्षण के लिए 60 वर्षों तक कार्य करने के उपरान्त 26 मार्च, 2006 को 62 वें अधिवेशन में अपना कार्य समाप्त कर दिया।

महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग :–

महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग की स्थापना 1946 में की गयी थी। यह आयोग एक क्रियात्मक आयोग है। आरम्भ में आयोग में 15 सदस्य थे जिसको 1961 में बढ़ाकर 21 कर दी गयी। आयोग में 1991 से 45 सदस्य

हो गये हैं। आयोग वर्ष में दो बार वियना में सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की समानता को लेकर बैठक करता है। इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुशंसा करना और महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की वृद्धि के लिए प्रतिवेदन तैयार करना एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् को सिफारिश करना है।

आयोग का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। आयोग ने 1949 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के अभिसमय पर कार्य करना प्रारम्भ किया। इसे 1952 में महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। 1979 में महासभा द्वारा महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के अन्त हेतु अभिसमय के प्रारूप को बनाया जिसके आधार पर अभिसमय को अंगीकार किया गया। आयोग ने वर्ष 2013 में महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने तथा रोकने के विषय पर विचार किया।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय :–

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1993 को प्रस्ताव 48/41 के द्वारा मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। उच्च आयुक्त का कार्यालय जनेवा में स्थित है। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की रूपरेखा के अनुसार कार्य करता है। उच्चायुक्त की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है, लेकिन उसका नाम महासभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

उच्चायुक्त के प्रमुख कार्य निम्न हैं :

- संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अन्तर्गत मानवाधिकारों की समन्वयकारी नीतियों से मानव अधिकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन।
- उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्यों पर अग्रणी भूमिका निभाता है एवं अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के महत्व पर जोर देता है। यह मानव अधिकार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के सार्वभौमिक समर्थन एवं क्रियान्वयन की अभिवृद्धि करता है।
- यह नये मानकों के विकास में सहायता करता है।
- यह निवारक–मानवाधिकार कार्य के लिए वचन देता है।
- यह मानवाधिकार के क्षेत्र में शिक्षा, सूचना, परामर्श सम्बन्धी सेवायें एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

मानवाधिकार परिषद् (Human Rights Council) :–

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च, 2006 को जनेवा में एक संकल्प पारित किया जिसके अनुसार मानवाधिकार परिषद् का गठन किया गया जिसने मानवाधिकार आयोग का स्थान ग्रहण किया। यह परिषद् महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्य कर रही है।

मानवाधिकार परिषद् क निम्नलिखित कार्य हैं :

1. मानवाधिकार परिषद् मानवाधिकार के समस्त वादपूर्ण बिन्दुओं के लिए विचार–गोष्ठी के रूप में कार्य करता है।

2. यह मानवाधिकार शिक्षा, सलाहकारी सेवाएँ, तकनीकी सहयोग तथा शक्ति के वृद्धि के लिए सदस्य राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करता है।

3. यह मानवाधिकार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के लिए महासभा को संस्तुतियाँ भेजता है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार परिषद् की प्रथम बैठक 19 जून, 2006 में सम्पन्न हुयी। इसने निम्नलिखित निकायों को स्थापित किया जो परिषद् के सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं–

सार्वभौमिक सामयिक पुनर्विलोकन–

मानवाधिकार परिषद् के द्वारा 8 जून, 2007 को सर्व सम्मति से एक संकल्प अंगीकार कर सार्वभौम सामयिक पुनर्विलोकन की स्थापना की। इस प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों द्वारा मानव अधिकारों के अभिलेखों को प्रत्येक चार वर्षों में एक बार पुनर्विलोकन किया जायेगा।

परिवाद प्रक्रिया–

मानवाधिकार परिषद् ने 18 जून, 2007 को संकल्प 5/1 को स्वीकार कर विश्व के किसी भाग में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करने के लिए परिवाद प्रक्रिया आरम्भ कर सकती है।

विशेष प्रक्रिया–

विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत मानवाधिकार परिषद् विश्व के किसी भी राष्ट्र में मानव अधिकार की स्थिति का परीक्षण या तो किसी विशेष कृत्य के लिये अथवा सामान्य कृत्य के लिये अपने विशेष रिपोर्टियर को भेजकर उस राष्ट्र के साथ विचार–विमर्श करते हैं। विशेष प्रक्रिया अपनी वार्षिक प्रतिवेदन मानव अधिकार परिषद् को प्रस्तुत करती है।

18.5 मानव अधिकार और घरेलू अधिकारिता :–

मानव अधिकार सम्पूर्ण विश्व के लिए एक चिन्ता का विषय है और समुचित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी पद्धति का भाग है। मानव अधिकार विधि राष्ट्रों से अपेक्षा करती है कि वे अपने नागरिकों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार न करें जिससे इस विधि का उल्लंघन हो। मानव अधिकारों में वृद्धि का और उसका संरक्षण मात्र राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है। वर्तमान समय में मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और उनका आदर संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपर्णू कार्य हो गया है। फलतः अब मानव अधिकारों का संरक्षण अब घरेलू अधिकारिता का विषय नहीं रह गया है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो आवश्यक रूप से किसी राष्ट्र की घरेलू अधिकारिता के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु यदि ऐसे अधिकारों के उल्लंघन से ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को संकट पैदा हो

जाता है तो सुरक्षा परिषद् अध्याय 7 के अधीन ऐसे राष्ट्रों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है। किन्तु संयुक्त राष्ट्र द्वारा घरेलू मामलों में हस्तक्षेप बहुत ही कम अवसरों पर किया गया है। यदि राष्ट्रों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी जाय, तो अधिकतर राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी।

राष्ट्रों को मानवीय आधार पर अन्य राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परन्तु यह धारणा चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् को सामूहिक हस्तक्षेप करने के अधिकार पर लागू नहीं होती। यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को संकट पहुँचाने के लिए संभावित है तो सुरक्षा परिषद् किसी भी राष्ट्र के अन्तर्गत प्रवर्तक कार्यवाही करने के लिए सशक्त है। इस प्रकार की कार्यवाही सुरक्षा परिषद् ने दक्षिण अफ्रीका (1977), ईराक (1991), सोमालिया (1992) और रवान्डा (1994) के विरूद्ध की है।

18.6 मानवाधिकार और मानव सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा :–

मानवाधिकार एवं मानव सुरक्षा एक दूसरे से अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे जुड़ी है। सम्प्रति संयुक्त राष्ट्र का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। वैश्विक स्तर पर लोगों की सुरक्षा करना इसका कर्तव्य है। मानव सुरक्षा वैश्विक भेदभाव के रूप में उभरता हुआ एक ऐसा दृष्टान्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के परम्परागत विचारों के समक्ष चुनौती के रूप में है। वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा किसी राष्ट्र को जीवित रखने की अनिवार्य शर्त है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र राज्यों के हितों एवं उनके विकास के लक्ष्य पर केन्द्रित है। अस्तु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास एक दूसरे के पूरक माने गये हैं। मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के केन्द्र में मानव एवं सामाजिक हित हैं।

मानवाधिकार का अर्थ यह नहीं है कि साम्प्रदायिकता, भाषावाद एवं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाय और राष्ट्र को विखण्डित कर इसकी सुरक्षा पर चोट किया जाय। मानवाधिकार का मापन राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण से किया जा सकता है।

मानव सुरक्षा राज्य के सापेक्ष लोगों की वैयक्तिक सुरक्षा को संदर्भित करता है। मानव सुरक्षा की अवधारणा शीत युद्ध के बाद की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1994 की मानव विकास रिपोर्ट ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभायी है। शीत युद्ध के बाद ही मानव सुरक्षा ने वास्तविक रूप में मान्यता प्राप्त किया। ऐसा तब हुआ जब 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के वैचारिक मतभेदों में कमी आयी।

सही अर्थों में मानव सुरक्षा को वैश्विक असुरक्षा की भावना ने जन्म दिया है। वस्तुतः मानव सुरक्षा दो विचारों पर आधारित है–

1. फ्रीडम फ्रॉम फीयर (हिंसक संघर्षों से सुरक्षा)

2. फ्रीडम फ्रॉम वान्ट (हिंसा, गरीबी, बीमारी एवं पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए मानव को सचेत करती है।)

डॉ0 महबूब–उल हक ने सर्वप्रथम 1994 में संयुक्त राष्ट्र में विकास कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर मानव सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। 1994 के मानव विकास रिपोर्ट ने मानव सुरक्षा के प्रति उत्पन्न होने वाले संकटों में सात क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वे निम्नांकित हैं–

1. आर्थिक सुरक्षा
2. खाद्य सुरक्षा
3. स्वास्थ्य सुरक्षा
4. पर्यावरण सुरक्षा
5. वैयक्तिक सुरक्षा
6. सामुदायिक सुरक्षा
7. राजनीतिक सुरक्षा

18.7 मानव अधिकार एवं आतंकवाद :–

मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति को एक मानव के रूप में सुखी, सम्मानित एवं गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम वैधानिक अधिकार हैं। मानव अधिकार की अवधारणा को आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार निकायों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया है। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की आम समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निरन्तर गंभीर मंथन किया है। इसने 1972 से ही निर्दोष लोगों के जीवन के लिए खतरा और उनके प्राण लेने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। महासभा ने आतंकवाद के उन कृत्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया। जो दुःख निराशा एवं क्षोभ उत्पन्न करते हैं तथा हतोत्साहित करते हैं। महासभा ने 12 दिसम्बर 1997 को एक संकल्प पारित कर राष्ट्रों से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक और प्रभावी उपायों को करने के लिए कहा है किन्तु वे उपाय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होने चाहिए।

मानव अधिकारों के संरक्षण और आतंकवाद से निपटने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में 11 सितम्बर 2001 के पश्चात् से ही पर्याप्त बहस चल रही है। 6 मार्च 2003 को तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि आतंकवाद के विरूद्ध कार्यवाही करते समय हमें मानव अधिकार की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि आतंकवादी इसे ही नष्ट करना चाहते हैं।

18.8 मानव अधिकारों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन :–

मानव अधिकारों के संरक्षण और उनको प्रोत्साहन देने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका निरन्तर बढ़ रही है। इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय तन्त्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अनेक मोर्चों पर सक्रिय है। जो कुछ निम्नलिखित हैं :

वैश्विक विवेक :–

संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रों द्वारा स्वीकार्य आचरण के अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की शुरूआत कर दी है और वह इन मानकों का उल्लंघन करने वाले मानव अधिकार गतिविधियों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केन्द्रित करता है। इसके आधार पर महासभा व्यापक प्रकार की घोषणाओं और संधियों के द्वारा मानव अधिकार सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को प्रतिपादित करती है।

विधि निर्माता के रूप में :–

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अभूतपूर्व ढंग से संहिताबद्धकरण, महिलाओं, बच्चों, कैदियों और मानसिक रूप से विकलांगों के बारे में मानवाधिकार और नरसंहार, रंगभेद तथा उत्पीड़न जैसे उल्लंघन अब अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बड़ा भाग बन चुके हैं।

शोधकर्ता के रूप में :–

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के मुद्दों पर एकत्र आंकड़े संकलित करता है। ये मानवाधिकारों से सम्बन्धित विधियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र निकायों के अनुरोध पर ओएचसीएचआर द्वारा अध्ययन एवं रिपोर्ट मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए नई नीतियों, व्यवहारों और संस्थाओं की ओर दिशा संकेत करता हैं।

विवेकशील राजनयिक के रूप में :–

संयुक्त राष्ट्रों महासचिव और मानवाधिकार उच्चायुक्त सदस्य राष्ट्रों के साथ मानव अधिकारों से सम्बद्ध मुद्दों पर अत्यन्त गोपनीय ढंग से बात करते हैं। महासचिव अपने पद के प्रभाव का प्रयोग करके शांत कूटनीति के द्वारा मानव अधिकार से सम्बन्धित प्रश्न पर संवाद स्थापित करते हैं।

18.9– सारांश :–

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार संरक्षण के लिए संचालित कार्यक्रमों के बावजूद मानवाधिकारों को आज के समकालीन विश्व में पूर्णतया सुरक्षित नहीं किया जा सका है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता के बाद भी मानवाधिकारों का परिदृश्य विविध प्रकार की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं से भरा पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र का दायित्व इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है। महाशक्तियाँ अपने–अपने हितों के सुविधा के अनुसार मानव अधिकार के उल्लंघन को परिभाषित करती हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र को बचना होगा। आज की शक्ति–राजनीति के सन्दर्भ में विश्व के सम्प्रभु राष्ट्र मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणाओं को कहाँ तक साकार रूप दे सकेंगे– यह कहना कठिन है। इन विद्रूपताओं के पश्चात् भी मानव अधिकार सम्बन्धी उपबन्धों को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र का प्रयास सराहनीय रहा है। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र ने एक लोक चेतना जागृत किया है और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण निर्मित किया है। आज विश्व जनमत की अवहेलना करके किसी भी राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों का हनन सम्भव नहीं है।

18.10 अभ्यासार्थ प्रश्न :–

1. प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के मानवाधिकारों से क्या समझते है? इसके संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है?
2. मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

18.11 संदर्भ ग्रन्थ :–

- बायड, जेम्स एम, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरशंस : ए मिलिटरी एंड पॉलिटिकल अप्रेसल, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1971.
- ब्लूमफील्ड, लिंकन पी, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स, बोस्टन : लिटिल ब्राउन, 1964.
- फेबियन, लैरी एल, सोल्जर्स विदाउट ऐनीमीज : प्रिपेयरिंग दी यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1971.
- जेम्स, ऐलन, दी पॉलिटिक्स ऑफ पीस कीपिंग, न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1969.
- कोक्स, आर्थर एम, प्रास्पेक्टस फॉर पीस कीपिंग, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1967.
- रिखी, इंद्रजीत, दी ब्लू लाइन : इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड इट्स फ्यूचर, न्यू हैवन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974.
- रसैल, रूथ बी, यूनाइटेड नेशंस एक्सपीरियंस विद मिलिटरी फोर्सेस : पॉलिटिकल एंड लीगल आस्पेक्ट्स, वॉशिंगटन : ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, 1964.
- बेहर, पीटर एवं लियोन गोर्डेनकर, दी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क : प्रेगर, 1984
- डेविडसन एन सिक्योरिटी काउंसिल : टुवर्ड्स ग्रेटर इफैक्टिवनेस, न्यूयॉर्क : यूनिटार, 1990

इकाई–19 संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन

इकाई का रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 संयुक्त राष्ट्र का विकास

19.3 संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त

19.4 संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र

19.5 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

19.6 संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन

19.7 सारांश

19.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

19.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

19.0 उद्देश्य

1. संयुक्त राष्ट्र के विकास को समझना।
2. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के कारणों को जानना।
3. संयुक्त राष्ट्र के कार्य एवं मूल्यांकन को समझना।

19.1 प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों की स्थिति को सुदृढ़ करना तथा तृतीय विश्व युद्ध न होने देना विश्व के देशों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहना तथा इसके लिये सार्थक कदम उठाना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कई अंग है। जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व के अन्य सदस्य

देशों के हितों की सुरक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा एवं विश्व में शांति व्यवस्था बनाना आदि। इन सभी दायित्वों का संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्वहन किया जाता है।

19.2 संयुक्त राष्ट्र का विकास

संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में स्थापित संगठन, जिसमें लगभग 193 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति, मानवाधिकार और मानवीय सहायता को बढ़ावा देना है। इसके 5 प्रमुख निकाय थे अब इसकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इसके अतिरिक्त इस संगठन का गठन अपने सदस्यों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयार्क में है। यह संगठन एक चार्टर के तहत निर्देशित होता है जिसका नेतृत्व महासाचिव द्वारा किया जाता है। यह संगठन शांति,सुरक्षा, मानवाधिकार और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से विकसित हुआ संयुक्त राष्ट्र संगठन में लगभग दुनियां का हर देश सदस्य के रूप में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थाई सदस्य हैं जैसे–अमेरिका, रूस, फ्रांस ,ब्रिटेन और चीन। इसके अतिरिक्त 10 अस्थाई सदस्य देश हैं। जब कोई नया राज्य संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए आवेदन करता है, तो आवेदन पर अनुमति प्रदान करने के लिए स्थाई सदस्यों के अनुमोदन की अवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्णरूप से स्थापना का निर्णय सेन फ्रैंसिस्को सम्मेलन में लिया गया। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट में 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कई सम्मेलनों एवं घोषणा पत्रों का परिणाम था। जिसे 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रो ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अन्तिम रूप से स्वीकार किया तथा विश्व में लागू कर दिया गया।

निकोलस ने लिखा है जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रेरणा दी थी उसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध ने नये संगठन की स्थापना की प्रेरणा दी। शीवर तथा हैवी लैण्ड ने लिखा है ''कि राष्ट्र संघ की स्थापना के 26 वर्षो बाद सन् 1946 को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हाल में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा की प्रथम बैठक हुयी यह तिथि राष्ट्र संघ के जन्म की 26वीं वर्षगांठ थी।

19.3 संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त–

चार्टर के अनुच्छेद 2 में उन सिद्धान्तों की चर्चा है जिन पर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई है। ये सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन करेगें। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। धारा एक में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संघ तथा इसके सदस्य निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करेगें–

1. संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार सभी सदस्य राज्यों की प्रभुता सम्पन्न तथा समानता का सिद्धान्त है।
2. सभी सदस्य अपने सभी दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभायेगें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होने के नाते जो भी अधिकार और लाभ है वो उनको मिलेगें।

3. सभी सदस्य अपने अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में किसी राज्य की अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता के विरूद्ध न तो धमकी देगें और न बल का प्रयोग करेगें और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य प्राप्ति में बाधा पहुंचाये।
4. सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसी हर कार्यवाही में सहयोग करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित हो तथा विश्व शांति के लिये आवश्यक हो।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य नहीं है वे भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जहाँ तक आवश्यक हो इसके सिद्धान्तों का पालन करेंगे।
6. वर्तमान चार्टर में जो कुछ कहा गया है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के उन मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं होगा जो राष्ट्रो के आन्तरिक मामलों के क्षेत्र में आते हैं।

19.4 संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र–

अपने सिद्धान्तों तथा नियमों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है–

1. यदि कोई राष्ट्र अन्य देश पर आक्रमण करता है और विश्व शांति भंग करता है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने के लिये ठोस कदम उठा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सैन्य हस्तक्षेप करके शांति बहाली भी कराता है।
2. यदि दो से अधिक राष्ट्रों में आपसी झगड़े हैं तो किसी समिति को भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ उस झगड़े की जांच करा सकता है। और दोनो राष्ट्रों के मध्य समझौता कराकर शांति बनाये रखने के लिये बाध्य कर सकता है।
3. विश्व के किसी क्षेत्र में यदि वैमनस्य फैला हुआ है शांति भंग होने की आशंका है वहाँ अपनी टीम भेजकर जांच करा सकता है। सूचना एकत्र करने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिये निर्णय ले सकता है।
4. दो राष्ट्रों के झगड़े अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निपटाये जाते है।
5. संयुक्त राष्ट्र के अन्य सहयोगी अंग विश्व की हर प्रकार की समस्यायें सुलझाने में लगे हुये है।
6. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर इसका संविधान है जिसमें संघ के उद्देश्यों, सिद्धान्तों नियमों का उल्लेख है। ये उद्देश्य मानवता को भविष्य में आने वाले युद्धों के प्रकोप से बचाने, सामान्य जनमानस को उनके मौलिक अधिकार दिलाने, आर्थिक सामाजिक उन्नति करने आदि से सम्बन्धित है।
7. 31 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ऐतिहासिक तिथि 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने का फैसला लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों एवं लक्ष्यों को सम्पूर्ण विश्व की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

19.5 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 प्रमुख अंग है जैसे–महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि।

(1) महासभा–

(2) सुरक्षा परिषद–

(3) आर्थिक और सामाजिक परिषद

(4) संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद–

(5) संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय–

(6) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

19.6 संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन

अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवीय सहायता प्रदान करता है। सतत विकास को बढ़ावा देता है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यांकन को निम्न बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध में हुये विनाशक परिणाम के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की रक्षा को आवश्यक समझा था। विनाशक घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सर्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। यह घोषणा पूरे विश्व के लिये एक समान दर्जा स्थापित करती है।
2. विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने केयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वास्तविक रूप में इसकी स्थापना 1 जनवरी 2011 को की गई जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यू एन वूमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बैशलेट हैं। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेद–भावों को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने को गौरव भारत की विजय लक्ष्मी पण्डित को प्राप्त है।
3. संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक वहाँ भेजे जाते हैं। जहां पर हिंसा कुछ समय पहले से बंद है। ताकि वह शांति संघ की शर्तो को लागू रखें तथा हिंसा को रोककर रखें। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते है। विश्व में दो राष्ट्र है जिन्होंने हर शांति रक्षा कार्य में भाग लिया है। कनाडा और पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र सेना नहीं रखती। शांति रक्षा से सम्बन्धित सभी कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होते है।

19.7 सारांश

संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र उद्देश्यों और सिद्धान्तों का पुरजोर समर्थन करता है। चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने के लिये भारत संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेन्सियों के

विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने की एक महत्वपूर्ण गारण्टी के रूप में देखा।द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थपना की गई थी, ताकि तीसरा विश्व को रोका जा सके क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से अपार जनधन की हानि हुयी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद इसकी विश्वसनीय कार्य शैली तथा विश्व में शांति व्यवस्था की गारण्टी के रूप में इसे देखा गया इसलिये वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कई गुना बढ़कर 193 हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवीय सहायता प्रदान करता है। सतत विकास को बढ़ावा देता है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखता है।

19.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र का अर्थ एवं विकास समझाइए।
2. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का वर्णन कीजिए।
3. संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतो पर प्रकाश डालिए।
4. संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालिए।
5. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंग कौन–कौन से हैं चर्चा कीजिए।
6. संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन कीजिए।
   समझाइए।
7. संयुक्त राष्ट्र संघ की विस्तृत व्याख्या

19.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. डॉ. बी एल फाडिया एवं डॉ. कुलदीप फाड़िया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. डॉ. कुलदीप फाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. डॉ. एस सी सिंहल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल लखनऊ।
4. डॉ. प्रमोद राजेंद्र तांबे एवं शेखर राजेंद्र सोनार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निराली प्रकाशन, नई दिल्ली।

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon
Open University

MAPS -112
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

खण्ड
6
संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलाप एवं मूल्यांकन

इकाई- 20

क्षेत्रीय संगठन 191

इकाई- 21

दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (दक्षेस) 200

इकाई- 22

विश्व व्यापार संगठन 215

इकाई 20 : क्षेत्रीय संगठन

इकाई की रूपरेखा

20.0– उद्देश्य

20.1– प्रस्तावना

20.2 – क्षेत्रीय संगठन

20.2.1– क्षेत्रीय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा

20.2.2 – क्षेत्रीय संगठन की प्रकृति

20.2.3 – क्षेत्रीय संगठन के प्रकार

20.3 – क्षेत्रीय संगठन का महत्व

20.4 – सारांश

20.5 – शब्दावली

20.6 – उपयोगी पुस्तकें

20.7 – बोध प्रश्नों के उत्तर

20. उद्देश्य

प्रस्तुत अध्याय में क्षेत्रीय संगठन के बारें सामान्य समक्ष विकसित करने का प्रयास किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखकर उसके अर्थ, परिभाषा, स्वरूप व प्रकार के बारें में सारगर्भित ढंग से बताया गया है। इस इकाई के अध्ययन करने के बाद अध्ययनकर्ता :–

⇒ क्षेत्रीय संगठन क्या है? इसके अर्थ व परिभाषा को समझ सकेंगे।

⇒ क्षेत्रीय संगठन का स्वरूप क्या है इसको समझ सकेंगे।

⇒ क्षेत्रीय संगठन के प्रकार व महत्व को जान सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना

सयुक्त राष्ट्र के चार्टर में क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षा तथा सहयोग स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों की धारणा को स्वीकार किया गया है। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय संगठनों का अस्तित्व समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहें है। ये क्षेत्रीय संगठन सीमित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों या क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के रूप में राष्ट्रों के मध्य संबंधों के संचालन में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहें है। शीत युद्ध के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों (नाटो, सीटो, सेन्टो, वारसा पैक्ट) ने दोनों महाशक्तियों की विदेश नीति व प्रभाव विस्तार के लिए मुख्य घटक की भूमिका निभाई। क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों के साथ–साथ कई गैर–सुरक्षा संगठनों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्तमान में भी निभा रहें है। अन्तर्राष्ट्रीय संघीय व्यवस्थाओं व अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय के लाभों को पहचानने में ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का अनुभव सरकारों अथवा आम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही सााथ ऐसे अनुभव से कैसे क्षेत्रीय स्तर पर समन्वयकारी राजनीतिक व्यवहारों और अपनी क्षमताओं का उपयोग कर व्यापक हितों की पूर्ति की जा सकती है। 20वीं सदी के पूर्वाध में

दुनिया दो विनाशकारी महायुद्धों का सामना किया। परिणामस्वरूप दुनिया के जिम्मेदार राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि दुनिया में स्थायी शांति व विकास के लिए युद्ध नहीं बल्कि आपस में सहयोग व सामंजस्य किया जा सकता है। 1945 के बाद विश्व भर में अनेक जगह क्षेत्रीय संगठनो का प्रादुर्भाव हुआ।

20.2 क्षेत्रीय संगठन

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से राष्ट्र अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि तो कुछ सामूहिक उद्देश्यो की पूर्ति कर रहे है। आज अनेक क्षेत्रीय तथा कार्यात्मक संगठन सार्वभौमिक सामान्य उद्देश्यों संयुक्त राष्ट्र के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान हैं। क्षेत्रीय संगठनों की महत्ता का अनुमान लगाकर वाल्टर लिपमैन ने भविष्यवाणी की थी ''कि भविष्य में राज्यों के समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वास्तविक इकाईयां होगी।'' उनकी भविष्यवाणी काफी सीमा तक सच साबित हो रही है।

20.2.1 क्षेत्रीय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा–

सामान्यतः क्षेत्र शब्द का प्रयोग राज्यों के छोटे भू–क्षेत्रों के लिए किया जाता है मगर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्षेत्र निरपवाद रूप में वह क्षेत्र है जो तीन या इससे अधिक राज्यो के भू–क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। ये राज्य साझे हितों तथा अपने भूगोल के कारण आपस में बंधे होते है। यह आवश्यक नहीं है कि वे एक–दूसरे से सटे हो या उसी महाद्वीप में हों। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्षेत्र आवश्यक रूप से भौगोलिक क्षेत्र या इकाई नहीं होता बल्कि एक सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन या बहुराष्ट्रीय इकाई किसी को भी क्षेत्र कहा जा सकताहै।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब कुछ राज्य अपने साझें अथवा एक समान राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक व सामाजिक सांस्कृतिक हितों की पूर्ति के लिए

आपस में समझौते द्वारा संगठन बना लेते है तो इस क्रिया को सामूहिक रूप से क्षेत्रवाद का नाम दिया जाता है।ऐसे क्षेत्र विशेष एवं उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर निर्मित किये गए संगठन को क्षेत्रीय संगठन कहते है।

क्षेत्रीय संगठन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है। जो निम्नलिखित है–

डॉ0 ई0एन0 वॉन क्लीफन्ज (Dr. E.N. Van Kleffens) के अनुसार" एक क्षेत्रीय व्यवस्था या समझौता सम्प्रभु राष्ट्रों का विशिष्ट क्षेत्र या उप–क्षेत्र में साझे उद्देश्यों के लिए समान हितो वाला एक स्वैच्छिक संघ होता है जो उस क्षेत्र के प्रति आक्रामक स्वरूप का नहीं होना चाहिए।"

हॉस तथा ह्वाइटिंग (Haus & Whiting) के शब्दों में " एक क्षेत्रीय व्यवस्था दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक दीर्घकालीन समझौता होता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक क्रिया करने में सहायक होता है। बशर्ते कि वचनबद्धता परिभाषित क्षेत्र तथा विशिष्ट राज्यों तक फैली हो।

श्लीचर– ने क्षेत्रीय संगठन का परिभाषित करते हुए कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र या कई राज्य आ जाते हैं जो कम से कम किसी एक उद्देश्य के लिए इसे बाकी क्षेत्र से अलग रखते है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयतावाद, किसी एक क्षेत्र के राज्यों की समान आवश्यकताओं या किसी विषय, समस्या या उद्देश्य के प्रति समान अभिधारणाओं तथा ऐच्छिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय ढूंढने के विचार से संगठित राज्यों की अवधारणा है। क्षेत्रीय संगठन

या क्षेत्रीय प्रबन्धन या क्षेत्रीय संघ इन तीनों शब्दों को प्रायः समानार्थी माना जाता है जब इनको क्षेत्रीयता की अवधारणा के अन्तर्गत संगठित किया जाता है।

20.2.2 क्षेत्रीय संगठनों की प्रकृति

क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप को समझने के लिए इसकी मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करके **नार्मन जे0 पैडलफोर्ड** ने अपने लेख ''क्षेत्रीय संगठन में अत्याधुनिक विकास'' में इसके विशिष्ट लक्षण बताएं है कि क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य अपने हस्ताक्षरित सदस्यों के मतभेदों का निपटारा करना होता है। अपनी सहायता के लिए स्वतंत्र संस्थाओं का सहारा लेते है। वे इस बात को मानते है कि उनमें किसी एक विरूद्ध आक्रमण सबके लिए हानिकारक होगा तथा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उल्लंघन की किसी भी प्रवृति को अस्वीकार करते हैं।

क्षेत्रीय संगठन की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है–

एक क्षेत्रीय संगठन का आधार भौगोलिक के अतिरिक्त भी हो सकता है। यह राज्यों का ऐसा समूह होता है जिनके साझे हित साझी राजनीतिक सोच तथा साझा सुरक्षा उद्देश्य होते है।

क्षेत्रीय संगठन में कई राज्य शामिल होते है अर्थात क्षेत्रीय संगठन में दो या दो से अधिक सम्प्रभु राज्यों का होना आवश्यक है।

एक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय संगठन हो सकते है अर्थात् एक क्षेत्रीय संगठन में कई राज्य शामिल हो सकते है। जैसे– सार्क, जी–15, राष्ट्रमण्डल।

क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रायः क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है।

बोध प्रश्न :–1

नोट– ए)– अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

बी)– इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ– क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं? उसे परिभाषित कीजिए। ....

....

....

ब– क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप का वर्णन कीजिए? ....

....

....

20.2.3 क्षेत्रीय संगठनों के प्रकार

क्षेत्रीय संगठनों को मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा जा सकता है पहला भौगोलिक सांस्कृतिक एवं दूसरा सैनिक संगठन है। भौगोलिक सांस्कृति संगठन के अन्तर्गत एक ही भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक परिधि में रहने वाले देशों का अवचेतन ढंग से एकता को प्रच्छन्न रूप से स्वीकार करने वाले क्रिया–कलाप रखे जा सकते है। भौगालिक व सांस्कृति समीप्यता के साथ–साथ इन देशों की आर्थिक व सुरक्षा समस्याएं भी मिलती जुलती है। इस प्रकार भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक समरूपता तथा सामूहिक आर्थिक हितों के आधार पर संगठित क्षेत्रीय संरचनाओं को भौगोलिक सांस्कृति संगठन की श्रेणी में रखा जाताहै। जैसे– अरब लीग, ओपेक, और गल्फ कॉपरेशन कौंसिल, यूरोपीय संघ, आसियान, अफ्रीकी एकता संघ आदि।

क्षेत्रीय संगठनों की दूसरी श्रेणी सैनिक संगठनों वाली है जिसमें सामरिक समस्याओं को क्षेत्र विशेष के साथ जोड़कर देखा जाता है। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, यूरोप, पं0 एशिया, दक्षिणपूर्व एशिया तथा सुदूर पूर्व में सैनिक संगठनों का निर्माण किया जिसमें नाटो, 'सेन्टों'

'सिएटो' और 'वारसा पैक्ट' उल्लेखनीय है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र विशेष की समस्या ये जुड़ा है।

20.3 क्षेत्रीय संगठन का महत्व –

क्षेत्रीय संगठन के महत्व को सामरिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृति दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रीय संगठन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास करता है। क्षेत्रीय संगठन में भाग लेने वाले राष्ट्र अपने क्षेत्रीय विकास के लिए साक्षा कार्यक्रम तैयार करते हैं और निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते है। जिससे क्षेत्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक विकास के साथ–साथ आपस में सहयोग एवं सामंजस्य बना रहता है। सामरिक दृष्टि से क्षेत्रीय संगठन सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्षेत्रीय स्तर पर बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए सदस्य राष्ट्र आपस मे सैनिक संधि के माध्यम से गठजोड़ बनाकर सामूहिक प्रतिरक्षा करते है। क्षेत्रीय संगठन के सदस्य राज्यों का मानना है कि जिस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य बन रहे है वह उन्हें सुरक्षा की गारण्टी देगा और यदि कोई राष्ट्र उस पर हमला करता है, तो सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर उसका जवाब देंगे।

राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्रीय संगठन की महत्ता को देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों जैसे– पर्यावरण , व्यापार, स्वास्थ्य, आर्थिकी आदि के अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर क्षेत्रीय स्तर पर संगठित होकर सामूहिक रूप से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते है। क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से छोटे से छोटा राज्य अपने को सशक्त बनाता है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्रीय संगठन क्षेत्र विशेष के समान भाषा, सम्प्रदाय, जाति, धर्म आदि के आधार पर भावनात्मक रूप से संगठित होकर आपस में सहयोग व सामंजस्य स्थापित करते है।

बोध प्रश्न :–2

नोट– ए)– अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

बी)– इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ– क्षेत्रीय संगठन के प्रकार का वर्णन कीजिए...

....

ब– क्षेत्रीय संगठन के महत्व पर प्रकाश डालिए–...

....

20.4 सारांश–

क्षेत्रीय संगठन के अर्थ व परिभाषा से इकाई की शुरूआत की गई है इसमें अर्थ व परिभाषा के साथ–साथ क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप, प्रकार व उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस इकाई में दर्शाया गया है कि कैसे शीत युद्व के दौरान गुटीय राजनीति की वजह से वैश्विक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावशाली नहीं हो सका परिणाम स्वरूप बहुत से राज्य विभिन्न उद्‌देश्यों को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किये। अलग–अलग कारणों अथवा कारकों से राज्यों अपने पडोंसी राज्यों के छोटे समूहों के बीच उनके हितों, परम्पराओं व मूल्य बोधों कि एकरूपता की वजह से क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया गया।

20.5 शब्दावली–

<u>सामरिक</u> – सामरिक एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है समर (युद्व) सम्बन्धि। इसके अलावा इसे रणनीतिक, नीतिगत आदि अर्थों के रूप में उपयोग किया जाता है।

<u>सामूहिक सुरक्षा</u>– सामूहिक सुरक्षा का आशय एक ऐसी क्षेत्रीय अथवा वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से है जिसके सदस्य राज्य स्वीकारते है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिन्ता का विषय है।

<u>सामाजिक सांस्कृतिक</u>– सामाजिक सांस्कृतिक शब्द प्रभावों की एक विस्तृत श्रृखंला को सन्दर्भित करता है जो विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और अन्ततः स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करता हैं।

20.6 उपयोगी पुस्तकें–

- यू0 आर0 घई, अन्तराष्ट्रीय राजनीति : सिद्वान्त और व्यवहार
- इलाजर डेनियल जे : 1994 विश्व की संघीय व्यवस्था : ए हैण्डबुक आफ फेडेरल कान्फेडरेशन एण्ड आटोनॉमी अरेंजमेन्ट
- डॉ बी0 एल0 फाडिया, अन्तराष्ट्रीय संगठन एवं अन्तराष्ट्रीय कानून

20.7 बोध प्रश्नों के उत्तर–

बोध प्रश्न– 1

अ– इस इकाई का भाग 20.2.1 देखें

ब– इस इकाई का भाग 20.2.2 देखें

बोध प्रश्न– 2

अ– इस इकाई का भाग 20.2.3 देखें

ब– इस इकाई का भाग 20.2.4 देखें

इकाई 21 : दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (दक्षेस)

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य

21.1– प्रस्तावना

21.2 – दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस)

21.2.1– सार्क संगठन का निर्माण

21.2.2 – सहयोग क्षेत्र का निर्धारण

21.2.3 – दक्षेस का चार्टर एवं घोषणा पत्र

21.03 – सार्क के प्रमुख शिखर सम्मेलन

21.04 – दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र – साफ्टा

21.05 – सार्क की प्रगति एवं उसकी बाधाएँ

21.06 – सार्क को सफल बनाने के उपाय

21.07 – सारांश

21.08 – शब्दावली

21.09 – उपयोगी पुस्तकें

21.10 – बोध प्रश्नों के उत्तर

21.0 उद्देश्य–

प्रस्तुत अध्याय में क्षेत्रीय संगठन के रूप में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। इस इकाई में दक्षेस की स्थापना, उद्देश्य, संस्थानीकरण, प्रमुख सम्मेलनों व उसकी सफलता व असफलता के साथ–साथ साप्टा व साफ्टा के बारे में सारगर्भित ढंग से बताया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद अध्ययनकर्ता :–

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के स्थापना व उद्देश्य को समझ सकेगें
- दक्षेस के प्रमुख सम्मेलनों व उसकी सफलता व असफलता का अवलोकन कर सकेगें
- सार्क की प्रगति व उसकी बाधाओं का अवलोकन करते हुए उसे सफल बनाने के उपाय को समझ सकेगें।

21.1– प्रस्तावना–

क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य विभिन्न स्तरों पर आत्मनिर्भरता विकसित करके आपस में सहयोग को बढावा देकर आपस में संघर्ष एवं तनाव में कमी लायी जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोपीय संघ है जहॉ के देशों ने बींसवी सदी के पूर्वाद्व में आपस में दो–दो महायुद्ध लडने के बाद ऐसा सहयोग व सांमजस्य स्थापित किये है कि दुनिया के अन्य देशों के लिए प्रतिमान बने है। यूरोपीय संघ एवं आसियान की सफलता को देखकर बाग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल रहमान के पहल पर 1985 में औपचारिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का संगठन बना जिसका मुख्य उद्देश्य इसके सदस्यों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पैदा करना था। दक्षेस के चार्टर

ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग विकसित कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

21.02 – दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस)–

(The South Asian Association For Regional Co-Operation- (SAARC)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षिण एशिया के आठ राज्यों का एक संगठन है जो क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सास्ंकृतिक आदि सभी स्तरों पर सहयोग बढाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करते है। दक्षिण एशिया में सार्क के सभी सदस्य देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से जुडें है। सार्क संगठन द्वारा शान्ति, विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है।

21.02.1– दक्षेस संगठन का निर्माण–

बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल रहमान ने 1970 के दशक में आसियान को प्रतिमान मानकर दक्षिण एशिया के देशों का व्यापार गुट बनाने का प्रस्ताव किया था। 2 मई 1980 को बांग्लादेश द्वारा पुनः दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार रखा गया। अप्रैल 1981 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीप के विदेश सचिव कोलम्बों में पहली बार मिले तथा सहयोग के लिए पॉच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की एवं एक चार्टर तैयार किया। इस चार्टर को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया। दिल्ली से पहले सातों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कोलम्बों, काठमाण्डू, इस्लामाबाद व ढाका में सम्पन्न हो चुकी थी। नई दिल्ली विदेश में मंत्रियों के बैठक के दौरान नौ सहमत क्षेत्रों में एकीकृत कार्य

योजना की शुरूआत हुई। बैठक के दौरान घोषणा पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गयी कि चार्टर के अधिकारों में सहयोग, समान सम्प्रभुता, भू–क्षेत्रीय एकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता दूसरे राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हस्तक्षेप न करने तथा आपसी लाभों पर आधारित है। बांग्लादेश ने सभी क्षेत्रों आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि का विस्तृत विश्लेषण किया तथा ढाका में 8 दिसम्बर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना किया। दक्षेस के सस्थापक सदस्य देशों की संख्या सात थी। 12–13 नवम्बर 2005 को ढाका में सम्पन्न हुए तेरहवें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका आठवा सदस्य बनाया गया जिसकी औपचारिकता 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में पूर्ण की गयी। सार्क का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमाण्डू में स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष 08 दिसम्बर को सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है।

21.2.2 – सार्क के सहयोग क्षेत्र का निर्धारण–

किसी भी क्षेत्रीय संगठन का मूल आधार क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करना होता है। सार्क के विदेश मंत्रियों ने 1983 में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के लिए 9 क्षेत्रों को रेखांकित किया था। दो वर्ष बाद 1985 में ढाका में सहयोग के लिए अन्य विषय जोड दिये गये जो निम्नलिखित है– कृषि, स्वास्थ्य सेवाए, मौसम विज्ञान, डाक तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेल–कूद, सांस्कृतिक सहयोग, आंतकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। अप्रैल 1993 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किया गया तथा 1995 से लागू किया गया।

21.2.3 – दक्षेस का चार्टर एवं घोषणा पत्र–

दक्षेस के चार्टर में उसके उद्देश्यों, सिद्वान्तों, सस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। चार्टर के

अनुच्छेद एक में दक्षेस के उद्देश्य को बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि दक्षेस का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना व इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास में तेजी लाना है। आपसी विश्वास, सूझ–बूझ तथा एक दूसरे के समस्याओं का मूल्याकंन करना एवं आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्दि करना तथा सामान्य हित के मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना है।

दक्षेस उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चार्टर के अनुच्छेद 2 में कुछ सिद्वान्तों को अपनाया है जिसके अनुसार संगठन के ढाचे के अर्न्तगत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्वान्तों का सम्मान करना एवं इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय व बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा बल्कि उनका पूरक होगा।

सार्क के चार्टर के अनुसार उसका संस्थानीकरण किया गया है जो निम्नलिखित है– अ– शिखर सम्मलेन, ब– विदेश मंत्रियों की मंत्री परिषद्, स– स्थायी समिति, द– तकनीकी समिति, य– कार्यकारी समिति, र– सचिवालय। विदेश मंत्रियों की परिषद् के शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के अनुमोदन के लिए कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। स्थायी समिति यह विदेश सचिवों की समिति होती है जो कार्य योजनाओं का समन्वय तथा उसके आवश्यक धन की व्यवस्था करती है। वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत सार्क सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों के अंशदान को निर्धारित किया गया है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसका कार्यकाल दो

वर्ष होता है। महासचिव का पद सदस्य राज्यों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रदान किया जाता है, जिसे सदस्य राज्य मनोनीति करते हैं।

बोध प्रश्न :–1

नोट– ए)– अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

बी)– इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ– सार्क एक संगठन के रूप में व्याख्या कीजिए..

....

ब– सार्क के प्रमुख उद्देशों एवं सिद्वान्तों का वर्णन कीजिए..................................

....

21.03 – सार्क के प्रमुख शिखर सम्मेलन–

अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके है इन सम्मेलनों में विविध विकास उन्मुख क्षेत्रों में सम्बन्धित क्रियाकलापों में बडी संख्या का पता चलता है। सार्क के मंच से न केवल विकास उन्मुख मुद्दों को हासिल करने का प्रयास किया बल्कि नवीन सुरक्षा चुनौतियों जैसे– गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, आतंकवाद आदि से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाता है।

सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 8 दिसम्बर 1985 में ढाका में सम्पन्न हुआ था, जहॉ पर सार्क का औपचारिक गठंन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में दो प्रमुख मुद्दे– प्रथम– ''बल को प्रयोग में न लाना'' व द्वितीय– ''सभी विवादग्रस्त मुद्दो का शान्तिपूर्ण समाधान'' उभरकर सामने आये। अपने द्वितीय शिखर सम्मेलन नवम्बर 1986 बंगलौर में सार्क के सदस्य राष्ट्राध्यक्षों ने आतंकवाद को रोकने के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा आरक्षी निधि की

स्थापना के लिए सहमति दी गयी और प्राकृतिक आपदा के कारणों और परिणामों तथा पर्यावरण संरक्षण पर अध्ययन करने के लिए निर्णय लिया गया। चतुर्थ दक्षेस शिखर सम्मेलन 1988 में इस्लामाबाद में सम्पन हुआ जिसमें ''दक्षेस–2000 एक बुनियादी आवश्यकता सदर्श'' नाम से एक समेकित विकास योजना तैयार की गयी। पंचम शिखर सम्मेलन 1990 में माले में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार के प्रति चिन्ता व्यक्त की तथा नशीले पदार्थों के गैर कानूनी व्यापार को दबाने का समझौता किया गया। तीन संस्थाओं– मानव साधन विकास केन्द्र इस्लामाबाद, क्षेत्रीय टी0वी0 केन्द्र काठमाण्डू तथा क्षेत्रीय प्रतिलिपि केन्द्र नई दिल्ली की स्थापना का निर्णय लिया गया। सातवां शिखर सम्मेलन अप्रैल 1993 में ढाका में सम्पन हुआ जिसमें आर्थिक सहयोग के प्रण को दोहराया गया। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने अन्तः क्षेत्रीय व्यापार के उदारिकरण के एक समझौता South Asian Preferntial Trading Arrangment (SAPTA) ''दक्षिण एशिया प्राथमिकता व्यापार समझौता (साप्टा) पर हस्ताक्षर किये। नई दिल्ली में 1995 में हुए आठवे शिखर सम्मेलन में ''साप्टा'' को औपचारिक रूप से आरम्भ किया गया। नौवें शिखर सम्मेलन 1997 माले में सम्पन्न हुआ। जिसमें एक समूह– प्रमुख व्यक्तियों का समूह (Eminent Persons Group- EPG) की स्थापना की गयी। जिसमें सार्क के प्रत्येक देश के दो सदस्य लिये जायेगें तथा यह समूह सार्क देशों द्वारा आर्थिक एकीकरण के लिए की जा रही प्रगति की समीक्षा करेगा तथा सुक्षाव देगा कि किस प्रकार सार्क देश अन्य विश्व के आर्थिक विकास के साथ बराबरी कर सके।

''साप्टा'' की प्रगति से प्रोत्साहित होकर 1999 में कोलम्बों के सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षेस नेताओं ने ''दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र'' (साफ्टा) (South Asian Free Trade Area (SAFTA) पर सन्धि का मसौदा

तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। 11वॉ शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख अंश अनैतिक प्रयोजन के लिए महिला शिशु और महिलाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए आपस में सहमति बनी। साफ्टा में एक निश्चित अवधि तक व्यापारिक गतिरोधों को दूर करते हुए क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाना था। 12वॉ शिखर सम्मेल जनवरी 2004 इस्लामाबाद में हुआ इस सम्मेलन में श्रीलंका के कैण्डी में सार्क सास्कृतिक केन्द्र तथा काठमाण्डू में सार्क सूचना केन्द्र स्थापित किये जाने पर सहमति बनी। आतंकवाद के अतिरिक्त 06 जनवरी 2004 को साफ्ता समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये जिसे 01 जनवरी 2006 से लागू किया गया। तेरहवॉ शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में सम्पन हुआ अफगानिस्तान को आठवां सदस्य बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए– दोहरा कराधान से बचने के लिए बहुपक्षीय समझौता, सीमा शुल्क मामलों में साझा प्रशासनिक सहायता समझौता, एवं सार्क पंचाट परिषद की स्थापना। सार्क नेताओं ने 2006 से 2015 के दशक को गरीबी उन्मुलन दशक घोषित करने तथा दक्षिण एशिया को गरीबी मुक्त बनाने का निर्णय लिया।

14वॉँ सार्क शिखर सम्मलेन अप्रैल 2007 नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना करने, सार्क खाद्यान्न भण्डार बनाने, सार्क विकास कोष को क्रियान्वित करने तथा विवाद निपटारा परिषद का गठन सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किए। अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर से हुई। 15वॉँ सार्क शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 कोलम्बो में सम्पन्न हुआ जहाँ आतंकवाद से निपटने में आम राय व्यक्त की गई। खाद्य और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तीन सौ मिलियन डॉलर का एक सार्क विकास निधि बनाने तथा एक देश में अपराध कर बगल देश छिप जाने की क्षेत्रीय अपराध समस्या से निपटने का

सकारात्मक रूख अपनाया गया। सार्क का 16 वां शिखर सम्मलेन 2010 थिम्पू में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य विचाराधीन विषय जलवायु परिवर्तन था जिसे नाम दिया गया 'हरित एवं खुशहाल दक्षिण एशिया की ओर'।

17वाँ शिखर सम्मेलन नवम्बर 2011 मालदीव में अन्तोल (अड्डु) द्वीप पर सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही बल, दक्षेस, बीज बैंक, सम्पर्क निर्माण में आस्था रखने का संकल्प लिया और हिन्द महासागर में मालवाहक जहाजों और समुद्र यात्रा में तेजी लाने सहित क्षेत्रीय रेल और वाहन परियोजनाओं पर अगले वर्ष तक समझौता करने का निर्णय लिया। 18वां सार्क शिखर सम्मेलन नवम्बर 2014 काठमाण्डू मे सम्पन्न हुआ जिसमें भारत ने सार्क देशों के नागरिकों को पांच वर्ष का कारोबारी वीजा देने का निर्णय लिया। सार्क देशों के मध्य ऊर्जा समझौते पर सर्वसम्मति बनी। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन नवम्बर 2016 में इस्लामाबाद में होना था मगर उरी हमले के बाद पैदा हुई परिस्थितियों में सबसे पहले भारत ने इसमें शिरकत से इन्कार कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और फिर श्रीलंका ने भी आतंकवाद की वजह से खराब हुए माहौल से सम्मेलन में शामिल होने से इन्कार कर दिया।

21.04 दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)

(South Asian Free Trade Area) [Safta]

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सार्क ने अपने मंच से 6 जनवरी 2004 को सर्वसम्मत्ति से स्वीकृति प्रदान की तथा इसके प्रावधान 1 जनवरी 2006 से लागू किये गये। साफ्टा संधि के अन्तर्गत सार्क क्षेत्र में आर्थिक व्यापर तथा आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबन्धों को हटाया जाएगा ताकि विभिन्न उत्पादों एवं वस्तुओं को एक देश की सीमा से अन्य देशों की सीमा में ले जाने

तथा लाने पर लगी पाबन्दी समाप्त होगी। जिससे इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार तथा स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ेगी जिसका लाभ क्षेत्र के सभी देशों तथा यहाँ कि जनता को मिलेगा। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौते के अन्तर्गत दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार की दिशा में तीन चरणों में बढेगा।

पहला– दो वर्ष का ग्रेस पीरियड जो जनवरी 2006 तक। जिसमें सभी सदस्य देश इसे स्वीकृति देंगे, अपने ऊपर हाने वाले मुक्त व्यापार के असर का आंकलन करेंगे और ऐसे उत्पादों की नकारात्मक सूची बनाऐंगे। जिन पर से वे मुक्त शुल्क नहीं हटाऐंगे।

दूसरा चरण– यह भी दो वर्ष का होगा। इसमें सभी देश उच्च आयात शुल्क को 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर तक लाऐंगे और दूसरे देशों के साथ अपनी नकारात्मक सूची के आधार पर वार्ता की शुरूआत करेंगे।

तीसरा चरण– पांच वर्ष का होगा और इस अवधि में सभी तरह के आयात पर शुल्क शून्य से पांच प्रतिशत के बीच किया जाएगा।

साफ्टा से संभावित लाभ मौजूद है लेकिन इस समझौते के तहत सफल कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण लाभ पूरा होने की सम्भावना भविष्य के गर्त में है। दक्षेस देशों के मध्य राजनीतिक तनाव और छोटे आकार की अर्थव्यवस्था वाले देश हाने के कारण समझौते की अधिकांश प्रगति सन्देह के घेरे में है।

बोध प्रश्न–2

नोट–

ए) अपने उत्तर के लिए नीचे रिक्त स्थानों का प्रयोग करें।

ब) अपने उत्तर इकाई के अन्त में दिए गये उत्तर से मिलाएं।

अ) सार्क के प्रमुख शिखर सम्मेलनों की समीक्षा कीजिए– ....

....

....

ब) साफ्टा क्या है? ....

....

21.05 सार्क की प्रगति एवं उसमें बाधाएँ

सार्क की प्रगति में 'साफ्टा' को सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। 2014 के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, साझा व्यापार एवं साझा आर्थिक एवं मौद्रिक संगठन बनाने पर सहमति बनी है। दक्षिण एशिया में वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षेस विकास बैंक, दक्षेस विकास कोष, तथा अधिसंरचनात्मक विकास हेतु दस अरब डॉलर का एक अधिसंरचनात्मक कोष बनाने का सदस्य देशों ने निर्णय लिया है।

सार्क के लिए कार्यरत (E.P.G.(Eminent person Group) ने सार्क संघ बनाने तथा एक मुद्रा जारी करने का सुझाव दिया है। दक्षेस फोरम एवं सार्क संसदीय फोरम के गठन पर सदस्य देशों की सहमति है। सार्क देशों के खेलों का आयोजन होता है। सार्क विश्वविद्यालय का दिल्ली में निर्माण किया गया है तथा सार्क देशों ने वर्ष 2016 में सांस्कृतिक विरासत वर्ष के रूप में मनाया है।

नवीन सुरक्षा चुनौतियों में खाद्‌य संकट को देखते हुए दक्षेस खाद्य सुरक्षा भण्डार एवं दक्षेस खाद्य बैंक के लिए समझौता किया गया है। दक्षेस देश आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1773 को मान्यता देते है तथा उन्होंने, आतंकवाद, तस्करी एवं अपराध नियन्त्रण के लिए ''दक्षेस साझा कानून

सहायता समझौता'' किया है। दक्षेस देशों ने एक करोड़ वृक्षारोपण का निर्णय किया है। जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है। दक्षिण एशिया में साइबर स्पेस के बढ़ते दुर्पयोग को देखते हुए ''साइबर क्राइम निगरानी डेस्क'' बनाने का सार्क द्वारा निर्णय लिया गया है।

सार्क के मंच से घोषणाएं ज्यादा परन्तु प्रगति बहुत धीमी है जिसके लिए बहुत से कारण उत्तरदायी है। सभी सदस्य देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर आपसी तनाव है किसी के साथ सीमा विवाद, किसी के साथ नृजातीय समस्या तो कहीं संसाधनों को लेकर आदि स्तरों पर संघर्ष एवं तनाव विद्यमान है। पूरा दक्षिण एशिया आतंकवाद, विप्लाव, तस्करी एवं संगष्टि अपराध की चपेट में है। कुछ दक्षेस देश इनका प्रत्यायोजन भी करते है। सार्क की प्रगति में बाधा के रूप में सार्क देशों में राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण विकास और सहयोग पीछे छूट जाता है। यूरोपीय संघ के सफलता के पीछे कहीं न कहीं एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका है।

सार्क भावना के विकास बाधा के रूप में भारत की अत्यधिक जनसंख्या, बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ी सामरिक शक्ति, बड़ा भू–भाग आदि सदस्य देशों को भयभित करता है। भारत में विभिन्न सांस्कृतियों का केन्द्र बिन्दू होने के कारण सांस्कृतिक क्षमता अन्य सदस्य देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। निःसन्देह सार्क भावना के विकास से भारत को राजनीतिक, आर्थिक सामरिक व सांस्कृतिक लाभ होगा जिसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पाकिस्तान व गैर क्षेत्रीय शाक्ति के रूप में चीन अपनी नकारात्मक भूमिका के माध्यम से निष्फल करने के लिए प्रयासरत है।

21.06 सार्क को सफल बनाने के उपाय

दक्षिण एशिया में समान इतिहास, भौगोलिक सम्बद्धता, जनसांख्यिकी लक्षणों, प्राकृतिक संसाधनों, अक्षय निधियों और सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार के होते हुए क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सार्क अपने मंच से प्रयासरत है। मगर उसे प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाएं जा सकते है–

⇒ सार्क देशों के बीच विवाद निस्तारण के लिए एक अलग से सेल का निर्माण किया गया है, जिसे प्रभावी बनाया जाएं।

⇒ आपसी सहयोग के अतिरिक्त अन्य सहयोग संगठनों के साथ सम्पर्क विस्तार किया जाय ताकि सदस्य देशों के मन से भारत के प्रति भय को कम किया जा सकें।

⇒ गैर क्षेत्रीय शक्तियों को सार्क में प्रवेश से रोका जाय।

⇒ सार्क भावना के विकास के लिए नागरिक समाज की मदद ली जाए।

⇒ सार्क देशों के लोगो को आपस में जोड़ने में लिए Track-II Policy को भी अपनाया जाए।

⇒ सार्क देशों के बीच आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जाय ताकि सहयोग विकसित करने में आसानी हों।

बोध प्रश्न 3

नोट ए) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ब) इस इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ) सार्क की अब तक की प्रगति एवं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए।...

....

ब) सार्क को सफल बनाने के लिए उपाय सुझाईये।..

....

21.07 सारांश

दक्षेस देशों की वास्तविकता अगर आर्थिक संगठन के रूप में देखा जाए तो इनका आपसी व्यापार 5% तथा विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 2% से भी कम है। सार्क के सबसे बड़े देश भारत के साथ सार्क का कुल व्यापार उसके सकल व्यापार का केवल 2% है जबकि चीन के साथ यही 10% है। यूरोपीय संघ व असियान की तुलना में सार्क की प्रगति निराशाजनक है। जब तक सार्क देशों के सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे तथा पाकिस्तान अपनी अवरोध भूमिका का परित्याग नहीं करेगा एवं सार्क देशों में भारत के प्रति अनावश्यक भय का निराकरण नहीं होता तब तक सार्क की सफलता में कोई सन्तोजनक परिणाम प्राप्त करना मुश्किल है।

21.08 शब्दावली

समान सम्प्रभुता– समान सम्प्रभुता का आशय राज्य अपनी सम्प्रभुता का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में समान सदस्य के रूप में करते है। चाहे वे राज्य आर्थिक सामाजिक राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार विभेदीकृत हो।

दोहरा कराधान– दोहरा कराधान वह स्थिति है जहां एक आय के एक ही स्रोत पर दो अलग–अलग स्तरों पर कर लगाया जाता है।

<u>ट्रैक–2 पॉलिसी(Trace-II Policy)-</u> यह गैर सरकारी अथवा जनता से जनता के सम्पर्क के जरिए होता है। इसमें कला संस्कृति और शिक्षा जगत के लोग सम्बन्धों में सुधार के लिए कार्य करते है।

21.09 कुछ उपयोगी पुस्तकें/सन्दर्भ

⇒ Arches cliver, International Organisation Oxford- 1995

⇒ शशि शुक्ला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ–2008

⇒ घोष, पार्थ, एस 1989 कोऑपरेशन एण्ड कॉमपिल्क्ट इन साउथ एशिया, नई दिल्ली

⇒ जे0एम0 श्रीवास्तव, हर्ष कुमार सिन्हा राष्ट्रीय सुरक्षा ए0एस0आर0 पब्लिकेशन्स– द्वितीय संस्करण–2017

⇒ भावना शर्मा नई अन्तर्राष्ट्रीय कार्य व्यवस्था व दक्षिण एशियाई देश, रावत पब्लिकेशन्स–2017

⇒ Rajiv Kumar Omita Goyal. Thirty Years Of SAARC : - Society, Culture and Development, SAGE Publications- 2016

21.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

अ– इस इकाई का भाग 21.02.01 व 21.02.02 व 03 को मिलाकर अपने उत्तर का मिलान करें।

ब– इस इकाई का भाग 21.02.03 देखें।

बोध प्रश्न–2

अ– इस इकाई का भाग 21.03 देखें।

इकाई–22 विश्व व्यापार संगठन

इकाई की रूपरेखा

22 उद्देश्य

22.1 प्रस्तावना

22.2 स्थापना

22.3 **W.T.O.** की संरचना

22.4 विश्व व्यापार संगठन उद्देश्य एवं सिद्धांत

22.5 विश्व व्यापार समझौते

- 22.5.1 सेवाओं में व्यापार एवं सामान्य समझौता
- 22.5.2 व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार
- 22.5.3 व्यापार सम्बद्ध निवेश उपाय
- 22.5.4 कृषि पर समझौता

22.6 वर्तमान वैश्विक राजनीति में **W.T.O.** की भूमिका

22.7 सारांश

22.8 शब्दावली

22.9 उपयोगी पुस्तकें

22.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

विश्व व्यापार संगठन

22 उद्देश्य–

प्रस्तुत इकाई में विश्व व्यापार संगठन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। इस इकाई में विश्व व्यापार संगठन के स्थापना, उद्देश्य, संरचना व कार्यों को सारगर्भित ढंग से बताया गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद अध्ययनकर्ता को निम्न विषयों के बारे सामान्य समझ विकसित हो सकेगी।

– विश्व व्यापार संगठन क्या है?

– विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के बारे में।

– वर्तमान विश्व व्यवस्था में W.T.O. की भूमिका के बारे में।

22.1 प्रस्तावना–

विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच व्यापार को विनियमित करने वाला एकमात्र वैश्विक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके प्रमुख आधार विश्व व्यापार संगठन के समझौते है जिन पर दुनिया के अधिकांश देश वार्ता करके हस्ताक्षर किए है और उनके विधानमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस समझौते का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार को यथासम्भव, सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सके। विश्व व्यापार संगठन कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, यह व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली संचालित करता है एवं व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तथा अपने सदस्यों के बीच व्यापर विवाद को सुलझाता है और यह विकासशील देशों की जरूरतों का समर्थन करता है।

22.2. स्थापना

द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दौर में दुनिया के जिम्मेदार राष्ट्रों को यह महसूस हुआ कि वैश्विक व्यापार को उचित, भेदभाव रहित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। विकसित और विकासशील देशों दोनों के व्यापारिक लाभो को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक व्यापार को नियमबद्ध तरीके से चलाने के लिए 1944 में हुए ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व आर्थिक व्यवस्था को तीन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं– (1) पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक या विश्व बैंक (IBRD or World Bank) (2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F) तथा (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था (I.T.O) पर सहमति बनी। वर्तमान में प्रथम दो सस्थाएं कार्यरत है मगर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था (I.T.O) स्थापित नहीं हो सकी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था के स्थापित न होने के कारण कुछ जिम्मेदार राष्ट्र व्यापारिक अवरोधों को दूर करना चाहते थे "परिणाम स्वरूप व्यापक रूप से द्विपक्षीय व्यापार रियायतें या छूटे, प्रशुल्क एवं व्यापार के सामान्य करार (General Agreement in Trade and Tariff) गैट का 1948 में गठन किया गया। जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

I. लोगों के रहन सहन को उठाना।
II. दुनिया के संसाधनों का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना।
III. पूर्ण नियोजन को सुनिश्चित करना तथा वास्तिविक आय प्रभावी मांग की मात्रा या परिणाम में वृद्धि करना।
IV. उत्पादन एवं अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के प्रसार को सुनिश्चित करना।

विश्व व्यापार संगठन के पूर्व वैश्विक व्यापार के अवरोधों को गैट के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया था। वैश्विक व्यापार को विकसित करने के लिए एक वैश्विक संगठन की स्थापना हेतु 8 दौर की वार्ता हुई। 1947

में पहले दौर की वार्ता जेनेवा में हुई, जिसमें 23 देशों ने भाग लिया था। 1949 में गैट के वैनर तले दूसरे दौर की वार्ता एमनेस्टी (फ्रांस) में हुई। तीसरे दौर की वार्ता टोरहुए (ब्रिटेन) 1951 में हुई। 1956 में चौथे दौर की वार्ता पुनः जेनेवा में हुई। 1960–61 में पांचवें दौर की वार्ता (डिल्लन दौर की वार्ता) जेनेवा में सम्पन्न हुई। इन पांच दौर की वार्ता में प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने पर ही चर्चा सीमित रही। 1964–67 के मध्य कैनेडी दौर की वार्ता की गयी। जिसमें प्रशुल्क बाधाओं के साथ ही एंटी डम्पिंग उपायों पर भी वार्ता की गयी। इसके उपरान्त 1973 से 1979 के मध्य टोक्यो दौर की वार्ता गैट के तहत सम्पन्न हुई, जिसमें प्रशुल्क के साथ ही गैर–प्रशुल्क अवरोधों पर चर्चा की गयी। अन्त में 1986 से 1989 तक उरुग्वे दौर की वार्ता सम्पन्न की गयी, जिसमें भारत समेत 150 देशों ने मारकेश (मोरक्को) में 15 अप्रैल 1994 को अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 1995 को मारकेश समझौता के जरिये विश्व व्यापार संगठन को गठित किया गया।

22.3 विश्व व्यापार संगठन की संरचना

W.T.O. की निर्णय निर्माण करने वाली शीर्ष संस्था मन्त्रियों का सम्मेलन है जिनकी बैठक प्रत्येक दो वर्ष पर होती है। इस संस्था के अन्तर्गत साधारण परिषद (General Council) कार्य करती है। यह सामान्य व्यापार नीति निकाय तथा विवाद निस्तारण निकाय की हैसियत से कार्य करती है। इस सामान्य परिषद के अन्तर्गत तीन संस्थाएं कार्य करती है। वस्तुओं के व्यापार की परिषद, सेवाओं में व्यापार की परिषद तथा व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की परिषद। विश्व व्यापार संगठन की संरचना में निचले स्तर पर अनेक विशेष विषयों की समितियाँ, कार्य समूह और कार्य भागीदार है। यह संगठन सदस्यों के व्यक्तिग समझौतों, W.T.O. की सदस्यता, पर्यावरण, विकास आदि क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्य करती है। विश्व व्यापार संगठन का एक

सचिवालय होता है जिसका प्रमुख महा–निदेशक होता है जिसकी नियुक्ति मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा चार वर्ष के लिए की जाती है। सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति महा–निदेशक द्वारा की जाएगी। मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा सचिवालय के सेवा शर्तों, शक्तियों, कार्य आदि के बारे में उपबन्ध किये जाते है।

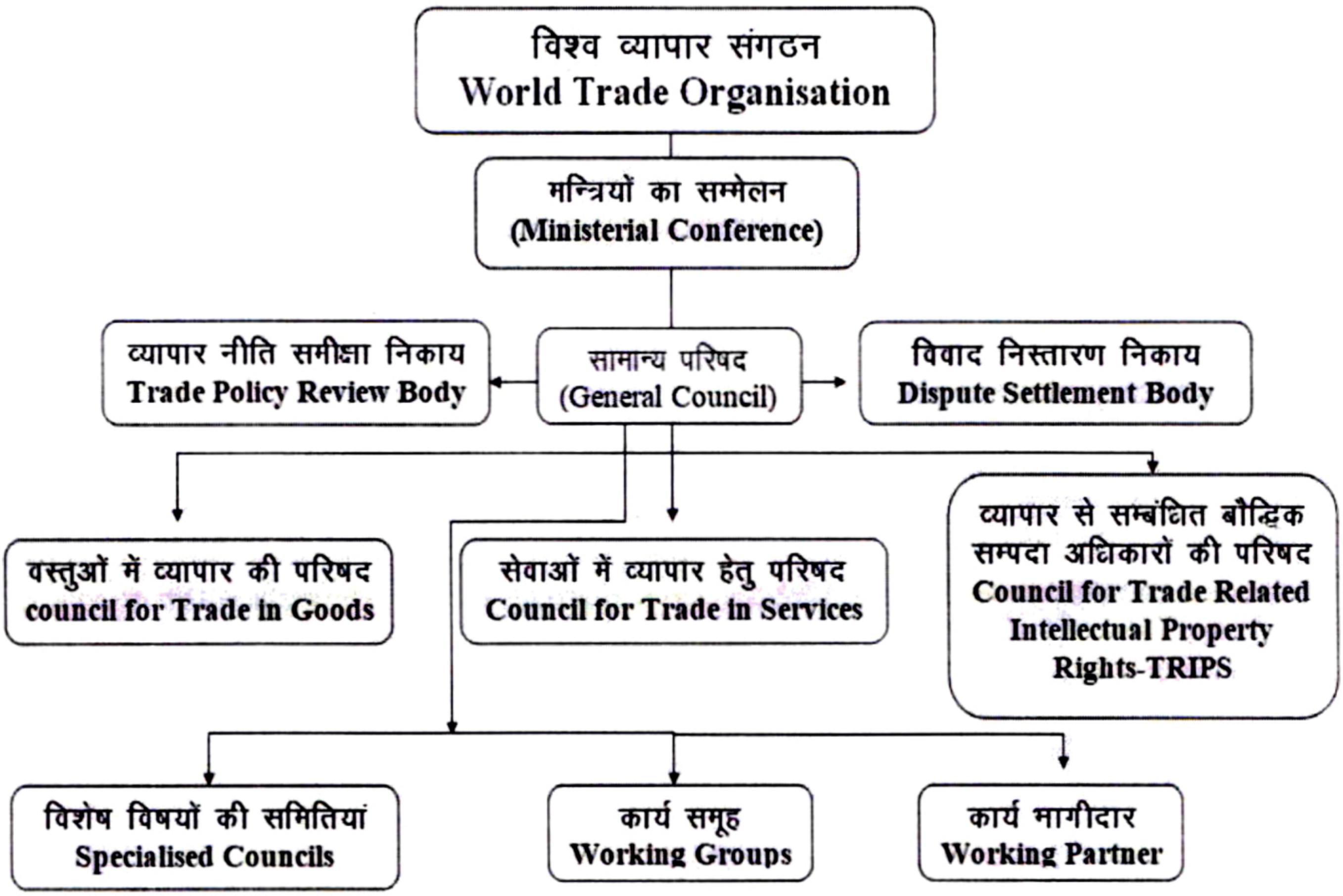

22.04 विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं सिद्धांत–

विश्व व्यापार संगठन के चार्टर के अनुसार इसमें निम्नलिखित उद्देश्य है–

⇒ लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना

⇒ विश्व के संसाधनों का अनुकूल उपयोग करना

⇒ समझौते के अनुसार विश्व व्यापार प्रणाली का क्रियान्वयन करना।

⇒ प्रत्येक देश के लिए लाभकारी विश्व व्यापार का उन्नयन करना।

⇒ मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना।

⇒ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी भागीदार देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना ताकि इमसे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे।

⇒ वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना।

⇒ प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगरार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना।

⇒ सतत् विकास की अवधारणा को स्वीकार करना

⇒ पर्यावरण का संरक्षरण एवं सुरक्षा करना।

विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत–

W.T.O. अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यापार प्रणाली को अपनाता है।

⇒ बिना भेदभाव के एक देश को अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच समान रूप से व्यापार करना चाहिए और उसे अपने और विदेशी उत्पादो, सेवाओं या नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।

⇒ W.T.O. के सदस्यों को अपने व्यापार नियमों को प्रकाशित करना होगा और व्यापार नीतियों में किसी भी बदलारव के बारें में W.T.O. को सूचित करना होगा।

⇒ व्यापार अवरोधों को धीरे–धीरे कम करते हुए व्यापार को और मुक्त बनाना।

⇒ पूर्व कथनीयता और पारदर्शिता के द्वारा विदेशी कम्पनियों, निवेशकों और सरकारों को यह आश्वस्त करता है कि व्यापार अवरोधों को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाएगा तथा सभी व्यापार सम्बन्धित नीतियों और विनियमित ढांचें को विदेशियों के लिए पारदर्शी रखा जाएगा।

⇒ बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में इस बात को स्वीकार किया गया कि कम विकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए साथ ही साथ तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

⇒ W.T.O. के समझौते का प्रत्येक विषय एक बड़े और अविभाज्य पैकेज का हिस्सा है जिसे अलग–अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी सदस्य देश यह चयन नहीं कर सकता की वह किसी एक विशेष समझौते के साथ ही जुड़ेगा। W.T.O. और उसके सभी समझौते एक ही पैकेज है जिसे सदस्य देश या तो पूर्ण स्वीकार करें या फिर जरा भी नहीं।

बोध प्रश्न–2 ।

नोट–

ए) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

बी) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ) विश्व व्यापार संगठन के गठन की व्याख्या कीजिए.......................................

....

....

ब) विश्व व्यापार संगठन के संरचनात्मक ढाँचे का वर्णन लिखिए।......................

....

....

स) विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों व सिद्धांतों को लिखिए–..........................

....

....

22.05 विश्व व्यापार समझौते

विश्व व्यापार संगठन विभिन्न प्रकार के समझौते के आधार पर वैश्विक व्यापार का संचालन करता है जिन्हे अन्तर्राष्ट्रीय विधिक स्तर प्राप्त है। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नलिखित है–

22.5.1 सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता

(General Agreement of Trade in Service-GATS)

चार श्रेणी की सेवाओं को इस समझौते में शामिल किया गया।

(1) सेवा का निर्यात– एक सदस्य की सीमाओं से किसी दूसरे सदस्य देश की सीमाओं में आपूर्ति की गयी सेवा जैसे– अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल, सॉफ्टवेयर, डाक आदि।

(2) एक सदस्य देश द्वारा दूसरे सदस्य देश की सेवाओं का उपयोग जैसे– पर्यटन।

(3) किसी दूसरे देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुषंगी कम्पनी या शाखाएं खोलना जैसे कि विदेशी बैंक द्वारा किसी अन्य सदस्य देश में अपनी शाखाएं स्थापित करना।

(4) ऐसी सेवाएं जिसमें व्यक्तियों का हस्तांतरण शामिल होता है।

22.5.2 व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार

(Trade Related Intellectual Property Rights- TRIPS)

यह समझौते वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं कलात्मक उपलब्धियों हेतु सार्वभौमिक विधिक संरक्षण प्रदान करता है। बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत पेटेन्ट्स, कॉपी राइट्स, ट्रेड मार्क, इटेग्रेटिड सर्कट्रस इण्डास्ट्रिल डिजाइन, मूल स्थान निर्दिष्ट सहित भौगोलिक सूचक, परीक्षण डाटा तथा पौध संरक्षण को शामिल किया गया है। इस समझौते में प्रमुख तत्व के रूप प्रत्येक सदस्य देश को संरक्षण का न्यूनतम मानक स्तर प्राप्त होगा एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार, घरेलू उत्पादकों एवं उन्हें लागू करने वालों द्वारा प्रवर्तनीय है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित विवादों का निपटारा विवाद निपटारा निकाय द्वारा किया जाता है।

22.5.3 व्यापार संबद्ध निवेश उपाय

(Agreement on Trade Related Aspects of Investment Measures)- (TRIMS)

यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार सम्बन्धी निवेश उपायों पर लागू होते है। यह विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था करता है जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनती है एवं उत्पादन की शर्तों और लागत व कीमतें को प्रभावित करती है। ट्रिम्स का उद्‌देश्य विश्व व्यापार का विस्तार और

प्रगतिशील उदारीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निवेश की सुविधा को आसान बनाना ताकि सभी व्यापारिक भागीदारों विशेष रूप से विकासशील देश के सदस्यों के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके और मुक्त व्यापार को सुनिश्चित किया जा सकें। व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (TRIMS) विश्व व्यापार संगठन समझौते के अन्तर्गत स्वीकार किए गए चार प्रमुख विधिक समझौते में से एक है। TRIMS जो निवेश मामलों में घरेलू फर्मो की वरीयता देने को प्रतिबन्धित करते है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय फर्म विदेशी बाजारों में अधिक सुगमता पूर्वक कार्य कर सकें।

22.5.4 कृषि पर समझौता

उरूग्वे दौरे के वार्ता में कृषि क्षेत्र को W.T.O. के दायरे में लाया गया। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते में कृषि एवं व्यापार नीति के तीन व्यापक क्षेत्रों– बाजार पहुँच, घरेलू समर्थन एवं निर्यात सहायता से सम्बन्धित प्रावधान सम्मिलित है।

I. बाजार पहुंच– W.T.O. यह चाहता है कि सभी गैर–शुल्क सीमाओं को समाप्त कर तथा प्रशुल्कों में कमी लाकर अपने बाजार को कृषि आयातों हेतु खोल दिए जाए।

II. निर्यात सहायता (Export Subsidies) – विकसित देशों द्वारा निर्यात सहायता को मूल्य या परिणाम के रूप में कम किया जाना है ताकि अन्तर्राट्रीय कीमतें एक सीमा से नीचे न जाएं और विकासशील देश के निर्यातों को बाजार से बाहर नहीं ढकेल दिया जाए। विकासशील देशों के लिए 10 वर्षो में समान वार्षिक किश्तों (1986–1990 के स्तर से) में 24% कटौती निर्यात सब्सिडी व्यय एवं 14% मात्रा हेतु निर्धारित की गयी थी।

III. <u>घरेलू सहायता–</u> इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा कृषकों को खाद्य, उर्वरक, विद्युत, सिंचाई हेतु जल आदि के क्षेत्र में दी गयी सब्सिडी आती है। इसे तीन वर्गों में रखा गया है।

a) **पीत बॉक्स (Amber Box): इस वर्ग में ऐसे घरेलू सहायता उपायों को शामिल किया गया है जो उत्पादन एवं व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है जिन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।**

b) **नीला बॉक्स (Blue Box): इसके तहत केवल उत्पादन सीमित करने वाली सब्सिडी** की अनुमति हैं वे आधाार वर्ष में एकड़ उपज या पशुधन की संख्या के आधार पर भुगतान को कवर करते है।

c) **हरित बॉक्स (Green Box):** विदेशी व्यापार पर प्रभाव न डालने वाली सब्सिडी को विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौता के अन्तर्गत हरित बॉक्स में रखा गया है क्योंकि ये व्यापार के स्वरूप को विकृत नहीं करती है। जैसे– आय समर्थन भुगतान, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम के तहत भुगतान, और कृषि अनुसंधान और विकास सब्सिडी।

बोध प्रश्न–2

नोट–

ए) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

बी) इस इकाई के अन्त में दिये गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ) व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (TRIPS) से आप क्या समझते है?...

....

ब) व्यापार सम्बद्ध निवेश उपाय (TRIMS) क्या है? ....

....

22.6 वर्तमान वैश्विक राजनीति में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

आरम्भ में U.N.O. व उसके अभिकरण तथा उससे जुड़ी ऐजेन्सीयां व गैट ने विश्व आर्थिकी के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। परन्तु धीरे–धीरे स्थितियाँ बदल गयी। 'गैट' का स्थान W.T.O. ने ले लिया जहाँ विषय के रूप में वस्तु व्यापार ही नहीं बल्कि सेवा व्यापार; कृषि, बौद्धिक सम्पदा, निवेश आदि W.T.O के साथ जोड़ दिया गया। समकालीन वैश्वीकरण मुख्यतः आर्थिक है जिसके नियमन का सबसे बड़ा मंच W.T.O. है अतः W.T.O. की गतिविधियों का सीधा प्रभाव विश्व राजनीति पर देखा जा सकता है।

(1) विकासशील देशों में तनाव के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर बढ़ती एकता– अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तनाव व सहयोग का सबसे बड़ा आधार राष्ट्रीय हित है। सीमा विवाद, क्षेत्र विवाद, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय व धार्मिक विवादों के चलते तीसरी दुनिया के मध्य तनाव, संघर्ष व युद्ध की स्थितियां विद्यमान हैं परन्तु इनके आर्थिक हित एक जैसे है और वे एक जैसी आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है। चूंकि W.T.O. आर्थिक व्यवहार के नियमन का एक वैश्विक साझाा मंच है इसलिए वार्ताओं और मानकों के निर्धारण में तीसरी दुनिया के बीच हित समरूपता के चलते एकता दृष्टिगोचर होती है। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से ये देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते है।

(2) **बहुपक्षीय व्यापार** का यह मंच आज उत्तर दक्षिण **संवाद तथा NIEO** का सर्वश्रेष्ठ अभिकरण है। NIEO की अवधारणा का उदय U.N.O. के मंच पर हुआ, परन्तु अब वह W.T.O. के पाले में आ चुका है। NIEO का

उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र व न्याय से जुड़ा हुआ है। जिसमें अन्तर्गत श्रम, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दे भी शामिल है जिसका आर्थिक व्यवहार से गहरा सम्बन्ध है। आज वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पदा निवेश, कृषि आदि W.T.O का विषय है जिस पर विकसित व विकासशील देशों के हित अलग–अलग है। श्रममानक, पर्यावरण, मानवाधिकार आदि को W.T.O. से जोड़ने की कोशिश हो रही है जिस पर धनी व गरीब मुल्मों के दृष्टिकोण में भिन्नता है इस तरह N.I.E.O. के अन्तर्गत उठाये जाने वाले अनेक विषय W.T.O. के साथ सम्बद्ध हो गये है अतः उत्तर दक्षिण संवाद का यह मंच बनता जा रहा है।

(3) <u>सदस्य देशों के</u> बढ़ते आर्थिक सम्बन्धों का तनाव निराकरण एवं विश्वास बहाली में योगदान– W.T.O. द्वारा आर्थिक व्यवहार के नियमन के चलते दुनिया को देशों के मध्य आर्थिक रिश्तों का विस्तार हुआ है। W.T.O. के अन्तर्गत व्यक्तिगत सौदेबाजी का स्थान सामूहिक सौदेबाजी ने ले लिया है। वैश्वीकरण के तहत लगातार बढ़ रहे आर्थिक गतिविधियों तथा W.T.O. द्वारा आर्थिक सम्बन्धों के मानकों के निर्धारण के चलते घोर आर्थिक असन्तुलन की जगह पर सन्तुलित आर्थिक व्यवहार की माँग की जा रही है। इससे दुनिया के देशों के बीच अर्न्तनिर्भरता बढ़ रही है। इसका परिणाम संघर्ष व तनाव में कमी तथा विश्वास बहाली के रूप में देखा जा सकता है।

(4) <u>क्षेत्रीय सहयोग संगठनों का बढ़ता महत्व–</u> W.T.O क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के विकास के मार्ग में बाधक न होकर सहायक है। W.T.O. की व्यवस्था यह है कि उसका सदस्य बनने के बाद कोई भी देश किसी अन्य देश को सहूलियत देता है तो वैसी ही सुविधा अन्य सदस्यों को हासिल हो जाएगी। किन्तु क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के अन्तर्गत दी गयी सुविधाएँ सामान्यीकृत नहीं होती है। आज क्षेत्रीय स्तर पर अनेक सहयोग संगठन विकसित हो रहे है और

अनके सदस्यों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता (F.T.A) हो रहे है और दी गयी सुविधाएं सामान्यीकृत नहीं हो रही है। तीसरी दुनिया के देश भी इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाने में लगे है।

(5) **W.T.O. के उदय से U.N.O. भी भूमिका पर नकारात्मक असर–**

W.T.O., GATT का स्थानापन्न है जो केवल वस्तु व्यापार तक सीमित था लेकिन W.T.O. के अन्तर्गत सेवा व्यापार, निवेश संवर्द्धन, बौद्धिक सम्पदा व कृषि जैसे मुद्दे शामिल है। श्रममानक, पर्यावरण व मानवाधिकारों के जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि U.N.O. के तहत सक्रिय अंकटाड (UNCTAD), G-77, F.A.O., I.L.O., मानवाधिकार परिषद तथा पर्यावरण सम्मेलनों का महत्व आने वाले समय में कम हो सकता है। यदि इन मुद्दों को W.T.O. देखेगा तो इनसे जुड़ी U.N.O. की एजेन्सियां निष्प्रभावी हो जाएगी।

U.N.O. एवं W.T.O. दो लोकतांत्रिक संस्थाएं है परन्तु दोनों की कार्य संस्कृति लोकतांत्रिक नहीं है यदि U.N.O. के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है तो W.T.O. आमराय या सहमति के सिद्धांत पर काम करके भी बहुसंख्यक गरीब मुल्को को कोई बड़ी सहुलियत नहीं दिला पा रहा है। चूंकि दोनों सस्थाएं विकसित देशों की देन है, अतः यहाँ इनके हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। जिसे अब तीसरी दुनिया द्वारा विकसित एकता द्वारा चुनौती मिल रही है। विश्व व्यवस्था में सक्रिय सस्थाओं का जब तक लोकतांत्रिकरण नहीं किया जाएगा तथा उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों और वैश्विक न्याय के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक विश्व में सुख, शान्ति व खुशहाली सम्भव नहीं है।

बोध प्रश्न :–3

नोट–

ए) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

बी) इस इकाई के अन्त में दिये गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

अ) W.T.O. का विश्व राजनीति पर प्रभाव वैश्वीकरण के वर्तमान युग में विश्व आर्थिकी, विश्व राजनीति में केन्द्रीय भूमिका अदा कर रही है। व्याख्या कीजिए। ....

....

22.7 सारांश–

विश्व व्यापार संगठन दुनिया के महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है जिस पर विश्व की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। यह व्यापार के लिए नए बाजार खोलने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरा है। इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ है। W.T.O. उनके समाधान की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

22.8 शब्दावली

प्रशुल्क (Tariff)– एक प्रकार का कर है जो एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर से आने वाली या बाहर जाने वाली वस्तुओं पर लगता है।

निवेश (Investment)- निवेश एक वस्तु, सम्पत्ति, उत्पाद या कोई अन्य सम्पत्ति है जिसे भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा या उपयोग किया जाता है।

आर्थिक लोकतंत्र– आर्थिक लोकतंत्र का आशय है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किए जाने वाले सभी संसाधनों पर सभी का सामूहिक स्वामित्व

होता है और प्राप्त लाभांश भी सभी के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।

22.9 उपयोगी पुस्तकें–

⇒ पी0के0 वासुदेव– विश्व व्यापार संगठन, प्रभात प्रकाशन–2009

⇒ मो0 इकबाल अली, G. भास्कर, W.T.O. वैश्वीकरण और भारतीय कृषि

⇒ शशि शुक्ला, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ

⇒ एन्ड्रयू हेवुड, ग्लोबल पॉलिटिक्स

⇒ डॉ0 पुष्पेश पन्त एवं श्री पाल जैन, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

⇒ रूमकी वसु, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : अवधारणाएं, सिद्धांत एवं मुद्दे।

22.10 बोध प्रश्नों के उत्तर–

<u>बोध प्रश्न 1</u>–

अ) इस इकाई का मान 22.2 देखें।

ब) इस इकाई का भाग 22.3 देखें।

स) इस इकाई का भाग 22.4 देखें।

<u>बोध प्रश्न 2</u>

अ) इस इकाई का भाग 22.5.2 देखें।

ब) इस इकाई का भाग 22.5.3 देखे।

<u>बोध प्रश्न 3</u>

अ) इस इकाई का भाग 22.6 देखें।

ब– इस इकाई का भाग 21.04 देखें।

बोध प्रश्न–3

अ– इस इकाई का भाग 21.05 देखें।

ब– इस इकाई का भाग 21.06 देखें।

NOTE